आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण – देश रोशन

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	प्रस्तावना	1-4
अध्याय 2	महिला सशक्तिकरण और संरक्षण	5-28
अध्याय 3	बाल विकास	29-48
अध्याय 4	बाल संरक्षण	49-62
अध्याय 5	जेंडर बजटिंग	63-70
अध्याय 6	योजना, साख्यिकी और अनुसंधान	71-78
अध्याय 7	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान	79-88
अध्याय 8	राष्ट्रीय महिला आयोग	89-100
अध्याय 9	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	101-114
अध्याय 10	केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण	115-124
अध्याय 11	अन्य एजेंसियां, कार्यक्रम और गतिविधियां	125-138
अनुलग्नक	अनुलग्नक I से XXIX	139-204

1

प्रस्तावना

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

प्रस्तावना

1.1 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं और बच्चे मिलाकर देश की जनसंख्या का लगभग 67.7% भाग हैं। महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण और संरक्षण तथा उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना देश के सतत और समान विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास से संबंधित विनियमों और कानूनों को बनाने और इनके प्रशासन के लिए भारत सरकार का सर्वोच्च निकाय है। यह दिनांक 30 जनवरी, 2006 से एक पृथक मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। इससे पूर्व यह मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1985 में स्थापित महिला एवं बाल विकास विभाग था। महिलाओं और बच्चों के लिए सरकारी कार्यक्रमों की कमियों को दूर करने और महिला पुरूष समानता प्राप्त करने और बच्चों पर केंद्रित कानून, नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने के लिए अंतर–मंत्रालयी एवं अंतर–क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से इस मंत्रालय का गठन किया गया।

I. विज़न

1.2 एक संरक्षित और सुरक्षित वातावरण में बच्चों का सुपोषण और खुशहाल विकास सुनिश्चित करना; और महिलाओं को एक सुरक्षित समाज, रूपांतरित भारत के विकास के लिए महिला–प्रेरित विकास के संचालन में समान भागीदार के तौर पर सशक्त बनाना।

II. मिशन–महिलाओं का सशक्तिकरण

1.3 विभिन्न क्षेत्रों की नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से, जेंडर को मुख्यधारा में लाकर, महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता विकसित करके तथा महिलाओं को अपने मानवाधिकारों को साकार करने और संपूर्ण विकास हेतु संस्थागत एवं कानूनी सहायता प्रदान करके महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

III. मिशन–सुरक्षित एवं संरक्षित बाल्यावस्था

1.4 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से, बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता विकसित करके, शिक्षा प्राप्ति एवं पोषण सुविधाएं सुलभ करके तथा उनके समग्र विकास एवं उन्नति हेतु संस्थागत एवं कानूनी सहायता प्रदान करके बच्चों का विकास, देखरेख एवं संरक्षण सुनिश्चित करना।

IV. संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान

1.5 संवैधानिक प्रावधान एक ओर महिलाओं की समानता तथा दूसरी ओर बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, उनकी बेहतरी को प्रोत्साहित करने और उनके लिए एक बेहतर भविष्यं सुनिश्चित करने का प्रावधान उपलब्ध कराते है। ये प्रावधान **अनुलग्नक–I** में सूचीबद्ध हैं। देश की महिलाओं तथा बच्चों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने कई अन्य कानून भी पारित किए हैं जो **अनुलग्नक–II** में सूचीबद्ध हैं।

V. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आवंटित विषय

1.6 अपना अधिदेश प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए नीतियां, कार्य योजनाएं, कानून, कार्यक्रम और स्कीमें विकसित की है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से इनका कार्यान्ववयन

कर रहा है। मंत्रालय को आवंटित विषय **अनुलग्नक–III** में दिए गए हैं।

1.7 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) ने विकास संबंधी प्राथमिकताओं को परिभाषित करने में मुख्य भूमिका निभाई है और एसडीजी 5 लैंगिक समानता प्राप्ति के लिए समर्पित है और महिला सशक्तिकरण को गरीबी उन्मूलन, असमानता, बेहतर स्वास्थ्य, उत्कृष्ट कार्यों और आर्थिक विकास जैसे सतत विकास लक्ष्यों के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में व्यापक रूप से मान्यता दी गई है। महिलाओं और बच्चों की बेहतरी देश के जनसांख्यिकीय लाभांश की प्राप्ति के लिए अनिवार्य होती है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की स्कीमें और पहलें सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप होती हैं; और ये देश में महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के सामाजिक सुरक्षा नेट से सीधे जुड़ी हुई होती हैं।

VI. मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना

1.8 17वीं लोकसभा के गठन के बाद, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी और राज्यमंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई द्वारा की जा रही है।

श्री इन्दीवर पांडेय ने दिनांक 01 जुलाई, 2021 को मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला था। दिनांक 22.02.2023 को मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचे में 31.12.2021 को सचिव, म.बा.वि., एक अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, एक अपर सचिव, पांच संयुक्त सचिव (एक संयुक्त सचिव (स्व–स्थाने) सहित), एक आर्थिक सलाहकार और एक सांख्यिकीय सलाहकार शामिल हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक IV** में दिया गया है।

VII. मंत्रालय के तत्वावधान के अंतर्गत आने वाले संगठन

1.9 मंत्रालय के अंतर्गत तीन (3) वैधानिक निकाय अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) तथा केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के अतिरिक्त तीन (3) स्वायत्त संगठन अर्थात राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) और राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान तथा राष्ट्रीय महिला कोष सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटियां हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत एक चैरीटेबल कंपपनी है। ये संगठन भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं और ये मंत्रालय के कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन सहित इसके कार्यों में मंत्रालय को सहायता करते हैं।

1.10 राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में स्थापित किया गया राष्ट्रीय सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 में की गई परिकल्पना के अनुसार दिनांक 5 मार्च, 2007 को की गई थी। केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) एक केंद्रीय प्राधिकरण है जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बच्चों के दत्तकग्रहण को प्रोत्साहित और विनियमित करने वाले एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है।

VIII. वर्ष 2022–23 के दौरान मंत्रालय की उपलब्धियां

1.11 वर्ष 2022–23 के दौरान मंत्रालय ने महिलाओं तथा बच्चों के विकास, कल्याण एवं संरक्षण के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें तथा योजना पहलें शुरू की हैं। वर्ष के दौरान इन पहलों और मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा आगामी अध्यायों में की गई है।

2

महिला सशक्तिकरण तथा संरक्षण

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

महिला सशक्तिकरण तथा संरक्षण

I. प्रस्तावना

2.1 भारतीय संविधान में लैंगिक समानता का सिद्धांत प्रतिष्ठापित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, अपितु महिलाओं के साथ संचयी सामाजिक–आर्थिक तथा राजनैतिक भेदभावों को बेअसर करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक विभेदन के उपाय अपनाने के लिए सरकार को शक्तियां भी प्रदान करता है। महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने और कानून के तहत समान संरक्षण प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। यह प्रत्येक नागरिक पर महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल प्रथाओं को समाप्त करने का मौलिक कर्तव्य भी अधिरोपित करता है।

2.2 महिलाओं का सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, जो महिलाओं को जीवन के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त करने तथा अपनी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम बनाती है। उनकी प्रगति सामाजिक परिवर्तन की दिशा को प्रभावित करने की सामर्थ्य के साथ घर के अंदर और बाहर निर्णय लेने में उनकी स्वतंत्रता के साथ जुड़ी होनी चाहिए। मंत्रालय द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

II. महिलाओं के लिए विधायी रूपरेखा

2.3. कानूनी मोर्चे पर, मंत्रालय सबसे असुरक्षित महिला के लिए कानून का संरक्षण सुनिश्चित करने में सक्रिय रहा है। महिलाओं के लिए कानूनों का इष्टतम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।

क. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

2.4 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने और स्थिति और अवसरों की समानता के महिलाओं के अधिकार का सम्मान करने वाला माहौल निर्मित करने के लिए लागू किया गया। अधिनियम में आयु या रोजगार के स्तर का विचार किए बिना सभी महिलाओं को शामिल किया गया है और यह संगठित अथवा असंगठित सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से उनका संरक्षण करता है। छात्रों, प्रशिक्षुओं, श्रमिकों, घरेलू सहायिकाओं और किसी कार्यालय अथवा कार्यस्थल में मुलाकाती महिलाओं को भी अधिनियम में शामिल किया गया है।

2.5 अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए यौन उत्पीड़न इलैक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी–बॉक्स) [http://www.shebox.nic.in] नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित की है, जो हर महिला, उसके कार्य स्तर पर ध्यान दिए बिना, संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत, को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करती है। जिन्होंने पहले ही कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत गठित संबंधित आंतरिक समिति (आईसी) या स्थानीय समिति (एलसी) को लिखित शिकायत दर्ज कराई हो, वे भी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने की पात्र हैं। यह पोर्टल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं को त्वरित राहत प्रदान

करने का एक प्रयास है। पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने पर, इसे सीधे ही संबंधित नियोक्ता की आईसी/एलसी को भेजा जाता है।

2.6 व्यावहारिक रूप से समझने में लोगों को मदद करने के लिए मंत्रालय ने अधिनियम पर एक पुस्तिका और प्रशिक्षण मॉड्यूल भी प्रकाशित किया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल को संगठन के सेवा नियमों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।

ख. बाल विवाह

2.7 मंत्रालय बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए स्व–प्रेरित उपाय करता रहा है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए लागू किया गया है, जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं, निष्पादित करते हैं और उकसाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय–समय पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का नियमित रूप से अनुरोध किया जाता रहा है। बाल विवाह की रोकथाम तथा बेटियों का संरक्षण राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 का एक प्रमुख उद्देश्य है।

2.8 बाल विवाह की रोकथाम के लिए मंत्रालय के कुछ ईमानदार प्रयासों में राज्य सरकारों के साथ संचार शामिल है जिसमें उनसे विशेष त्योहारों जैसे ऐसे विवाहों के परंपरागत दिन अक्षय तृतीया/आखा तीज, पर समवेत प्रयासों द्वारा विवाह को टालने के लिए विशेष पहल करने का अनुरोध किया गया। बाल विवाह के मुद्दे के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता सृजित की गई है। महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने और बाल विवाह जैसे मुद्दों को इसके केंद्र में लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तथा राष्ट्रीय बालिका दिवस जैसे प्लेटफॉर्मों का प्रयोग किया जाता है।

2.9 बजट 2020–21 में की गई घोषणा के अनुसार, (i) गर्भावस्था, जन्म और बाद में माता और नवजात/शिशु/बच्चे के स्वास्थ्य, चिकित्सा कल्याण और पोषण स्तर; (ii) शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर), कुल प्रजनन दर (टीएफआर), जन्म पर लिंग अनुपात (एसआरबी), बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) आदि मानदंडों और (iii) इस संदर्भ में स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित अन्य किसी प्रासंगिक बिंदुओं के साथ मातृत्व की आयु के सहसंबंध की जांच करने के लिए एक कार्यबल गठित किया गया।

2.10 कार्य बल की सिफारिशों और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर इसे पुरुषों के बराबर 21 साल करने के लिए 21.12.2021 को संसद में 'बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021' पेश किया है। भारत में विवाह की न्यूनतम आयु को सार्वभौमिक बनाने के लिए संशोधन में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872; पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936; मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937; विशेष विवाह अधिनियम, 1954; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; और विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 जैसे विभिन्न अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। उक्त विधेयक को शिक्षा, महिला, बालक, युवा और खेल (ईडब्ल्यूसीवाईएंडएस) संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया है।

ग. घरेलू हिंसा

2.11 मंत्रालय घर के दायरे के अंदर और बाहर महिलाओं का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है। घर जैसे निजी स्थान के अंदर होने वाली हिंसा के संबंध में, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005 प्रमुख कानून है। इस कानून का उद्देश्य हिंसा को रोकना तथा ऐसी स्थितियों में प्रतिवादी के साथ महिला के संबंधों पर ध्यान दिए बिना तत्काल एवं आपात राहत प्रदान करना है। अधिनियम परिवार के भीतर किसी प्रकार की हिंसा और उससे संबंधित या आकस्मिक प्रकार के मामलों से मुक्त जीवन जीने के महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है।

2.12 इसके अलावा, मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्वतंत्र प्रभार वाले संरक्षण अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति करने, संरक्षण अधिकारियों के सुचारु कामकाज के लिए अलग बजट आवंटित करने, उत्तरजीवियों को सहायता प्रदान करने, पुलिस, न्यायपालिका, चिकित्सा

अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित और क्षमता निर्माण करने और अधिनियम के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों से पीडब्ल्यूडीवी नियमों के तहत फार्म–IV, जिसमें पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में सरल तरीके से जानकारी प्रदान की गई है, को स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है।

घ. दहेज प्रतिषेध

2.13 दहेज की सामाजिक बुराई का समाधान करने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करके, मंत्रालय दहेज प्रथा को समाप्त करने की दिशा में कठिन प्रयास कर रहा है। अधिनियम दहेज को परिभाषित करता और दहेज देने, लेने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर दंडित करता है। इसमें कानून का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में निर्मित कार्यान्वयन तंत्र का भी प्रावधान है। लोगों की सोच को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने तथा उन्हें दहेज के लेन–देन से हतोत्साहित करने के लिए बहु–क्षेत्रीय पैरवी अभियान चलाया गया है।

ङ. स्त्री का अशिष्ट रूपण

2.14 स्त्री का अशिष्ट रूपण अधिनियम, 1986 किसी विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रण में अशिष्ट रूपण या किसी अन्य तरीके से किसी रूप में महिलाओं के ऐसे रुपण को निषिद्ध करने के विशिष्ट उद्देश्य से अधिनियमित किया गया। अधिनियम के अनुसार, "स्त्री का अशिष्ट रूपण" का अर्थ है किसी महिला की आकृति का किसी भी रूप में चित्रण; जिससे उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का अभद्र, या अपमानजनक चित्रण होता हो, या उसकी बदनामी होती हो, या सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता के कलुषित, भ्रष्ट या आहत होने की संभावना हो। इसमें स्त्री के अशिष्ट रूपण वाली किसी पुस्तक, पैम्फलेट और ऐसी अन्य सामग्री की बिक्री, वितरण, परिचालन को भी निषिद्ध किया गया है।

च. सती प्रथा का निवारण

2.15 सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987, 3 जनवरी, 1988 को अधिनियमित किया गया था, सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987 में सती प्रथा और इसके महिमामंडन के निवारण का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत सती करने का प्रयास, सती होने के लिए उकसाना और सती का महिमामंडन करना एक दंडनीय अपराध है।

छ. अनैतिक व्यापार का निवारण

2.16 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) भारत में वेश्यावृत्ति के मुद्दे से निपटने वाला केंद्रीय कानून है। अधिनियम वेश्यावृत्ति को व्यावसायिक यौन शोषण के रूप में परिभाषित करता है और उन लोगों को दंडित करता है जो व्यावसायिक यौन शोषण को बढ़ावा देते हैं और ग्राहकों को शामिल करते हैं और जो वेश्याओं की कमाई पर जीवनयापन करते हैं। यह पीड़ितों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित और प्रबंधन किए जाने वाले सुरक्षात्मक गृहों के रूप में कल्याणकारी उपायों का भी प्रावधान करता है।

ज. व्यक्तियों का दुर्व्यापार

2.17 व्यक्तियों की तस्करी या मानव दुर्व्यापार दुनिया भर में एक सबसे गंभीर अपराध है और अक्सर संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा होता है, जो आर्थिक लाभ के लिए पीड़ितों के शोषण पर पनपता है। यह असंख्य तरीकों से पीड़ितों के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें उनकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता का उल्लंघन भी शामिल है। मानव दुर्व्यापार को सामाजिक–आर्थिक कारणों जैसे गरीबी, निरक्षरता और ज्ञान की कमी, और पीड़ितों के लिए अपर्याप्त आजीविका विकल्प और विशेष रूप से महिलाओं के भेदभाव और वस्तुकरण से जोड़ा जा सकता है। अपराधियों के सरासर लोभ और मानवाधिकारों, गरिमा और जरूरतों के प्रति घोर अवहेलना और अनादर से इसमें वृद्धि होती है, और इसे रोकने और मुकाबला करने के लिए पर्याप्त रूप से सहायक सांस्कृतिक, सामाजिक और कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र जरूरी होता है।

2.18 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार मानव दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 पर संसद के 2018 के मानसून सत्र के दौरान चर्चा की गई और इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसके बाद विधेयक को विचार के लिए राज्य सभा के समक्ष रखा गया। लेकिन संसद के दोनों सदनों के सत्रावसान के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका। 16वीं लोकसभा के भंग होने पर, विधेयक व्यपगत हो गया।

2.19 जुलाई 2018 में विधेयक के पारित होने के दौरान लोकसभा में चर्चा के आलोक में, विधेयक को अधिक प्रभावी, व्यापक और आत्म–निहित और बेहतर संगठित और मामले की जरूरतों के प्रति विधिवत उत्तरदायी बनाने के लिए इसका पुनरावलोकन किया गया है। अधिक से अधिक पीड़ित–केंद्रितता लाते हुए, मुद्दों और परिणामों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। नया मसौदा कानून मानवीय के साथ ही आर्थिक और संगठित अपराध के रूप में मानव दुर्व्यापार का समाधान करने के लिए तैयार किया गया है। मानव दुर्व्यापार पर नए कानून का मौजूदा प्रस्ताव इस गंभीर मानवीय और आर्थिक अपराध के सभी पहलुओं, अभिव्यक्तियों और आयामों को व्यापक रूप से ग्रहण करने के इरादे और उद्देश्य से एक स्व–निहित कानूनी स्थिति में है। उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित करने के लिए संसद में नए सिरे से कानून पेश करने की कार्रवाई जारी है।

III. महिलाओं के लिए स्कीमें

2.20 मंत्रालय ने 2021–22 से 2025–26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अम्ब्रेला स्कीम के रूप में एक समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' तैयार किया है। इसका उद्देश्य संस्थागत और अभिसरण तंत्र के माध्यम से मिशन मोड में महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण की पहल को सशक्त बनाना है। मिशन शक्ति का उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों में अभिसरण, पंचायती राज संस्थानों और अन्य स्थानीय स्व–शासन निकायों की अधिक भागीदारी और सहयोग तथा जन सहभागिता के माध्यम से राष्ट्र–निर्माण में समान भागीदार बनाकर, जीवन–चक्र निरंतरता में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करके 'महिला–प्रेरित विकास' के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को साकार करते हुए सेवा वितरण की अंतिम लाभार्थी की ट्रैकिंग के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

2.21 मिशन शक्ति के घटक जीवन चक्र निरंतरता के आधार पर महिलाओं की जरूरतों की देखभाल करने के लिए तैयार किए गए हैं। मिशन शक्ति की 'संबल' और 'सामर्थ्य' दो उप–स्कीमें हैं। जहां "संबल" उप–स्कीम महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा के लिए है, वहीं "सामर्थ्य" उप–स्कीम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। घटक–वार विवरण इस प्रकार है:

(क) संबल–महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा के लिए:

i) **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)**– एक स्थान पर कानूनी परामर्श और सहायता, मनो–सामाजिक परामर्श और सहायता, महिलाओं के लिए उपलब्ध सहायता और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए।

ii) **महिला हेल्पलाइन (181–डब्ल्यूएचएल)**– टॉल–फ्री टेलीफोनिक शॉर्ट कोड 181 पर एक आपात /गैर–आपात प्रतिक्रिया प्रणाली जिसे ईआरएसएस (112) और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन/संस्थानों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

iii) **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)**–व्यवहार और मानसिकता में बदलाव की मुख्य पहल होगी। देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है।

iv) **नारी अदालत** – महिलाओं की उत्पीड़न, विध्वंस, अधिकारों या हकों में कटौती आदि जैसी छोटी प्रकृति के मामलों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए एक नया उप–घटक।

(ख) सामर्थ्य–महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए:

i) **शक्ति सदन**–दुर्व्यापार की शिकार और निराश्रित महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह।

ii) **सखी निवास**– शहरों और नौकरी की संभावना वाले क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए।

iii) **पालना घर– शिशुगृह** – कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए जो महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सके।

iv) **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)**– गर्भावस्था और प्रसव के चलते मजदूरी के नुकसान की भरपाई और स्वास्थ्य अनुकूल व्यवहार को प्रेरित करने के लिए। इस स्कीम में पहले केवल एक बच्चा शामिल था, अब दूसरे बच्चे के लिए भी लाभ दिया जाएगा यदि बच्चा बालिका हो।

2.22 प्रभावी वितरण, निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण केंद्र (एनएचईडब्ल्यू), राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र (एसएचईडब्ल्यू) और जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र (डीएचईडब्ल्यू) की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर 'महिला उत्कृष्टता केंद्र' ज्ञान का भंडार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को सुविधाजनक बनाने और जेंडर बजटिंग की निगरानी के लिए एनएचईडब्ल्यू का भाग होगा। 31.01.2023 तक, राज्य और जिला स्तरों पर एचईडब्ल्यू की स्थापना के लिए 12 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जा चुकी हैं।

(क) संबल–महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा के लिए:

i) वन स्टॉप सेंटर

2.23 हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा अस्थायी आश्रय सहित सेवाओं की एकीकृत रेंज तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्कीम 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम निर्भया निधि के माध्यम से वित्तपोषित है।

2.24 देश भर के 750 जिलों के लिए 801 ओएससी का अनुमोदन किया गया है। 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 733 ओएससी कार्यशील हैं। इन केंद्रों ने शुरूआत से दिसंबर, 2022 तक 6.67 लाख से अधिक महिलाओं को सहयोग किया है। महिलाओं को सर्वोत्तम सुलभ पहुंच और सहयोग प्रदान करने के लिए ओएससी को 181 महिला हेल्पलाइन और अन्य मौजूदा सेवाओं के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

2.25 ओएससी की सफलता की कहानियों/सर्वोत्तम प्रथाओं पर 'वन स्टॉप सेंटर्स – **बिल्डिंग ऑन मोमेंटम – ए रिव्यू ऑफ प्रॉमिसिंग प्रैक्टिसेज'** शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है और हितधारकों के साथ आयोजित विभिन्न सम्मेलनों/सेमिनारों/परामर्शों में परिचालित की गई है।

2.26 इसके अलावा, लैंगिक हिंसा की उत्तरजीवियों सहित पीड़ित भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए दुनिया भर में भारतीय मिशनों में प्रावधान हैं। तथापि, ऐसी सुविधाएं बढ़ाने के लिए, अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने निर्भया कोष के ढांचे के तहत भारतीय प्रवासियों की अधिक संख्या वाले देशों जैसे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरब (जेद्दा और रियाद), और सिंगापुर और कनाडा (टोरंटो) में भारत में हिंसा या संकट का सामना करने वाली महिलाओं की सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की तर्ज पर मिशनों/केंद्रों में सुविधाएं स्थापित करने के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया है।

ii) महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) स्कीम का सार्वभौमीकरण

2.27 महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) के सार्वभौमीकरण की स्कीम 1 अप्रैल, 2015 से कार्यान्वित की जा रही है तथा इसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को रेफरल सेवा (उपयुक्त विभागों जैसे पुलिस, वन स्टॉप सैंटर, अस्पताल से संबद्ध करना) के माध्यम से और एकल समान नंबर, 181 के माध्यम से देश भर में महिलाओं कल्याण स्कीमों/कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्रदान करते

हुए 24 घंटे आपात तथा गैर–आपात सहायता उपलब्ध कराना है। 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला हैल्पलाइनें कार्यशील बनाई गई हैं। उन्होंने स्थापना से लेकर 84.00 लाख से अधिक कॉल्स का प्रबंधन किया हैं। यह स्कीम निर्भया कोष के माध्यम से वित्तपोषित है। यह मंत्रालय अन्य हेल्पलाइनों जैसे आपात प्रतिक्रिया सहयोग प्रणाली (ईआरएसएस–112) आदि जैसी अन्य हेल्पलाइनों के साथ डब्ल्यूएचएल के एकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

iii). बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)

2.28 बीबीबीपी एक मानसिकता परिवर्तन कार्यक्रम है जो शून्य–बजट विज्ञापन पर केंद्रित बहु–क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से बालिकाओं के महत्व के लिए जागरूकता पैदा करने में मदद करता है और जमीनी प्रभाव वाली गतिविधियों पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित करता है। यह स्कीम पहले 405 जिलों में परिचालित थी। अब बहु–क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है।

2.29 15वें वित्त आयोग की अवधि में जारी रखने के लिए मिशन शक्ति की संबल उप स्कीम के तहत एक घटक के रूप में बीबीबीपी स्कीम का अनुमोदन किया गया है। अब, जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लड़कियों में कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को भी भागीदार के रूप में जोड़ा गया है। बहु–क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए इस स्कीम का विस्तार किया गया है।

2.30 2020–21 तक जिलों में जन्म पर विभेदक लिंग अनुपात (एसआरबी) की स्थिति (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के आंकड़ों के अनुसार) को ध्यान में रखते हुए, बीबीबीपी घटक के तहत निधि जारी करने के लिए तीन कोष्ठक निर्धारित किए गए हैं। 918 से कम या इसके बराबर एसआरबी वाले जिलों को 40 लाख रुपये प्रति वर्ष, 919 से 952 तक एसआरबी वाले जिलों को 30 लाख रुपये प्रति वर्ष और 952 से अधिक एसआरबी वाले जिलों को 20 लाख रुपये प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जा रही है।

2.31 यह स्कीम केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है और बहु–क्षेत्रीय पहलों के लिए राज्यों के माध्यम से जिलों को निधियां भेजी जाती हैं। इस संबंध में, जिला स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन में आसानी के लिए एक संचालन नियमावली विकसित की गई है। बीबीबीपी का परिचालन मैनुअल मंत्रालय की वेबसाइट (https://wcd.nic.in/sites/default/files/Beti%20Bachao-Beti%20Padao-English.pdf) पर उपलब्ध है। लड़कियों, उनके परिवारों और समुदायों की साल भर की व्यस्तता सुनिश्चित करने के लिए जिलों के लिए एक विस्तृत और अच्छी तरह सुझाया गया गतिविधि कैलेंडर तैयार किया गया है।

क) **उद्देश्य**–स्कीम का उद्देश्य बालिकाओं का अस्तित्व, सुरक्षा, शिक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए लिंग–पूर्वाग्रही लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना है।

ख) **लक्ष्य समूह** – बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निम्नलिखित समूहों पर ध्यान केंद्रित करता है

प्राथमिक	• युवा और नवविवाहित दंपति और भावी माता–पिता • किशोर (लड़कियां और लड़के) और युवा • परिवार और समुदाय
माध्यमिक	• स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र • मेडिकल डॉक्टर/चिकित्सक, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि। • अधिकारी, पीआरआई/यूएलबी, अग्रणी कार्यकर्ता, • महिला समूह और एसएचजी, नागरिक समाज संगठन, मीडिया, उद्योग, धार्मिक नेता आदि

ग) **स्कीम के घटक–देश के सभी जिलों में बहु–क्षेत्रीय पहल**: इस घटक का उद्देश्य शून्य–बजट विज्ञापन और जमीनी प्रभाव वाली गतिविधियों जैसे लड़कियों के बीच खेल को बढ़ावा देने, आत्मरक्षा शिविर,

लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना, पीसी–पीएनडीटी अधिनियम आदि के बारे में जागरूकता आदि पर अधिक व्यय को प्रोत्साहित करना है। जिला स्तर पर बहुक्षेत्रीय पहल के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के माध्यम से निधि दी जाती है।

घ) **स्कीम का कवरेज** – 15वें वित्त आयोग की अवधि में, बहुक्षेत्रीय पहल के माध्यम से देश के सभी जिलों को शामिल करने के लिए बीबीबीपी का विस्तार किया गया है। इससे पहले बीबीबीपी स्कीम चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई थी। बीबीबीपी स्कीम के विस्तार के चरण निम्नानुसार हैं:

2014–15	2015–16	2018–19	2018–19 से 2021–22 तक
चरण–1 में 22 जनवरी, 2015 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 100 जिलों बीबीबीपी की शुरुआत की गई	चरण–2 में 11 राज्यों में 61 जिलों में विस्तार किया गया	अखिल भारतीय विस्तार • बहु क्षेत्रीय पहल 244 • मीडिया, पैरवी और पहुंच 640	640 जिले (2011 की जनगणना के अनुसार)

ङ) **निगरानी तंत्र**–मिशन शक्ति का घटक होने के नाते कार्यान्वयन के सभी स्तरों, अर्थात राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर बीबीबीपी की निगरानी की जा रही है।

च) निधि की स्थिति

स्थापना के समय से बीबीबीपी स्कीम के तहत निधियों का विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	संशोधित अनुमान (आर.ई.)	मंत्रालय द्वारा कुल व्यय
1	2014-15	50	34.84
2	2015-16	75	59.37
3	2016-17	43	28.66
4	2017-18	200	169.10
5	2018-19	280	244.73
6	2019-20	200	85.78
7	2020-21	100	60.57
8	2021-22	100	57.13
9	2022-23	222	40.57*

** 31.12.2022 तक*

छ) **उपलब्धियां**– स्कीम ने बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना जगाई है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप लोगों में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ी है। इसने भारत में घटते सीएसआर के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। अभियान का समर्थन करने वाले लोगों की सामूहिक चेतना के परिणामस्वरूप बीबीबीपी ने सार्वजनिक चर्चा में अपनी जगह बनाई है। विभिन्न संकेतकों में सुधार इस प्रकार रहा है:

(i) राष्ट्रीय स्तर पर जन्म पर लिंग अनुपात 918 (2014–15) से बढ़कर 934 (2021–22) हो गया। *(स्रोतः एचएमआईएस डेटा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (अप्रैल–मार्च, 2014–15 और 2021–22)।*

(ii) सकल नामांकन अनुपात (जीईआर): माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 2014–15 में 75.51% से बढ़कर 2021–22 में 79.4% हो गया। *(स्रोतः यू–डीआईएसई प्लस, शिक्षा मंत्रालय)।*

2.32 जिलों ने जागरूकता और पैरवी पर जोर दिया और बदलती मानसिकता के लिए केंद्रित अभियान शुरू किए। जिलों में मुख्य रूप से समुदायों को शामिल करने, जन्म पर लिंग अनुपात में सुधार, जन्म पंजीकरण, बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने, पुत्र–केंद्रित अनुष्ठानों को चुनौती देने और सामाजिक मानदंडों को उलटने, लड़कियों

को स्कूलों में वापस लाने के लिए फिर से नामांकन अभियान और बालिका के सम्मान की अन्य पहलों के लिए पहलें शुरू की गई हैं। मंत्रालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर जिलों की अच्छी पहलों का प्रलेखन किया गया है। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाइटः www.mwcd.nic.in पर उपलब्ध हैं।

ज) आयोजित कार्यक्रम– 11–14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों (ओओएसएजी) को फिर से नामांकित करने के लिए 07 मार्च, 2022 को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक एक विशेष अभियान शुरू किया गया। परामर्श और रेफरल के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सामाजिक जुड़ाव और जागरूकता और प्रोत्साहन स्कीम के मुख्य घटक हैं।

इस अभियान के तहत जिला प्रशासन किशोरियों को औपचारिक स्कूली शिक्षा में फिर से नामांकित करने के लिए समुदायों, परिवारों को संवेदनशील बनाने के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सामाजिक जुटाव अभियान आयोजित करता है।

2.33 11 अक्टूबर, 2022 को लड़कियों के लिए आजीविका के आधुनिक कौशल पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन (बेटियां बनें कुशल) आयोजित किया गया। इस अवसर पर दो समझौता ज्ञापनों (i) एमडब्ल्यूसीडी और एमएसडीई के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन और (ii) एमडब्ल्यूसीडी, एमएसडीई और एमओएमए के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

झ) **राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह (24 जनवरी 2022)** – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कोविड 19 स्थिति को ध्यान में रखते हुए 24 जनवरी, 2022 को वर्चुअल/ऑनलाइन मोड में कार्यक्रम आयोजित करके राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। आयोजित कार्यक्रमों का सारांश नीचे दिया गया हैः

i. आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, वर्ष 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करते हुए बच्चों की अनुकरणीय उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए एक वर्चुअल समारोह आयोजित किया गया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने पीएमआरबीपी 2022 के विजेताओं के साथ वर्चुअल तरीके से बातचीत की।

ii. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर बालिका महोत्सव 'कन्या महोत्सव' मनाया, जिसमें माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने विभिन्न राज्यों के नौ किशोर बच्चों के साथ एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन बातचीत की।

iii. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन लाइव इंटरैक्टिव कार्यक्रमों की एक श्रृंखला भी आयोजित की गई जिसमें मंत्रियों ने किशोरियों के साथ बातचीत की और उन्हें अपने विचारों में विश्वास रखने और अपने दिल की सुनने के लिए प्रेरित किया।

iv. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा "सेव द गर्ल चाइल्ड", राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) द्वारा "भारत में किशोर लड़कियों की व्यापक जरूरतों का समाधान रुलड़कियां जहां खुशियां वहां" और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा 'एक बालिका के विधायी अधिकार' पर वेबिनार आयोजित किए गए।

v. शिक्षा, कौशल विकास, युवा मामले और खेल, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, विवाह, सशक्तिकरण, लैंगिक समानता आदि जैसे क्षेत्रों में बालिकाओं को सशक्त बनाने में उनके मंत्रालयों की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर सूचनात्मक वेबिनार आयोजित करने की मांग की गई थी।

vi. बीबीबीपी के तहत सभी 405 बहु–क्षेत्रीय जिलों ने सीएसआर पर ग्राम सभा/महिला सभा, बालिकाओं के महत्व पर स्कूलों (सरकारी/निजी) के साथ कार्यक्रम, स्कूलों में एसटीईएम से संबंधित विषयों पर पोस्टर/नारा–लेखन/ड्राइंग/पेंटिंग प्रतियोगिता, बीबीबीपी स्थानीय चैंपियन आदि के बारे में स्थानीय मीडिया में कहानियां जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया।

vii. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम की अधिकतम मीडिया कवरेज सुनिश्चित करने के लिए चार हैशटैगः आजादी का अमृत महोत्सव, लड़कियां जहां खुशियां वहां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी भारत की, का इस्तेमाल किया गया।

(ख) सामर्थ्य – महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए:

i). शक्ति सदन

2.34 मंत्रालय द्वारा नए अनुमोदित मिशन शक्ति के तहत, कठिन परिस्थितियों वाली महिलाओं के लिए स्वाधार गृह और दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए उज्ज्वला गृहों का विलय कर दिया गया है और इसे शक्ति सदन का नया नाम दिया गया है, जो दुर्व्यापार की गई महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना है, जिससे वे कठिन परिस्थितियों से उबर सकें और जीवन में एक नई शुरुआत कर सकें।

2.35 शक्ति सदन स्कीम की प्रमुख विशेषताएं:

क. शक्ति सदन के निवासियों के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की व्यवस्था की जाती है। निवासियों को संबंधित विभागों के अभिसरण में व्यावसायिक प्रशिक्षण, बैंक खाता खोलने की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा लाभ आदि भी प्रदान किए जाएंगे।

ख. गृहों के संचालन का व्यय यानी प्रशासनिक लागत 15,000/– रुपये प्रति माह, प्रबंधन लागत 12,84,000/– रुपये प्रति वर्ष, शहर की ए, बी और सी श्रेणी के अनुसार किराया प्रदान किया जाता है। प्रति वर्ष 2,50,000/– रुपये की दर से प्रत्यावर्तन, पुनर्एकीकरण राशि का प्रावधान है। इसके अलावा जन धन खाते में प्रति लाभार्थी को 500/– रुपये प्रति माह की दर से राशि दी जाती है, जिसे खाताधारक गृह में रहने के दौरान नहीं निकाल सकते हैं।

ग. इन गृहों की सुविधाओं का लाभ महिलाओं के साथ आने वाले बच्चे भी उठा सकते हैं। शक्ति सदन में किसी भी उम्र तक की अविवाहित लड़कियां और 12 साल तक के लड़के अपनी माता के साथ रह सकते हैं। (12 वर्ष से अधिक आयु के

लड़कों को जेजे अधिनियम/मिशन वात्सल्य के तहत संचालित बाल गृहों में स्थानांतरित करना आवश्यक है)।

घ. शक्ति सदन को आसपास के पुलिस थानों से जोड़ा जाएगा ताकि महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित की जा सके। इन गृहों के कर्मचारियों का वार्षिक पुलिस सत्यापन किया जाना चाहिए।

ङ. मानसिक रूप से विकलांग/दिव्यांग महिलाओं के लिए भी सामाजिक और न्याय विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिरण विभाग की स्कीमों के साथ अभिसरण में गृह स्थापित किए जा सकते हैं।

च. यह एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच, उत्तर पूर्व और विशेष श्रेणी के राज्यों जहां वित्तपोषण अनुपात 90:10 है, को छोड़कर 60:40 का वित्तपोषण अनुपात है। बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा।

2.36 31 दिसंबर 2022 तक, देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 441 शक्ति सदन (347 स्वाधार गृह और 94 उज्ज्वला गृह) कार्य कर रहे हैं, जिससे लगभग 10955 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–V** में दिया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 31.12.2022 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि **अनुलग्नक–VI** में दी गई है।

ii). सखी निवास– (पूर्ववर्ती कामकाजी महिला छात्रावास) स्कीम

2.37 मंत्रालय द्वारा नए अनुमोदित मिशन शक्ति के तहत, सखी निवास के नाम से ज्ञात कामकाजी महिला छात्रावास का उद्देश्य उन कामकाजी महिलाओं और उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली अन्य महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है, जिन्हें अपने परिवारों से दूर रहना आवश्यक होता है।

2.38 इस स्कीम के तहत अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, अलग, विवाहित किंतु जिनके पति या निकट संबंधी उस क्षेत्र में नहीं रहते हैं, और नौकरी के लिए प्रशिक्षण ले रही कामकाजी महिलाओं के लिए किराए के परिसर में छात्रावास चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रावास के निवासियों के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का प्रावधान स्कीम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कामकाजी महिलाएं छात्रावास की सुविधा की हकदार हैं, बशर्ते कि महानगरों में उनकी सकल आय रु. 50,000/– प्रति माह या अन्य स्थानों में रु. 35,000/– प्रति माह से अधिक न हो।

2.39 यह स्कीम पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों जहां अनुपात 90:10 है को छोड़कर, केंद्र और राज्य सरकारों तथा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 के वित्तपोषण अनुपात से कार्यान्वित की जाती है। बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण प्रदान किया जाता है।

2.40 31 दिसंबर 2022 तक, देश भर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 494 सखी निवास कार्य कर रहे हैं, जिससे लगभग 23319 कामकाजी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। सखी निवास का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–VII** में दिया गया है।

iii) पालना घर

2.41 कामकाजी माताओं को अपने बच्चों को उचित देखभाल और सुरक्षा देने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, पालना के घटक के माध्यम से डे–केयर क्रेच सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार पूर्ववर्ती राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम को संशोधित और उन्नत किया है और सरकार ने पालना को मिशन शक्ति की सामर्थ्य उप स्कीम के तहत पेश किया है। इसमें पालना के तहत एकल और आंगनबाड़ी सह क्रेच की स्थापना शामिल है। पालना स्कीम कामकाजी माताओं के बच्चों को डे केयर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 01.01.2017 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के सभी आवर्ती घटकों के लिए निधि हिस्सेदारी प्रारूप नीचे दिया गया है:

i. केंद्र और राज्य सरकारों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40

ii. उत्तर पूर्व और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10

iii. बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%

2.42 स्कीम के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:

i. एक महीने में 15 दिन या एक वर्ष में 6 महीने की न्यूनतम अवधि के लिए कार्यरत कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को डे केयर की सुविधा प्रदान की जाती है।

ii. प्रत्येक क्रेच में 25 बच्चों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

2.43 स्कीम में निम्नलिखित सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान किया जाता है:

i. सोने की सुविधा सहित डे केयर सुविधाएं

ii. 3 साल से कम उम्र के बच्चों और प्री–स्कूल के लिए शुरुआती उत्प्रेरण

iii. 3 से 6 साल के बच्चों के लिए शिक्षा

iv. पूरक पोषण (स्थानीय रूप से प्राप्त किया जाए)

v. बढ़त निगरानी और स्वास्थ्य जांच

vi. मिशन पोषण 2.0 के साथ अभिसरण में टीकाकरण

2.44 वित्त वर्ष 2025–26 तक, 170 एकल क्रेच और 17000 आंगनवाड़ी सह क्रेच चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में स्थापित किए जाने हैं। क्रेच के संचालन की प्रबंधन लागत निम्नानुसार है:–

- एकल क्रेच – रु. 3,55,200/–
- आंगनवाड़ी सह क्रेच – रु. 90,600/– के साथ रु. 3000/– की दर से एकमुश्त स्थापना शुल्क

2.45 कोविड–19 महामारी के प्रकोप के बाद कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए 31.12.2021 तक की अवधि में इस स्कीम के तहत क्रेच कार्य नहीं कर रहे हैं। हालांकि, इसके बाद क्रेच फिर से चालू हो गए और क्रेच के समुचित कामकाज के लिए अब तक 8.68 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

iv). प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

2.46 भारत में अधिकांश महिलाओं पर कुपोषण का प्रतिकूल प्रभाव जारी है। भारत में हर तीसरी महिला कुपोषित और हर दूसरी महिला एनीमिक है। एक कुपोषित माता लगभग अनिवार्य रूप से कम वजन वाले बच्चे को जन्म देती है। जब खराब पोषण गर्भाशय में शुरू होता है, तो यह पूरे जीवन चक्र भर चलता है क्योंकि बदलाव काफी हद तक अपूरणीय होते हैं। आर्थिक और सामाजिक संकट के चलते कई महिलाएं गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक अपने परिवार की आजीविका के लिए काम करती रहती हैं। इसके अलावा, वे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद काम करना शुरू कर देती हैं, भले ही उनके शरीर में इतनी शक्ति न हो, जिससे एक ओर इस प्रकार उनका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता और पहले छह महीनों में अपने छोटे बच्चेए को विशेष रूप से स्तनपान कराने की उनकी क्षमता बाधित होती है। भारत सरकार ने 01.01.2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अखिल–भारतीय कार्यान्वयन का अनुमोदन किया है। पीएमएमवीवाई से पहले, सरकार की कोई अखिल भारतीय मातृत्व लाभ स्कीम नहीं थी। पीएमएमवीवाई के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

क. नकद प्रोत्साहन के रूप में वेतन हानि के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करना ताकि महिला पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके।

ख. प्रदान किए गए नकद प्रोत्साहन से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएंडएलएम) के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार होगा।

ग. दूसरी संतान, यदि वह बालिका है, के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना।

2.47 स्कीम के तहत समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं को दो किस्तों में कम से कम पांच हजार रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया जायेगा। किसी महिला को पहले दो जीवित बच्चों के लिए

लाभ उपलब्ध है, बशर्ते कि दूसरी संतान एक लड़की हो। पहले बच्चे के मामले में रु. 5000 की राशि दो किस्तों में और दूसरे बच्चे के लिए जन्म के बाद एक किस्त में रु. 6000 का लाभ दिया जाएगा बशर्ते दूसरी संतान लड़की हो। हालांकि, दूसरे बच्चे के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए, गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण अनिवार्य होगा। यह जन्म पर लिंग अनुपात में सुधार करने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में योगदान देगा।

2.48 किसी भी दोहराव या कदाचार से बचने के लिए लाभ केवल लाभार्थी के आधार नंबर के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। नकद प्रोत्साहन, डीबीटी मोड में, नीचे दी गई तालिका में दी गई अनुसूची के अनुसार दो किस्तों में प्रदान किए जाते हैं

शर्तें और किस्तें		
किस्तें	शर्तें	(राशि रुपये)
पहली किस्त	संबंधित प्रशासन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)/ अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्रों में एलएमपी की तारीख से 6 महीने के भीतर गर्भावस्था के पंजीकरण और कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कराने पर	3,000/–
दूसरी किस्त	i. बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराया हो ii. बच्चे ने बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी तथा हैपेटाइटिस–बी या इसके समतुल्य /एवज़ी का पहला चक्र प्राप्त किया है	2,000/–

2.49 15वें वित्तीय चक्र में, पीएमएमवीवाई को मिशन शक्ति की सामर्थ्य उप–स्कीम का एक घटक बनाया गया है। 2017 में शुरू की गई पीएमएमवीवाई (पीएमएमवीवाई 1.0) और मिशन शक्ति के तहत संशोधित पीएमएमवीवाई (पीएमएमवीवाई 2.0) के बीच मूलभूत अंतर इस प्रकार है–

i. पहले जीवित बच्चे के लिए, 5000 रुपये की राशि दो किस्तों (3000 रुपये और 2000 रुपये) में दी जाएगी, इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जननी सुरक्षा योजना के तहत हकदारी भी दी जाएगी।

ii. पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये के अलावा दूसरे बच्चे के लिए, यदि दूसरी संतान लड़की हो, 6,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। यह बदलाव बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेश किया गया है जिससे बाल लिंगानुपात में सुधार हो सके।

iii. पति के आधार विवरण की अनिवार्य आवश्यकता को हटा दिया गया है।

iv. गर्भपात/मृत जन्म के मामले में, लाभार्थी को भविष्य में किसी भी गर्भावस्था की स्थिति में नई लाभार्थी माना जाएगा।

2.50 पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त होती है, ताकि लाभार्थी को औसतन रु. 6,000/– प्राप्त हों।

2.51 सभी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (केंद्रीय और राज्य) के कर्मचारी या जो किसी कानून के तहत इस समय समान लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इस स्कीम से बाहर रखा गया है।

2.52 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में तैयार की गई है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लागत हिस्सेदारी अनुपात के आधार पर अनुदान जारी किया जा रहा है। केंद्र तथा राज्यों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच का अनुपात 60:40, उत्तर–पूर्वी राज्यों व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के

लिए यह 100% है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निधियों के जमाव के बिना लाभार्थियों को निधियों की समर्पित और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, स्कीम में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कीम के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एक एस्क्रो खाता रखने का प्रावधान है। भारत सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, लाभार्थियों के खाते में अंतरण के लिए इस खाते में अपना संबंधित अंश अंतरित करते हैं।

2.53 स्कीम का पारदर्शी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 01.09.2017 को कॉमन एप्लीयकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई–सीएएस), कार्यान्व्यन दिशानिर्देश और इसका यूजर मैनुअल जारी किए गए। लाभार्थियों के आधार विवरण की मदद से पीएमएमवीवाई–सीएएस पूरे देश में विशिष्ट लाभार्थियों की पहचान करने और दोहराव रोकने में सक्षम बनाता है। नकली लाभार्थियों का पता लगाने के अलावा, पीएमएमवीवाई–सीएएस लाभार्थियों को देश भर में किसी भी स्थान से तीन में से किसी किस्त का दावा करने में भी सक्षम बनाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि प्रवासी आबादी सहित कोई भी लाभार्थी स्कीम का लाभ लेने से वंचित न रहे। अर्थात, इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि स्कीम प्रसव के दौरान अपने माता–पिता के पास या किसी अन्य स्थान पर जाने वाले लाभार्थियों और प्रवासी मजदूरों और मौसमी श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करती है। इसके अलावा पीएमएमवीवाई–सीएएस कैप्चर किए गए संबंधित डाटा को इलेक्ट्रानिक ढंग से संसाधित करके लाभार्थी की पात्रता का स्वतः पुष्टिकरण भी करता है। इससे पात्र लाभार्थियों को ही लाभ अंतरित होना सुनिश्चित होता है। इस प्रकार, स्कीम का यह प्रावधान नकली लाभार्थियों/एक ही लाभार्थी को कई बार भुगतान की संभावना को दूर करता है।

2.54 स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय नियमित रूप से वीडियो कांफ्रेंस तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निगरानी दौरे आयोजित करता रहा है। 2018–19 और 2019–20 में मंत्रालय द्वारा हितधारकों/पीएमएमवीवाई के लाभार्थियों/कार्यकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यशालाएं/प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम संचालित किए गए। इसके अलावा 2020–21 और 2021–22 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स (डीईओ), संस्वीकृति अधिकारियों, जिला स्तरीय अधिकारियों और राज्य नोडल अधिकारियों के लिए जरूरत आधारित क्षमता निर्माण अभ्यास आयोजित किए गए। कोविड–19 प्रोटोकॉल्स के चलते अधिकांश प्रशिक्षण वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दिए गए। 01.01.2021 से 31.12.2021 के बीच किए गए क्षमता निर्माण अभ्यासों का विवरण **अनुलग्नक–VIII** में दिया गया है।

2.55 वर्ष 2020–21 के दौरान, संशोधित बजट आवंटन 1239.44 करोड़ रुपये था जिसमें से 1112.12 करोड़ रुपये स्वीकृत/जारी किए गए हैं। इसके अलावा, 2021–22 के दौरान, बजट आवंटन 2150 करोड़ रुपये है जिसमें से 1099.45 करोड़ रुपये (31 दिसंबर 2021 तक) व्यय किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का विवरण **अनुलग्नक–IX** में दिया गया है।

2.56 स्कीम के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने, स्कीम के कार्यान्वयन में अनुकरणीय निष्पादन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सृजित करने के लिए पोषण माह के दौरान 1 से 7 सितंबर 2021 तक मातृ वंदना सप्ताह–2021 मनाया गया।

2.57 31 दिसंबर, 2022 तक पीएमएमवीवाई–सीएएस पर 3.19 करोड़ लाभार्थियों से 8.54 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं। 2.87 करोड़ लाभार्थियों को 12,637 करोड़ रुपये के संचयी मातृत्व लाभ संवितरित किए गए हैं। *(पीएमएमवीवाई–सीएएस पोर्टल केवल पंजीकृत अधिकारियों और राज्य पदाधिकारियों के लिए खुला है और आम जनता के लिए नहीं)* स्कीम पूरे देश में पीएमएमवीवाई–सीएएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लागू की जा रही है और पीएमएमवीवाई 2.0 के अनुसार इसमें बदलाव किए जा रहे हैं।

2.58 कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समारोह के पहले दिन सेल्फी बूथों का उद्घाटन किया और सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लेने पर जोर दिया। गर्भावस्था के शीघ्र पंजीकरण और गर्भावस्था के दौरान और बाद में उचित स्वास्थ्य जांच के बारे में जागरूकता फैलाई गई। स्कीम में पंजीकरण में कठिनाइयों का सामना कर

रहे लाभार्थियों के लिए, जागरूकता कार्यक्रम बैंक खाता खोलने, जमे हुए खाते की रुकावट निकासी, केवाईसी विवरण, एमसीपी कार्ड और टीकाकरण विवरण, लाभार्थी द्वारा पीएमएमवीवाई फॉर्म कैसे भरें, पीएमएमवीवाई स्कीम के पात्रता मानदंड आदि पर केंद्रित थे। विभिन्न ग्राम पंचायतों के स्कूलों, लोगों का जमाव होने वाले स्थानों जैसे बस स्टैंड, स्थानीय हाट बाजार आदि को इन जागरूकता शिविरों की स्थापना के लिए चुना गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने निष्क्रिय फील्ड कार्यकर्ताओं की संख्या घटाने, सुधार कतार और दूसरी और तीसरी बकाया किस्तों के लिए भी कार्यशालाएं आयोजित कीं। जागरूकता बढ़ाने के लिए अनुकूलित क्षेत्रीय वीडियो और जागरूकता सामग्री, जैसे पोस्टर, स्टैंडी और फ़्लायर्स का उपयोग किया गया।

(ग) महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) स्कीम

2.59 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही "मिशन शक्ति" की 'सामर्थ्य' उप–स्कीम के महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) के घटक के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए बनाई गई स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर–क्षेत्रीय अभिसरण के प्रावधानों को उपयुक्त रूप से शामिल करते हुए महिला शक्ति केंद्र स्कीम 01.04.2022 से प्रभावी रूप से बंद कर दी गई है।

(घ) विधवा गृह

2.60 विधवाओं के लिए वृंदावन में गृह स्थापित किया गया है जो भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित है। इसमें 1000 विधवाओं को रहने की सुरक्षित जगह, स्वास्थ्य सेवाएं, पौष्टिक भोजन, कानूनी और परामर्श सेवाएं प्रदान करने की क्षमता है। गृह का डिजाइन भी वृद्धावस्था के अनुकूल है। गृह वरिष्ठ नागरिकों और विशेष अक्षमताओं वाले व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाओं से सुसज्जित है। यह गृह देश में विधवाओं के लिए सबसे बड़ा आश्रय गृह है और इसका उद्घाटन 31.08.2018 को किया गया।

(ङ) सखी डैशबोर्ड

2.61 सखी डैशबोर्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे सखी वन स्टॉप सेंटर्स, 181 महिला हेल्पलाइनों आदि से संपर्क करने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं के मामलों की रीयल टाइम सूचना प्राप्त करने और प्रबंधन के लिए अक्टूबर, 2019 में आरंभ किया गया।

IV. महिलाओं के लिए पहलें

क. अनिवासी भारतीय (एनआरआई) विवाहों में महिलाओं की सहायता

2.62 एनआरआई पुरुषों से विवाह में अनेक बार महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, उन्हें हिंसा और अनेक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। सीमा–पारीय कानून लागू होने के कारण इन मामलों का समाधान करना कठिन होता है। भारत सरकार ने भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों से विवाहित भारतीय नागरिकों के मुद्दों एवं परेशानियों की जांच करने तथा मौजूदा कानूनों/नीतियों/विनियमों में संशोधन सुझाने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार गोयल, पूर्व अध्यक्ष, पंजाब एनआरआई आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति ने 'विदेशी भारतीय नागरिकों से विवाहित भारतीय नागरिकों की कानूनी तथा विनियामक चुनौतियों की पहचान – उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सुझाव' शीर्षक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें एनआरआई वैवाहिक विवादों से जूझ रही महिलाओं के लिए न्याय तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए कई सिफारिशें की गई। तदनुसार, एनआरआई विवाहों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों की सदस्यता वाली एक समेकित नोडल एजेंसी स्थापित की गई है। आर्थिक कार्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय, और विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ यह मंत्रालय इन महिलाओं को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2.63 इसके अलावा, एनआरआई वैवाहिक विवादों और विदेशों में भारतीय महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं/हिंसा से संबंधित मामलों के समाधान में सहायता और सहयोग करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्प लाइन स्कीमों के अनुरूप विदेश में भारतीय राजनयिक मिशनों (आईडीएम) में वन स्टॉप सेंटर और समर्पित हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं स्थापित करने का निर्णय लिया

गया। इस उद्देश्य के लिए, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने 9 देशों जैसे यूएई, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, सिंगापुर और कनाडा जिनमें वहां रहने वाली महिलाओं की संख्या के आधार पर ओएससी जैसी सुविधाओं की जरूरत है, में 10 आईडीएम की पहचान की। 28.04.2021 को निर्भया कोष के तहत अधिकारप्राप्त समिति (ईसी) द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया। बाद में विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया में इस सुविधा को छोड़ने का प्रस्ताव रखा।

ख. साइबर अपराध का मुकाबला

2.64 महिलाओं पर हिंसा करने के लिए साइबर स्पेस के उपयोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए, मंत्रालय ने साइबर अपराध के मुद्दे को समग्र ढंग से उठाया है। मंत्रालय ने निर्भया कोष की मदद से साइबर अपराध पोर्टल www.cybercrime.gov.in शुरू करने के लिए गृह मंत्रालय से विचार–विमर्श किया है। यह पोर्टल नागरिकों से बाल पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री, यौन संबंधी सामग्री जैसे बलात्कार और सामूहिक बलात्कार से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री पर शिकायतें प्राप्त करता है। यह शिकायतकर्ताओं को उनकी पहचान प्रकट किए बिना मामलों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों का प्रबंधन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाता है। शिकायतकर्ता पोर्टल पर रिपोर्ट को भी ट्रैक कर सकता है। इस पोर्टल का हाइपरलिंक मंत्रालय की वेबसाइट (https://wcd.nic.in/) पर दिया गया है।

ग. यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस

2.65 गृह मंत्रालय द्वारा देश में यौन अपराधियों का केंद्रीय डाटाबेस, यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएसओ) तैयार किया गया है। यह देश में यौन अपराधियों का ऑनलाइन डाटाबेस है, जिसका रखरखाव एनसीआरबी द्वारा किया जा रहा है।

घ. कोविड–19 महामारी के दौरान महिलाओं के लिए सेवाओं का प्रावधान

2.66 महिलाएं और बच्चे आपदाओं एवं महामारियों के दौरान बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि विशेष रूप से हिंसा से प्रभावित या सहायता एवं देखभाल की जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, मनो–सामाजिक परामर्श, पुलिस सहायता, विधिक परामर्श/सहायता, अस्थायी आश्रय आदि जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी सेवा प्रदायगी तंत्रों को कार्यशील किया जाए।

2.67 इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 25 मार्च 2020 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों तथा सभी जिलों के जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों को कोविड–19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन की अवधि के दौरान वन स्टॉप सेंटर्स और महिला हेल्पलाइंस को कार्यशील रखने के संबंध में एडवाइजरी जारी की गई। इसी एडवाइजरी में विभिन्न कानूनों के तहत नियुक्त संरक्षण अधिकारियों तथा अन्य सांविधिक अधिकारियों को भी लॉकडाउन के दौरान हिंसा से प्रभावित महिलाओं को संरक्षण एवं सहायता प्रदान करना जारी रखने के लिए निर्देश दिए गए। परिणामतः, लॉकडाउन की अवधि के दौरान, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 (पीडब्ल्यूडीवीए) के तहत अधिसूचित सभी संरक्षण अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर्स (ओएससी) और महिला हेल्पलाइंस देश में हिंसा से प्रभावित या आपदाग्रस्त महिलाओं की मदद करने के लिए उपलब्ध रहे। कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 29.04.2021 को एक ऐसी ही एडवाइजरी जारी की गई।

2.68 उचित स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई से जूझ रही गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से महामारी के दौरान कोविड–19 से संक्रमित, की मदद करने के लिए 01.05.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी एक एडवाइजरी जारी की गई। इसके अलावा, मंत्रालय ने महिला हेल्पलाइन–181 से संपर्क करने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निमहांस के माध्यम से मनो–सामाजिक परामर्श के लिए 10.05.2021 को भी एक एडवाइजरी जारी की।

2.69 वेबिनारों और वीडियो कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर्स और महिला हेल्पलाइंस के पदाधिकारियों का संवेदीकरण किया गया है। 19.03.2021 को आयोजित

एक राष्ट्र–व्यापी सेमिनार में राज्य सरकारों और भारत सरकार के अधिकारियों के अलावा महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) और वन स्टॉप सेंटर्स (ओएससी) के अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

V. निर्भया कोष

2.70 देश में महिलाओं के लिए संरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली पहलों के कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार ने निर्भया कोष नामक एक समर्पित कोष स्थापित किया। यह वित्त मंत्रालय के पास रखा गया, गैर–व्यपगत कॉरपस कोष है। 2022–23 तक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास रखे गए निर्भया कोष के तहत 6712.85 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई। आर्थिक कार्य विभाग द्वारा निर्भया कोष के तहत प्रदान किए गए आवंटन का वर्ष–वार विवरण निम्न प्रकार है:

वित्त वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
आवंटन (करोड़ रु.)	1000.00	1000.00	-	707.62	550.00	550.00	550.00	1355.23	500.00	*500.00	6712.85

**वित्त वर्ष 2022–23 में म.बा.वि. मंत्रालय को 500.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई*

2.71 वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.03.2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया कोष के तहत स्कीमों का मूल्यांकन करने के साथ ही संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से स्वीकृत स्कीमों की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने वाला नोडल मंत्रालय है। उसके बाद वित्तीय अनुमोदन और व्यय सीधे ही संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जाता है। निर्भया कोष से वित्तपोषित किए जाने वाले विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन करने तथा इनकी समीक्षा और निगरानी के लिए सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक अधिकारप्राप्त समिति गठित की गई है।

2.72 अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

i. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय–अध्यक्ष

ii. सचिव, गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय–सदस्य

iii. अध्यक्ष, रेलवे बोड–सदस्य

iv. संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग–सदस्य

v. सचिव, परियोजना प्रायोजन विभाग–सदस्य

vi. संबंधित राज्य सरकार के विभाग के सचिव–सदस्य

vii. राज्य के महिला एवं बाल विभाग के सचिव–सदस्य

viii. संयुक्त सचिव (निर्भया), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय–संयोजक

2.73 इस प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के स्थान पर जनवरी, 2017 में निर्भया कोष का ढांचा भी लागू किया गया है।

2.74 निर्भया कोष के तहत प्रस्ताव तैयार और अनुमोदन करने के चरण निम्नानुसार हैं:

i. **केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग** महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित परियोजना प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं।

ii. **राज्य सरकार** अपने विशिष्ट क्षेत्र (जैसे–सड़क परिवहन, पुलिस, विद्युत आदि) में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित परियोजना प्रस्ताव तैयार और अध्यक्ष, अधिकारप्राप्त समिति को एक प्रति सहित उसे केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत कर सकती है।

iii. **संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन** भी परियोजना प्रस्ताव तैयार और अध्यक्ष, अधिकार प्राप्त समिति को एक प्रति सहित उसे गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर सकता है।

iv. अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद, संबंधित मंत्रालय निधियों के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क करते हैं।

2.75 देश भर में 38 विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों की

कुल वर्तमान मूल्यांकित राशि 9228.50 करोड़ रुपये है। निर्भया कोष के तहत विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों को 4738.14 करोड़ रुपये की राशि संवितरित/जारी की गई है।

2.76 मंत्रालय स्वयं निर्भया फंड के तहत वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन की स्कीम को लागू करता है। अन्य मंत्रालय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी इस फंड के तहत स्कीमों को लागू करते हैं। विवरण **अनुलग्नक –X** में दिया गया है।

VI. नारी शक्ति पुरस्कार

2.77 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस दिन और इस सप्ताह को बड़े उत्साह के साथ मनाता है। इस अवसर पर, महिलाओं की उपलब्धियों को स्वीकार करने और समाज और राष्ट्र में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए मंत्रालय द्वारा हर साल महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से कमजोर और संवेदनशील महिलाओ के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को मान्यता देने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करता है।

2.78 भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किए गए। कुल मिलाकर 29 महिलाओं को महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में उनके असाधारण कार्य के लिए 28 पुरस्कार (वर्ष 2020 और 2021 प्रत्येक के लिए 14) प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेताओं की सूची **अनुलग्नक**–XI पर है।

2.79 भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 7 मार्च 2022 को अपने आवास पर आयोजित एक सत्र के दौरान पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की ताकि उनके प्रयासों की सराहना की जा सके और जनता को महिला सशक्तिकरण से संबंधित क्षेत्रों में काम करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

VII. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह – 1 से 8 मार्च 2022 तक

2.80 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के भाग के रूप में 1 से 8 मार्च 2022 तक 'आइकोनिक वीक' के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस–सप्ताह मनाया। सप्ताह भर चलने वाले समारोहों में, मंत्रालय ने महिला सुरक्षा और अधिकारिता से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों और सोशल मीडिया अभियानों का आयोजन किया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विशेषज्ञों की भागीदारी में महिलाओं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी के साथ–साथ उन कर्मियों की भागीदारी में कार्यक्रम आयोजित किए गए जो सीधे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं।

2.81 सप्ताह के दौरान माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एनसीपीसीआर का नया आदर्श वाक्य "भविष्यो रक्षति रक्षति" लॉन्च किया: मंत्रालय ने निम्हान्स बेंगलुरु के सहयोग से "स्त्री मनोरंजन परियोजना" लॉन्च की, बाल अधिकारों से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर बाल अधिकारों का संरक्षण (एससीपीसीआर) के लिए राज्य आयोगों के साथ दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से 'कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव' नाम का अभियान शुरू किया गया था ताकि स्कूल में न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक शिक्षा और/या कौशल सिस्टम प्रदान किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार –2020 और 2021 प्रदान किये *(विवरण के लिए ऊपर पैरा VI देखें)।*

VIII. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

2.82 माननीय मंत्री ने 31 जनवरी, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस को मनाने वाले वार्षिक समारोह में एक भाषण दिया, जो त्रासदी की प्रलय को याद करने और पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए नई दिल्ली में स्थित यूएन हाउस में जर्मनी के दूतावास और संयुक्त राष्ट्र के दूतावास द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस को मनाने के लिए आयोजित किया गया।

क. **आरंभिक बचपन के संबंध में भारत और ब्राजील के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक:**

आरंभिक बचपन के संबंध में भारतीय गणराज्य सरकार और ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत जेडब्ल्यूजी की पहली बैठक 11.03.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई जिसमें एमडब्ल्यूसीडी, विदेश मंत्रालय, ब्राजील में भारतीय दूतावास , शिक्षा मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के अधिकारियों और (भारतीय पक्ष) और नागरिकता मंत्रालय, भारत में ब्राजील के दूतावास और विदेश मंत्रालय (ब्राजील पक्ष) के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की थी।

ख. **जी20 इंडोनेशियाई प्रेसीडेंसी के तहत जी20 एम्पॉवर में मंत्रालय की भागीदारी**

29 मार्च 2022 को वर्चुअली आयोजित जी20 एम्पॉवर के पहले पक्ष के आयोजन में, संयुक्त सचिव के स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। मंत्रालय ने 17 से 19 मई 2022 तक याग्याकार्टा, इंडोनेशिया में हाइब्रिड मोड में आयोजित जी20 एम्पॉवर की दूसरी पूर्ण बैठक और दूसरे पक्ष के आयोजन में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

ग. **नार्वे के राजदूत की सचिव, डब्ल्यूसीडी के साथ बैठक:**

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के लिए भारत में रॉयल नॉर्वेजियन दूतावास द्वारा दिए गए समर्थन पर चर्चा करने के लिए दिनांक 22.04.2022 को नॉर्वे के राजदूत एचई हंस जैकब फ्राइडनलुंड और डब्ल्यूसीडी के सचिव के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी।

घ. **सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए महिला एवम बाल विकास मंत्रालय के सचिव और यूनेस्को के सहायक महानिदेशक के बीच बैठक:**

सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव और यूनेस्को की सहायक महानिदेशक सुश्री गैब्रिएला रामोस के बीच 21 जून 2022 को उनकी नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा के दौरान लैंगिक समानता और सहयोग के अन्य क्षेत्रों से संबंधित यूनेस्को के प्रमुख परिवर्तन मानसिकता कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

ङ **नेपाल के काठमांडू में जेंडर रेस्पोंसिव / परिवर्तनकारी सामाजिक संरक्षण कार्यशाला:**

मंत्रालय ने काठमांडू, नेपाल में 8 से 10 जून 2022 तक यूनिसेफ मुख्यालय के सहयोग से दक्षिण एशिया के यूनिसेफ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित जेंडर रिस्पॉन्सिव/ परिवर्तनकारी सामाजिक संरक्षण कार्यशाला में भाग लिया।

च. **एसआरएसजी–सीएएसी कार्यालय से तकनीकी दल का दौरा:**

मंत्रालय ने 27 से 29 जुलाई 2022 तक नई दिल्ली में सशस्त्र संघर्ष में बच्चों (एसआरएसजी–सीएएसी) के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के कार्यालय से तकनीकी दल, न्यूयॉर्क की मेजबानी की। यात्रा के दौरान लाइन मंत्रालयों की भागीदारी से विभिन्न बैठकें और हरियाणा के सोनीपत जिले में बाल गृहों का दौरा किया गया।

छ. महिला एवम बाल विकास मंत्रालय ने 3 अगस्त 2022 को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित भारत–दक्षिण अफ्रीका विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) के 11वें सत्र में भाग लिया, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। इसके बाद, दक्षिण अफ्रीकी पक्ष के अनुरोध पर, महिला एवम बाल विकास मंत्रालय में दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने महिला अधिकारिता और लैंगिक समानता के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन करने की इच्छा जताई।

ज. इथियोपिया की महिला और सामाजिक मामलों की मंत्री महामहिम डॉ. एर्गोगी टेस्फाय वोल्डमेस्केल ने 10 अगस्त 2022 को माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास से मुलाकात की और महिला सशक्तिकरण से संबंधित आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। मंत्रियों ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के साथ–साथ आपसी सहयोग के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर चर्चा की।

झ. माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 18 से 19 अगस्त 2022 को समरकंद में (हाइब्रिड प्रारूप में) आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के महिला मंच को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। लैंगिक मुद्दों के लिए जिम्मेदार एससीओ सदस्य देशों के राज्य संगठनों के प्रमुख, महिला सांसद, राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र के लोकप्रिय लोग, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

ञ. माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 24–26 अगस्त, 2022 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित महिला अधिकारिता (एमसीडब्ल्यूई) पर G20 के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया।

ट. 17 अक्टूबर 2022 को महिलाओं के मुद्दों पर भारत–अमेरिका वार्ता सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित की गई। चर्चा मुख्य रूप से महिलाओं के कौशल और उद्यमिता को आगे बढ़ाने, वैवाहिक विवादों और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों जैसे परित्याग, घरेलू हिंसा, एनआरआई / ओसीआई पतियों द्वारा एकतरफा तलाक और सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा, ऐसी महिलाओं को कानूनी सहायता, जेंडर बेस्ड हिंसा ,गोद लेना, अपने बच्चों से अलग हुए माता–पिता द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ आदि पर केंद्रित थी।

ठ. मंत्रालय ने एशिया और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हनोई, वियतनाम में 4 से 6 अक्टूबर 2022 तक आयोजित लिंग–पक्षपाती लिंग चयन (जीबीएसएस) दक्षिण–दक्षिण बैठक में भाग लिया।

ड. मंत्रालय ने जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 8–10 नवंबर, 2022 तक आयोजित सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के चौथे राउंड में भाग लिया।

ढ. सिंगापुर के गृह मामलों और सामाजिक और परिवार विकास राज्य मंत्री एच इ सुश्री सुन जुएलिंग ने 19 नवंबर, 2022 को माननीय महिला और बाल विकास मंत्री, भारत सरकार से मुलाकात की, ताकि महिला और बाल विकास के क्षेत्र में भविष्य में सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

ण. कंबोडिया साम्राज्य के महिला मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रशिक्षुओं का एक बैच, जो 'राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी), नीति आयोग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है, में "महिला अधिकारिताः मुद्दे, चुनौतियां और नीति दिशानिर्देश" पर एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे थे उन्होंने भारत की नीतियों/कार्यक्रमों और सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने के लिए 21 दिसंबर 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का दौरा किया।

IX. 1 से 15 मार्च, 2022 के पखवाड़े के दौरान स्वच्छता पखवाड़े को मनाना

2.83 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1–15 मार्च, 2022 के पखवाड़े के दौरान मंत्रालय के कार्यालयों/प्रभागों/सम्बद्ध कार्यालयों/स्वायत्त निकायों और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके स्वच्छता पखवाड़ा मनाया।

X. क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन (2 से 13 अप्रैल 2022)

2.84 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश के 5 शहरों में 2 अप्रैल 2022 से 13 अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और हितधारकों के साथ 5 क्षेत्रीय बैठकें आयोजित कीं। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई, माननीय महिला एवं बाल विकास और आयुष राज्य मंत्री ने इन बैठकों की अध्यक्षता की।

2.85 बैठकों का उद्देश्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए तीन नए मिशनों की विभिन्न स्कीमों के तहत प्रस्तावित नई पहलों/संशोधनों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना और देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, सशक्तिकरण, कल्याण और पोषण से संबंधित स्कीम दिशानिर्देशों के प्रारूप पर फीडबैक प्राप्त करना था।

2.86 सहकारी संघवाद को सही मायने में साकार करते हुए, बैठकों में प्रतिभागी राज्यों के महिला और बाल विकास/समाज कल्याण के प्रभारी मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपालों/ प्रशासकों को आमंत्रित किया गया। इसके अलावा, हितधारक केंद्रीय मंत्रालयों, यूएन वुमेन और यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और महिलाओं, बच्चों और पोषण के क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों को आमंत्रित किया गया। प्रमुख सचिव/सचिव/महिला एवं बाल विभाग/समाज कल्याण/अन्य स्कीमों के प्रभारी निदेशक को भी आमंत्रित किया गया। हितधारकों और अधिकारियों से स्कीमों के कामकाज और उन्हें देश की महिलाओं और बच्चों के लिए अधिक प्रभावी और लाभदायक बनाए जाने के संबंध में, महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त हुए।

XI. 8 वर्षों की उपलब्धियों पर बैठकों का आयोजन (4 जून से 4 जुलाई 2022)

2.87 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 4 जून 2022 से 4 जुलाई 2022 के दौरान '8 साल की उपलब्धियां' विषय पर 8 क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई, माननीय महिला एवं बाल विकास और आयुष राज्य मंत्री ने इन बैठकों की अध्यक्षता की।

2.88 'उपलब्धियों के 8 वर्ष' पर बैठकों का उद्देश्य वर्ष 2014 से 2022 की अवधि के दौरान देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, सशक्तिकरण, कल्याण और पोषण के विषयों पर अपनी लक्षित स्कीमों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के बारे में जानकारी का प्रसार करना था।

2.89 इन बैठकों की यथासंभव व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिभागी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माननीय संसद सदस्यों, प्रतिभागी राज्यों के माननीय महिला एवं बाल विभाग/समाज कल्याण मंत्रियों, उस जिले जहां बैठक हुई थी और आकांक्षी जिलों के राज्य विधान सभाओं के माननीय सदस्यों, जिला परिषद/पंचायत के प्रमुखों, राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों, राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के प्रमुखों, यूएन वुमेन और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, महिलाओं, बच्चों और पोषण के क्षेत्रों में कार्यरत नागरिक समाज संगठन और विश्वविद्यालयों में महिला केंद्रों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण/अन्य स्कीमों के प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी निदेशक को भी आमंत्रित किया गया। महत्वपूर्ण प्रतिभागियों की बैठक–वार सूची इन कागजातों में दी गई है।

XII. 'महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव' विषय पर आकांक्षी जिलों के साथ क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन

2.90 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 9 जून 2022 को विशाखापत्तनम, 23 जून 2022 को हरिद्वार और 2 जुलाई 2022 को रांची में 'महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव'

विषय पर आकांक्षी जिलों के साथ 3 क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई, माननीय महिला एवं बाल विकास और आयुष राज्य मंत्री ने इन बैठकों की अध्यक्षता की।

2.91 बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों द्वारा अनुभव साझा करना आकांक्षी जिलों की बैठकों का मुख्य आकर्षण रहा है। इन अनुभवों को साझा करने के माध्यम से भाग लेने वाले जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों द्वारा प्राप्त अंतर्दृष्टि और ध्यान केंद्रित करने हेतु अपेक्षित विशिष्ट क्षेत्रों पर नीति आयोग द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि से उन्हें महिलाओं और बच्चों से संबंधित परिणामों को तेजी से प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

XIII. लंबित प्रसंगों के निपटान के लिए विशेष अभियान (02 अक्टूबर, 2022 – 31 अक्टूबर, 2022):

2.92 कैबिनेट सचिवालय के निर्देशों के अनुसार, 02 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक सांसद प्रसंगों, राज्य सरकार प्रसंगों, संसदीय आश्वासन, लोक शिकायत, फाइलों की समीक्षा/छंटाई आदि से संबंधित लंबित मामलों के निपटान के लिए मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों में एक विशेष अभियान चलाया गया था। कुछ प्रमुख उपलब्धियों में 1,00,625 फिजिकल फाइलों की समीक्षा और उनमें से 88,501 फाइलों की छंटाई, 2187. 70 वर्ग फुट जगह को फ्री करना, 2,82,655/– रुपये की राजस्व राशि जनरेट करना, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरण के लिए 517 फिल्मों/दस्तावेजों/पुस्तकों की पहचान और 2758 चिन्हित स्वच्छता स्थलों में स्वच्छता अभियानों का संचालन (2000 बाल देखभाल संस्थानों, 708 वन स्टॉप सेंटर और संबद्ध / मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय अर्थात कारा, एनसीडब्ल्यू, निपसिड, एनसीपीसीआर और सीएसडब्ल्यूबी सहित) शामिल है।

XIV. हर घर तिरंगा (13 से 15 अगस्त 2022 तक)

2.93 मंत्रालय ने 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को प्रेरित करके "हर घर तिरंगा कार्यक्रम" मनाया और इस प्रकार देशभक्ति की भावना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया। व्यापक कार्यान्वयन के लिए सभी सीसीआई, आंगनवाड़ी केंद्र, ओएससी, डब्ल्यूडब्ल्यूएच, शक्ति सदन आदि के परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया। एमडब्ल्यूसीडी और एएमपी के सभी अधिकारी; मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों ने एक झंडे को पिन किया और हर घर तिरंगा की वेबसाइट पर झंडे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड की। इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी रचनात्मकता मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड की गयी थी और हर घर तिरंगा कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी दिखाई दे रहा था।

3

बाल विकास

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

बाल विकास

3.1 बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। देश के विकास के लिए बच्चों का कल्याण आवश्यक है क्योंकि वे देश के भविष्य के मानव संसाधन का निर्माण करते हैं। भारत की आबादी के एक बड़ा हिस्से में 0–6 वर्ष (2011 की जनगणना) की आयु के लगभग 158 मिलियन बच्चे शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के विकास, सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न स्कीम का संचालन करता है। बच्चों के लिए शुरू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के ब्यौरों पर आगे आने वाले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.2 **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:** हाल ही में भारत सरकार ने "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0" को मंजूरी दी है जो मिशन मोड में स्वास्थ्य, कल्याण और कुपोषण से प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली प्रथाओं को विकसित करने के लिए एक कार्यनीतिक बदलाव है। अधिक से अधिक पोषण संबंधी परिणामों को प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए स्कीम और पोषण अभियान को पोषण 2.0 के तहत फिर से जोड़ा गया है। "सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0" के तहत घटकों को 3 प्राथमिक कार्यक्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है:

i) पोषण के लिए और किशोर लड़कियों के लिए पोषण सहायता;

ii) प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा [3–6 वर्ष];

iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना।

I. आंगनवाडी सेवायें (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत)

3.3 आंगनवाड़ी सेवाएं भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और बचपन की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अनूठे कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। यह अपने बच्चों और नर्सिंग माताओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है जिसमें एक और पूर्व स्कूल अनोपचारिक सिक्षा प्रदान करना और कुपोषण की समस्या को दूर करना है वन्ही दूसरी और रुग्णता, कम सीखने की क्षमता और मृत्यु दर के दुष्चक्र को तोडना है। इस योजना के तहत लाभार्थी 6 महीने – 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं।

क. आंगनवाड़ी सेवाओं के उद्देश्य

3.4 आंगनवाड़ी सेवाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं

I. 6 महीने – 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना,

II. बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना,

III. मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना,

IV. बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय करना, और

V. सही पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे

की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल करने के लिए माता की क्षमता को बढ़ाना।

ख. छह सेवाओं का पैकेज

3.5 आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत निम्नलिखित छह सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है:

1. पूरक पोषण (एसएनपी),
2. पूर्व स्कूल अनौपचारिक शिक्षा ,
3. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा ,
4. टीकाकरण ,
5. स्वास्थ्य जाँच , और
6. रेफरल सेवाए

3.6 छह सेवाओं में से तीन सेवाएं अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

ग. केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच लागत हिस्सेदारी अनुपात

3.7 आंगनवाड़ी सेवा (एएस) योजना के लिए, भारत सरकार वर्तमान में केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच निम्नलिखित लागत साझाकरण अनुपात पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान सहायता जारी करती है:

	एएस (सामान्य)	वेतन	एसएनपी
विधानसभा वाले राज्य /संघ शासित प्रदेश	60:40	25:75*	50:50
एनइ/ हिमालयी राज्य / जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश	90:10	90:10	90:10
विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश	100:0	100:0	100:0

**1 दिसंबर 2017 से, आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत पारिश्रमिक केवल आंगनवाड़ी सेवाओं के चयनित कर्मचारियों के लिए अनुमति दी गई है।*

घ. आंगनवाड़ी सेवा स्कीम का कवरेज और विस्तार

3.8 आंगनवाड़ी सेवाओं स्कीम की शुरुआत वर्ष 1975 में 33 परियोजनाओं और 4891 आंगनवाड़ी केंद्रों (आंगनवाडी केंद्र) के साथ की गई थी और IX प्लान के अंत तक देश में धीरे–धीरे 5652 परियोजनाओं और 6 लाख स्वीकृत आंगनवाडी केंद्र तक विस्तारित की गई थी। IX प्लान तक आंगनवाड़ी सेवा स्कीम का कवरेज यूनिवर्सल नहीं था क्योंकि इसमें 14 लाख आवास गृहों में से केवल 42% को शामिल किया गया था।

3.9 वर्तमान में, आंगनवाड़ी सेवा स्कीम दिनांक 30.06.2022 तक 7074 पूर्ण रूप से कार्यशील परियोजनाओं और 13.91 लाख चालू आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है। दिनांक 30.06.2022 तक पूरक पोषण कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या 9.51 करोड़ है, जिसमें गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं।

ड. पूरक पोषण के लिए लागत मानदंडों में संशोधन

3.10 सरकार ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत अक्टूबर 2017 में पूरक पोषण के लिए लागत मानदंडों के संशोधन को मंजूरी दे दी है:

(प्रति लाभार्थी प्रति दिन रुपए में)

क्र. सं	वर्ग	संसोधन पूर्व दरें	संसोधित दरें
1.	बच्चे (6–72 महीने)	6.00	8.00
2.	गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं	7.00	9.50
3.	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (6–72 महीने)	9.00	12.00

च. आईसीडीएस के तहत कवरेज – मार्च 2017 से ट्रेंड

3.11 11वीं और 12वीं योजनाओं के दौरान अम्ब्रेला आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं के कार्यान्वयन में कार्यशील परियोजनाओं और आंगनवाड़ी

केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) की संख्या में वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लाभार्थियों के कवरेज में वर्ष–वार ट्रेंड (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार) नीचे दिया गया है :

अंतिम वर्ष	कार्यशील की संख्या		लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	
	परियोजना	आंगनवाड़ी केंद्र	पूरण पोषण कार्यक्रम	पूर्व–स्कूल शिक्षा
31.03.2017	7074	13,54,792	983.42	340.52
31.03.2018	7075	13,63,021	892.77	325.91
31.03.2019	7075	13,72,872	875.61	301.92
31.03.2020	7075	13,81,376	855.05	245.04
31.03.2021	7075	13,87,432	831.83	230.38
31.03.2022	7075	13,91,004	949.94	285.82

- दिनांक 30 जून 2022 तक सूचित कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्रों/मिनी–आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या 13,91,412 है।
- दिनांक 30 जून 2022 तक सूचित पूरक पोषण कार्यक्रम के लाभार्थियों [बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष) और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं] की संख्या 951.35 लाख है।
- 30 जून 2022 तक रिपोर्ट किए गए प्री–स्कूल शिक्षा कार्यक्रम के लाभार्थियों [बच्चों (3 से 6 वर्ष)] की संख्या 303.17 लाख है।

3.12 31 मार्च 2022 और 30 जून 2022 तक स्वीकृत/कार्यशील परियोजनाओं और एडब्ल्यूसी की राज्य–वार संख्या तथा पूरक पोषण और प्री–स्कूल शिक्षा दोनों घटकों के तहत लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक–XI** से **अनुलग्नक–XII** तक दी गई है।

3.13 **बजटीय आवंटनः** आंगनवाड़ी सेवाओं के संबंध में वर्ष 2017–18 से 2022–23 के लिए बजट आवंटन और व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं	वर्ष	बजट अनुमान	संसोधित अनुमान	व्यय	आर.ई. का प्रतिशत
1.	2017-18	15,245.19	15,245.19	15,155.34	99.41%
2.	2018-19	16,334.88	17,879.17	16,811.71	94.03%
3.	2019-20	19,834.37	17,704.50	16,891.99	95.41%
4.	2020-21	20,532.38	17,252.31	15,784.39	91.49%
5.	2021-22	20,105.00	19999.55	18208.85	90.56%
6.	2022-23*	20,263.07	20,263.07	14877.90	73.42%

** 30.01.2023 की स्थिति के अनुसार*

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए बजट आवंटन और व्यय में आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण और एसएजी शामिल हैं।

छ. गतिविधियां

3.14 दिनांक 17 फरवरी, 2016 के संशोधित दिशा–निर्देशों के तहत ग्रामीण विकास, पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अभिसरण से एडब्ल्यूसी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। एडब्ल्यूसी भवनों की को कमी को ध्यान में रखते हुए, आईसीडीएस स्कीम के अभिसरण में मनरेगा के तहत संयुक्त दिशानिर्देशों के क्षेत्र को देश भर में 4 लाख एडब्ल्यूसी भवनों के निर्माण के लिए 17 फरवरी 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती

राज मंत्रालय और डब्ल्यूसीडी मंत्रालय द्वारा संशोधित किया गया है।

3.15 इस मुद्दे को हल करने और एडब्ल्यूसी के निर्माण की गति को तेज करने के लिए, लागत साझाकरण अनुपात को नवंबर 2017 से पहले प्रचलित मूल मानदंडों पर वापस स्थापित कर दिया गया है अर्थात मौजूदा लागत साझाकरण अनुपात पर भारत सरकार का प्रति एडब्ल्यूसी 2 लाख रुपये का योगदान होगा (विधानसभा वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40; पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10; और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100:0)। भारत सरकार का अंशदान भी प्रतिपूर्ति आधार के बजाय अग्रिम रूप से जारी किया जाएगा। संशोधित स्कीम – "सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन 2.0" के अनुसार, सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022 से 2026 के दौरान मिशन पोषण 2.0 के तहत मनरेगा के साथ अभिसरण में प्रति वर्ष 10,000 आंगनवाडी केंद्र की दर से 50,000 आंगनवाडी केंद्र का निर्माण करना है। मनरेगा के साथ अभिसरण के तहत आंगनवाडी केंद्र के निर्माण की लागत को प्रति आंगनवाड़ी केंद्र संशोधित कर 12.00 लाख रुपये कर दिया गया है जिसमें से 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत प्रदान किए जाएंगे, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग के तहत (कोई अन्य अनटाइड फंड) और 2.00 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र महिला एवम बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बीच साझा किए जाएंगे।

3.16 इसके अलावा, इस मंत्रालय ने स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण की लागत को मौजूदा 12,000/– रुपये प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र से 36,000/– रुपये प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र की लागत से संशोधित किया है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल सुविधाओं के प्रावधान की लागत भी मौजूदा 10000/– रुपए से संशोधित कर 17000/– रुपए कर दी गई है।

3.17 इस मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए हैं कि वे प्राथमिक स्कूलों में उपलब्ध अवसंरचना की तुलना में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति की जांच करें और तदनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्थानांतरित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्रों को सह–स्थापित किया जाना है, वे उसी बस्ती में मौजूद होने चाहिए जहां पहले आंगनवाड़ी केंद्र मौजूद थे।

3.18 सक्षम आंगनवाड़ी के तहत देश भर में प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण और ईसीसीई वितरण के लिए सुदृढ़ और उन्नत किया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं में एलईडी स्क्रीन, वर्षा जल संचयन संरचना और पोषण वाटिका शामिल होंगे।

ज. कोविड–19 महामारी के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों का कामकाज

3.19 कोविड–19 के आउट ब्रेक को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा की गई पहलों के संबंध में, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड–19 के संबंध में इस मंत्रालय को सौंपे गए कार्यों के साथ अग्रेषित करने के लिए एक सलाह जारी की गई थी।

i. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के उपयोग को शहरी और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निगरानी और अन्य सामुदायिक स्तर की गतिविधियों में सुविधाजनक बनाना।

ii. जागरूकता बढाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को गतिशील बनाने की सुविधा.

iii. आंगनवाड़ी केंद्रों में उचित स्वच्छता और बच्चों और उनके माता–पिता को स्वास्थ्य शिक्षा.

3.20 इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका कोविड–19 के दौरान अन्य गतिविधियों जैसे डोर टू डोर सर्वे, सामुदायिक निगरानी आदि के संचालन में भी सक्रिय रूप से शामिल थी।

3.21 महामारी के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों के कामकाज बंद रहे और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के तहत टेक होम राशन (कच्चा राशन नहीं) का वितरण 15 दिनों में एक बार लाभार्थियों (बच्चों, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताएं) के घरों की दहलीज तक किया गया।

झ. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत बीमा कवरः

3.22 कोविड–19 महामारी के कारण देश में विद्यमान विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों /सहायिकाओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन कोविड–19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) बीमा स्कीम के तहत कवर किया गया है:

(क) उन्हें राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और आईएनआई/केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा कोविड–19 से संबंधित जिम्मेदारियों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया होना चाहिए।

(ख) उन्हें अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में काम करता हुआ होना चाहिये जिन्हें कोविड–19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता था और जिन्हें इससे प्रभावित होने का खतरा हो सकता था।

(ग) जीवन को खतरा कोविड–19 के कारण हुआ है या कोविड–19 से संबंधित ड्यूटी करते हुए दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है।

ञ. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों /आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि

3.23 सरकार द्वारा समय–समय पर तय किए गए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रति माह निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाता है। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय 3,000/–रूपये से 4,500/–रूपये प्रति माह, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 2,250/– रूपये से 3,500/– रूपये प्रति माह, एडब्ल्यूएच के लिए 1,500/–रूपये से 2,250/– रूपये प्रति माह बढ़ा दिए हैं जो कि 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी हैं।

3.24 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय के अलावा पोर्टल पर लाभार्थी डेटा, घर का दौरा करने और वजन और माप को फीड करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री 500/– रुपये के प्रोत्साहन के लिए भी पात्र हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों की उचित साफ–सफाई और कामकाज की सुविधा के लिए आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) भी 250 रुपये प्रति माह की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगी।

3.25 इसके अलावा, संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इन श्रमिकों को अन्य स्कीमों के तहत सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से मौद्रिक प्रोत्साहन भी दे रहे हैं।

ट. बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण

3.26 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न स्कीमों जैसे एमपीएलएडी, एमएलएएलएडीएस, बीआरजीएफ (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि), आरआईडीएफ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि), पंचायती राज संस्थाओं से वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) आदि से एडब्ल्यूसी भवनों के निर्माण के लिए धन लेना जारी रखेंगे। राज्य अपने स्तर पर अपने विवेक से बिना किसी बाध्यता के निःशुल्क आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए व्यक्तियों, कंपनियों, व्यावसायिक घरानों और प्रतिष्ठित संस्थानों, सीएसआर निधियों को शामिल करेंगे। इसी तरह, डीएम पूरी तरह से निशुल्क आधार पर और बिना किसी बाध्यता के इसके लिए संसाधन जुटाएंगे/प्रोत्साहित करेंगे।

ठ. आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढांचे की स्थिति (30.06.2022 तक)

(लाख में)

अवसंरचना की स्थिति	संख्या
पक्की इमारतों में एडब्ल्यूसी	12.56
पेयजल आपूर्ति वाले एडब्ल्यूसी	12.23
स्वच्छता सुविधाओं वाले आंगनवाड़ी केंद्र	11.02
विकास निगरानी उपकरण	12.65 (31.12.2022 तक)
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास स्मार्टफोन	11.22 (31.12.2022 तक)

ड. पूरक पोषण

3.27 आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी सेवा लाभार्थियों को प्रदान किया जाने वाला पूरक पोषण स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों और स्थानीय आबादी की भोजन प्राथमिकता /आदतों के आधार पर अलग–अलग होता है।

इसलिए, पूरक पोषण के लिए व्यंजनों का चयन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों पर निर्भर करता है।

3.28 एसएनपी के तहत लाभार्थियों को खिचड़ी/पोंगल/राजमा चावल (चावल पर आधारित) और अंडा/चपाती/मूंग दाल, मौसमी फल, गुड़, पंजीरी और उच्च प्रोटीन से युक्त बिस्कुट जैसे भोजन की आपूर्ति की जाती है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा आंगनवाडी केंद्र में ही भोजन तैयार किया जाता है।

3.29 आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत पूरक पोषण, प्रशिक्षण, पेयजल एवं शौचालय सुविधा, निर्माण आदि के लिए जारी की गयी राशि का विवरण **अनुलग्नक –XIII** में दिया गया है।

II. पोषण अभियान

3.30 पोषण अभियान– समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक स्कीम (जिसे पहले राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में जाना जाता था) को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा मिशन मोड में 'सुपोषित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। मिशन पोषण 2.0 (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) की घोषणा बजट 2021–2022 में एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में की गई थी, ताकि पोषण सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणामों को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य, कल्याण और रोग तथा कुपोषण से प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने वाली प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यह स्वयं को वापस आंगनवाड़ी सेवा स्कीम, पूरक पोषाहार कार्यक्रम, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए संशोधित स्कीम से जोड़ती है। पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार के मानदंड, एमएएम/एसएएम के उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि ठिगनापन और एनीमिया के अलावा दुबलापन और कम वजन की विद्यमानता को कम किया जा सके।

3.31 यह कार्यक्रम प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ पहल करता है जिसमें अभिसरण के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन करना, पोषण में सुधार के एजेंडे को जन आंदोलन में परिवर्तित करना, व्यापक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना और विभिन्न निगरानी मापदंडों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना है। इस अभियान को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शुरू किया गया है। पोषण अभियान के प्रमुख घटक और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क. जन आन्दोलन

3.32 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किए जाने के बाद से पोषण अभियान के तहत जन आंदोलन प्रमुख घटकों में से एक है। पोषण माह और पोषण पखवाड़ा क्रमशः सितंबर और मार्च–अप्रैल के निर्धारित सप्ताहों में आयोजित किए जाते हैं जो माध्यम से जनता तक पहुंचने में मदद करते हैं। जन आंदोलन राष्ट्र के सबसे बड़े पोषण केंद्रित। इन वर्षों में, विषयों में समग्र पोषण, स्वच्छता, पानी और स्वच्छता, एनीमिया की रोकथाम, स्तनपान का महत्व, विकास की निगरानी, पोषण पंचायतों की भूमिका, कल्याण के लिए आयुष, 'मूल बातों की ओर लौटना – स्वास्थ्य के लिए योग', महत्व शामिल हैं। सामुदायिक स्तर पर स्थानीय सब्जियों, औषधीय पौधों/जड़ी–बूटियों और फलों की खेती के लिए पोषण वाटिका, पोषण के पांच सूत्र आदि।

1. पोषण पखवाड़ा (मार्च–अप्रैल 2022)

3.33 मार्च–अप्रैल 2022 में आयोजित पोषण पखवाड़े के दौरान पोषण पर 2.96 करोड़ संवेदीकरण गतिविधियां आयोजित की गईं।

3.34 अंतिम आयोजित पोषण पखवाड़ा (21 मार्च–4 अप्रैल, 2022) की थीम ''स्वस्थ भारत के लिए पारंपरिक और आधुनिक प्रथाओं का एकीकरण'' थी। उसी के उत्सव के लिए दो व्यापक क्षेत्रों पर जोर दिया गया था जिनमें i) स्वस्थ बच्चे की पहचान और उत्सव, और ii) पोषण मित्र (आधुनिक, आईटी आधारित, पारंपरिक और क्षेत्रीय गतिविधियों) के इर्दगिर्द विषयगत क्षेत्रों के तहत स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण शामिल हैं। इसमें प्रमुख विषयगत क्षेत्र निम्न थे:

1. आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष तक के बच्चों की वृद्धि का मापन करना
2. एनीमिया परीक्षण, टॉक और उपचार शिविर/गतिविधियों का आयोजन
3. जल शक्ति मंत्रालय (एमओजीएस) के साथ अभिसरण में शुरू किए गए जेंडर संवेदनशील

जल प्रबंधन कार्यक्रम

4. जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) के साथ अभिसरण में स्वस्थ मां और बच्चे (विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में) के लिए पारंपरिक भोजन पर संवेदनशीलता

3.35 प्रत्येक थीम के तहत आंकड़ों में विवरण नीचे दिए गए हैं:

- आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष तक के 1.8 करोड़ बच्चों की ऊंचाई और वजन को मापा गया
- एनीमिया परीक्षण, टॉक और उपचार शिविर/गतिविधियों का आयोजन : 14,79,647
  - एनीमिया शिविर/परीक्षण शिविर: 35,779
  - गर्भावस्था में एनीमिया के लिए आयुष: 7,18,149
  - आयुष के माध्यम से एनीमिया की रोकथाम: 5,03,407
  - एनीमिया पर शहरी झुग्गियों में आउटरीच गतिविधियां: 1,853
  - छात्रों के लिए एनीमिया के बारे में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं: 855
  - एनीमिया को संबोधित करने के लिए आयुष की भूमिका पर वेबिनार: 56,168
  - एनीमिया पर अन्य गतिविधियाँ (एसएचजी, एनवाईके आदि से जुड़ी हुई): 1,63,436
- जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) के साथ अभिसरण में शुरू किए गए जेंडर संवेदनशील जल प्रबंधन कार्यक्रम: 1,55,487
  - आंगनवाड़ी केन्द्रों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) को बढ़ावा देना: 10,813
  - वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरएचएस) पर वेबिनार: 99,071
  - मौजूदा और कार्यशील आरडब्ल्यूएच ढांचों पर संवेदीकरण: 45,603
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) के साथ अभिसरण में स्वस्थ मां और बच्चे (विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में) के लिए पारंपरिक भोजन पर संवेदनशीलता
  - पारंपरिक और क्षेत्रीय पौष्टिक भोजन पर वेबिनार: 41,463
  - क्षेत्रीय/स्थानीय भोजन पर जागरूकता अभियान: 3,20,487
  - स्थानीय समुदाय के लिए व्यंजनों का प्रदर्शन: 43,983
  - ईएमआरएस (एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय) स्कूलों में छात्रों को आहार के बारे में जागरूक करना
- जनजातीय जिलों में आयोजित संवेदीकरण गतिविधियां (कुछ उदाहरण)
  - 182 जनजातीय जिलों में से (जैसा कि एमओटीए द्वारा रिपोर्ट किया गया है), 155 को भागीदारी के लिए ट्रिगर किया गया था जो कि जनजातीय जिलों का लगभग 85% था, और सामूहिक रूप से लगभग 36 लाख गतिविधियाँ आयोजित की गईं (पखवाड़ा 2022 में आयोजित कुल गतिविधियों का लगभग 12%)।

पोषण पखवाड़ा 2022, छत्तीसगढ़ के दौरान स्कूटर रैली

2. पोषण माह (सितंबर 2022)

3.36 इस वर्ष, 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के लिए, **पोषण के लिए ग्राम पंचायतों को गति देने की भावना से सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु ग्राम पंचायत था।** ग्राम

पंचायत ने थीम के अनुसार पोषण माह के दौरान अपनी विभिन्न समितियों जैसे ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, स्कूल प्रबंधन/शिक्षा समिति, जल आपूर्ति, जल एवं पर्यावरण संरक्षण समिति, योजना एवं विकास समिति, सामाजिक न्याय स्थायी समिति आदि को चैनलाइज कर विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया है। 5वें राष्ट्रीय पोषण महा में देश भर में लगभग **17.57 करोड़** गहन जन आंदोलन आधारित गतिविधियां देखी गईं।

3.37 **महिला और स्वास्थ्य** विषय के तहत, स्थानीय ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति ने न केवल बच्चों की वृद्धि मापन के लिए स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन किया है, बल्कि विशेष रूप से महिलाओं और किशोरियों के लिए एनीमिया के जांच शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए हैं। इसी तरह विशिष्ट स्तनपान के महत्व पर जागरूकता अभियान और शिविर, स्तनपान की उपयुक्त तकनीकों और पूरक आहार के महत्व पर व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं क्योंकि ये कुपोषण के अंतर–पीढ़ीगत चक्र को संबोधित करने के लिए मुख्य हैं।

3.38 **बच्चा और शिक्षा** विषय 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण पूर्व –स्कूल शिक्षा पर केंद्रित है। खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुकूल , इस वर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों में सीखने के लिए स्वदेशी और स्थानीय रूप से उपलब्ध खिलौनों के उपयोग और विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। इस संबंध में, प्रारंभिक बचपन के विकास के समय पोषण के लिए स्वदेशी खिलौनों पर एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी भी आयोजित की गई थी। आयु–उपयुक्त खिलौनों और खिलौनों के सार्वभौमिकरण पर पैनल के माध्यम से चर्चा अलावा, संगोष्ठी में देश के विभिन्न क्षेत्रों के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा निपुण क्राफ्ट मैन द्वारा स्वदेशी खिलौनों के निर्माण और स्थानीय खिलौनों के निर्माण का लाइव प्रदर्शन शामिल था। इसके अलावा, पोषण पखवाड़ा 2022 में आंगनवाड़ी केंद्रों में जल संरक्षण और प्रबंधन पर जेंडर संवेदनशील जागरूकता और जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करने वाले विषय के तहत सफल गतिविधियों के बाद, पोषण माह 2022 में भी इन प्रमुख विषयों के तहत गतिविधियों को जारी रखा गया था।

पोषण माह 2022 समारोह के दौरान आईसीडीएस के पदाधिकारी, चंडीगढ़

3. कर्तव्यपथ पर पोषण उत्सव

3.39 5वें राष्ट्रीय पोषण माह का समापन 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक कार्तव्यपथ, नई दिल्ली में पोषण उत्सव के साथ हुआ। पोषण उत्सव ने बड़े पैमाने पर लोगों को सही पोषण के महत्व पर महत्वपूर्ण संदेश प्रसारित करने के लिए एक मंच के रूप में देश में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं को आयु–उपयुक्त अच्छी स्वास्थ्य प्रथाओं पर संवेदनशील बनाने के लिए कार्य किया। पोषण से संबंधित पोषण परेड, स्वस्थ–खाद्य स्टालों, स्वास्थ्य जांच स्टालों आदि पर पोषण या पोषण के विषय पर केंद्रित एक उत्सव मेले के रूप में पोषण उत्सव आयोजित किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर बच्चों और लोगों को आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और माननीय प्रधान मंत्री के साथ एआर फोटो सेशन शामिल थे। उत्सव के भाग के रूप में, आयुष मंत्रालय ने प्रदर्शनी/बिक्री के लिए आयुष पोषण प्रथाओं और आयुर्वेद उत्पादों/सूत्रों से संबंधित साहित्य के स्टॉल लगाए। मुफ्त स्वास्थ्य जांच के लिए बूथ भी लगाए गए थे, जिसमें आगंतुकों के बीएमआई की जांच करने वाली मशीनें भी शामिल थीं। चूंकि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के शुरुआती में सीखने और विकास के लिए स्वदेशी खिलौने महत्वपूर्ण उपकरण हैं, इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों से करीब 9 स्थानीय पारंपरिक खिलौना समूहों को स्थापित किया गया था जिसमें एटिकोपक्का (आंध्र प्रदेश), कोंडापल्ली (आंध्र प्रदेश), चित्रकूट (उत्तर प्रदेश), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), कठपुतली शिल्प (राजस्थान), मैसूर (कर्नाटक), मैंगलोर (कर्नाटक), चन्नापटना (कर्नाटक), इंदौर (मध्य प्रदेश) आदि शामिल हैं। बड़े पैमाने पर बच्चों

और लोगों को आकर्षित करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के साथ फोटो के लिए एक एआर फोटो–बूथ लगाया गया था। यह आगंतुकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र था। ऐसा अनुमान है कि तीसरे दिन पोषण उत्सव में लगभग 1.5–2 लाख आगंतुकों ने भाग लिया। महीने भर चलने वाले पोषण माह 2022 के समापन के समय दिल्ली में ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर तीन दिवसीय पोषण उत्सव मनाया गया।

पोषण उत्सव, 2022 के दौरान एमओडब्ल्यूसीडी के अधिकारियों के साथ माननीय मंत्री

ख. स्वस्थ बालक/बालिका स्पर्धा

3.40 देश में स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दों के लिए निरंतर सामुदायिक भागीदारी को गति देने के लिए, माननीय प्रधान मंत्री ने 24 नवंबर 2021 को आयोजित प्रगति बैठक के दौरान इच्छा व्यक्त की कि 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के स्वस्थ बच्चों की पहचान और समारोह मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान "स्वस्थ बच्चे" पर ध्यान देने के साथ पोषण के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए।

3.41 अतः 'स्वस्थ बच्चे' का उत्सव मनाने के लिए स्वस्थ बालक स्पर्धा को पोषण माह 2022 में प्रायोगिक आधार पर असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।

- 6 माह से 3 वर्ष और 3 से 5 वर्ष के आयु वर्ग में स्वस्थ बच्चों की पहचान करना
- जागरूकता पैदा करना और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वृधि माप के लिए अभियान चलाना
- अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना
- स्तनपान और पूरक आहार प्रथाओं को बढ़ावा देना
- आहार विविधता और आयु उपयुक्त भोजन के महत्व के बारे में परामर्श को बढ़ावा देना
- सहकर्मी शिक्षक (माँ से माँ / परिवार / समुदाय) की अवधारणा को बढ़ावा देना

स्वस्थ बालक/बालिका स्पर्धा (एसबीबीएस), पोषण माह 2022 के दौरान ऊंचाई और वजन माप

ग. लाभार्थियों की आधार सीडिंग

3.42 अंतिम मील ट्रैकिंग और सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को आधार से जोड़ा जा रहा है। 31 दिसंबर 2022 तक, पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत 88% से अधिक लाभार्थियों को सफलतापूर्वक आधार से जोड़ दिया गया है।

घ. लाभार्थी के लिए प्रवास की सुविधा

3.43 पहली बार, पोषण ट्रैकर के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक राज्य के भीतर और बाहर एक आंगनवाड़ी केंद्र से दूसरे में प्रवास की सुविधा प्रदान की गई है। लाभार्थी की एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवास की सुविधा भी उपलब्ध है। पोषण ट्रैकर का आरसीएच पोर्टल के साथ एकीकरण भी प्रक्रियाधीन है।

ङ. लाभार्थी निवारण तंत्र

3.44 पोषण ट्रैकर के पास चिंता व्यक्त करने के लिए वेब आधारित और एप्लिकेशन–आधारित सुविधा है। लाभार्थी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और अपनी चिंताओं को सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के साथ साझा कर सकते हैं। इसके अलावा पोषण हेल्पलाइन चालू की गई है, जिसके माध्यम से लाभार्थी मिशन पोषण 2.0 के तहत दी जाने वाली सेवाओं के बारे में प्रश्न/शिकायत कर सकते हैं।

च. पोषण वाटिका

3.45 सही प्रकार के पोषण के लिए अभियान का एक अन्य प्रमुख मुद्दा पोषण वाटिका या न्यूट्री–गार्डन हैं जो फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों और जड़ी–बूटियों तक आसान और वहनीय पहुंच प्रदान करने के लिए देश भर में स्थापित किए जा रहे हैं। इस प्रकार, पोषण वाटिका बच्चों को फलों और सब्जियों की निरंतर आपूर्ति के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करके आहार विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आहार–विविधता और स्थानीय पौष्टिक उत्पादों की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में लगभग 4.35 लाख पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय आहार विविधता को बढ़ावा देने के लिए, 6 क्षेत्रवार आहार चार्ट विकसित किए गए जिसमें उत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और मध्य भाग शामिल हैं। क्षेत्रवार डाइट चार्ट अंग्रेजी और हिंदी में मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

छ. पोषण अभियान के तहत बाजरा को बढ़ावा देना

3.46 बाजरा की पोषण गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए महिला एवम बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आंगनवाड़ी सेवाओं के पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत प्रदान किए जाने वाले भोजन की पोषण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए व्यंजनों में बाजरा को शामिल करने की सलाह दी है। मिशन पोषण 2.0 के दिशा–निर्देशों के तहत सप्ताह में कम से कम एक बार बाजरा को अनिवार्य रूप से पूरक पोषण में शामिल करने की सलाह दी गई है। पोषण माह 2021 में, देश भर में बाजरे के साथ खाना पकाने पर करीब 2.9 लाख प्रदर्शन आधारित गतिविधियों का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और गुजरात ऐसे राज्य थे जहां बाजरा की खपत को लोकप्रिय बनाने पर केंद्रित गतिविधियों की संख्या अधिकतम थी। पोषण माह 2022 के तहत भी, बाजरा को बढ़ावा देने के लिए करीब 18.35 लाख गतिविधियों की सूचना दी गई है। इनमें बाजरा के लाभों पर संस्थानों, पदाधिकारियों और समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता सत्र, बाजरा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम/शिविर और 'बैकयार्ड किचन गार्डन', बाजरा पर ध्यान केंद्रित करने वाली रेसिपी प्रतियोगिता आदि शामिल हैं।

जन आंदोलन, पोषण माह 2022 के दौरान बाजरा को बढ़ावा देना

ज. पोषण अभियान के तहत ईसीसीई पर फोकस

3.47 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के

महत्वपूर्ण घटक के रूप में, मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों में सीखने के लिए स्वदेशी खिलौनों के विकास और उपयोग पर बहुत अधिक महत्व दिया है। उत्तर पूर्वी और जनजातीय खिलौनों सहित खिलौना केंद्रित सामग्री को संकलित और डिजिटाइज़ किया गया है। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के विजन के रूप में स्वदेशी खिलौनों/लोकसाहित्य के आदान–प्रदान की सुविधा के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण कार्यशालाओं के भाग के रूप में डीआईवाई खिलौना किटों के निर्माण पर विस्तृत दिशा–निर्देशों का मसौदा तैयार किया गया है और सभी राज्यों के साथ साझा किया गया है। "बच्चा और शिक्षा" और "पोषण भी, पढाई भी" इस वर्ष पोषण माह के प्रमुख विषयों में से एक थे। थीम को ध्यान में रखते हुए, कई राज्यों ने मणिपुर में स्टेट टॉयथॉन/टॉय फेयर, गुजरात में एडब्ल्यूसी में आयोजित मिनी चिल्ड्रन टॉय/प्ले एंड लर्न फेयर, झारखंड में एडब्ल्यूसी में आयोजित स्थानीय टॉय मेकिंग वर्कशॉप, ओड़िशा में आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों और माताओं द्वारा टॉय मेकिंग आदि जैसी गतिविधियां शुरू की हैं। डब्ल्यूसीडी के माननीय मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में आरंभिक बचपन के विकास के पोषण के लिए स्वदेशी खिलौनों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका से लेकर सभी आईसीडीएस पदाधिकारियों तक लाभ के लिए कार्यशाला/संगोष्ठी का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया गया। विशेषज्ञों द्वारा आयु के उपयुक्त खिलौनों और खिलौनों के सार्वभौमीकरण पर पैनल चर्चा के अलावा, संगोष्ठी में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा स्थानीय खिलौनों के निर्माण पर सत्र और मास्टर शिल्प–व्यक्तियों द्वारा स्वदेशी खिलौनों के निर्माण का लाइव प्रदर्शन शामिल था।

झ. पोषण की श्रेणी में प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

3.48 पोषण की श्रेणी में प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए तीन जिलों को प्रधान मंत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया

i) **आसिफाबाद, तेलंगाना में मिशन संपूर्ण पोषण:** कार्यक्रम ने पोषण की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए बाजरा के स्थानीय उत्पादन और खपत को सक्षम बनाया। कार्यक्रम के तहत फूड फेस्टिवल, बाजरा रेसिपी प्रशिक्षण आदि का आयोजन किया गया। बाजरा को बढ़ावा देने के लिए पायलट आधार पर 2500 परिवारों को सब्सिडी वाले बीज वितरित किए गए। 80% लाभार्थी अब बाजरा खा रहे हैं।

ii) **मध्य प्रदेश के दतिया में मेरा बच्चा अभियान:** इसका दृष्टिकोण कुपोषित बच्चे के परिवार की क्षमता के अंतर की समस्या का समाधान करना था। कार्यक्रम का उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से दत्तक ग्रहण करने वाले और बच्चे के बीच त्वरित स्वास्थ्य लाभ के लिए व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव विकसित करना है।

iii) **असम के बोंगाईगांव में संपूर्ण परियोजना:** 'बडी मदर्स' की अवधारणा पेश की गई जिसमें दो माताएं एक जोड़ी बनाती हैं, एक स्वस्थ बच्चे के साथ, दूसरी कुपोषित बच्चे के साथ। उन्होंने सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान–प्रदान किया और अपने बच्चों के दैनिक भोजन सेवन की निगरानी के लिए डाइट चार्ट पर काम किया।

3.49 पोषण की श्रेणी में प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार से सम्मानित जिलों के डीएम द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एमडब्ल्यूसीडी द्वारा जोन वाइज कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के स्तर तक सभी आईसीडीएस पदाधिकारियों के लाभ के लिए पुरस्कृत परियोजनाओं पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

ञ. फील्ड कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

3.50 कुपोषण के पीढ़ी दर पीढ़ी चक्र को तोड़ने के लिए यह जरूरी है कि नियमित रूप से विकास की निगरानी की जाए ताकि जल्दी पता लगाया जा सके और समय पर उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की जा सके। इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों के पोषण से संबंधित परिणामों की लगातार निगरानी करने के लिए, सरकार ने पोषण ट्रैकर प्रबंधन एप्लिकेशन लॉन्च किया है जो आंगनवाड़ी केंद्र

(एडब्ल्यूसी) की गतिविधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) की सेवा वितरण और गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए पूर्ण लाभार्थी प्रबंधन का 360 डिग्री दृश्य प्रदान करता है। साथ ही, मोबाइल एप्लिकेशन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले फिजिकल रजिस्टरों को भी डिजिटाइज़ और स्वचालित करता है जो उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है।

3.51 कुपोषण मुक्त भारत के सपने को साकार करने और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पोषण ट्रैकर के सफल कार्यान्वयन के लिए, पोषण ट्रैकर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की दक्षता और विकास निगरानी की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया था। प्रशिक्षण टीमों में खाद्य और पोषण बोर्ड (एफएनबी), निपसिड और एनईजीडी के अधिकारी शामिल थे और जिला पोषण समिति, पोषण अभियान के ब्लॉक समन्वयक और एनईजीडी की भागीदारी के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आयोजित किए गए थे।

3.52 इस पृष्ठभूमि में 18 अक्टूबर, 2022 को प्रशिक्षण टीमों के लिए एक अभिविन्यास प्रशिक्षण आयोजित किया गया था ताकि वे क्षेत्र के पदाधिकारियों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। अभिविन्यास प्रशिक्षण के दौरान, टीमों को प्रारंभिक बचपन के विकासात्मक लक्ष्य और विकास की निगरानी तथा पोषण ट्रैकर ऐप, डैशबोर्ड और इसके अनुप्रयोग के बारे में जानकारी दी गई। विकास की निगरानी वाले डिवाइसेस का उपयोग करके सटीक माप लेने के लिए सभी प्रतिभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।

3.53 पहले चरण में, 10 राज्यों (पीएम उत्कर्ष के तहत चयनित जिलों वाले राज्य) के प्रत्येक 4 जिलों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था जिसमें असम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शामिल किए गए विषय निम्नानुसार हैं:

- **विकास की निगरानी**
  - o माप के प्रकार – आयु के अनुसार वजन, ऊंचाई के अनुसार वजन और उम्र के अनुसार ऊंचाई का उपयोग करते हुए विकास की निगरानी।
  - o पोषण के तहत वितरित जीएमडी का उपयोग करके माप रिकॉर्ड करने की सही तकनीक अर्थात शिशुओं और वयस्कों के लिए इन्फैंटोमीटर, स्टैडोमीटर, और वजन स्केल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण।
- **पोषण ट्रैकर**
  - o व पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन और डैशबोर्ड के बारे में एंड–टू–एंड अवलोकन।

विकास मापन पर प्रशिक्षण सत्र के दौरान एनआईपीसीसीडी प्रधान कार्यालय, दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मास्टर ट्रेनर और अधिकारी

ट. 31.12.2022 को पोषण ट्रैकर के तहत पंजीकृत श्रेणीवार लाभार्थी (अनुलग्नक–XIV पर राज्यवार विवरण):

कुल लाभार्थी	स्तनपान कराने वाली माताएं	गर्भवती महिलाएं	बच्चे 0–6 माह	बच्चे 6 माह से –3 वर्ष	बच्चे 3–6 वर्ष
10,10,50,463	52,41,440	80,40,215	45,95,834	4,06,33,040	4,25,39,934

ठ. वित्तीय:

पोषण अभियान के तहत वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई कुल धनराशि इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधियां (करोड़ में)
2021-22	145.97

III. प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई)

क. पृष्ठभूमि

3.54 मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास के लिए स्कूल पूर्व शिक्षण सामग्री; सशक्त समन्वय और बुनियादी मोटर कौशल का विकास; सौंदर्य प्रशंसा, स्वतंत्रता और रचनात्मकता; अच्छी स्वस्थ आदतें; सभी स्कूल पूर्व को स्कूल के लिए तैयार करने और ग्रेड–I में 5–6 वर्ष की आयु के बच्चों के निर्बाध एकीकरण के लिए प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता का प्रावधान शामिल होगा। वित्त वर्ष 2022–23 की शुरुआत से सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में ईसीसीई को लागू करने का प्रस्ताव है। ईसीसीई कार्यक्रम के लाभ के लिए राज्य 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित करने के लिए ठोस प्रयास करेंगे। ईसीसीई के लिए एडब्ल्यूडब्ल्यू के लिए उपयुक्त माने जाने वाले प्रशिक्षण और कौशल का आयोजन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ मिलकर किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित एक टास्क फोर्स ने ईसीसीई के अलावा सामग्री और वितरण पर अपनी सिफारिशें दी हैं जो विचाराधीन है।

IV. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)

3.55 आईसीडीएस स्कीम के कार्यान्वयन की पूर्ण रूप से निगरानी करने का दायित्व मंत्रालय का है। मंत्रालय के बाल विकास ब्यूरो में एक पृथक निगरानी यूनिट इसके संकलन और आवधिक निगरानी रिपोर्टों के विश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित फॉर्मों में प्राप्त होती हैं। राज्य/संघ राज्या क्षेत्रों को अपनी–अपनी समेकित मासिक रिपोर्ट आगामी माह की 17 तारीख तक भेजनी होती है। राज्या/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों को संकलित करके उनकी केंद्रीय स्तर पर त्रैमासिक आधार पर समीक्षा और विश्लेषण की जाती है। रिपोर्टों में उल्लेरखित प्रगति एवं अवनति की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आयोजित बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा अपेक्षित फीडबैक भेजी जाती है।

3.56 मौजूदा एमआईएस के तहत अधिकांश प्रक्रिया में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानक डाटा संग्रह प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है; इसमें व्याक्तियों द्वारा की जाने वाली प्रविष्टियां ही विश्वसनीय मानी जाती हैं। सेवा प्रदायगी से संबंधित समस्त प्रारंभिक डाटा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों निर्धारित रजिस्ट्रों का प्रयोग करके रिकॉर्ड किया जाता है। ये संरचनात्मक डाटा माह के पश्चात एक मानक मासिक प्रगति रिपोर्टों (एमपीआर) में दर्ज किया जाता है जिसमें अनेक सूचनाएं, प्रक्रियाएं और परिणामों से संबंधित जानकारी होती है। ये एमपीआर पर्यवेक्षकों को भेज दी जाती है (प्रत्येक पर्यवेक्षक लगभग 25 आंगनवाड़ी केंद्रों का पर्यवेक्षण करता है) जो समेकित रिपोर्ट तैयार करके बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को प्रस्तुत करते हैं, ये सीडीपीओ इन रिपोर्टों को परियोजना/ब्लॉक–वार समेकित कर उन्हें राज्य मुख्यालयों को भेज देते हैं। केंद्रीय स्तर पर विश्लेषण और तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार किया जाना तथा विस्तृत प्रतिक्रिया राज्यों को भेजा जाना कुछ प्रमुख संकेत है। इन मुख्य संकेतकों में आंगनवाड़ी सेवा कार्मिकों, परियोजनाओं तथा आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रचालन पूरक पोषण और स्कूल–पूर्व शिक्षा के लाभार्थी, जन्म तथा मृतकों की संख्या तथा पोषण स्थिति आदि के संबंध में जानकारियां सम्मिलित होती हैं।

3.57 राज्य स्तर पर, सीडीपीओ मासिक प्रगति रिपोर्टों (एमपीआर) का प्रयोग करते हुए सभी संचालनात्मक परियोजनाओं का एडब्यूसी, एमपीआर/अर्द्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एचपीआर) के माध्यम से कार्यक्रम मॉनिटरिंग डाटा कैप्चर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य रिपोर्टों में आईसीडीएस पदाधिकारियों द्वारा आगनवाड़ी केंद्रों के फील्ड दौरों, वीएचएनडी, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा गृह–दौरों इत्यादि पर जानकारी सम्मिलित है।

3.58 इसके अलावा स्कीम के तहत मासिक आधार पर स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम (आरआरएस) नामक एक रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की गई है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एमआईएस डेटा प्रविष्टि को सक्षम करने के लिए एक वेब–पोर्टल http://www.icds-wcd.nic.in/icds/ बनाया गया है। आरआरएस के कार्यान्वयन के लिए देश में प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) को 11–अंकीय यूनिक कोड दिया जाना और अपलोड करना अनिवार्य है ताकि 1 अप्रैल 2016 से मार्च 2016 और उसके बाद महीने की आंगनवाड़ी मासिक प्रगति रिपोर्ट (एडब्ल्यू–एमपीआर) का डेटा वर्ष आईसीडीएस के आरआरएस पर ऑनलाइन अपलोड किया जा सके। बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) और पर्यवेक्षकों को इसे तुरंत पूरा करने की आवश्यकता है ताकि एडब्ल्यू–एमपीआर को आरआरएस पर अपलोड किया जा सके और आंगनवाड़ी सेवा कार्यकर्ताओं द्वारा सभी स्तरों राष्ट्रीय, राज्य, जिला, परियोजना/ब्लॉक, सेक्टर और ग्राम/आंगनवाड़ी स्तर पर एडब्ल्यू–एमपीआर को प्राप्त किया जा सके।

3.59 आरआरएस के कार्यान्वयन की मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रत्येक एडब्ल्यूसी को 11–अंकीय यूनिक कोड दिया गया है और इसे रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम (आरआरएस) पर अपलोड किया गया है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आरआरएस को तेजी से लागू कर रहे हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि मार्च, 2022 के महीने में आरआरएस के माध्यम से 12 लाख एडब्ल्यू–एमपीआर भेजे गए हैं। आईसीडीएस–आरआरएस पोर्टल पर सूचित किए गए लाभार्थियों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक–XV** में दिया गया है। मंत्रालय आंगनवाड़ी केंद्रों के पूरक पोषण लाभार्थियों की संख्या के लिए सुविधाओं का डेटाबेस रखता है और अब आधार सीडिंग और दो डीबीटी स्कीमों (www.icds-wcd.nic.in) के लाभार्थियों के डाटा सत्यापन को जारी रखने के लिए रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम (आरआरएस) में आधार सीडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है।

3.60 वर्ष 2022–23 से 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन को राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस डिवीजन (एनइजीडी), माई गोव के माध्यम से शासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में शुरू किया गया है। पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का लाभ ठिगनापन, दुबलापन, बच्चों में कम वजन के प्रसार की गतिशील पहचान और पोषण सेवा वितरण की अंतिम मील ट्रैकिंग के लिए लिया गया है। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की वास्तविक समय की निगरानी और ट्रैकिंग को परिभाषित संकेतकों पर पोषण ट्रैकर सक्षम बनाता है। स्कीम के तहत लाभार्थियों को अंतिम मील ट्रैकिंग और सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए आधार से जोड़ा गया है। पोषण ट्रैकर पोषण 2.0 को डेटा तैयार करने, कार्यक्रम प्रबंधकों को फीडबैक प्रदान करने और पोषण संकेतकों पर स्कीम के प्रभाव का दस्तावेजीकरण करने में मदद करता है। पोषण ट्रैकर के डेटा के आधार पर मंत्रालय/राज्य/जिले प्रभावी रूप से और समय पर पहल करने में सक्षम है , जिससे विभिन्न घटकों के निरंतर मूल्यांकन और प्रगति की सुविधा मिलती है।

V. गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी)

3.61 गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) के तहत, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण) के माध्यम से आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूरक भोजन की तैयारी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएफएसए के तहत रियायती दरों पर खाद्यान्न, जैसे गेहूं, चावल और अन्य मोटे अनाज आवंटित किए जाते हैं। मंत्रालय एफएंडपीडी विभाग के साथ समन्वय से खाद्यान्नों के आवंटन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रस्तावों के प्रसंस्करण और

अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।

3.62 75वें स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री के अभिभाषण में परिकल्पना की गई परिकल्पना के अनुसार वर्ष 2024 तक हर सरकारी स्कीम के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल प्रदान किया जाना है। इसके लिए यह मंत्रालय देश भर के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वर्ष 2019 वर्तमान वित्त वर्ष 2022–23 की दूसरी तिमाही के बाद से फोर्टिफाइड चावल आवंटित कर रहा है। 31.12.22 तक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) के तहत वित्त वर्ष 2022–23 के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1014900 मीट्रिक टन गेहूं, 12,26115 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया है।

VI. निगरानी और पर्यवेक्षण

3.63 आईसीडीएस एमआईएस में सुधार के अतिरक्त निगरानी करने और पर्यवेक्षकों द्वारा क्षेत्र के दौरों को मानक रूप दिया गया है तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी करने में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भूमिका के साथ–साथ आईसीडीएस स्कीम में सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर न्यूनतम दौरे निर्धारित किए गए हैं। राज्य तथा केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/पर्यवेक्षण दौरे के दौरान निगरानी/पर्यवेक्षण किये जाने वाले अनेक पहलुओं की जांच–सूची भी उनके मार्गदर्शन हेतु निर्धारित की गई है।

3.64 आंगनवाड़ी सेवाओं की प्रदायगी में बेहतर गुणवत्ता पर जोर देते हुए आंगनवाड़ी सेवाओं के सार्वभौमिकरण के व्यापक संदर्भ में केंद्रीय स्तर पर और अंगनवाड़ी स्तरों तक 5–स्तरीय समीक्षा पद्धति आरंभ की गई है। पद्धति को सहभागितापूर्ण तथा पारदर्शी बनाने के लिए लोक प्रतिनिधि (सांसद/विधायक /पंचायती राज संस्थागओं) को भी निगरानी समितियों में शामिल किया गया है।

VII. किशोरियों के लिए स्कीम

3.65 महिलाओं के जीवन में किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। यह अवस्था बाल्यावस्था और नारीत्व के बीच की मध्यवर्ती स्थिति होती है और यह मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से विकास के लिए बेहद घटनापूर्ण चरण होता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जीवन–चक्र दृष्टिकोण तब अनसुलझा रह जाता है जब मानव संसाधन विकास के लिए लक्षित किशोरियों को विकासपरक कार्यक्रमों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। किशोरियों के लिए विशेष उपाय के रूप में सबला नामक स्कीम वर्ष 2010 में पोषण तत्वों के अंतर्जन्य जीवन–चक्र और लिंगपरक विषमता को तोड़ने के उद्देश्य से विकसित की गई थी जिससे किशोरियों को स्वविकास के लिए सहायक परिवेश उपलब्ध कराया जा सके। स्कूल छोड चुकी किशोरियों (11–14 वर्ष) की बहु–आयामी जरूरतों को साकार करने और इन बालिकाओं को स्कूली प्रणाली में प्रवेश हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पुनर्गठित किशोरियों के लिए स्कीम (एसएजी) के जरिए वर्ष 2017–18 में 11–14 वर्ष की आयु समूह की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों पर ही ध्यान केंद्रित करने की योजना तैयार की है।

3.66 **स्कीम का उद्देश्यः** स्कीम का प्रमुख उद्देश्य किशोरियों को सुविधा प्रदान करना, शिक्षा देना और अधिकार देना है जिससे वे आत्मनिर्भर और सजग नागरिक बन सकें। स्कीम के उद्देश्य निम्नवत हैं:

I. स्व–विकास और सशक्तीशकरण के लिए किशोरियों को सक्षम बनाना;

II. उनकी पोषण और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार लाना;

III. स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना;

IV. स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक/स्कूली शिक्षा अथवा शिक्षण/कौशल प्रशिक्षण को पूरा करना

V. उनकी गृह आधारित कौशल और जीवन–कौशल को अपग्रेड करना;

VI. मौजूदा जन सेवाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल/सीएचसी, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना।

3.67 **भौगोलिक कवरेजः** शुरू में 205 जिलों में क्रियान्वित की जा रही किशोरियों के लिए स्कीम (एसएजी) का चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया गया है जिससे देश के सभी जिलों को शामिल किया जा सके। चरणबद्ध विस्तार का पैटर्न इस प्रकार है :

- **चरण 1** : वर्ष 2017–18 में एनएनएम के तहत पहचान किए गए अतिरिक्त 303 बेहद समस्याग्रस्त जिलों में विस्तार किया जाएगा।
- **चरण 2** : 1 अप्रैल, 2018 से स्कीम का विस्तार देश के सभी जिलों में किया जा चुका है।
- **लक्षित समूहः** 11–14 वर्ष की आयु समूह की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियां।
- **प्लेटफार्म** : यह स्कीम आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

3.68 **सेवाएंः** किशोरियों को निम्नलिखित सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता हैः

i) पोषण प्रावधान

ii) आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) अनुपूरण

iii) स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं

iv) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएचई)

v) औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए स्कूल न जाने वाली लड़कियों को मुख्य धारा में लाना

vi) जीवन कौशल शिक्षा, परामर्श आदि।

3.69 सेवाओं की रुपरेखा बनाते समय किशोरियों (शारीरिक, शारीरिक क्रियात्मक और स्वास्थ्य) की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इस स्कीम के दो घटक हैं अर्थात पोषण और गैर–पोषण।

3.70 स्कीम के तहत सेवाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

- **पोषाहार घटकः** स्कीम के तहत पंजीकृत 11–14 वर्ष की आयु वर्ग की प्रत्येक स्कूल न जाने वाली किशोरियों को वर्ष में 300 दिनों के लिए 600 कैलोरी, 18–20 ग्राम प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। पोषण टेक–होम राशन (टीएचआर) या गर्म पके भोजन (एचसीएम) जो भी संभव हो, के रूप में दिया जाता है।
- **पोषण की लागतः** पोषण घटक के लिए वित्तीय मानदंड एक वर्ष में 300 दिनों के लिए 50/– प्रति लाभार्थी प्रति दिन 9 रुपये है। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन की लागत शामिल है।
- **फंडिंग पैटर्नः** भारत सरकार और विधान सभा वाले राज्य/ संघ शासित क्षेत्र के लिए पूरक पोषण की लागत को 50:50 के अनुपात में साझा करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और संघ शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 के अनुपात में है और संघ शासित क्षेत्रों (बिना विधान सभा वाले) को केंद्रीय निधि से 100% वित्त पोषित किया जाता है।
- **गैर–पोषण घटकः** इस स्कीम का उद्देश्य 11–14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूली छात्राओं को गैर–पोषण घटक के तहत औपचारिक स्कूली शिक्षा में वापस जाने के लिए प्रेरित करना है। गैर–पोषण घटक के तहत अन्य सेवाओं में आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा और परामर्श शामिल हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा मामले और खेल, पंचायती राज आदि की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत सेवाओं के अभिसरण पर जोर देने की आवश्यकता है ताकि वांछित प्रभाव प्राप्त किया जा सके।
- पैरा 3.87 क्र.सं. (ii) से (vi) में ऊपर सूचीबद्ध गैर–पोषण सेवाएं स्कूल न जाने वाली किशोरियों (11–14 वर्ष) के लिए रु प्रति परियोजना/वर्ष 1.1 लाख संबंधित विभागों के साथ अभिसरण स्थापित करके प्रदान किया जाता है। स्कीम के तहत विभिन्न गैर–पोषण सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को नियुक्त किया जा सकता है।

- **फंडिंग पैटर्नः** गैर–पोषण घटक के तहत भारत सरकार और विधान सभा वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लागत को 60:40 के अनुपात में साझा करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और संघ शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा 90:10 के अनुपात में है और संघ शासित प्रदेशों (बिना विधानमंडल वाले) को केंद्रीय निधि से 100% वित्त पोषित किया जाता है।

3.71 **अभिसरणः** स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा कार्यक्रम एवं खेल, पंचायती राज आदि की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत सेवाओं के अभिसरण पर बल दिया जाता है ताकि वांछित प्रभाव प्राप्त किया जा सके। विशेष रूप से, स्कीम के तहत प्रस्तावित छह सेवाओं में से तीन, अर्थात i) आईएफए गोलियों की आपूर्ति सहित आईएफए पूरकता, ii) स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, iii) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ अभिसरण स्थापित करके प्रदान की जाती हैं। औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश/पुनःप्रवेश एवं ऐसा करने की प्रेरणा हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से समन्वय स्थापित किया जाता है। जीवन कौशल शिक्षा और अन्य हस्तक्षेपों को युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीवाईएडी), युवा मामले और खेल मंत्रालय के मौजूदा युवा क्लबों के साथ अभिसरण की आवश्यकता है। पीआरआई सामुदायिक निगरानी और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए शामिल है।

3.72 किशोरियों के लिए स्कीम में संशोधन

स्कीम के कार्यान्वयन के बाद, किशोरियों के लिए स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या में गिरावट देखी गई। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने के कारण था। आरटीई अधिनियम 11–14 वर्ष की आयु समूह में किशोरियों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का कानूनी अधिकार प्रदान करता है और इस समूह की सभी किशोरियाँ स्कूल जाने की हकदार हैं। इसलिए, 2022–23 से किशोरियों के लिए स्कीम को संशोधित किया गया है और इसे सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत शामिल किया गया है। पिछली स्कीम के समान लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ, 2022–23 से संशोधित स्कीम असम सहित राज्यों के आकांक्षी जिलों में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को कवर कर रही है; इसके बजाय पहले की स्कीम में सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों 11–14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूली लड़कियों को ही शामिल किया गया था। स्कीम के पोषण घटक के तहत लागत मानदंड, वर्ष में 300 दिनों के लिए प्रति लाभार्थी प्रति दिन 9.5/– रुपये की दर से जारी रहेगा। गैर–पोषण घटक के उद्देश्यों को विभिन्न मंत्रालयों के साथ अभिसरण के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। पोषण ट्रैकर पर स्कीम की निगरानी की जा रही है।

3.73 इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि 11–14 वर्ष की आयु वर्ग की सभी किशोरियों का स्कूलों में नामांकन हो, मंत्रालय ने मार्च, 2022 में एक अभियान "कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव" भी शुरू किया, जिसमें सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आरटीई अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से 11–14 वर्ष की आयु समूह में स्कूल न जाने वाली सभी किशोरियों को नामांकित करने का अनुरोध किया गया था।

3.74 वित्त वर्ष 2021–22 के लिए स्कीम के तहत राज्यवार वित्तीय उपलब्धियां **अनुलग्नक–XVI** में हैं। स्कीम के तहत शामिल राज्य–वार लाभार्थी **अनुलग्नक –XVII** में हैं और किशोरियों के लिए स्कीम के तहत 31.12.2022 तक पोषण ट्रैकर पर रिपोर्ट किए गए लाभार्थियों को **अनुलग्नक**– XVIII में रखा गया है।

4

बाल संरक्षण एवं कल्याण

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

बाल संरक्षण एवं कल्याण

4.1 भारत के संविधान में बालकों की सुरक्षा और बेहतरी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बच्चे भारत की कुल जनसंख्या (जनगणना 2011) का लगभग 39 प्रतिशत भाग हैं। हमारे देश के नीति निर्माताओं द्वारा यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि बच्चों की आजीविका, शिक्षा, सुरक्षा तथा समग्र बेहतरी के लिए किए गए निवेश गरीबी के निरंतर चक्र को तोड़ने में मदद करते है और देश का सामूहिक विकास सुनिश्चित करते हैं। भारत जैसे विशाल देश में, बच्चे गुणवत्तापरक देखरेख, शिक्षा और बाल संरक्षण सेवाओं का मूल्यांकन करने के संबंध में कई प्रकार की संवेदनशीलताओं का सामना करते है। इसके अलावा, प्रतिदिन नई–नई चुनौतियां सामने आ रही है जैसे कि बच्चों का आनलाइन शोषण, मौसम परिवर्तन और प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाएं जो कि बच्चों की संवेदनशीलता में और अधिक वृद्धि करती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा ओर बेहतरी को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

I. बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए कानून, नीति और कार्यक्रम

क. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

4.2 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), एक सांविधिक निकाय, की स्थापना संसद के अधिनियम (दिसंबर, 2005) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत मार्च, 2007 में की गई। आयोग को यह सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं भारत के संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते (एनसीपीसीआर पर अधिक विवरण के लिए, कृपया इस रिपोर्ट का **अध्याय 9** देखें) में प्रतिस्थापित बालक अधिकार परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हों।

ख. बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरसी)

4.3 भारत ने 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरसी) को स्वीकार किया। कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, कन्वेंशन के अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत को कन्वेंशन के तहत अपने प्रतिबद्धता को प्रभावी करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर समय–समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की जाती हैं। कंट्री रिपोर्ट सभी क्षेत्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और अन्य नागरिक समाज के साथ–साथ समुदाय और बच्चों को शामिल करके तैयार की जाती है। मंत्रालय रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और अन्य नागरिक समाज–सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के साथ परामर्श भी करता है।

ग. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012

4.4 बाल शोषण के मामलों से निपटने के लिए, संसद ने एक विशेष कानून यानी 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012' पारित किया था। यह अधिनियम 14 नवंबर, 2012 को उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ लागू हुआ। अधिनियम बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। यह अधिनियम लैंगिक रूप से तटस्थ है और सभी बच्चों को

यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके प्रावधानों के तहत किए गए अपराध को 'गंभीर' माना जाता है, जब वह किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे पर विश्वास या अधिकार की स्थिति में किया जाता है, जैसे कि सुरक्षा बलों का सदस्य, लोक अधिकारी, लोक सेवक आदि। न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि रखते हुए अधिनियम के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए अधिनियम विशेष न्यायालयों की स्थापना को अधिदेशित करता है। अधिनियम में साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, जांच और अपराधों के परीक्षण की रिपोर्टिंग के लिए बाल अनुकूल प्रक्रियाएं शामिल हैं।

4.5 अपराधों/शिकायतों की सूचना देने को सुविधाजनक बनाने के लिए माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2016 को नई दिल्ली में ई–बॉक्स की शुरूआत की गई। पॉक्सो ई–बॉक्स बालकों पर होने वाले यौन अपराधों की सीधे और आसान तरीके से सूचना देने तथा पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराधियों के विरूद्ध समयबद्ध कार्यवाही करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है।

4.6 बच्चों के विरुद्ध अपराध की बढ़ती दर और बच्चों के खिलाफ नए प्रकार के यौन अपराधों की घटनाओं को देखते हुए, पोक्सोव अधिनियम, 2012 के प्रावधानों की समीक्षा और संशोधन करना अनिवार्य हो गया है। तदनुसार, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 को इस मंत्रालय द्वारा 16 अगस्त, 2019 से प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचित किया गया था।

4.7 इस अधिनियम में संशोधित प्रावधानों के एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सीअल असाल्ट9 के मामलों में मौत की सजा को संभावित सजा के रूप में पेश किया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा और उसके अनुरूप सजा भी शुरू की गई है। प्राकृतिक आपदाओं के समय संवेदनशील बच्चों के हितों की रक्षा और उनके खिलाफ यौन अपराध करने पर बच्चों की जल्दी यौन परिपक्वता के लिए रासायनिक पदार्थ के लिए सजा के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

घ. पॉक्सो नियम, 2020

4.8 पोक्सो अधिनियम, 2012 में संशोधन के बाद पोक्सो नियमों की समीक्षा की गई। सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने और विस्तृत विचार–विमर्श के बाद, पोक्सो नियम, 2012 की जगह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) नियम, 2020 को अनुमोदित और अधिसूचित किया गया। पोक्सो अधिनियम, 2012, 2019 में यथासंशोधित और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हितधारक मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ समन्वय।

4.9 मंत्रालय उपयुक्त कार्रवाई के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ समन्वय कर रहा है, जिसका उद्देश्य पोक्सो अधिनियम के तहत बाल पीड़ितों के लिए अधिक जागरूकता, त्वरित न्याय और बेहतर सेवाएं देना भी है। पॉक्सो अधिनियम और अन्य अनुपालनों पर जागरूकता पैदा करने के लिए सचिव, डब्ल्यूसीडी द्वारा मंत्री के स्तर पर मुख्यमंत्रियों, सांसदों और स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे गए थे।

4.10 मंत्रालय ने सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रधान सचिवों/सचिवों से भी अनुरोध किया था। पोक्सो अधिनियम के अनुसार, सहायक व्यक्तियों की भर्ती राज्य की जिम्मेदारी है। इसके अलावा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों से अनुरोध किया कि वे बाल सुरक्षा और बाल यौन शोषण की रोकथाम के मुद्दे पर स्कूलों में जागरूकता और संवेदीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और बाद में अनुवर्ती अनुस्मा रकों का अनुपालन करें।

4.11 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुरोध पर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने हर स्कूल में बाल सुरक्षा पर एक लघु फिल्म 'कोमल' दिखाना शुरू किया। समग्र शिक्षा के तहत स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा शुरू की गई है। निष्ठा, एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसका उद्देश्य 42 लाख शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूलों के प्रमुखों, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण

परिषद (एससीईआरटी), ब्लॉक संसाधन समन्वयकों के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करना है। (बीआरसी) और क्लस्टर संसाधन समन्वयक (सीआरसी) अगले वित्तीय वर्ष तक प्रक्रिया में हैं। एनसीईआरटी ने हर पाठ्यपुस्तक में चाइल्डलाइन नंबर 1098 और पॉक्सो ई–बॉक्स का संदर्भ प्रकाशित किया है। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों को अपने नोटिस बोर्ड या स्कूलों में किसी अन्य प्रमुख स्थान पर पोक्सो पर जागरूकता सामग्री प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया है। स्कूलों में बाल सुरक्षा और बाल यौन शोषण की रोकथाम पर उचित संदेश के साथ स्कूल सुरक्षा शपथ भी ली जा रही है।

4.12 मंत्रालय द्वारा जांच में तेजी लाने और कर्मियों को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए गृह मंत्रालय को विश्वापस में लेने के प्रयास किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 से संबंधित मामलों में जांच को समय पर पूरा करने के लिए 'यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली' पोर्टल विकसित किया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) कर्मियों के संवेदीकरण के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे इन पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों को भेजें और पोक्सो मामलों की जांच समय पर पूरी करें।

4.13 पोक्सो अधिनियम के अनुसार त्वरित परीक्षण करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में नामित करेगी। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में, और निर्भया कोष के सहयोग से न्याय विभाग ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (एफटीएससी) योजना तैयार की, जिसके तहत कुल 1023 न्यायालय स्थापित किए जाने हैं। इन न्यायालों में से 389 जिलों में विशेष पोक्सो कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां पोक्सो के तहत लंबित मामलों की संख्या 100 से अधिक है। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि शेष 634 एफटीएससी बलात्कार के मामलों के साथ–साथ पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के अनुसार स्थापित किए जाएंगे।

ड. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

4.14 भारत सरकार ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में यथा संशोधित) में संशोधन किया, जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख कानून है। अधिनियम देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, विकास, उपचार और सामाजिक पुनः एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके की सुरक्षा प्रदान करता है। यह बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए देखरंख और सुरक्षा के मानकों को परिभाषित करता है। अधिनियम के तहत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम और दत्तक ग्रहण विनियम भी घोषित किए गए हैं। मंत्रालय ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) को अधिसूचित किया है, जो 01.09.2022 से लागू है। मंत्रालय ने 01.09.2022 को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 और 23.09.2022 को दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 को भी अधिसूचित किया है। इसके साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करने और दत्तक ग्रहण के मामलों का निर्णय लेने का अधिकार देता है। संशोधन में बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तों को भी शामिल किया गया है।

II. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के

कल्याण, सुरक्षा और रचनात्मक विकास सुनिश्चित करने के लिए चल रही बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्कीम को समाहित करते हुए बाल विकास के विभिन्न पहलुओं को हल करने के लिए मिशन वात्सल्य स्कीम शुरू की है।

4.15 मिशन वात्सल्य का उद्देश्य बच्चों के लिए एक संवेदनशील, सहायक और समकालिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है क्योंकि वे विभिन्न आयु और अपने विकास के चरणों को पार करते हैं। यह देश के सभी जिलों में बाल कल्याण और संरक्षण समितियों के संस्थागत ढांचे

और वैधानिक और सेवा वितरण संरचनाओं को मजबूत करके किया जाने की परिकल्पना की गई है। जबकि कठिन परिस्थितियों में बच्चों को वैधानिक और सेवा वितरण संरचनाओं द्वारा संबोधित किया जाना है, स्थानीय विकास योजनाओं और संबंधित बजटों के साथ एकीकृत सामुदायिक स्तर पर बाल कल्याण और संरक्षण के मुद्दों पर समान जोर दिया जाना है। इस प्रकार, यह परिकल्पना की गई है कि संस्थागत ढांचे के तहत समितियां समर्थन, जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण और समुदाय में एक मजबूत बाल अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए निवारक उपायों के मामले में वैधानिक और सेवा वितरण संरचनाओं का पूरक होंगी।

4.16 मिशन वात्सल्य उन बच्चों को निवारक, वैधानिक देखभाल और पुनर्वास प्रदान करता है जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है और जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित कानून उल्लंघन करते हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जो बच्चों के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के तहत अधिदेशित सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता। इस प्रकार, अधिनियम के निष्पादन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

4.17 स्कीम बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए निवारक कार्रवाई को सुदृढ़त करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। इसका उद्देश्य स्कीम के तहत जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण करते हुए बच्चों और उनकी देखरेख करने वालों को बुनियादी स्तर पर सहायता प्रदान करना है।

4.18 मिशन वात्सल्य के अंतर्गत प्रमुख घटक/सेवाएं हैं:

क. **वैधानिक निकाय:** बाल कल्याण समितियाँ (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजबी) और विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ (एसजेपीयू)।

ख. **सेवा प्रदायगी संरचनाएं:** राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस), राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए), जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू)।

ग. **संस्थागत सेवाएं:** बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां, खुले आश्रय, निरीक्षण गृह, दिव्यांग विकलांग बच्चे, एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चे, मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित बच्चे आदि) को विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए एक इकाई भी स्कीम के तहत बनाई गई है। उम्र, लिंग या बच्चों की विशेष जरूरतों के आधार पर अलग–अलग बाल गृह राज्य/जिला द्वारा स्थापित/समर्थित किए जा सकते हैं और उनमें बुनियादी ढांचे और सेवाओं के मामले में समान सुविधाएं होंगी। सीसीआई या तो पचास (50) बच्चों या पच्चीस (25) बच्चों के लिए हो सकता है, जो किसी विशेष क्षेत्र में बच्चों की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

घ. **परिवार आधारित गैर–संस्थागत देखरेख:** मिशन वात्सल्य अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार आधारित गैर–संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देता है। मिशन गैर–संस्थागत देखरेख के निम्नलिखित तरीकों से बच्चों का समर्थन करता है:

i) **प्रायोजन:** विस्तारित परिवारों/जैविक रिश्तेदारों के साथ रहने वाले संवेदनशील बच्चों को उनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ii) **पालन–पोषण की देखरेख:** बच्चे की देखरेख, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एक असंबद्ध परिवार द्वारा बच्चे की जिम्मेदारी उठाई जाती है। बच्चे के पालन–पोषण के लिए जैविक रूप से असंबंधित पालक माता–पिता को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iii) **दत्तकग्रहण:** दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से मुक्त पाए गए बच्चों के लिए परिवार

खोजना। विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां (एसएए) दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करती हैं।

iv) **देखरेख के बाद (ऑफ्टर केयर):** 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बाल देखरेख संस्थान छोड़ने वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा में पुनः एकीकरण की सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऐसी सहायता 18 वर्ष की आयु से 21 वर्ष तक दी जाती है, जिसे 23 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है ताकि उसे आत्म–निर्भर बनने में मदद मिल सके।

राज्य सरकार को स्पॉन्सरशिप या फोस्टर केयर या आफ्टर केयर के लिए प्रति बच्चा प्रति माह 4000/– रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है।

ड. **वात्सल्य सदन:** वात्सल्य सदन किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एकल परिसर के भीतर स्थित जेजेबी और सीडब्ल्यूसी के साथ–साथ सीसीआई (बाल गृह, अवलोकन गृह, विशेष गृह, सुरक्षा का स्थान) का एक एकीकृत गृह परिसर है। प्रत्येक गृह में 50 और 25 बच्चों के लिए वात्सल्य सदन (एकीकृत गृह परिसर) स्थापित किया जा सकता है। "वात्सल्य सदन" का लाभ व्यवधान से बचने/न्यूनतम करने, मामले की जरूरतों के लिए यात्रा के समय और सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

च. **24 घंटे टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से संकट/कठिन परिस्थितियों** में बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच फोन सेवाएं।

छ. **प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण** – बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे सभी हितधारकों के लिए।

4.19 वर्ष 2022–23 के दौरान, मंत्रालय ने पूरे भारत में 1614 गृहों, 390 विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) और 241 खुले आश्रयों की सहायता की थी, जिससे 76,118 लाभार्थी लाभान्वित हुए थे। संस्थागत सेवाओं के अलावा, अब तक 753 बाल कल्याण समितियों और 727 किशोर न्याय बोर्डों का गठन किया गया है, जैसा कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा बताया गया है।

4.20 वित्त वर्ष 2021–22 से 2022–23 के लिए बाल संरक्षण सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता की स्थिति इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की संख्या	बजट आवंटन (बीई)	वास्तविक निर्मुक्ति
2021-22	36	900.00	761.18
2022-23	36	1472.17	441.96 (31.12. 2022 तक)

वित्त वर्ष 2021–22 और 2022–23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान निधि वितरण का विवरण **(अनुलग्नक XIX)।*

क. ट्रैक चाइल्ड और खोया पाया

4.21 ट्रैक चाइल्ड पोर्टल को वर्ष 2012 से क्रियाशील बनाया गया है। यह पोर्टल पुलिस थानों में रिपोर्ट किए जा रहे 'गुमशुदा' बच्चों का उन 'पाए गए' बच्चों से मिलान की सुविधा प्रदान करता है जो बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) में रह रहे हैं। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल का वेब पता www.trackthemissingchild.gov.in है। पोर्टल को संबंधित हितधारकों नामतः पुलिस स्टेशनों, बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई), बाल कल्याण समितियों (सी डब्ल्यूसी), और किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) आदि द्वारा अपडेट किया जाता है। 31 दिसंबर 2022 तक, सभी 12,767 पुलिस स्टेशनों में प्रविष्टियां की जा रही हैं। ट्रैकचाइल्ड पोर्टल में लापता/बरामद हुए बच्चे और 5,272 चाइल्ड केयर संस्थान बच्चों का विवरण दर्ज कर रहे हैं। इसकी स्थापना के बाद से, सिस्टम के माध्यम से 3,77,177 बच्चों का मिलान किया गया है। 12,767 पुलिस थानों ने 5,24,130 लापता बच्चों और 4,15,925 बरामद बच्चों की जानकारी दर्ज की है। पोर्टल में खोया–पाया का भी प्रावधान है– जो लापता और साथ ही देखे गए बच्चों की जानकारी को होस्ट करता है। इसे जून 2015 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की सहायता से लॉन्च किया गया

था, जहां नागरिक, माता–पिता और अभिभावक बिना समय गंवाए लापता बच्चे की रिपोर्ट कर सकते हैं।

ख. चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा

4.22 मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन को राज्य और जिला अधिकारियों के समन्वय से चलाया जाएगा और एमएचए की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 (ईआरएसएस–112) के साथ एकीकृत किया जाएगा। मंत्रालय ने उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सी–डैक), केरल को सौंपा है जो चाइल्ड हेल्पलाइन –1098 के स्वचालन और ईआरएसएस–112 के साथ एकीकरण के लिए कुल समाधान प्रदाता (टीएसपी) के रूप में कार्य करेगा। 15–16 दिसंबर, 2022 को तिरुवनंतपुरम में चाइल्ड हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन के स्वचालन पर जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए सी–डैक द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला – 'एईजीआईएस–2022' का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य संकट में फंसी महिलाओं और बच्चों के लिए सहायता और सहायता मांगने वाली 24x7 हेल्पलाइन सेवाओं के लिए मंत्रालय द्वारा नियोजित नई प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर था।

4.23 वर्तमान में चाइल्डलाइन सेवाएं 569 जिलों में उपलब्ध हैं और चाइल्ड हेल्प डेस्क 137 रेलवे स्टेशनों और 11 बस स्टैंडों पर काम कर रहा है। चाइल्डलाइन ने 52,87,659 कॉल (1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच) का जवाब दिया है, जिनमें से विभिन्न प्रकार के 3,60,150 कॉल प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से संबंधित हैं।

ग. निम्हान्स के साथ सहयोग

4.24 मंत्रालय ने निम्हान्स के साथ सहयोग किया है जिसने बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन केंद्र "संवाद" (कमजोर परिस्थितियों और संकट में बच्चों के लिए समर्थन समर्थन और मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप) की स्थापना की है। संवाद 4 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों अर्थात् मानसिक स्वास्थ्य, देखरेख और संरक्षण, शिक्षा और नीति और कानून पर काम कर रहा है। 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 के दौरान, संवाद 33 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कुल 27,940 हितधारकों तक विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से और वर्चुअल नॉलेज नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से आयोजित सार्वजनिक प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से पहुंचा है।

घ. क्षमता निर्माण के लिए एलबीएसएनएए के साथ सहयोग

4.25 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के साथ साझेदारी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) भारत में किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए एक पायलट के साथ शुरू करने के लिए कई हितधारकों की क्षमता निर्माण की पहल पर काम कर रही है। उत्तराखंड में परियोजना इस संदर्भ में, एलबीएसएनएए के तहत नेशनल जेंडर सेंटर (एनजीसी ने 'बाल अधिकारों के साथ किशोर न्याय अधिनियम पर विशेष ध्यान देने' पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित और डिजाइन किया है। सिविल सेवकों के लिए क्षमता–निर्माण कार्यक्रम 'मिशन कर्मयोगी' के हिस्से के रूप में "आईजीओटी" जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक प्रसार के लिए यह कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उद्देश्य भर्ती के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी स्तरों पर" प्रशिक्षण तंत्र को अपग्रेड करना है। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता और इक्विटी के साथ भारत में जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए प्रतिफल और कार्रवाई की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाना है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम के सत्यापन के लिए एक कार्यशाला एलबीएसएनएए द्वारा 29–30 दिसंबर, 2022 को मसूरी में 'बाल अधिकार अधिनियम पर विशेष ध्यान देने के साथ बाल अधिकार' का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मंत्रालय, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तराखंड की राज्य सरकारों, एनसीपीसीआर, निम्हान्स, एनआईपीसीसीडी, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ङ. ई–संपर्क

4.26 देश भर में भारत सरकार द्वारा संचालित या

वित्तपोषित बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) में रहने वाले बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन परामर्श प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी के बीच ई–संपर्क कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 70,000 बच्चों वाले लगभग 2,100 बाल देखरेख संस्थान इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। यह पहल कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीसीआई में रहने वाले बच्चों को शारीरिक गतिविधि पर कोविड संबंधी बाधाओं से प्रभावित हुए बिना विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह उपलब्ध कराई जा सके।

च. एनसीपीसीआर द्वारा सीसीआई का सोशल ऑडिट

4.27 वर्ष 2007 के डब्ल्यूपी (सीआरएल) 102 तमिलनाडु राज्य में अनाथालयों में बच्चों का शोषण बनाम संघ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 05.05.2017 के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश भर में 7,163 बाल देखरेख संस्थानों (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर जहां किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015)) लागू नहीं था और लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश, जहां कोई सीसीआई मौजूद नहीं था) का सोशल ऑडिट किया। दिनांक 06.03.2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय को एक राष्ट्रीय रिपोर्ट के साथ–साथ सामाजिक लेखापरीक्षा की राज्य रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। महिला एवं बाल विकास सचिव ने अ.शा. पत्र संख्या 30/67/2019–सीडब्ल्यू–II दिनांक 31.8.2020 के माध्यम से जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 41 के अनुसार सीसीआई के पंजीकरण के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से पूछा है। माननीय मंत्री ने भी लिखा है जेजे अधिनियम के तहत सीसीआई के पंजीकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी सांसदों और विधायकों को अ.शा. पत्र और उन संस्थानों के खिलाफ भी जो आवश्यकता का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। राज्यों को नियमित रूप से स्थिति की निगरानी करने और हर साल 15 जनवरी और 15 जुलाई को सूचना देने को कहा गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपंजीकृत संस्थानों को बंद करने और निवासियों के लिए उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए बार–बार कहा था। जेजे एक्ट के तहत 5,913 सीसीआई पंजीकृत किए गए हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे जिला मजिस्ट्रेटों/उप कलेक्टरों की देखरेख में सीसीआई का निरीक्षण सुनिश्चित करें और सीसीआई को चलाने वाली सभी एजेंसियों की पृष्ठभूमि का सत्यापन और सीसीआई के साथ लगे कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करें।

छ. पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम

4.28 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 मई 2021 को उन बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई थी, जिन्होंने कोविड–19 महामारी के कारण माता–पिता या जीवित माता–पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता–पिता दोनों को खो दिया है। योजना का उद्देश्य निरंतर तरीके से बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी कल्याण को सक्षम बनाना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और उन्हें 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना है। यह स्कीम एक ऑनलाइन पोर्टल यानी pmcares for Children-in के माध्यम से उपलब्ध है। दिनांक 30.05.2022 को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत बच्चों को मिलने वाले सभी लाभों और सेवाओं को जारी किया।

4.29 पोर्टल पर कुल 9042 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4345 आवेदन दर्ज किए गए हैं। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन चुने के बच्चों के खाते में 341.87 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। सभी पात्र बाल आवास और आवास और शिक्षा की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एकमुश्त राशि के हस्तांतरण के लिए डाक लाभ खोले गए हैं। नए पीएम–जय कार्ड भी सौंपे गए।

4.30 सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिनांक 27.12.2022 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें बच्चों

के नए मामलों को अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया था, जो स्कीम के तहत लाभ प्रदान करने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित बाल स्कीम के लिए पीएम केयर के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र पाए गए हैं। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे सुनिश्चित करें कि कोविड–19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

ज. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और उसके तहत नियमों और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 पर राष्ट्रीय प्रसार कार्यशाला 17.08.2022 और 29.08.2022 को विज्ञान भवन में माननीय मंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, 17 संबंधित मंत्रालयों, पुलिस, निमहांस, एनसीपीसीआर, बाल कल्याण समितियों/किशोर न्याय बोर्डों के सदस्यों सहित बाल संरक्षण अधिकारियों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित की गई थी।

झ. बाल संरक्षण प्रणाली/तंत्र को सुदृढ़ करने पर कार्यशाला:

4.31 जम्मू–कश्मीर में बाल संरक्षण प्रणाली/तंत्र को मजबूत करने के लिए जम्मू–कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यू) के सहयोग से 15.11.2022 से 18.11.2022 तक एक दौरा/बैठकों/कार्यशालाओं का दौरा किया गया। बैठक में बीपीआरएंडडी, एमएचए, कारा, जम्मू और कश्मीर पुलिस, डीसीपीओ और जम्मू–कश्मीर के डीसीपीयू सदस्यों, सीसीआई चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों और यूनिसेफ के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ञ. दिव्यांग व्यक्ति:

4.32 यह मंत्रालय 31.12.2022 तक बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्कीम के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 224 बाल गृहों में विशेष आवश्यकता वाले 5,843 बच्चों की सहायता करता है (**अनुलग्नक XX**)।

ट. पुरस्कार प्रदान करना

4.33 भारत सरकार बच्चों को राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक मानती है। उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को स्वीकार किया जाना है और उनकी उपलब्धियों को पुरस्कृत किया जाना है। मंत्रालय पिछले कई दशकों से मेधावी बच्चों और व्यक्तियों/संस्थाओं को पुरस्कार दे रहा है। इसके लिए, समर्पित व्यक्तियों और संस्थानों के योगदान को पहचानने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को 1979 से राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार दिए जा रहे थे, जिनके अथक प्रयासों ने बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों को पूरा किया। इसके अलावा, 1996 से विभिन्न क्षेत्रों जैसे नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों, सामाजिक सेवा, कला और संस्कृति और खेल में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जा रहे थे।

4.34 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत भारत में पांच वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों, खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्रों में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए मान्यता के रूप में पुरस्कार दिए जाते हैं। समाज सेवा और बहादुरी, जो मान्यता के योग्य है। पुरस्कार विजेता को सम्मानित किया जाता है और पदक, प्रमाण पत्र और रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक लाख और अन्य चीजें.. पुरस्कारों पर विचार के लिए, बच्चे की उपलब्धि एकबारगी नहीं होनी चाहिए बल्कि एक समयावधि में की जानी चाहिए। उपलब्धियां संबंधित क्षेत्र में बच्चे के जुनून का संकेत होना चाहिए और विशेष क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य का संकेत होना चाहिए।

4.35 वर्ष 2023 से, मंत्रालय ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए सभी पुरस्कारों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए एकीकृत पोर्टल 'www.awards.gov.in' पर पुरस्कारों के आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित करना शुरू कर दिया है।

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	राज्य
1	आदित्य सुरेश	कला एवं संस्कृति	केरल
2	आदित्य प्रताप सिंह चौहान	नवाचार	छत्तीसगढ़
3	अनुष्का जॉली	सामाजिक सेवा	दिल्ली
4	हनाया निसार	खेल	जम्मू एवं कश्मीर
5	कोलागातला अलाना मीनाक्षी	खेल	आंध्र प्रदेश
6	एम.गौरवी रेड्डी	कला एवं संस्कृति	तेलंगाना
7	ऋषि शिव प्रसन्ना	नवाचार	कर्नाटक
8	रोहन रामचंद्र बहिर	बहादुरी	महाराष्ट्र
9	सांभब मिश्रा	कला एवं संस्कृति	ओडिशा
10	शौर्यजीत रंजीतकुमार खैरे	खेल	गुजरात
11	श्रेया भट्टाचार्जी	कला एवं संस्कृति	असम

ठ. उपलब्धियां

संवाद और समाज कल्याण विभाग, मिजोरम सरकार के सहयोग से, निपसिड नई दिल्ली के सहयोग से जिला बाल संरक्षण इकाई के परामर्शदाताओं के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

एलबीएसएनएए द्वारा 29–30 दिसंबर, 2022 को मसूरी में 'बाल अधिकार अधिनियम पर विशेष फोकस करते हुए बाल अधिकार' के ऑनलाइन पाठ्यक्रम के सत्यापन के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

4.36 माननीय मंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, दिल्ली में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और उसके तहत बनाए गए नियमों और दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 पर राष्ट्रीय प्रसार कार्यशाला आयोजित की गई।

जम्मू–कश्मीर और छत्तीसगढ़ के सीसीआई में स्वच्छता कार्य योजना और योग दिवस के लिए अभियान

4.37 15–16 दिसंबर, 2022 को तिरुवनंतपुरम में 'चाइल्ड हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन के स्वचालन पर जागरूकता और क्षमता निर्माण' के लिए सी–डैक द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला – 'एईजीआईएस–2022'।

5

जेंडर बजटिंग

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

जेंडर बजटिंग

5.1 जेंडर बजटिंग, बजट बनाने का एक दृष्टिकोण है जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन चक्र के सभी चरणों में एक जेंडर परिप्रेक्ष्य को समेकित करता है। जेंडर बजटिंग का संबंध जेंडर उत्तरदायी कानूनों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और स्कीमों के निरूपण, संसाधन आवंटन, कार्यान्वयन, निगरानी समीक्षा लेखा परीक्षा और कार्यक्रमों और स्कीमों के प्रभाव के आंकलन से है। भारत में जेंडर बजटिंग (जिसे इसके बाद जीबी कहा गया है) को अपनाना इस मान्यता का परिणाम था कि सरकारी बजटीय आवंटन और परिणाम का विविध जेंडर पर विशेष प्रभाव है। यह सरकारी राजस्व और सार्वजनिक व्यय को अंतर लैंगिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरा करने को सुनिश्चित करते हुए लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीति है।

5.2 भारत सरकार सन् 2000 शुरुआत से जेंडर बजटिंग (जीबी) का क्रियान्वयन करता आ रहा है। विगत वर्षों के दौरान सरकार ने लैंगिक समानता में सुधार के लिए कई वित्तीय, विनिमयन और संरचनात्मक नीतियां तथा कार्यक्रम चलाए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीबी के नोडल मंत्रालय के रूप में इस बात पर बल दिया है कि लैंगिकता से तात्पर्य केवल महिलाओं और बालिकाओं के लिए निधियों को अलग रखना ही नहीं है बल्कि परिवर्तनीय वित्तपोषण के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक प्रभाव सृजित करना भी है।

5.3 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का अपना अधिदेश होने के कारण पर्याप्त जेंडर बजट है। मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के जेंडर बजट विवरण में 16,088.71 करोड़ रुपये का आवंटन की सूचना दी है, जो इसके कुल बजट अनुमान का लगभग 64 प्रतिशत है। इसमें (क) समेकित देखरेख, सुरक्षा, संरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं के लिए एकीकृत नागरिक–केंद्रित जीवनचक्र सहायता प्रदान करने के लिए संबल और सामर्थ्य घटकों के तहत मिशन शक्ति के लिए 3,165.36 करोड़ रुपये; (ख) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 11,902.58 करोड़ रुपये; (ग) बालिकाओं के संरक्षण और संस्थागत देखरेख के लिए मिशन वात्सल्य के तहत 883.30 करोड़ रुपये; (घ) निर्भया कोष के तहत 20 करोड़ रुपये और (ड.) राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, एनआईपीसीसीडी, कारा और एनसीपीसी आर सहित स्वायत्त संस्थानों के तहत 117.47 करोड़ रुपये जेंडर बजट आवंटन में शामिल है।

5.4 महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति के भाग के रूप में, एमडब्ल्यूसीडी का उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जीबी का 100% कवरेज हासिल करना है। मंत्रालय का कार्यनीतिक फोकस इन पर है –

i. राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय स्तरों पर जेंडर बजटिंग करने के लिए संस्थागत तंत्र और प्रक्रियाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण।

ii. नियोजन, बजट और लेखा परीक्षा में जेंडर परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने के लिए आंतरिक और बाहरी क्षमताओं का विकास करना और क्षेत्रों में विशेषज्ञता का निर्माण करना।

वर्ष 2022–23 में किए गए प्रयासों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है।

I. जेंडर बजटिंग पर संस्थागत तंत्र और प्रक्रियाएं

क. जेंडर बजट विवरण – रिपोर्टिंग आवंटन

5.5 संपूर्ण नीति स्पेक्ट्रम में जेंडर लेंस लागू करने के लिए बजट एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु है। वर्ष 2005–06 से केंद्रीय बजट के साथ एक जेंडर बजट विवरण (व्यय प्रोफ़ाइल का विवरण13) प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। जेंडर बजट स्टेटमेंट (जीबीएस) भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट के साथ तैयार किया गया एक जेंडर–विशिष्ट उत्तरदायित्व दस्तावेज है। यह मंत्रालयों/विभागों के लिए लैंगिक दृष्टिकोण से अपने कार्यक्रमों की समीक्षा करने और महिलाओं और बालिकाओं के लिए आवंटन पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक रिपोर्टिंग तंत्र है।

5.6 वर्ष 2022–23 में 41 मंत्रालयों/विभागों/संघ शासित क्षेत्रों ने जीबीएस में 1,71,006.47 करोड़ रुपये की सूचना दी है। यह 2021–22 (बजट अनुमान) की तुलना में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि है। बजट परिपत्र में अधिदेशित जीबीएस में रिपोर्ट करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए, महिला एवं बाल किवास मंत्रालय ने 25 मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों का जेंडर बजट विश्लेषण किया, जो जीबीएस में रिपोर्ट नहीं करते थे या संयुक्त राष्ट्र महिला से तकनीकी सहायता के साथ लापरवाही से रिपोर्ट करते थे। जीबी पर मंत्रालय–विशिष्ट मार्गदर्शन नोट साझा किए गए और बाद में 23 और 28 नवंबर 2022 को सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में दो अंतर–मंत्रालयी बैठकें आयोजित की गईं। कुल 23 मंत्रालयों/विभागों ने इन बैठकों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, इस विषय पर उन्मुखीकरण और मार्गदर्शन के लिए छह मंत्रालयों/विभागों के साथ अलग–अलग आमने–सामने की बैठकें भी आयोजित की गईं।

5.7 नवंबर 2022 में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीबीएस के प्रारूप और कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और इसे सुदृढ़ करने के उपाय सुझाने के लिए जीबी विशेषज्ञों के पांच सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया। विभिन्न देशों और राज्यों के जीबीएस प्रारूपों की समीक्षा करने और वर्तमान प्रारूप और कार्यप्रणाली के साथ समस्याओं पर चर्चा करने के लिए कार्यदल की दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। जीबीएस 2023–24 में रिपोर्टिंग को और मजबूत करने के लिए, एमडब्ल्यूसीडी ने अ.शा. पत्र संख्या जीबी–11/2/2020–जेंडर बीयूडी– पार्ट (2) दिनांक 16.12.2022 के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए जीबी और जेंडर बजट विवरण में रिपोर्टिंग के लिए दिशा–निर्देश जारी किए। इस संबंध में जारी दिशानिर्देश **अनुलग्नक– XXI** में दिए गए हैं।

(ख) जेंडर बजट प्रकोष्ठ

5.8 वर्ष 2004–05 में वित्त मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग पहलों के कार्यान्वयन के लिए सभी मंत्रालयों / विभागों में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ स्थापित करने को अधिदेशित किया था। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जेंडर बजट प्रकोष्ठों (जीबीसी) के गठन और उनके कामकाज को निर्धारित करते हुए 08 मार्च, 2007 को 'जेंडर बजट प्रकोष्ठों (जीबीसी) के लिए एक चार्टर' जारी किया था। जीबीसी के पुनर्गठन और इन्हें सुदृढ़ करने, नोडल अधिकारियों को नामित करने और जेंडर बजट विवरण में सूचना देने को सुदृढ़ करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/ विभागों को अक्टूबर, 2021 में एक अर्द्धशाकीय पत्र भेजा था। प्रत्येक मंत्रालय / विभाग में जेंडर बजटिंग के लिए नोडल अधिकारियों की भूमिकाओं और कर्तव्यों पर उनके मार्गदर्शन के लिए एडवाइजरी भी जारी किया गया था।

(ग) ईएफसी/ पीआईबी ज्ञापन के माध्यम से जेंडर जागरूकता नीति का आंकलन

5.9 व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के दस्तावेज में अप्रैल, 2014 में सभी नए कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों के आयोजना चरण में एक जेंडर परिप्रेक्ष्य जोड़ा गया है। ईएफसी प्रारूप की धारा 3 में विशेष रूप से उल्लिखित है कि यदि इस स्कीम में महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष रूप से निर्देशित कोई लैंगिक संतुलन पहलू या घटक है तो कृपया उन्हें स्पष्ट रूप से सामने लाएं। सरकार स्कीमों/ नीतियों/ कार्यक्रमों को अधिक जेंडर उत्तरदायी बनने के लिए नियमित रूप से ईएफसी को इनपुट उपलब्ध कराती आ रही है।

घ. जेंडर बजट के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील चेकलिस्ट/सुझावों का उपयोग

5.10 मंत्रालय ने जीबी का कार्यान्वयन करने के लिए टूल्स विकसित किए हैं। इसमें चेकलिस्ट–I (महिलाओं को लक्ष्य करने वाले लाभार्थी अनुकूलित कार्यक्रम) और चेकलिस्ट–II (मुख्य धारा के क्षेत्र और कार्यक्रम), पांच चरणों वाले फ्रेमवर्क पर आधारित स्कीमों, नीतियों का जेंडर मूल्यांकन और स्थानिक मानचित्रण के रूप में दिशा निर्देश शामिल हैं। ये दिशानिर्देश स्कीमों और बजट की जेंडर उत्तरदायी को बढ़ाने में अंतरालों और उपायों की पहचान को समक्ष बनाने के लिए सार्वजनिक व्यय की लैंगिक परिप्रेक्ष्य से समीक्षा करने में मदद करते हैं।

II. जेंडर बजटिंग पर क्षमता निर्माण

5.11 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) का जेंडर बजट का एक प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाने वाला क्षेत्र राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारियों के जेंडर बजट के मामले में क्षमता को मजबूत बनाना और विशेषज्ञता का निर्माण करना है। इस वर्ष इसके तहत निम्न प्रयास किए गए :

क. जेंडर बजटिंग प्रशिक्षणों / कार्याशालाओं का आयोजन / समर्थन

5.12 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वर्ष 2007–08 से प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का संचालन करने के लिए सरकारी विभागों, राष्ट्रीय और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों और संगठनों को वित्तीय अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक जेंडर बजटिंग स्कीम का कार्यान्वयन के कर रहा है। स्कीम के माध्यम से जीबी पर 16000 से अधिक अधिकारियों और हितधारकों की क्षमता में वृद्धि की गई है। इन क्षमता निर्माण अभ्यासों में शामिल हैं:

i. पर्याप्त संसाधन आवंटन और लैंगिक संवेदनशील कार्यक्रम के निरुपण और कार्यान्वयन के माध्यम से महिलाओं के लिए नीतिगत प्रतिबद्धता और आवंटन के बीच अंतर को का समाधान करना,

ii. सार्वजनिक व्यय और नीति में लैंगिक सरोकारों को मुख्यधारा में लाना, और

iii. जेंडर बजटिंग उपकरणों और तंत्रों पर ज्ञान और कौशल को बढ़ाना।

ख. जेंडर बजटिंग पर राज्यों की पहलें

5.13 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्य स्तर पर जीबी के संस्थागतकरण में मदद करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। अब तक, 27 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने लैंगिक अंतराल को दूर करने के लिए जीबी पहल की है। प्रत्येक राज्य में संस्थागतकरण का स्तर अलग–अलग है और जीबी तंत्र और प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला क्रियान्वित की गई है। इनमें जीबी के लिए एक नोडल विभाग और अधिकारी की पहचान, जेंडर बजट सेल का गठन, राज्य जीबी कार्य योजना तैयार करना, राज्य के बजट में एक जेंडर बजट विवरण प्रकाशित करना, परिणामी बजट को जेंडर बजट से जोड़ना, एक नोडल प्रशिक्षण संस्थान नामित करना, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, लैंगिक लेखापरीक्षा/निष्पादन लेखापरीक्षा आदि संचालित करना शामिल है।

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 16–17 जून, 2022 तक जेंडर उत्तरदायी बजट पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन।

5.14 वर्ष 2022–23 के दौरान, कुल 18 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों ने जेंडर बजट विवरण प्रकाशित किए। जीबी पर क्षमता निर्माण के लिए कुल 21 राज्यों ने नोडल प्रशिक्षण संस्थान नामित किए हैं।

ग. चुनिंदा राज्यों में जेंडर बजटिंग को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता (टीए) परियोजना

5.15 राज्यों में जीबी को मजबूत करने के लिए, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और परोसपेरस एंड रिजिलिएंट एशिया एंड पैसेफिक (जेएफपीआर) के लिए जापानी फंड के साथ 'भारत में चुनिंदा राज्यों में अग्रिम जेंडर बजट' पर कार्यकारी एजेंसी के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ वर्ष 2020–21 के दौरान एक तकनीकी सहायता (टीए) परियोजना शुरू की गई थी। टीए को संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा अगस्त, 2020 से चार राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर में क्रियान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य जेंडर बजटिंग और राज्य के विभागों की जेंडर मेनस्ट्रीमिंग में संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाना है। यह परियोजना 31 मई, 2023 को समाप्त हो रही है। चार चुनिंदा राज्यों में, परियोजना ने जीबी तंत्र को मजबूत करने; सरकारी हितधारकों की जीबी पर क्षमता बढ़ाने; अनुकूलित ज्ञान उत्पाद और प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने; और जेंडर बजटिंग पर एक ई–गवर्नेंस टूल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

5.16 टीए परियोजना के भाग के रूप में, परियोजना राज्यों में चार राज्य–विशिष्ट क्षेत्रों को देखते हुए अध्ययन संचालित किए गए हैं, जिसके आधार पर जीबी पर राज्य कार्य योजनाएँ अपनाई गईं। वर्ष 2022–23 में, कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए क्रमशः जीबी पर अंतर–विभागीय निगरानी समितियों द्वारा सभी चार राज्यों में राज्य स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2022–23 में अपना पहला जेंडर बजट विवरण प्रकाशित किया, और आंध्र प्रदेश और मणिपुर की सरकारों ने अपने–अपने राज्य के बजट के साथ अपना लगातार दूसरा जेंडर बजट विवरण प्रकाशित किया। टीए के तहत, राज्य जीबी नोडल विभागों को अन्य संबंधित विभागों को जेंडर बजट विकसित करने में मदद की गई, जिसमें मार्गदर्शन नोट्स का प्रारूप तैयार करना और अधिकारियों का उन्मुखीकरण करना शामिल था। बजट बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं की राय को शामिल करने के लिए चार राज्यों में बजट पूर्व परामर्श का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश में, योजना विभाग ने नवंबर, 2022 में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ जेंडर बजट स्टेटमेंट (जीबीएस) के एकीकरण के लिए एक औपचारिक कार्यालय आदेश भी जारी किया।

5.17 टीए का एक प्रमुख पहलू देश के विभिन्न हिस्सों में लैंगिक मुख्यधारा और जीबी पर अच्छी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना है। इस उद्देश्य के लिए, जीबी के कर्मियों के लिए तैयार संदर्भ के रूप में काम करने और ज्ञान भंडार को सूचित करने के लिए के लिए कुल 31 अच्छे कार्यों का दस्तावेजीकरण किया गया है। 10 मई, 2022 को नई दिल्ली में सरकारी अधिकारियों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और सिविल सोसायटी के सदस्यों के साथ लैंगिक मुख्यधारा और जीबी पर लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए आईसीटी–तंत्र के लाभ उठाने सहित कुछ नवीन प्रथाओं को साझा करने के लिए 'अच्छे अभ्यासः जेंडर बजटिंग और जेंडर मेनस्ट्रीमिंग' पर एक राष्ट्रीय परामर्श भी आयोजित किया गया था।

नई दिल्ली में 10 मई ,2022 को आयोजित जेंडर बजटिंग और जेंडर मेनस्ट्रीमिंग पर अच्छी प्रथाओं पर राष्ट्रीय परामर्श में व्याख्यान देतु हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री इंदीवर पांडे।

5.18 जीबी पर सरकारी अधिकारियों की क्षमता को मजबूत करने के लिए चार राज्यों के 234 सरकारी अधिकारियों के साथ एक आकलन की अवश्यकता पर प्रशिक्षण संचालित किया गया था ताकि महिला एवं बाल विकास, वित्त, नियोजन सहित विभिन्न राज्य सरकार के विभागों की जीबी कौशल और ज्ञान में सुधार की जरूरतों और क्षेत्रों की पहचान की जा सके। इसके आधार पर, जीबी पर सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण को व्यवस्थित रूप

से निर्देशित करने के लिए राज्य विशिष्ट क्षमता निर्माण रणनीतियों और प्रशिक्षण कैलेंडर विकसित किए गए थे।

5.19 लैंगिक प्रतिक्रियाशील क्षेत्रीय विश्लेषण को मजबूत करने के लिए, चार राज्यों में कृषि, ग्रामीण विकास और कौशल विकास सहित प्रत्येक में दो क्षेत्रों पर 8 क्षेत्र अध्ययन किए गए। इन क्षेत्रों में जेंडर असमानता को दूर करने के लिए 23–24 अगस्त 2022 को 'चुनिंदा क्षेत्रों में जेंडर बजटिंगः कौशल विकास, ग्रामीण विकास और कृषि' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था ताकि क्षेत्र अध्ययनों के निष्कर्षों को प्रस्तुत, समीक्षा और मजबूत किया जा सके और जेंडर को संबोधित करने की दिशा में पर्याप्त संसाधन आवंटन के लिए ठोस बदलाव की सुविधा प्रदान की जा सके।

5.20 जीबी पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का एक समूह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित किया गया। वर्ष 2022–23 में, जीबी पर शिक्षा और साझा करने की सुविधा के लिए 8 राज्य–स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 4 ज़ोनल लर्निंग प्रोग्राम और 2 क्रॉस–ज़ोनल लर्निंग प्रोग्राम आयोजित किए गए, जो 23 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लगभग 500 अधिकारियों तक पहुंचे। साथ ही, देश में जीबी पर 25 संसाधन व्यक्तियों और विशेषज्ञों का एक पूल बनाने के लिए गोवा में 2–4 नवंबर 2022 को प्रशिक्षकों का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण (आईटीओटी) कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 2–4 नवंबर 2022 को गोवा में आयोजित किया गया।

5.21 टीए के हिस्से के रूप में, 'जेंडर बजटिंग डैशबोर्ड' के लिए सामग्री और डिजाइन विकसित किया गया है। यह जीबी के लिए वन–स्टॉप सूचना पोर्टल होगा और सरकारी प्रतिनिधियों और गैर–सरकारी हितधारकों के लिए एक स्व–शिक्षण वेब उपकरण के रूप में कार्य करेगा। एक 'जेंडर इंडिकेटर मैपिंग टूल' (जीआईएमटी) भी विकसित किया गया है, जो नीतियों और निर्णय लेने की जानकारी देने के लिए 26 राज्यों के आकांक्षी जिलों में चुनिंदा जेंडर संकेतकों को मैप करने के लिए एक वेब टूल है।

घ. प्रमुख हितधारकों के साथ सहयोग

5.22 माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण 2019–20 (पैरा78) के बाद, जेंडर विश्लेषण और बजट के लिए एक व्यापक–आधार वाली समिति का गठन नवंबर, 2019 में किया गया था, जिसमें जीबी को आगे बढ़ाने के लिए सुझावों और कार्रवाइयों का मूल्यांकन और लैंगिक समस्याओं का समाधान करने तथा जीबी को आगे बढ़ाने की कार्रवाइयों की समीक्षा के लिए 12 सरकारी प्रतिनिधि और 11 निजी हितधारक शामिल थे। जीबी के सार्वजनिक नीति उपकरण का पूरक, यह समिति बजट के लैंगिक विश्लेषण और लैंगिक समानता की उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन है। जीबी के लिए अपनी तरह के पहल के रूप में, समिति राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं और आवंटन की लैंगिक जवाबदेही की समीक्षा करने के लिए एक नीति तंत्र है और इसमें सुधार के उपाय सुझाती है। अब तक, समिति की दो समीक्षा बैठकों सहित छह बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। वर्ष 2022–23 में, समिति ने पिछले तीन वर्षों के केंद्रीय बजट का जेंडर विश्लेषण किया और समीक्षाधीन रिपोर्ट के रूप में योजनाओं और बजट की जेंडर जवाबदेही को मजबूत करने के लिए सिफारिशें तैयार की गईं।

III. निष्कर्ष और आगे का रास्ता

5.23 भारत में जेंडर बजटिंग के लिए यह वर्ष महत्वपूर्ण रहा है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय स्तरों पर जेंडर बजटिंग हस्तक्षेपों का पक्ष समर्थन करने के साथ–साथ जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2022–23 में, केंद्र सरकार में जेंडर बजटिंग को बढ़ावा देने के लिए अंतर–मंत्रालयी बैठकों की एक श्रृंखला, जेंडर बजटिंग पर दिशानिर्देश जारी करना और जेंडर विश्लेषण और बजटिंग के लिए व्यापक–आधार वाली समिति की बैठकों का महत्वपूर्ण लाभ रहा है। समिति की सिफारिशें सभी क्षेत्रों में जेंडर को मुख्यधारा में लाने के

लिए एक प्रकाश स्तम्भ होंगी। दो नए राज्यों ने वर्ष में जेंडर बजटिंग के कार्यान्वयन की शुरुआत की। पूरे देश में, क्षेत्रीय और क्रॉस–क्षेत्रीय शिक्षण कार्यक्रमों ने विभिन्न राज्यों में जेंडर बजटिंग की अच्छी प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा की। जीबी पर वन स्टॉप पोर्टल के रूप में विकसित किया जा रहा जेंडर बजटिंग डैशबोर्ड ज्ञान और सूचना के भंडार के रूप में काम करेगा। ये प्रयास शासन के विभिन्न स्तरों पर जेंडर बजटिंग का उन्नयन सुनिश्चित करेंगे और समान संसाधन आवंटन के लिए प्रणालियों को मजबूत करेंगे।

6

योजना, सांख्यिकी तथा अनुसंधान

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

योजना, सांख्यिकी तथा अनुसंधान

6.1 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिलाओं एवं बच्चों का समग्र विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम तैयार करता है ताकि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं पर इनका सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके। स्कीमों/कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और आगे सुधार की जरूरत का आकलन करने के लिए, नियमित अंतराल पर निगरानी और मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। अतएव, इसके लिए एक दक्ष सांख्यिकीय प्रणाली जरूरी होती है। साथ ही मंत्रालय की स्कीमों और नीतियों तथा पहलों के समुचित नियोजन और कार्यान्वयन के लिए विश्वसनीय आंकड़ों और गुणवत्तापूर्ण सूचना का संकलन जरूरी होता है, जिसे सांख्यिकीय प्रणाली में दर्ज किया जा सके।

6.2 अपने अधिदेश के तहत तय लक्ष्य हासिल करने के लिए मंत्रालय, परिस्थितिजन्य विश्लेषण के साथ ही 'अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी स्कीम' के माध्यम से अपने जारी कार्यक्रमों के अनुसंधान पर जोर देता है। ऐसे विश्लेषण से प्राप्त फीडबैक मौजूदा स्कीमों के संबंध में सुधारात्मक उपाय करने में मूल्यवान इनपुट का कार्य करता है।

6.3 महिलाओं और बच्चों के कल्याण और उन्नति के लिए मुख्य नीतियों और स्कीमों के निरूपण के साथ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसके लिए केंद्र और राज्य स्तर पर विशाल और बहु–स्तरीय नौकरशाही व्यवस्था की जरूरत होती है। इसलिए, बुनियादी स्तर पर स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित लोगों की शिकायतों की संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने इन संभावनाओं पर विचार करते हुए बुनियादी स्तर पर विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। शिकायतों के बारे में समुचित जानकारी स्कीमों/कार्यक्रमों के सुगम कार्यान्वयन में सुधारात्मक कदम उठाने में सहायक हो सकती है।

6.4 अतएवं, मंत्रालय के सांख्यिकीय ब्यूरो को महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण और विकास के क्षेत्रों में सार्थक अनुसंधान प्रायोजित करने, सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण और संकलन करने और लोक शिकायतों और समस्याओं के निवारण हेतु एक तंत्र के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है।

6.5 सांख्यिकी ब्यूरो इस मंत्रालय से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए हितधारकों के साथ समन्वय भी करता है। इस ब्यूरो को तीन चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक (जीजीजीआई), लिंग असमानता सूचकांक (जीआईआई) और वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआई) में भारत के निष्पादन की निगरानी और सुधार की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रयास में इस मंत्रालय में एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई है। इस मंत्रालय के लिए डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई) में अग्रणी अंक हासिल करने के लिए, यह ब्यूरो इस मंत्रालय के सभी प्रभागों के समन्वय से डीजीक्यूआई कार्य योजना को लागू करता है। इस उद्देश्य से मंत्रालय में डेटा कार्यनीति इकाई (डीएसयू) की एक समर्पित टीम शामिल की गई है।

I. अनुसंधान तथा प्रकाशन और निगरानी स्कीम के लिए अनुदान सहायता

6.6 अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी स्कीम हेतु सहायता अनुदान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक

महत्वपूर्ण स्कीम है जिसके माध्यम से मंत्रालय महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों, उनके खाद्य तथा पोषाहार पहलुओं सहित कल्याण तथा विकास पर विविध अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करता है। योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों और सूचना अंतराल को दूर करने के लिए तत्काल सार्वजनिक पहल की अपेक्षा वाली सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रयुक्त किस्म की अनुसंधान परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। किसी पहल की सफलता के लिए जिम्मेदार बहुमुखी कारकों या मंत्रालय के समक्ष बुनियादी स्तर पर मौजूद चुनौतियों को समझने के लिए महिलाओं और बच्चों से जुड़े विविध मुद्दों पर अनुसंधान कार्य आवश्यक है।

6.7 इस स्कीम के तहत, किसी संस्थान या संस्थानों के समूहों को एक या निकटता से जुड़े एक से अधिक विद्वानों द्वारा विशिष्ट अनुसंधान कार्य करने के लिए अनुसंधान अनुदान प्रदान किए जाते हैं। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों तथा व्यावसायिक संघों जैसे संस्थानों और समान प्रकार के संगठनों/एजेंसियों जिनमें उन पर अनुसंधान करने की क्षमता हो, को ऐसा करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्थापित और पूर्णतः वित्तपोषित संस्थान भी अनुसंधान अनुदान पाने के पात्र हैं। अनुदान की पात्रता के लिए स्वैच्छिक संगठन के पास पंजीकरण के बाद तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुदान के लिए प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुसंधान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं।

6.8 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, "ए स्टडी ऑन इम्पैक्ट एनालिसिस एंड आइडेंटिफाइंग द गैप्स इन द एक्जिस्टिंग लॉज रिलेटिंग टू वूमेन इन इंडिया'' अध्ययन को गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात को मंजूरी दी है।

6.9 इस मंत्रालय के अनुसंधान और प्रकाशन कार्य का विस्तार करने, अनुसंधान डिजाइन तैयार करने, प्रासंगिक अनुसंधान गतिविधियों का पर्यवेक्षण और संचालन करने और रिपोर्टें, उपयुक्तता पत्र, अनुसंधान सारांश और प्रसार हेतु अन्य संबद्ध दस्तावेज तैयार करने के लिए एक विकासपरक अनुसंधान और महत्वपूर्ण आसूचना वर्टिकल (दृष्टि) स्थापित किया गया है।

6.10 सुधारों और प्रगति के लिए उपायों के रूप में वैश्विक सूचकांकों का लाभ उठाने की सरकार की पहल को लागू करने के लिए, जीजीजीआई, जीआईआई और जीएचआई में भारत के निष्पादन को ट्रैक करने और सुधार लाने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, इस मंत्रालय ने इन सूचकांकों के मापदंडों के लिए मौजूदा डेटा अंतराल, सुधार के क्षेत्रों और सुधार कार्यों की पहचान करते हुए, कार्य योजना तैयार करके, तकनीकी सहयोग और सहायता के लिए प्रकाशन एजेंसियों के साथ जुड़ते हुए केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करते हुए स्वदेशी सूचकांकों के निरूपण का कार्य किया है।

6.11 इन सूचकांकों में भारत की स्थिति सुधारने के लिए, मंत्रालय ने दोहरी कार्यनीति अपनाई है। पहला, सूचकांक स्कोर की गणना में तथ्यात्मक रूप से सही और अद्यतन भारतीय डेटा मान का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत की वैश्विक स्थिति यानी वैश्विक सूचकांकों की प्रकाशन एजेंसी और संघटक मापदंडों की डेटा स्रोत एजेंसियों की भागीदारी से उपरोक्त सूचकांकों में रैंकिंग की निगरानी करना। दूसरा, संबंधित मापदंडों की स्थिति में सुधार के लिए हितधारकों के परामर्श से उपयुक्त सुधारों की पहचान करना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचकांक के मापदंडों में सुधार के लिए सुधारों की पहचान करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए केंद्र और राज्यों के विभागों के साथ समन्वय करने के लिए लैंगिक/ क्षेत्रों के मंत्रालयों संघ राज्य/ सूचकांक समन्वय समिति (जीआईसीसी का गठन किया है।

II. इंटर्नशिप प्रोग्राम

6.12 यह ब्यूरो मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के लिए अनुसंधान और इससे संबंधित गतिविधियों में उन्हें शामिल करने के उद्देश्य से मंत्रालय के अनुसंधान प्रकाशन और निगरानी स्कीम के अंतर्गत भारत के नॉन टायर–। शहरों और ग्रामीण भागों से महिला विद्यार्थियों, विद्वानों, सामाजिक

कार्यकर्ताओं तथा टीचरों के लिए प्रशिक्षा कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे वर्ष के दौरान प्रथक रूप से एक माह और दो माह की अवधि के लिए उपलब्ध है।

6.13 प्रशिक्षण कार्यक्रम के दिशानिर्देश 6 जनवरी, 2023 को जारी किए गए थे। यह कार्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक संस्थानों से नामांकित इंटर्न्स को मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों से अवगत कराने के लिए तैयार किया गया है। उन्हें मंत्रालय की सतत गतिविधियों पर केंद्रित प्रायोगिक परियोजनाओं/सूक्ष्म–अध्ययनों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान, प्रत्येक माह 10 प्रशिक्षकों को उनके हित के क्षेत्रों को ध्यान में रखकर हर मंत्रालय के विभिन्न ब्यूरों के साथ तैयार किया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षक को प्रतिमाह 20000/– रुपये का एकमुश्त प्रशिक्षक भत्ता, मंत्रालय में कार्यक्रम में शामिल होने तथा कार्यक्रम की समाप्ति पर घर जाने के लिए प्रतिपूर्ति भत्ता और प्रोत्साहन के रूप में तीन साझेदारी वाली छात्रावास सुविधा प्रदान की जाती है।

6.14 प्रशिक्षु प्रयोगात्मक विश्लेषण, सूचना, नीति दस्तावेज तथा ब्रीफिंग के रूप में सूचना ट्रैकर नीति बनाने के लिए योगदान देने में सक्षम होंगे। इस कार्यक्रम से देश में महिलाओं और बच्चों के मामलों और समस्याओं से संबंधित सम्मान सूचना अंतर को दूर करने में शीघ्रता आने की सम्भावना है। इस पहल के अंतर्गत, मंत्रालय विभिन्न स्कीमों और नीति पहलों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी कर्मचारियों के साथ बातचीत करने, देश में महिलाओं और बच्चों की बेहतरी और सशक्तीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अन्य प्रमुख मंत्रालयों और हितधारकों के साथ बातचीत के लिए प्रशिक्षुओं को पर्यावरण और सेवाएं प्रदान करेगा।

III. लोक शिकायतें

6.15 शिकायत निवारण तंत्र किसी भी प्रशासन के जवाबदेही तंत्र का एक अभिन्न अंग होता है। भारत सरकार लोक शिकायतों (पीजी) और उनके निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मंत्रालय को उत्तरदायी और लोगों के अनुकूल बनाने की दृष्टि से मंत्रालय में एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। मंत्रालय में प्राप्त लोक शिकायतों का जवाब उच्च प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है। मंत्रालय के निदेशक स्तर के अधिकारी को लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। मंत्रालय में सशक्त प्रभावी लोक शिकायत निवारण तंत्र के लिए, मंत्रालय के सभी प्रभागीय प्रमुखों तथा प्रत्येक संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में एक अधिकारी को उनके संबद्ध प्रभाग/कार्यालय के लिए लोक शिकायतों का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सचिव (म.बा.वि.) द्वारा साप्ताहिक आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लोक शिकायतों के निपटान की निगरानी की जाती है।

क. लोक शिकायत– ऑनलाइन माध्यम

6.16 वर्तमान में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पीजी पोर्टल (जनता से सीधे प्राप्त), प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग आदि से प्राप्त मंत्रालय से संबंधित लोक शिकायतों के निपटान के लिए निम्नलिखित तंत्र का अनुसरण किया जाता है:

क. दैनिक आधार पर, लोक शिकायत अधिकारी राष्ट्रीय वेब पोर्टल को एक्सेस करते हैं और विविध ब्यूरो से संबंधित लोक शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए छांटते हैं।

ख. जिन आवेदकों के ई–मेल पते या मोबाइल नंबर नहीं होते, उन्हें पावती भेजी जाती है। कुछ आवेदकों को संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/एजेंसी, जिससे उनकी शिकायत संबंधित हो, से संपर्क करने की भी सलाह दी जाती है।

ग. मंत्रालय में संबद्ध अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्टों के रिकॉर्ड इस ब्यूरो में रखे जाते हैं।

6.17 सीपीजीआरएएमएस सुधार में नागरिक द्वारा शिकायत की उपयोगकर्ता के अनुकूल में दर्ज करवाना सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है और यह इसके निपटान हेतु उत्तरदायी क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंचने के लिए शिकायत के निपटारों को सक्षम बनाता है। डीएआरपीजी ने शिकायत निपटारा तंत्र को स्ट्रीमलाइन करने और लाइन कार्यालयों को परे छोड़ते हुए सही निपटारा कार्यालय तक

पहुंचने के लिए सीपीजीआरएएमएस सुधार संस्करण 7.0 की शुरूआत की है।

6.18 सुधार संस्करण की प्रमुख विशेषताएं यह भी हैं कि यह नागरिक के अनुकूल है क्योंकि इसमें प्रश्नोत्तर द्वारा दिशानिर्देषित पंजीकरण प्रक्रिया मौजूद है। इसके अतिरिक्त इसमें एस प्रकार की शिकायत दर्ज करवाने का भी प्रावधान है जिसे सीधे ही क्षेत्रीय स्तर तक स्वतः ही प्रेषित कर दिया जाएगा। इस प्रणाली में शिकायत निपटाने में लगने वाले समय में भी सुधार होगा और शिकायत निपटान ड्रॉपडाउन मेनू के माध्यम से किया जाता है।

6.19 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सीपीजीआरएएसएस संस्करण 7.0 प्रणाली का कार्यान्वयन किया है और जुलाई 2022 के माह में सफलतापूर्वक प्रचालन किया है। इस संबंध में सचिव (डीएआरपीजी) से प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ है।

6.20 मंत्रालय शिकायतों का प्रभावपूर्ण तरीके से निपटान कर रहा है। सीपीजीआरएएमएस निगरानी डेस्क के अनुसार जन–शिकायतों के निपटान का समग्र प्रतिशत अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए 98% था। प्रशासनिक सुधार और जन–शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने प्रभावपूर्ण तरीके से जन–शिकायतों के निपटान हेतु इस मंत्रालय की प्रशंसा की थी।

6.21 इस मंत्रालय में लोक शिकायतों का श्रेणी–वार विश्लेषण किया जाता है। 01 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त और निपटान की गई शिकायतों की प्रगति रिपोर्ट निम्न तालिका में दी गई है:

शिकायत का स्रोत	अग्रेनीत शेष	अवधि के दौरान प्राप्त	कुल प्राप्तियां	अवधि के दौरान निपटाए गए मामले
डीएआरपीजी	2	59	61	59
स्थानीय/ इंटरनेट	148	3216	3364	3173
राष्ट्रपति सचिवालय	4	53	57	53
पेंशन	5	22	27	24
प्रधानमंत्री कार्यालय	43	505	548	506
कुल	**202**	**3855**	**4057**	**3815**

IV. सतत विकास लक्ष्य

6.22 लैंगिक समानता के मुद्दे का हमारे देश के विकास के एजेंडा में मुख्य स्थान रहा है। 1 जनवरी, 2016 से आधिकारिक रूप में प्रभावी 'ट्रांसफॉरमिंग अवर वर्ल्ड': सतत विकास का 2030 एजेंडा' नामक सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों और लक्ष्यों से ऐसा प्रदर्शित होता है। इसमें विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों के क्षेत्रों में विस्तारित 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और 169 सहायक लक्ष्य निहित हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के विकास के संबंध में सतत विकास लक्ष्यों के प्रति गंभीर है।

6.23 नीति आयोग को राष्ट्रीय लक्ष्यों और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मंत्रालय और संबंधित विभागों को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। सतत विकास लक्ष्यों और इसके सहायक लक्ष्यों की निगरानी के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और सिविल सोसायटी जैसे हितधारकों के परामर्श से 306 संकेतकों वाला राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (एनआईएफ) तैयार किया गया है। इस संबंध में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एसडीजी–1 'हर जगह से सभी प्रकार की गरीबी समाप्त करने', एसडीजी–2 'भूख और सभी प्रकार का कुपोषण समाप्त करने और आगामी 15 वर्षों में कृषि पैदावार दोगुनी करने' और एसडीजी–5 'लैंगिक समानता हासिल करने और महिलाओं व बालिकाओं को सशक्त बनाने' के राष्ट्रीय संकेतकों के प्रति गंभीर है।

6.24 यह मंत्रालय राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के निम्नलिखित संकेतकों के लिए डेटा स्रोत मंत्रालय है:

लक्ष्य	संकेतक
लक्ष्य 1 : हर जगह से सभी प्रकार की गरीबी समाप्त करना	
1.3: सबके लिए राष्ट्रीय तौर पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणाली व उपाय लागू करना और 2030 तक गरीबों तथा संवेदनशील लोगों को अधिक से अधिक शामिल करना।	1.3.2: समेकित बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस के तहत लाभार्थियों की संख्या
	1.3.5: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पाने वाली आबादी (कुल पात्र आबादी में से) का अनुपात
1.ख: गरीबी उन्मूलन कार्यों में निवेश के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों के अनुकूल तथा लिंग–संवेदी विकास नीतियों पर आधारित ठोस नीतिगत ढांचा निर्मित करना	1.ख.1: जेंडर बजट के तहत चिन्हित बजट का अनुपात
लक्ष्य 5: लैंगिक समानता हासिल करना और महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना	
5.1: सभी महिलाओं तथा लड़कियों के प्रति हर जगह होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करना	5.1.1: लिंग (प्रतिशत) के आधार पर समानता और गैर–भेदभाव को बढ़ावा देने, लागू करने और निगरानी करने के लिए कानूनी ढांचा मौजूद है या नहीं
5.ग: सभी स्तरों पर लैंगिक समानता और महिलाओं तथा लड़कियों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस नीतियों और लागू करने योग्य कानूनों को अपनाना और उन्हें सशक्त बनाना	5.ग.1: लैंगिक बजट प्रकोष्ठों (जीसीबी) वाले केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों की संख्या

7

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

7.1 राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, जो निपसिड के नाम से लोकप्रिय है, महिला एवं बाल विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्रवाई, अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में नई दिल्ली में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी क्षेत्र विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए गुवाहाटी (1978), बैंगलुरु (1980), लखनऊ (1982), इंदौर (2001) और मोहाली (2019) में इसके पांच क्षेत्रीय केंद्र हैं।

7.2 संस्थान बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं उनके संरक्षण और महिला सशक्तीकरण एवं जेंडर के मुद्दों, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों – राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर जागरूकता लाने के लिए अनिवार्य एवं आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है। बाल विकास के जिन क्षेत्रों पर संस्थान इस समय ज़ोर दे रहा है, उनमें मातृ और बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा, बाल्यावस्था की अक्षमताएं, बच्चों में सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य और बाल देखरेख सहायता सेवाएं शामिल हैं। महिला विकास के क्षेत्र में संस्थान का कार्य प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रलेखन के माध्यम से महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता करना है। संस्थान जेंडर आयोजना एवं उसको मुख्यधारा में लाने, जेंडर बजटिंग, महिलाओं के आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तीकरण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण, जेंडर संबंधी हिंसा अर्थात कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार, बाल विवाह आदि की रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

7.3 संस्थान के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. सामाजिक विकास में स्वैच्छिक कार्यों को विकसित करना एवं बढ़ावा देना;

ii. राष्ट्रीय बाल नीति के अनुपालन में प्रासंगिक आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और विकसित करना;

iii. सामाजिक विकास में सरकारी कार्य एवं स्वैच्छिक कार्य के बीच समन्वय हेतु उपाय तैयार करना;

iv. सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने हेतु रूपरेखा और परिप्रेक्ष्य विकसित करना; और

v. संस्थान के समरूप कार्यकलापों में संलग्न अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों, शोध संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और तकनीकी निकायों के कार्यकलापों के साथ तालमेल स्थापित करना।

7.4 निपसिड का विज़न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भागीदारी और संपर्क विकसित करके और अपने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यकलापों को अपने विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाकर बाल अधिकार, बाल संरक्षण और बाल विकास के क्षेत्र में विश्वविख्यात संस्थान के रूप में उभरना है।

7.5 संस्थान में दो मुख्य संवैधानिक निकाय अर्थात **सामान्य निकाय** और **कार्यकारी परिषद** हैं। सामान्य निकाय संस्थान की समग्र नीतियां निरुपित करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि कार्यकारी परिषद संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इन दोनों निकायों में सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सामान्य निकाय और कार्यकारी परिषद की अध्यक्ष हैं।

7.6 संस्थान में दो विभाग हैं और प्रत्येक विभाग के प्रमुख एक–एक अपर निदेशक हैं, जिनके अंतर्गत छह प्रभाग कार्य कर रहे हैं:

क. मातृ देखरेख और बाल विकास विभाग

i. बाल विकास

ii. जन सहयोग एवं बाल संरक्षण

iii. महिला विकास

ख. प्रशिक्षण और सामान्य सेवा विभाग

i. प्रशिक्षण

ii. निगरानी एवं मूल्यांकन

iii. सामान्य सेवाएं

संस्थान की गतिविधियां

I. प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.7 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत श्रेणियां: प्रशिक्षण संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। निपसिड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं शामिल होती हैं। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं को तीन अम्ब्रेला योजनाओं अर्थात मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वर्ष (अप्रैल से दिसम्बर, 2022) के दौरान, निपसिड ने 370 ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए (चित्र 1) जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ–साथ समकालीन आवश्यकता आधारित विषयों को शामिल करते हुए प्रबोधन पाठ्यक्रम, संवेदीकरण/कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और परामर्श बैठकें/समीक्षा बैठकें शामिल थीं। अप्रैल से दिसम्बर, 2022 तक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 28090 प्रतिभागियों ने भाग लिया (चित्र 1)।

चित्र 1: निपसिड में आयोजित कार्यक्रमों और प्रशिक्षित किए गए प्रतिभागियों की कुल संख्या (अप्रैल-दिसंबर, 2022)

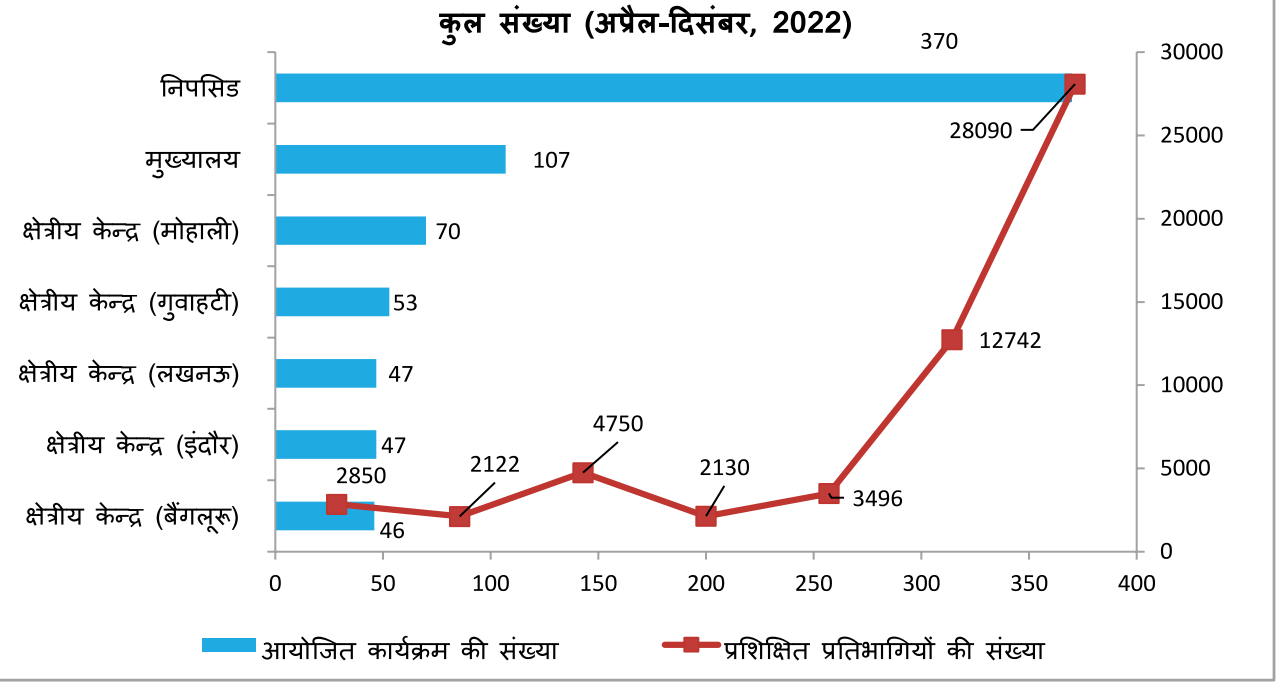

7.8 निपसिड द्वारा आयोजित 370 कार्यक्रमों में से 145 कार्यक्रम (कार्यक्रमों का 39.1 प्रतिशत) अम्ब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा योजना के कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए आयोजित किए गए, 100 कार्यक्रम (27 प्रतिशत) बाल संरक्षण के क्षेत्र में, 62 कार्यक्रम (16.7 प्रतिशत) महिला विकास से संबंधित मुद्दों पर और 63 कार्यक्रम (प्रतिशत) मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों सहित बाल विकास से संबंधित मुद्दों पर आयोजित किए गए (चित्र 2)।

चित्र 2 : निपसिड पर विषय-वार प्रशिक्षण कार्यक्रम (अप्रैल-दिसम्बर, 2022)

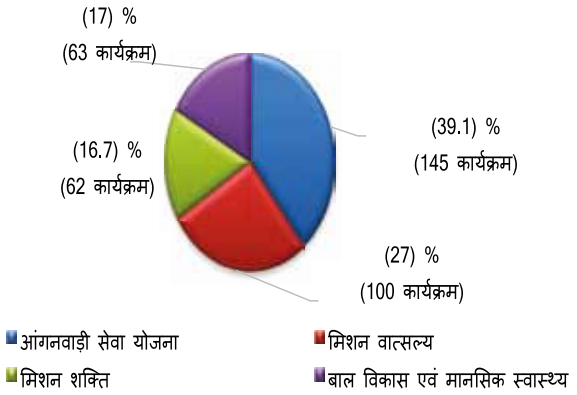

7.9 संसदीय स्थायी समिति ''बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021'' की जांच कर रही है जिसका लक्ष्य प्रदेश में महिलाओं की विवाह की वैध आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करता है। इस संदर्भ में, **पंचायती राज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों के लिए 'बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन एनआईआरडी एवं पीआर तथा संबंधित एसआईआरडी तथा विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों (ईटीसी) के कर्मचारियों की सहायता से 01 जून, 2022** को किया गया था। इस वेबीनार में देशभर की पंचायती राज संस्थाओं के 226 चयनित प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चर्चा के यह पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन चुनाव करवाया गया था कि महिलाओं के विवाह की आयु को 21 वर्ष तक बढ़ाया जाए या नहीं।

7.10 **महिलाओं और बच्चों के मानव दुर्व्यापार रोधी संबंधी एक ऑनलाइन राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन 30 जुलाई, 2022 को किया गया था।** इस परामर्श बैठक में विभिन्न बटालियन जैसे वलसाड़, खड़गपुर तथा विजाग आदि से 3751 आरपीएफ कर्मचारियों ने देशभर के विभिन्न स्थानों से भाग लिया था, जिसमें रेलवे के अधिकारियों के द्वारा सामूहिक जांच की गई थी। इस परामर्श बैठक में दुर्व्यापार से निपटने के उपायों सहित धारण ाओं, प्रवृत्तियों और विस्तार का निपटारा किया गया था। **उत्तर प्रदेश में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों के लिए मानव दुर्व्यापार को रोकने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रशिक्षण 49 आरपीएफ कर्मचारियों की भागीदारी के साथ 20–22 जुलाई, 2022 को किया गया था।**

7.11 **राष्ट्रीय आरंभिक बचपन देखभाल तथा (ईसीसीई) नीति, 2013 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने मजबूत नींव के निर्माण हेतु जीवन के आरंभिक वर्षों पर अधिक बल दिया है,** जोकि खिलौना आधारित अध्यापन के माध्यम से अधिक सुगम बनाया जा सकता है। इस धारणा के समर्थन करते हुए, आरंभिक बचपन विकास को पोषित करने के लिए देशी खिलौनों से संबंधित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में दिनांक 30 सितम्बर, 2022 को किया गया था। इस संगोष्ठी में लगभग 144 आंगनवाड़ी कर्मचारी और देशी खिलौना निर्माताओं ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त, आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा खिलौना बनाने की कार्यशाला का आयोजन स्टेज पर किया गया था और यूट्यूब पर लाइव दिखाया गया था।

7.12 **सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों के तहत आंगनवाड़ी/ मिशन पोषण 2.0 पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन 30 अक्तूबर, 2022** से शुरू करते हुए निपसिड क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली द्वारा किया जा रहा है और यह अभी भी जारी है, जिसके लिए प्रशंसा पत्र सचिव, सिविल सचिवालय, लेह और लद्दाख द्वारा भेजा गया है।

7.13 **पोषण ट्रैकर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रशिक्षण तथा आईसीडीएस के कार्मचारियों के लिए लंबाई/भार मापन कार्यक्रम का आयोजन 17 नवम्बर, 2022** को निपसिड द्वारा किया गया था। जिसमें निपसिड, एफएनबी, और एनजीजीडी के 39 कर्मचारियों ने भाग लिया था। उदघाटन सत्र में, श्री इन्दीवर पाण्डेय, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन कीनोट संबोधन दिया था।

7.14 **उत्कर्ष जिलों में पोषण ट्रैकर कार्यक्रम :–** इसके पश्चात, अन्य बातों के साथ–साथ विकास निगरानी में प्रवीणता तथा पोषण ट्रैकर के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। पहले चरण में, यह प्रशिक्षण दस राज्यों (मिशन उत्कर्ष में चयनित जिलों वाले राज्य) से चार जिलों मे प्रस्तावित है। निपसिड, एफएनबी और एनएएडी से अधिकारियों सहित प्रशिक्षण टीम ने असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश के राज्यों में दिसंबर, 2022 तक 15 उत्कर्ष जिलों में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया है।

7.15 **मिजोरम की बाल देखरेख संस्थाओं तथा जिला बाल संरक्षण एककों के परामर्शकों के लिए प्रभावी परामर्श कौशल से संबंधित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन संवाद–नीमहंस, बैंगलौर तथा समाज कल्याण विभाग, मिजोरम सरकार** के सहयोग से निपसिड द्वारा किया गया था जिसमें मिजोरम के 11 जिलों के परामर्शदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बाल देखरेख संस्थाओं और जिला बाल संरक्षण एकक के विशेष प्रशिक्षकों सहित कुल 61 भागीदारों ने भाग लिया था। प्रशिक्षण का दूसरा चरण जनवरी, 2023 के माह से प्रस्तावित है।

7.16 बाल विकास, महिला विकास, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य, सिचाई के प्रमुख क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले प्रमुख संसाधन वाले व्यक्तियों को ऑनलाइन सत्रों के लिए आमंत्रित किया गया था ताकि भागीदारों के सीखने के अनुक्रम को समृद्ध बनाया जा सके और समग्र स्वास्थ्य, पोषण स्थिति को सुधारने के लिए राज्यों द्वारा अपनाई जा रही अच्छी पद्धतियों का विचार प्राप्त किया जा सके और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा बेहतरी को सुनिश्चित किया जा सके।

(II) अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययन/दस्तावेजीकरण/संकलन

7.17 मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय केंद्र इसके अधिकार में आने वाले क्षेत्रों में अनुसंधान करते हैं। स्वतंत्र पहल के रूप में या प्रायोजक/विभाग एजेंसी के अनुरोध पर महिला एवं बाल विकास संबंधी स्कीमें या परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन किए जाते हैं। रिपोर्टों, संकलन तथा मैनुअल के रूप में अनुसंधान कार्य का दस्तावेजीकरण व्यापक प्रभार हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट, संकलन और मैनुअल के रूप में अनुसंधान कार्य का दस्तावेजीकरण व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए भी किया जाता है। वर्ष (31 दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान 8 अनुसंधान अध्ययन पूरा होने वाला है।

(III) क्षेत्रीय प्रदर्शन और परामर्श सेवाएं

7.18 यह संस्था अपने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केंद्रों में क्षेत्रीय प्रशासन सेवाएं चलाती है और अपनी रूचि के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकाशन निकालती है। निपसिड पर बाल दिशा–निर्देश केंद्र (सीजीसी) बच्चों और परिवारों की भावनात्मक बेहतरी को वापस लाने के मिशन के साथ गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान करना जारी रखे हुए है। वर्ष 2022–23 से अब तक मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों पर सीजीसी पर 451 नए मामले दर्ज किए गए थे। इसके अतिरिक्त 710 बच्चों ने विभिन्न प्रयासों हेतु अनुवर्तन कार्यवाही की थी। बच्चों और माता–पिता के लिए कुल 4248 ऑनलाइन परामर्शों का आयोजन किया गया था।

7.19 व्यस्क दिशा–निर्देश सेवा केंद्र (एजीएससी) व्यस्कों के सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कार्य करता है। व्यापक व्यस्क दिशा–निर्देशन कार्यक्रम जिसमें परामर्श तथा समर्थित मध्यक्षेप शामिल है, के माध्यम से केंद्र 12 से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों में स्वास्थ्यवर्धक मनोवैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित करता

है। वर्ष 2022–23 से अब तक एजीपीसी के पास नामांकित होने वाले किशोरों के 77 नए मामले आए थे। लगभग 200 अनुवर्तन मामलों पर भी परामर्श दिया गया था और वर्ष के दौरान विभिन्न मूल्यांकनों तथा समाधान के लिए लगभग 933 परामर्श किए गए थे।

(IV) महत्वपूर्ण गतिविधियां

7.20 निपसिड में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 का पालन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, निपसिड ने 02 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाया था। इस विशेष अभियान का आयोजन दो चरणों अर्थात 14 से 30 सितम्बर, 2022 तक प्राथमिक चरण और 02 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक द्वितीय चरण में कार्यान्वयन किया गया था। विशेष अभियान 2.0 के पूर्व प्रारंभिक चरण में निपसिड के क्षेत्र में 36 अभियान स्थलों को चिन्हित किया था और बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई), विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों (एसएए) और महिला आश्रय गृहों/स्वाधार गृहों/उज्ज्वल गृहों पर संपर्क गतिविधियों का आयोजन किया था। इसके अतिरिक्त, निपसिड के मुख्यालय तथा इसके पांच क्षेत्रीय केंद्रों पर ई–वेस्ट, पुराने रिकॉर्ड तथा फर्नीचर सहित अन्य बेकार सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुओं को हटाने की पहचान निर्धारित नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार निपटाने हेतु की गई थी। पुरानी पुस्तकों, वीडियो तथा डॉक्यूमेन्टरी के लिए नेशनल आर्काइब्स ऑफ इंडिया के सहयोग में अभिसरण गतिविधियां की गई थी। निपसिड, नई दिल्ली के चयनित कक्षों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया था और निपसिड के मुख्यालय पर लगभग 1887.7 स्क्वायर फीट क्षेत्र स्वीकृत किया गया है।

7.21 निपसिड, नई दिल्ली में 29 अक्टूबर, 2022 को स्वच्छता अभियान 2.0 के लिए माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का दौरा :–

माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के दौरे के दौरान निपसिड, नई दिल्ली से स्वच्छता विशेष अभियान 2.0 के अंतर्गत चिन्हित बेहतर पद्धतियों को दर्शाया गया था। इससे वर्षों के जल की भण्डारण प्रणाली का नवीनीकरण, पहुंच योग्य वातावरण/विकलांगों की सुविधा वाला प्रशासनिक भवन और नेशनल आर्काइब्स ऑफ इंडिया के सहयोग से छात्रावास तथा समीक्षा को शामिल किया गया था। श्री इन्दीवर पाण्डेय, आईएएस, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विशेष अभियान 2.0 के अंतर्गत की जा रही कार्यवाई की समीक्षा करने के लिए 27 अक्टूबर, 2022 को निपसिड का दौरा किया था।

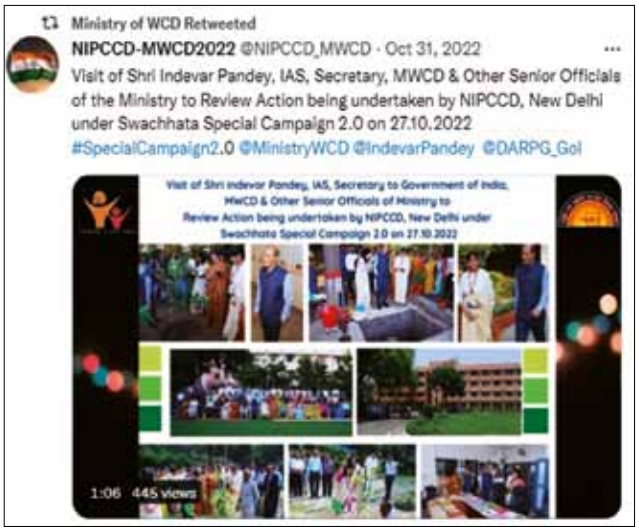

7.22 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने "महिला और स्वास्थ्य" तथा "बच्चा और शिक्षा" पर ध्यान देते हुए 01 से 30 सितम्बर, 2022 तक पांचवां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मनाया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

के निर्देशानुसार, निपसिड ने अपने कर्मचारियों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों, बाल देखरेख संस्थाओं, पंचायत स्कूलों तथा कॉलेजों में 32 संपर्क गतिविधियां की थी। इस एक माह लंबे चले समारोह में स्वस्थ भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, 6 वर्ष से कम के बच्चों और किशोरियों पर विशेष ध्यान देते हुए संवेदनशील अभियानों, संपर्क कार्यक्रमों, पहचान अभियानों, कैंपों और मेलों के माध्यम से जमीनी स्तर पर पोषण के बारे में जागरूकता लाने के लिए देश भर में व्यापक गतिविधियों का आयोजन किया गया था। पंचायत स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारियों तथा सीडीपीओ के दिशा–निर्देश में स्थानीय कर्मचारियों के अभिसरण से जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया था।

7.23 क्षेत्रीय केंद्रों में आयोजित होने वाली गतिविधियों में से एक गतिविधि में कैम्पस में पोषण वाटिका स्थापित करने, जड़ी–बूटियां तथा चिकित्सकीय पौधे लगाने पर व्याख्यान–सह–प्रदर्शन शामिल था। आंगनवाड़ी सेवाओं पर जागरूकता अभियान और बेहतर स्वास्थ्य पद्धतियों का आयोजन भी किया गया था। आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) पर या उनके निकट पोषण बगीचों या पोषण वाटिकाओं के लिए विशेष सुग्राहीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

7.24 14 से 30 सितम्बर, 2022 तक 'हिंदी पखवाड़े' का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान बहुत सी प्रतियोगिताओं जैसे ''हिंदी लेखन'' तथा हिंदी अनुवाद ज्ञान, निबंध लेखन, और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, हिंदी भाषा के बारे में सकारात्मक धारणा को प्रोत्साहित करने और भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए संस्था के स्टाफ तथा कर्मचारियों हेतु हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया था।

8

राष्ट्रीय महिला आयोग

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

राष्ट्रीय महिला आयोग

(I) प्रस्तावना

8.1 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसरण में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की स्थापना महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण और प्रोत्साहन हेतु वैधानिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 में की गई थी। आयोग को संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदत कानूनी सुरक्षा उपायों के अन्वेषण और जांच करने तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों के लिए सरकार को सिफारिश करने का अधिदेश है। इसके अलावा आयोग को महिलाओं को प्रमाणित करने वाले संविधान के वर्तमान प्रावधानों और अन्य कानूनों की समीक्षा करने और इन कानूनों में किसी अंतर या अपर्याप्तता को दूर करने के लिए संशोधित की सिफारिश करने, शिकायतों की जांच करने, महिलाओं के अधिकारों के वंचित होने से संबंधित मामलों पर स्वतः संज्ञान लेने और उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ मामले को उठाने, महिलाओं की उपयुक्तता वाले मामलों पर अनुसंधान अध्ययन करने, पुलिस अधिकारियों के लैंगिक सुग्राहीकरण, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेने तथा सलाह देने, सामाजिक आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन करने, जेलों, रिमांड गृहों जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है, का निरीक्षण करने और जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्यवाई की मांग करने का भी अधिदेश है।

8.2 आयोग द्वारा महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच की गई है और बहुत से मामलों में प्रभावित महिलाओं को तत्काल राहत प्रदान की गई है। महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने से संबंधित परिवेदन और शिकायतों का निपटारा और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु पारित किए गए कानूनों को लागू न करना आयोग द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक गतिविधि है। आयोग शिकायतों का नियंत्रण/प्रक्रिया करते समय, राज्य पुलिस प्राधिकरणों, राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के साथ अपने संपर्कों का लाभ उठाता है।

II. प्राप्त होने वाले और निपटाई गई शिकायतों का विवरण

8.3 2022 के दौरान (1 जनवरी से 31 मार्च, 2022 और 1 अप्रैल से 31 दिसबंर, 2022 तक) आयोग के सी एंड आई प्रकोष्ठ ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कुल 30957 शिकायतों/मामलों का पंजीकरण किया था।

8.4 वर्ष 2022 (1 जनवरी से 31 मार्च 2022 और 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2022 तक) के दौरान आयोग द्वारा दर्ज शिकायतों का प्रवृतिवार और राज्य वार वितरण क्रमशः **अनुलग्नक XXII** और **अनुलग्नक XXIII** में संलग्न है।

8.5 **महिला जन सुनवाई** : बढ़ती हुई शिकायतों पर विचार करते हुए, आयोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य/जिला पुलिस प्राधिकरणों के सहयोग में ''महिला जन सुनवाई का आयोजन कर रहा है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक आयोग ने 11 (ऑनलाइन और ऑफलाइन) जनसुनवाई का आयोजन किया है।

8.6 **कानूनी सहायता सेवा क्लिनिक** : राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को और अधिक पहुँच योग्य बनाने के लिए 29 मार्च 2022 को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्ले सहयोग से कानूनी सहायता सेवा क्लिनिक की शुरुआत की थी। यह

कानूनी सहायता क्लिनिक घरेलू हिंसा तथा अन्य मामलों में उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने महिलाओं की शिकायतों के निपटारे हेतु सिंगल विंडो सुविधा के रूप में कार्य करता है।

8.7 **24 X 7 एनसीडब्ल्यू महिला हेल्पलाइन 7827170170**: दिनांक 27 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने संबंधित पुलिस, अस्पतालों, विधिक सेवा प्राधिकरण, मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि के साथ उन्हें जोड़कर रेफरल के माध्यम से संकट में पड़ी महिलाओं को ऑनलाइन सहायता प्रदान करने के लिए 24X7 हेल्पलाइन 7827170170 की शुरुआत की थी इस होटल का संचालन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से आईवीआर वार्ता तंत्र द्वारा किया जाता है। दिनांक 15.01.2023 तक आयोग ने 45511 कॉल प्राप्त हुई (जनवरी से मार्च 2022 तक) तो तथा जांच के संबंध में 119757 कॉल (अप्रैल से दिसंबर 2022) प्राप्त हुई।

III. एनआरआई की शिकायतों का निपटारा

8.8 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) प्रकोष्ठ को देशभर तथा विदेश से एनआरआई विवाह से संबंधित मामलों पर महिलाओं की शिकायतें प्राप्त होती है जो कि प्रमुख रूप से घरेलू हिंसा, परित्याग, दहेज की मांग, प्रतिवादी के देश छोड़ देने की आशंका, पति तथा पति के घरवालों द्वारा पासपोर्ट जप्त कर लेना, बच्चों की कस्टडी का मामला, विदेश मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत वित्तीय तथा कानूनी सहायता, अनुरक्षण विदेश में दस्तावेज की तमिल, पति के स्थान की जानकारी ना होना, पत्नी का अपने पति के पास जाने में असमर्थ होना आदि से संबंधित होती है।

8.9 फर्स्ट महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) एनआरआई के वैवाहिक विवादों को निपटाने के लिए विभिन्न मंत्रालय जैसे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के बीच अभिसरण दृष्टिकोण अपनाता है। वर्ष 2022 के दौरान संबंधित प्राधिकरण तथा अन्य लोगों को लगभग 3500 पत्र जारी किए जा चुके हैं।

8.10 शिकायतकर्तो/उत्तरजीविताओं को आयोग से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने पर कानूनी पेशेवरों तथा परामर्शकों द्वारा मनोवैज्ञानिक सामाजिक और कानूनी परामर्श भी प्रदान किया जाता है और एनआरआई प्रकोष्ठ द्वारा मामलों से निपटते समय मध्य क्षेत्र के बारे में भी अवगत कराया जाता है। अवधि के दौरान एनआरआई प्रकोष्ठ द्वारा दैनिक आधार पर प्राप्त टेलीफोन संबंधी परामर्श के अतिरिक्त लगभग 45 शिकायतों पर परामर्श भी प्रदान किया गया है।

8.11 संबंधित प्राधिकरण के साथ मामले को उठाने या पक्षों के बीच सहमति करवाने के संबंध में जहां भी अपेक्षित आवश्यक प्रयास हेतु आयोग के पास दर्ज मामलों में सुनवाई भी की जाती है। अवधि के दौरान लगभग 20 मामलों में सुनवाई की गई है।

8.12 नीचे दी गई तालिका एनआरआई प्रकोष्ठ में वर्ष 2022 में दर्ज शिकायतों का ब्यौरा दर्शाती है:–

अवधि वर्ष (2022)	प्राप्त शिकायतों की संख्या
वर्ष 2020–2021 (1 जनवरी 2022 से 31 मार्च, 2022)	109
वर्ष 2021–2022 (1 अप्रैल, 2022 से 31 दिसंबर, 2022)	372
कुल	**481**

IV. घटनाओं/मामलों का स्वत संज्ञान

8.13 राज्य महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 (1) और 10 (4) के तहत एनसीडब्ल्यू महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित कानूनों को लागू न करने के संबंध में मीडिया रिपोर्टों और शिकायतों के आधार पर मामलों का स्वयं संज्ञान लेता है। समानता इस मामले में रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरण से मांगी जाती है महिला के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराध के मामले में आयोग द्वारा जांच समितियों/तथ्य का पता लगाने वाली टीमों का गठन भी किया गया था और अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के लिए आयोग को सिफारिशों/निष्कर्षों को प्रस्तुत करती है और इन्हें आगे की उचित कार्यवाही हेतु संबंधित प्राधिकरण को प्रेषित कर दिया गया था।

V. कानूनी मामले पर चर्चा

8.14 **"आपराधिक कानून की समीक्षा – महिलाओं की स्थिति में सुधार" पर परामर्शः** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 12 जनवरी, 2022 को डी. ओ. संख्या 10/सचिव/डब्ल्यूसीडी/2022 के माध्यम से माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री को माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार के पत्र के संदर्भ में भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 नामक अपराधिक विधि पर राष्ट्रीय महिला आयोग से संभावित सिफारिशें मांगी थीं। इस संबंध में, आयोग ने 18.01.2022 और 22.01.2022 को 'आपराधिक कानून की समीक्षा– महिलाओं की स्थिति में सुधार' के लिए दो प्रारंभिक परामर्श (ऑनलाइन मोड) आयोजित किए थे। इसके बाद, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू), ओडिशा, एनएलयू और ज्यूडिशियल एकेडमी, असम, विधि विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी, डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे के सहयोग से पांच क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए गए, जिसके बाद नई दिल्ली में 18.02.2022 को परामर्श किया गया था।

8.15 **"घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005" की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय परामर्शः** राष्ट्रीय महिला आयोग ने "घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005" की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय परामर्शों का आयोजन किया ताकि विविध क्षेत्रों और विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोणों को शामिल किया जा सके। यह कानून को अधिक समावेशी बनाने के लिए किया गया था। वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप यात्रा और सभा प्रतिबंधों के कारण, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के प्रावधानों पर विचार–विमर्श और समीक्षा करने के लिए वेबिनार के माध्यम से पांच क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए गए।

8.16 **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और 2017 संशोधन पर कानून समीक्षा परामर्शः** महिलाओं के लिए कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए धारा 10(1) (डी) के तहत अपने जनादेश के अनुसरण में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और 2017 संशोधन की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीन चरणों में परामर्श आयोजित किया है और अधिनियम में संशोधन तथा इसके संपर्क को बढ़ाने के लिए विशिष्ट सिफारिशें तैयार करने के लिए अधिनियम की जांच हेतु 18.06.2022 को अंतिम निर्णयक परामर्श बैठक का आयोजन किया था।

8.17 **"पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984" पर कानून की समीक्षाः** आयोग ने 7 मई, 2022 को कानूनी विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर एक 'प्रारंभिक बैठक' आयोजित की थी ताकि मौजूदा कानून और उसके कार्यान्वयन की पूरी तरह से समीक्षा की जा सके। इसके बाद, आयोग ने परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 से संबंधित कानून में व्यापक बदलाव का सुझाव देने की प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों के दृष्टिकोणों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को शामिल करने के लिए 5 क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए।

8.18 **"मुस्लिम महिलाओं के अधिकार – मुस्लिम व्यक्तिगत विधि की समीक्षा" पर कानून समीक्षा परामर्शः** आयोग ने "मुस्लिम महिलाओं के अधिकार – मुस्लिम व्यक्तिगत विधि की समीक्षा" विषय पर कानून समीक्षा परामर्श आयोजित करने का निर्णय लिया। इस संबंध में, विषय से संबंधित कानून में व्यापक बदलाव का सुझाव देने की प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए पांच क्षेत्रीय परामर्श बैठकों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था। इन कानूनी समीक्षा परामर्श बैठकों का आयोजन वर्तमान समय में मुस्लिम महिलाओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की समीक्षा और विश्लेषण करने के उद्देश्य से कानून समीक्षा परामर्श का आयोजन किया जा रहा है। चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ की कोई संहिता नहीं है। यह विवाह और तलाक से संबंधित मामलों में मुस्लिम महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए विनियमामक, उपकरणों, क़ानून, सिफारिशें, दिशानिर्देश आदि विकसित करने का भी प्रयास है।

VI. पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहल

8.19 **नस्लीय विविधता संवेदनशीलता पर संगोष्ठी (26 मार्च, 2022):** भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा

31 अक्टूबर, 2015 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल की घोषणा की गई थी। पहल को ध्यान में रखते हुए, 26 मार्च 2022 को, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम), पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर व डी) और दिल्ली पुलिस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एसपीयूएनईआर) के लिए विशेष पुलिस इकाई के साथ विज्ञान भवन, नई दिल्ली में नस्लीय विविधता संवेदनशीलता पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि – डॉ. राजकुमार रंजन सिंह, राज्य मंत्री, विदेश और शिक्षा, सम्मानित पैनलिस्ट और हितधारक संगठनों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

8.20 **श्रीनगर में महिला कारीगरों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम (23 से 27 मई, 2022):** राष्ट्रीय महिला आयोग ने निफ्ट के सहयोग से निफ्ट श्रीनगर परिसर में 23 से 27 मई (5 दिवसीय) के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर और लद्दाख की महिला कारीगरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा कौशल डिजाइन सॉल्यूशन/ई–कॉमर्स/ विकासित बाजार प्रकृति आदि के संदर्भ में वर्तमान कौशल का उन्नयन करना था।

8.21 **नागालैंड के छात्रों का एक्सपोजर ट्रिप (6 से 10 जून, 2022):** राष्ट्रीय महिला आयोग ने 6 से 10 जून, 2022 तक नागालैंड के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाली दस लड़कियों की दौरे की मेजबानी तथा प्रायोजित किया। इस दौरे का उद्देश्य उन्हें सरकारी संस्थानों/राष्ट्रीय आयोगों तथा दिल्ली में जन हित और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की कार्यप्रणाली से अवगत कराना था। छात्रों ने संसद भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय, विभिन्न राज्य भवनों, राष्ट्रीय आयोगों जैसे अल्पसंख्यक आयोग, एनसीपीसीआर, एनसीएसटी और दिल्ली पुलिस के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस (एसपीएनईआर) का दौरा किया। उन्हें माननीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू से मिलने और बातचीत करने का भी अवसर मिला। उनके समग्र दौरे की सबसे महत्वपूर्ण बात, माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक थी, जिसमें उन्होने पूर्वोत्तर के बारे में उनके दृष्टिकोण, नागालैंड में उनके अनुभवों तथा दैनिक जीवन के योग के महत्व सहित कई अन्य विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री से चर्चा की और उनके विचार मांगे।

8.22 **"अरुणाचल प्रदेश में बहुविवाह प्रथा के मुद्दे पर भाषण'' संबंधी संगोष्ठी (14 नवंबर, 2022):** राष्ट्रीय महिला आयोग ने अरुणाचल राज्य महिला आयोग के सहयोग से "अरुणाचल प्रदेश में बहुविवाह प्रथा के मुद्दे को पर भाषण" पर संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें श्री अशोली चलाई, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया।

VII नीति निगरानी और अनुसंधान प्रकोष्ठ

8.23 प्रति वर्ष, आयोग वर्तमान मुद्दों से संबंधित लैंगिक विशिष्ट विषयों पर एनसीडब्ल्यू अधिनियम, 1990 की धारा 10 के तहत अधिदेश के कार्यान्वयन के लिए सेमिनार/वेबिनार/ सम्मेलन/कार्यशालाएं और अनुसंधान अध्ययन को करने के लिए सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों आदि के साथ सहयोग करता है।

8.24 अधिदेश के अनुसार, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ऑनलाइन अनुदान और संगोष्ठी प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए मई–जून, 2022 के दौरान सार्वजनिक सूचना जारी की थी। ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की विस्तारित अंतिम तिथि जुलाई, 2022 थी। आयोग ने अनुसंधान अध्ययन करने के लिए 201 प्रस्ताव और सेमिनार के लिए 1101 प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रस्तावों की जांच के बाद, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आयोग द्वारा वित्त पोषण के लिए **15 अनुसंधान अध्ययन और 35 सेमिनारों** को मंजूरी दी गई थी।

8.25 वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अनुसंधान अध्ययन और सेमिनार के लिए स्वीकृत विषय हैं:

I. महिला पुलिस स्टेशन/महिला थाना (कार्यप्रणाली, दक्षता एवं प्रभाविकता;

II. विकलांग महिलाओं (डीएडब्ल्यू) के अधिकार;

III. महिलाओं को न्याय दिलाने में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की भूमिका; और

IV. अर्धसैनिक बलों में महिलाएं

V. खेल में महिलाएं

8.26 वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आयोग द्वारा 15 अनुसंधान अध्ययन और 35 सेमिनारों का अनुमोदन प्रदान किया गया था।

8.27 महिला–केंद्रित अनुसंधान अध्ययनों को बढ़ावा देने के प्रयास के साथ, राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिसंबर, 2022 के महीने में संबंधित विषय में एक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और महिलाओं से संबंधित समसामयिक मुद्दों से संबंधित मौजूदा नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं/परियोजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करने के उद्देश्य से विशेष अनुसंधान अध्ययन करने के लिए चार प्रतिष्ठित संस्थानों का चयनित और अनुमोदित किया। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुल 04 विशेष अनुसंधान अध्ययनों को अनुमोदित किया गया था। विशेष अनुसंधान अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय/एनजीओ और अनुसंधान अध्ययन विषय निम्नलिखित हैं:

यूनिवर्सिटी/ संस्थान	विषय
भारतीय स्त्री शक्ति (बीएसएस), मुंबई	खेलों में महिलाओं की स्थिति और उनके लैंगिक मुद्दे
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा	हरियाणा राज्य में "बेटी बचाओ बेटी पढाओ" योजना का मूल्यांकन
एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र	युवा महिलाओं के लिए साइबर हिंसा की व्यापकता, प्रकृति और जागरूकता और वेब 2.0, महाराष्ट्र से अध्ययन
कलकत्ता विश्वविद्यालय	महिलाओं के लिए एक पेशे के रूप में खेलः बल तथा बाधा

VIII जेलों/कस्टोडियल होम्स और मनोवैज्ञानिक संस्थाओं का निरीक्षण

8.28 **हिंसा मुक्त घर पर क्यूसीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर एनसीडब्ल्यू–टीआईएसएस प्रोजेक्ट का थर्ड पार्टी ऑडिट** –: राष्ट्रीय महिला आयोग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), मुंबई ने मिलकर "हिंसा मुक्त घर– महिला का अधिकार" परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मिलकर कार्य किया था। इस परियोजना के तहत, पुलिस स्टेशनों के भीतर प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं वाले विशेष प्रकोष्ठ ने मनोवैज्ञानिक–सामाजिक–कानूनी सेवाएं प्रदान की थी और हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य किया था। परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए, एनसीडब्ल्यू ने सीपीपी पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए और उसके बाद थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

8.29 **मध्य प्रदेश में बेदिया समुदाय का मानव दुर्व्यापार और क्षमता निर्माणः** माननीय अध्यक्ष, एनसीडब्ल्यू ने विशेष संवादाता, एनसीडब्ल्यू के साथ इसके अनुसंधान, सहायता तथा क्षमता निर्माण दोजन (आरएसीई) प्रयोगशाला के माध्यम से बेडिया समुदाय के साथ कार्य के संवेदना (मानव तस्करी के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ) के दृष्टिकोण को समझने के लिए 14 जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक भोपाल का दौरा किया।

8.30 **परिवार परामर्श केंद्रों का दौराः** राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के हितों की रक्षा करने, उन्हें बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने का व्यापक अधिदेश प्राप्त है। आयोग के अधिदेश के अनुसरण में, माननीय अध्यक्ष, श्रीमती रेखा शर्मा ने पार्षद के साथ 20 मई, 2022 को भोपाल, मध्य प्रदेश और 24 मई, 2022 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में परिवार परामर्श केंद्रों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान, उन्होंने कई अधिकारियों से मुलाकात की और संबंधित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा और वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की थी।

8.31 **क्षेत्रीय परामर्श बैठकें: (i) पूर्वी क्षेत्रीय परामर्श बैठकः** एनसीडब्ल्यू ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा में 25 नवंबर, 2022 को स्वाधार ग्रह और वन स्टाप सेंटर पर एनजीओ के साथ परामर्श तथा 2014 में एनसीडब्ल्यू की उपलब्धियों पर क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया था **(ii) पश्चिमी क्षेत्रीय परामर्श बैठकः** एनसीडब्ल्यू ने गुजरात विश्वविद्यालय के महिला विकास प्रकोष्ठ और आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के सहयोग से उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं और मुद्दों तथा महिला कल्याण, आश्रय, सुरक्षा तथा सशक्तिकरण और अधिकारों के संरक्षण के लिए चर्चा हेतु 9 दिसंबर, 2022 को राज्य महिला और बाल विकास आयोग के प्रतिनिधियों, विभिन्न हितधारकों जैसे कि एनजीओ, स्वाधार गृह, उज्ज्वला, वन स्टॉप सेंटर सहित एक दिवसीय पश्चिम क्षेत्र परामर्श बैठक का आयोजन किया **(iii) उत्तर क्षेत्रीय परामर्श बैठकः** राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला अध्ययन संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से 25 अगस्त, 2022 को लखनऊ विश्वविद्यालय में 'एक दिवसीय क्षेत्रीय परामर्श बैठक' का आयोजन किया। **(iv) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परामर्श बैठकः** राष्ट्रीय महिला आयोग ने सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज, कॉटन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी के सहयोग से 2014 में राष्ट्रीय महिला आयोग और स्वाधार गृह, उज्ज्वला तथा वन स्टॉप सेंटर की उपलब्धियों पर क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया था। **(v) आश्रय गृह का औचक दौरा –दिल्ली** : आयोग के दो सदस्यीय दल ने दिनांक 19.09.2022 को निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण

का उद्देश्य विभिन्न सुविधाओं जैसे कि अल्प आश्रय गृह, नारी निकेतन, प्रेक्षण गृह, विधवा गृह तथा सुरक्षित स्थान आदि का अवलोकन करना था। दल ने अधीक्षक और उनके स्टाफ से विचार–विमर्श किया।

IX. क्षमता निर्माण और महिला कल्याण

8.32 एसडब्ल्यूसी के साथ इंटरएक्टिव बैठक: आयोग ने एचपी एसडब्ल्यूसी के सहयोग से धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में सुश्री रेखा शर्मा की अध्यक्षता में 7 से 8 जनवरी, 2022 तक एसडब्ल्यूसी के साथ एक इंटरैक्टिव बैठक आयोजित की। बैठक में 15 एसडब्ल्यूसी के पदाधिकारियों ने भाग लिया जिसमें अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव शामिल थे।

8.33 राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वां स्थापना दिवस: राष्ट्रीय महिला आयोग के 30 वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोग ने **"वूमन इन डिसीजन मेकिंग– शी इज ए चेंजमेकर है"** विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन किया। सत्र का मुख्य उद्देश्य राजनीति, कॉर्पोरेट क्षेत्र, प्रशासन, मीडिया/मनोरंजन आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न विषयगत क्षेत्रों की महिला नेताओं और मार्गदर्शकों को अपने व्यापक अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करने के लिए एकत्रित करना था

8.34 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्सव – 2022 शी द चेंज मेकर रुवोरस्तेनाथेआसान: राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'शी द चेंजमेकर रुवोरस्तेनाथेआसान' मनाया। यह उत्सव उन सभी असाधारण महिलाओं के लिए एक श्रद्धांजलि थी जिन्होंने हर रूढ़िवादिता को तोड़ा और न केवल स्वयं के लिए अवसर पैदा किए बल्कि अपने आसपास की महिलाओं का उत्थान भी किया। आयोग ने उन बहादुर महिला अचीवर्स और लीडर्स को आमंत्रित किया जिन्होंने अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है और उन लाखों महिलाओं को प्रेरित करके एक श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पैदा किया है जो कभी केवल बदलाव का सपना देखती थीं।

8.35 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस– 2022 को मनाने के लिए अन्य कार्यक्रम:

(i) **जागरूकता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने लिए नुक्कड़ नाटक:** आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए नुक्कड़ नाटक तैयार करने के लिए दो थिएटर ग्रुप– अनुष्ठान और एमआईटीआर रंगमंच को नियुक्त किया।

(ii) **एसडब्ल्यूसी के साथ गतिविधियाँ:** आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एसडब्ल्यूसीएस द्वारा शुरू की गई विभिन्न जागरूकता गतिविधियों को वित्तपोषित किया है जैसे

(क) **राष्ट्रीय महिला संसद :** महिला राष्ट्रीय संसद विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को उनके लिंग विशिष्ट मुद्दों पर प्रकाश डालने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। राजनीति, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, खेल, कॉर्पोरेट, मीडिया, कला और संस्कृति, न्यायपालिका क्षेत्र की महिलाएं और युवा आकांक्षी छात्राएं अपने अनुभवों को मंचित करने, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में ज्ञान और अनुसंधान साझा करने के लिए एक साथ आती हैं। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और असम में एसडब्ल्यूसी के सहयोग से महिला राष्ट्रीय संसद का आयोजन किया गया।

(ख) एसडब्ल्यूसी के साथ नुक्कड़ नाटक मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और असम राज्यों में भी आयोजित किए गए थे। **नाटकों का विषय था : इनक्रिजिंग मैरिज़ एज ऑफ वूमन: ए सिस्टेमैटिक प्रोग्रेशन एंड मैटर ऑफ पब्लिक हैल्थ एंड इक्वॉलिटी; एडवोकेटिंग फॉर गर्ल्स राइट टू एजुकेशन 'मेन स्ट्रीमिंग' वूमंस एम्वॉरमेंट।**

(ग) **एसडब्ल्यूसी के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता क्लिनिक की स्थापना:** आयोग ने अपने संबंधित आयोगों में निःशुल्क कानूनी

सहायता क्लीनिक स्थापित करने के लिए 15 एसडब्ल्यूसी को निधियां अनुमोदित की है। तदनुसार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और असम के एसडब्ल्यूसी ने मुफ्त कानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित किए।

X. मीडिया और आउटरीच कार्यक्रम

8.36 राष्ट्रीय महिला आयोग सोशल मीडिया पर सक्रिय भूमिका निभाता है और महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए न केवल जमीनी गतिविधियों के माध्यम से बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सक्रिय कदम उठा रहा है, जो कि वर्तमान समय में नई मुख्यधारा हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर आयोग द्वारा आयोजित कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

8.37 डिजिटल शक्ति : नवंबर 2022 में, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की, जो साइबरस्पेस में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और कौशल प्रदान करने की एक अखिल भारतीय परियोजना है। महिलाओं और लड़कियों के लिए ऑनलाइन सुरक्षित स्थान बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, डिजिटल शक्ति 4.0 महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाने और ऑनलाइन किसी भी अवैध/अनुचित गतिविधि के खिलाफ खड़े होने के लिए जागरूक बनाने पर केंद्रित है। एनसीडब्ल्यू ने इसे साइबरपीस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया।

XI. जम्मू और कश्मीर सेल और लद्दाख सेल

8.38 मार्च 2021 में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस), मुंबई के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट "हिंसा मुक्त घरः महिला अधिकार– जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित क्षेत्रों में 12 पायलट स्पेशल सेल" शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।''

XII. मानव दुर्व्यापार रोधी सेल

8.39 **25 जून, 2022 को "मानव दुर्व्यापार रोधी जागरूकता" पर संगोष्ठी** : देश भर में मानव दुर्व्यापार के मामलों को हल करने के साथ–साथ क्षमता निर्माण और मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों के प्रशिक्षण में प्रभावशीलता को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2 अप्रैल 2022 को मानव दुर्व्यापार रोधी सेल की स्थापना की जो कानून प्रवर्तन मशीनरी को और मजबूत और संवेदनशील बनाएगी। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के सहयोग से 25.06.2022 को नई दिल्ली में मानव दुर्व्यापार रोधी जागरूकता पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया।

8.40 29 अगस्त, 2022 को मोरेह, मणिपुर में मानव दुर्व्यापार रोधी जागरूकता सेमीनार : राष्ट्रीय महिला आयोग ने मणिपुर राज्य महिला आयोग के सहयोग से 29 अगस्त, 2022 को मणिपुर के टेंग्नौपाल और चंदेल जिलों के मोरेह में मानव तस्करी विरोधी जागरूकता पर एक सेमिनार का आयोजन किया।

8.41 शिलांग, मेघालय में 28 सितंबर, 2022 को "एनईआर में महिलाओं का मानव दुर्व्यापार रोकने" पर संगोष्ठी: मेघालय राज्य महिला आयोग और उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने 28 सितंबर, 2022 को शिलांग, मेघालय में "एनईआर में महिलाओं का मानव दुर्व्यापार रोकने" पर एक क्षेत्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया।

8.42 16 दिसंबर, 2022 को मुंबई में "मानव दुर्व्यापार रोधी जागरूकता" पर संगोष्ठी: महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र एससीडब्ल्यू के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने 16 दिसंबर, 2022 को मुंबई में "मानव दुर्व्यापार विरोधी जागरूकता" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

XII नई पहल

8.43 उद्यमिता कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना : जनवरी से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान, आयोग ने प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान, **भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर (आईआईएम–बी)** के साथ सहयोग किया है और वैचारिक स्तर पर इच्छुक महिला उद्यमियों की सहायता और डिजिटल शिक्षण प्रायोजन के लिए अंग्रेजी और हिंदी में 6 सप्ताह के ऑनलाइन द्विभाषी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे बैच की परिकल्पना की है। 300 प्रतिभागियों वाला तीसरा बैच 7 मार्च, 2022 को शुरू किया गया था।

8.44 पुलिस अधिकारियों/पदधारियों के लैंगिक संवेदीकरण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू): राष्ट्रीय महिला आयोग और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने देश भर के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 15 जुलाई, 2021 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। जनवरी से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, 4 बैचों का प्रशिक्षण सीडीटीआई, हैदराबाद, सीडीटीआई, चंडीगढ़, सीडीटीआई, गाजियाबाद और पुलिस प्रशिक्षण स्कूल प्रोथ्रापुर, पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया है। अप्रैल से दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान, 6 बैचों का प्रशिक्षण सीडीटीआई चंडीगढ़, सीडीटीआई जयपुर, शेर–आई–कश्मीर अकादमी, जम्मू और कश्मीर और महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर, जालंधर पंजाब द्वारा आयोजित किया गया है।

8.45 **'शी इज़ ए चेंजमेकर' – राजनीति में महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** राष्ट्रीय महिला आयोग अलग – अलग स्तर पर राजनीति में

महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अपने क्षमता निर्माण कार्यक्रम **'शी इज़ ए चेंजमेकर'** के तहत अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग कर रहा है। जनवरी से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, महाराष्ट्र, मिजोरम, असम और तेलंगाना राज्यों में **पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों** की महिला प्रतिनिधियों के लिए 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अप्रैल से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान 41 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं; जिनमें से केरल, त्रिपुरा, असम, तमिलनाडु, मेघालय, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना राज्यों में पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की महिला प्रतिनिधियों के लिए 39 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं॰ विधान सभाओं की महिला सदस्यों (विधायकों) के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी के सहयोग से 2 कार्यक्रम विशेष रूप से डिजाइन और संचालित किए गए हैं।

9

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

9.1 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में बाल अधिकारों के संरक्षण, प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च, 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। इसके अतिरिक्त , बच्चों से संबंधित कानूनों जैसे कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (धारा 109 के तहत), यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 (धारा 44 के तहत) और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 (धारा 31 के तहत) के कार्यान्वयन की निगरानी करना भी इस आयोग का उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिदेश और गठन का अधिनियम–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–XXIV** में है।

I. गतिविधियों की प्रकृति

9.2 आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की अपनी शक्तियों के साथ बाल अधिकारों के उल्लंघन/वंचन, बाल देखरेख संस्थाओं का निरीक्षण, बाल अधिकारों के उपयोग को बाधित करने वाले कारकों की जांच करने, बच्चों के लिए मौजूद कानूनों और नीतियों की समीक्षा करने, जन जागरूकता को बढाने के मामलों से संबंधित शिकायतों की जांच करने और इन मामलों का स्वतः संज्ञान लेने और बाल अधिकारों की वंचन आदि से संबंधित मामलों की जांच करना जारी रखा था।

9.3 आयोग द्वारा अपनाए गए तरीकों में क्षेत्र के दौरे करना, पत्रों के रूप में संचार जारी करना, सरकार के अधिनियमों/कानूनों, दिशानिर्देशों और सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानक प्रचालन प्रकियाएं (एसओपी) विकसित करना, शिकायत प्रबंधन और समन जारी करना, मंत्रालयों के साथ नीति संबंधी बातचीत करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन करना, बाल अधिकारों की निगरानी के लिए सर्वेक्षण, अनुसंधान अध्ययन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के परामर्शों का आयोजन करना, जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करना आदि तरीके शामिल थे।

II. कार्यशालाएं/ विमर्श /बैठक

(i) स्कूल के बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित परिवहन सुविधाओं से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों पर सुग्राहीकरण व समीक्षा कार्यशाला।

9.4 हाल ही के समय में, स्कूल के परिसर में समय–समय पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं। देश में होने वाली दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु की सबसे बडी संख्या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की है। हितधारकों जैसे कि मंत्रालयों/विभागों/शिक्षा बोर्डों ने बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर स्कूलों को परिपत्र/निदेश जारी किए हैं। स्कूल परिवहन की दुर्घटनाओं की अधिक संख्या पर विचार करते हुए, बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर लाने ले जाने के दौरान स्कूल के बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता सामने आई है। आयोग ने हितधारकों जैसे कि स्कूल परिवहन का इनचार्ज, टीचर, अध्यापक, ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज आदि को संवेदनशील बनाकर सुरक्षित स्कूल परिवहन पर जागरूकता सृजित करते हुए सुरक्षा और संरक्षा को सुधारने के लिए राज्य/जिला स्तरीय कार्यशलाओं का आयोजन किया।

(ii) स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा संबंधी मैनुअल पर सुग्राहीकरण कार्यशाला

9.5 यह एक तथ्य है कि बच्चे अपने घर के अलावा केवल स्कूलों में ही सबसे अधिक समय व्यतीत करते हैं। बच्चों को उनके विकास में सहायता हेतु एक सुरक्षित, सकारात्मक और सुविधाजनक वातावरण की आवश्यकता होती है। हालांकि, कई ऐसी भी घटनाएं हुई है, जिनमें स्कूलों की अवसंरचना, स्वास्थ्य और स्वच्छता शारीरिक दंड, बुलिंग, अकेलापन, शोषण आदि जैसे मनोवैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित मामलों के कारण कई बच्चों की जान चली गई थी। तत्पश्चात, स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर पर विभिन्न दिशानिर्देशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, सरकारी आदेशों का संकलन करके स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा संबंधी एक व्यापक मैनुअल तैयार किया था। आयोग हितधारकों जैसे कि कलस्टर संसाधन सह समन्वयक, ब्लाक संसाधन सह समन्वयक तथा प्रधानाचार्य को सुरक्षा मामलों और मैनुअल के प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रति संवेदनशील और शिक्षित बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। 2020–21 में ऐसी 10 अतिरिक्त जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

(iii) आवासीय विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन कार्यशाला

9.6 सरकार (केंद्र और राज्य दोनों) ने देश के सभी क्षेत्रों और बस्तियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रावासों की स्थापना के लिए विभिन्न स्कीमें शुरू की हैं। इसके अलावा, निजी संस्थान हैं जो बच्चों के लिए आवासीय शिक्षा सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस संबंध में, बच्चों के लिए सुरक्षित सीखने का माहौल बनाने के अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हुए एनसीपीसीआर ने आवासीय शिक्षण संस्थानों के छात्रावासों के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं। उन विभागों/ योजनाओं/कार्यक्रमों और परियोजनाओं जिनके तहत ये छात्रावास संचालित होते हैं, के परे इन छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा को बनाए रखने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि बुनियादी समान मानदंडों और मानकों का पालन हो, शासकीय एवं निजी छात्रावास वाले संस्थानों के प्रमुखों में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई।

(iv) स्कूलों में बच्चों में तनाव के संबंध में पहचान और सामना करने की कार्यनीति पर शिक्षकों के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन कार्यशालाएं

9.7 आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत प्रावधान किए गए बुनियादी अधिकारों से संबंधित उल्लंघनों के मुद्दों के अलावा, स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, बढ़ते शैक्षणिक बोझ के कारण बच्चों और छात्र – शिक्षक संबंधों पर तनाव के संबंध में आयोग को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। विभिन्न तनाव कारकों के कारण बच्चों में आत्महत्या की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, जो समय–समय पर मीडिया में भी रिपोर्ट की गई हैं, एनसीपीसीआर छात्रों को तनाव के मुद्दे पर जागरूक करने के लिए ऑनलाइन गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। चूंकि शिक्षण अधिगम का तरीका विगत शैक्षणिक वर्षों में आमने–सामने से ऑनलाइन में स्थानांतरित हो गया है, इसलिए उन मुद्दों को समझना और भी महत्वपूर्ण हो गया है जो बच्चों को नई स्थिति के साथ तालमेल बिठाने और अतिरिक्त तनाव से निपटने में हो सकते हैं। इसलिए, आयोग ने स्कूलों में बच्चों के बीच तनाव के संबंध में पहचान और सामना करने की कार्यनीतियों पर शिक्षकों के लिए ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया। ये सत्र प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा संचालित किए गए थे।

(v) बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने और स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए राज्य–स्तरीय ऑनलाइन कार्यशाला

9.8 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चला है कि 8.4 करोड़ बच्चे (5–17 वर्ष की आयु वर्ग) बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाते हैं– यह आरटीई अधिनियम के तहत आने वाले आयु वर्ग का लगभग 20 प्रतिशत है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों (ओओएससी) और उनकी पुनर्नियुक्ति के संदर्भ में, आयोग का दृढ़ मत है कि इस संबंध में निवारक कार्यनीतियों को समझने और मजबूत करने पर जोर दिया जाना चाहिए। सरकार के सभी कार्यक्रमों, नीतियों और संबंधित पहलों को स्कूल छोड़ चुके बच्चों की रोकथाम के अनुरूप होना चाहिए जो स्कूल छोड़ने, गैर–नामांकन और कम उपस्थिति की समस्या से निपटने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, आयोग ने भारत के विभिन्न राज्यों में स्कूल छोड़ने से रोकने और स्कूल छोड़

चुके बच्चों को फिर से जोड़ने के विषय पर ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया।

(vi) एनसीपीसीआर द्वारा एनईपी 2020 कार्य योजना के कार्यान्वयन के मूल में बाल अधिकारों को रखने के लिए संवेदनशीलता

9.9 व्यापक नीति दस्तावेज के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में शिक्षा से जुड़े बच्चों की वृद्धि और विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। नीति ने शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान देने वाले सभी महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान से जोड़कर शिक्षा प्रणाली में सुधार के दृष्टिकोण की पूरी तस्वीर भी प्रस्तुत की है। चूंकि जिला स्तर पर अधिकारियों को शामिल करते हुए नीति को क्रियान्वित करने की कार्य योजना शुरू की गई है, बाल अधिकार घटक को एकीकृत करने के लिए उन्हें संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए, राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण हितधारकों जैसे ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) आदि के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऑनलाइन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

(vii) बाल विवाह संबंधित ऑनलाइन समीक्षा बैठक

9.10 आयोग ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों पर दबाव डालने का अपना प्रयास जारी रखा। आयोग ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए 21 अप्रैल से 25 मई, 2022 के दौरान राज्य के प्रत्येक जिले के अधिकारियों द्वारा संचालित गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए 22 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों (राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, नागालैंड, हरियाणा, त्रिपुरा और सिक्किम) के 615 जिलों के साथ 40 वर्चुअल बैठकें आयोजित कीं।

(viii) "पॉक्सो पर क्षेत्रीय परामर्शी बैठकें : कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले कारक और पीड़ितों को सहायता के पहलू"

9.11 पॉक्सो मामलों को संभालने वाले अधिकारियों के साथ पीड़ितों की सहायता से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने और एनसीपीसीआर/एससीपीसीआर के लिए समर्थन के विशिष्ट क्षेत्रों की खोज करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में " पॉक्सो: कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले कारक और पीड़ितों को सहायता के पहलू" पर क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में भाग लेने वालों में डीएलएसए के पैनल में शामिल अधिवक्ता या डीएलएसए के प्रतिनिधि, जिलों की विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रमुख/पोक्सो मामलों को संभालने वाले पुलिस अधिकारी, फोरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ और भाग लेने वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के एससीपीसीआर के अध्यक्ष/सदस्य शामिल थे। एनसीपीसीआर ने क्षेत्रीय बैठकों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो(बीपीआरएंडडी) के साथ–साथ बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोगों(एससीपीसीआर) के साथ सहयोग किया। बैठकों के दौरान उपरोक्त संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उत्तरी क्षेत्र परामर्शदात्री बैठक में माननीय श्री न्यायमूर्ति एस रवींद्रभट, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय मुख्य अतिथि थे।

(ix) "बाल अधिकार: तेलंगाना में समकालीन चुनौतियाँ" पर राज्य स्तरीय अभिविन्यास सह संवेदीकरण कार्यक्रम''

9.12 बच्चों से संबंधित प्रमुख चिंताओं के बारे में समझ बनाने और बच्चों के पक्ष में कानूनों के कार्यान्वयन और बाल अधिकारों के मुद्दों की पहचान करने के लिए, एनसीपीसीआर ने 9 नवंबर, 2022 को हैदराबाद–तेलंगाना में बाल अधिकारों पर हितधारकों के लिए एक राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। तेलंगाना के माननीय राज्यपाल और पुद्दुचेरी के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉ. (श्रीमती) तमिलिसाई सुंदरराजन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मंच पर श्रीमती डी. दिव्या, आईएएस, तेलंगाना सरकार के विशेष सचिव, महिला विकास और बाल कल्याण आयुक्त, श्रीमती रूपाली बनर्जी सिंह, सदस्य सचिव, एनसीपीसीआर और डॉ. केपीए इलियास, आईपीएस, प्रभारी संकाय, बच्चों के लिए केंद्र, सरदार वल्लभभाई पटेल, राष्ट्रीय

पुलिस अकादमी के साथ श्री पी मुरलीधर राव, प्रतिष्ठित प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, श्री प्रियांक कानूनगो, अध्यक्ष, एनसीपीसीआर मौजूद थे।

(x) मध्य प्रदेश की जिला पंचायतों के "बाल अधिकार और बाल संरक्षण" पर राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण सह संवेदीकरण कार्यक्रम –

9.13 चित्रकूट में मध्य प्रदेश की जिला पंचायतों (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) के बाल अधिकार और बाल संरक्षण पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण सह संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर, 2022 को उद्यमिता विद्यापीठ, दीनदयाल परिसर, चित्रकूट में एनसीपीसीआर द्वारा दीनदयाल अनुसंधान संस्थान (डीआरआई) के सहयोग से किया गया था। बाल अधिकारों पर आईईसी सामग्री संबंधित प्रदर्शनी और डीआरआई के प्रदर्शनी क्षेत्र में एनसीपीसीआर को भी प्रदर्शित किया गया।

(xi) सांस्कृतिक विरासत और बाल अधिकार पर कार्यशाला–''बाल अधिकारों की सांस्कृतिक विरासत'' पर एक दिवसीय कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन एनसीपीसीआर द्वारा 15 अक्टूबर, 2022 को गांधीनगर (गुजरात) में ईडीआईआई परिसर और बीएओयू परिसर में किया गया था।

(xii) जवाबदेही ढांचे पर राष्ट्रीय समीक्षा और अभिविन्यास कार्यशालाः मनो–सामाजिक पहलुओं के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा के कार्यान्वयन पर हितधारकों की जिम्मेदारी

9.14 विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह", 2022 मनाने के अवसर पर स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा के मनो–सामाजिक पहलुओं पर उन्मुखीकरण करने के लिए और सुरक्षा और संरक्षा मैनुअल और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए, "एक्सप्रेशन इण्डिया" से तकनीकी सहायता के साथ एनसीपीसीआर ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली सभागार में 7 अक्टूबर 2022 को एक दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सह अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन किया। राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्कूल सुरक्षा और संरक्षा के मामले पर उन्मुखीकरण करना और इस संबंध में संबंधित अधिकारियों और हितधारकों की जवाबदेही की समीक्षा करना था। कार्यशाला में भाग लेने वालों में एससीईआरटी, राज्य शिक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी, स्कूली शिक्षा समूह के प्रबंधन बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल थे।

(xiii) हिंदी पखवाड़ा

9.15 देश में 14 सितंबर को 15वां हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया था। आयोग ने 14–15 सितंबर, 2022 को गुजरात में गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित 'हिंदी दिवस' कार्यक्रम में भाग लिया। एनसीपीसीआर ने 16 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया और एनसीपीसीआर में 16 सितंबर से 30 सितंबर, 2022 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें हिंदी निबंध, हिंदी भाषा, हिंदी काव्य पाठ, हिंदी डिक्टेशन (केवल एमटीएस के लिए) और हिंदी प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से आयोग में हिंदी भाषा के प्रचार के लिए विभिन्न गतिविधियां की गईं। इन आयोजनों में आयोग के कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को एनसीपीसीआर के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य सचिव द्वारा नकद पुरस्कार और प्रमाणन से सम्मानित किया गया।

(xiv) अंतर्राष्ट्रीय परामर्शः "बच्चों के हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति और आगे की राह"

9.16 मॉरीशस में अगस्त, 2018 में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन (विश्व हिंदी सम्मेलन) की निरंतरता में, अनुशंसा अनुपालन समिति की पहली बैठक माननीय विदेश मंत्री की अध्यक्षता में 22.02.2019 को हुई थी। सम्मेलन के दौरान पारित सिफारिशें अनुपालन समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, एनसीपीसीआर ने अखिल भारतीय लेखकों, प्रकाशन गृहों और साहित्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ "बच्चों की हिंदी साहित्य की वर्तमान स्थिति और आगे की राह" शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 24 मार्च, 2022 को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था – व्यक्तिगत और वर्चुअल दोनों तरह से। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय

विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने भाग लिया। परामर्श में अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रितों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

III निगरानी तंत्र और अन्य प्रमुख गतिविधियों का डिजिटलीकरण

i. पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टलः

9.17 पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल द्वारा 17 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री उदय उमेश ललित, द्वारा शुरू किया गया था। ट्रैकिंग पोर्टल की परिकल्पना राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के संयुक्त सहयोग से की गई थी। अधिकार (एनसीपीसीआर)। पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 44 के तहत उल्लिखित अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी की आयोग की भूमिका के अनुसरण में और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल की आवश्यकता को समझने और पॉक्सो पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए, मुआवजा और पीड़ित मुआवजा और उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए पुनर्वास जैसी सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए वास्तविक समय में बाल यौन शोषण पीड़ितों के मामलों को ट्रैक करने के लिए ट्रैकिंग पोर्टल की कल्पना की गई है।

ii. स्ट्रीट सिचुएशन पोर्टल में बच्चे

9.18 एनसीपीसीआर ने एसओपी 2.0 में दी गई प्रक्रियाओं के आधार पर वेब पोर्टल विकसित किया है। बेघर बच्चों की जानकारी अपलोड करने के लिए बाल स्वराज पोर्टल पर "सीआईएसएस" (स्ट्रीट सिचुएशन में बच्चे) लिंक विकसित किया गया है। यह पोर्टल उन बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के लिए बनाया गया है, जिन्हें देखरेख और संरक्षण की जरूरत है। राज्यों को 1.8 लाख बच्चों के लिए प्रक्रिया का पता लगाने और उसे पूरा करने के लिए कहा गया था, जिसे बाल स्वराज सीआईएसएस पोर्टल पर पहले से ही पोर्टल के छह चरणों में अपलोड किया गया है और 1.8 लाख बच्चों का यह डेटा (सूचीवार, जिलेवार) आयोग के पत्र और ईमेल के माध्यम से प्रदान किया गया है। इसके अलावा, राज्यों को अब स्ट्रीट सिचुएशन में बच्चों की पहचान करनी होगी और पोर्टल पर ताजा डेटा अपलोड करना होगा और पोर्टल के छह चरणों में नए डेटा के लिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फरवरी 2021 में, एनसीपीसीआर ने 09.02.2022 से 14.02.2022 के बीच 7 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल) के 13 शहरों में स्पॉट फील्ड सर्वेक्षण किया था। इन 7 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कुल 283 बच्चों की पहचान की गई।

iii. बाल स्वराज नागरिक पोर्टल

9.19 उपरोक्त मामले में सुनवाई के दौरान, गैर सरकारी संगठनों ने मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी और माननीय न्यायालय को सूचित किया था कि कई गैर सरकारी संगठन पिछले कई वर्षों से बेघर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और फिर भी इस काम के लिए सरकार एनजीओ शामिल नहीं कर रही है। उसी के जवाब में, एनसीपीसीआर ने सार्वजनिक उपयोग के लिए बाल स्वराज–नागरिक पोर्टल विकसित किया। इस पोर्टल के माध्यम से एक व्यक्ति और एक संगठन बेघर बच्चो की सूचना दे सकता है और सीआईएसएस के बचाव और पुनर्वास में जिला अधिकारियों की सहायता के लिए सेवाएं भी प्रदान कर सकता है। इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य एनजीओ को स्वयं को पंजीकृत करने और उन्हें अधिकारियों से जोड़ने का मौका देना था। हालांकि, यह देखा गया है कि केवल 24 संगठनों ने सेवाएं प्रदान करने के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।

iv. बाल स्वराजः कोविड केयर

9.20 एनसीपीसीआर ने आवश्यक देखरेख और लाभ को विस्तार देने के लिए ऑनलाइन बाल स्वराज –कोविड केअर पोर्टल का उपयोग करते हुए एनसीपीसीआर ने 1 अप्रैल 2020 से कोविड 19 महामारी के दौरान किसी भी कारण के साथ–साथ कोविड 19 के कारण अपने माता–पिता (एक या दोनों) को खो चुके सभी बच्चों की जानकारी/डेटा दर्ज और ट्रैक करने की प्रणाली विकसित की है।

पोर्टल 1 अप्रैल 2020 से कोविड–19 महामारी के दौरान किसी भी कारण के साथ–साथ कोविड–19 से अपने

माता–पिता(एक या दोनों) को खो चुके बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करने के लिए कोविड देखरेख लिंक प्रदान करता है। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, जिलों को सूचित कर दिया गया है और ऐसे बच्चों का डेटा अपलोड करने का अनुरोध किया गया है। पोर्टल में छह चरण हैं जिन्हें जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा भरा जा रहा है।

9.21 आयोग पोर्टल पर भरे जा रहे आंकड़ों की जांच कर रहा है और जिला व राज्य स्तर के अधिकारियों से आवश्यक संवाद स्थापित किया जा रहा है। आयोग द्वारा कोविड–19 के कारण प्रभावित बच्चों से निपटने के लिए एक दस्तावेज भी तैयार किया गया है। आयोग ने इस दस्तावेज़ के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत प्रत्येक बाल संरक्षण प्राधिकरण/अधिकारी की प्रक्रिया और कार्यों को रेखांकित किया है और साथ ही, अपने एक या दोनों माता–पिता को खो चुके बच्चों का विशेष रूप से कल्याण और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए कुछ सिफारिशें भी की हैं।

V. एमएएसआई – निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप

9.22 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने एमएएसआई–निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप एप्लिकेशन विकसित किया है जिसे देश भर में बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) की वास्तविक समय निगरानी और उनके निरीक्षण तंत्र के लिए विकसित किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत प्रदान किए गए बाल देखरेख संस्थानों के निरीक्षण के लिए तंत्र की प्रभावी और कुशल क्रियाशीलता और प्रणाली की समकालिक निगरानी इस परिष्कृत और व्यापक अनुप्रयोग को विकसित करने के पीछे तर्क है। ऐप निगरानी पोर्टल से जुड़ा हुआ है जहां स्वचालित रिपोर्ट जेनरेट की जाएगी। वर्ष 2022 में 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एमएएसई ऐप के संबंध में प्रशिक्षण पूरा किया गया।

vi. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग से 2020 और 2021 के दौरान पुलिस अधिकारी अधिनियम के लिए आयोजित प्रशिक्षण मॉड्यूल और पॉक्सो कार्यक्रमों पर डेटा

9.23 पॉक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए धारा 44 के नियम 12 के तहत अपने वैधानिक जनादेश के अनुसरण में, नियम 3 (6) पॉक्सो नियम 2020 (जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण) के कार्यान्वयन को समझने के लिए आयोग ने दिनांक 12 फरवरी 2022 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक से वर्ष 2020 और 2021 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित अनुरोध किया के लिए राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों पॉक्सो अधिनियम पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस ने आवश्यक जानकारी साझा की है।

vii. राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों के न्याय विभाग से फरवरी 2022 तक पॉक्सो मामलों के लिए विशेष न्यायालयों और एसपीपी पर आंकड़े

9.24 आयोग ने दिनांक 11 फरवरी 2022 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के न्याय विभाग से भी अनुरोध किया है कि पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 28 (विशेष न्यायालयों के पदनाम) और धारा 32 (विशेष लोक अभियोजक) के संबंध में जानकारी प्रदान करें। अब तक 33 राज्यों ने अपेक्षित जानकारी साझा की है।

viii. राष्ट्रीय पोषण माह–2022–

9.25 राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मनाने के लिए 17.08.2022 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग को पत्र भेजा गया था। एससीपीसीआर से अपने–अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करवाके; पूरे महीने राष्ट्रीय पोषण माह (राष्ट्रीय पोषण माह) (1 सितंबर से 30 सितंबर, 2022) मनाने का अनुरोध किया गया था जैसे:

i. सोशल मीडिया अभियान– वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय पोषण विषय के आलवा शैक्षिक सामग्री

के माध्यम से महत्वपूर्ण भोजन और इसके पोषक तत्वों को उजागर करके सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि), प्रिंट मीडिया के माध्यम से एनएनएम की सूचना, संचार और प्रचार का प्रसार करके #HarGharPoshanUtsav (हर घर पोषण का उत्सव)।

ii. आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, हॉस्टलों/पीएचसी/सीएचसी, सीसीआई इत्यादि में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करके।

ix. एनसीपीसीआर बैंच/शिविर –

9.26 ''आजादी के अमृत महोत्सव'' के लक्ष्य और उद्देश्य को मनाने के लिए एनसीपीसीआर ने सितम्बर, 2022 से जनजाति की अधिक आबादी वाले 75 जिलों में शिकायत निवारण शिविर/बैंच आयोजित करके का कार्य शुरू किया है। भाग लेने वाले जिलों क) 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले; ख) 25% से अधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले; ग) आकांक्षी जिले जहां पर चरण–। में शिविर/पीठ आयोजित नहीं किया गया था; घ) एनसीपीसीआर के बाल स्वराज(कोविड केयर) पोर्टल पर सबसे अधिक पंजीकृत बच्चों वाला जिला।

x. परीक्षा पर्व – 4.0, 2022 – माननीय प्रधानमंत्री की **परीक्षा पर चर्चा** से प्रेरित और परीक्षा के प्रति बच्चों के दृष्टिकोण/नज़रिए को बदलने और इसे एक आनंददायक गतिविधि बनाने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने परीक्षा अवधि के दौरान **'परीक्षा पर्व'** परीक्षा के उत्सव को मनाने के लिए अप्रैल से मई, 2022 के दौरान शुरू किया है। परीक्षा पर्व–4.0, 2022 में आयोजित किया गया था और इसमें निम्न गतिविधियां कराई गई जिसका विवरण इस प्रकार है :

क. फेसबुक/ट्विटर/यू–ट्यूब के माध्यम से 22 लाइव स्ट्रीमिंग सत्र आयोजित किए गए, जहां प्रसिद्ध विशेषज्ञों/व्यक्तित्व–मनोचिकित्सकों/मनोवैज्ञानिकों/प्रेरक वक्ताओं ने 11 अप्रैल से 31 मई, 2022 तक सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों से बातचीत की।

ख. जागरुकता पैदा करने के लिए 8 अप्रैल, 2022 से 10 मई, 2022 तक परीक्षा पर्व 4.0 से संबंधित रेडियो स्पॉट ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित किए गए।

ग. प्रसिद्ध मनोचिकित्सकों और/अथवा परामर्शदाताओं द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्रमुख/प्राचार्यों के लिए उन्मुखीकरण सह–संवेदीकरण कार्यक्रम।

घ. **''परीक्षा योद्धाओं''** का समारोह मनाने के लिए पूरे भारत के छात्रों से लघु ऑडियो–वीडियो क्लिप/संदेश आमंत्रित किए गए थे। तदनुसार, एनसीपीसीआर के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ चयन की गई क्लिप/संदेश चलाए गए।

9.27 एनसीपीसीआर में 12 जून, 2022 से 20 जून, 2022 तक भारत की आजादी की पहली वर्षगांठ – ''आजादी का अमृत महोत्सव'' 18 राज्यों के 41 जिलों में 75 स्थानों पर बचाओ कार्य संचालित करके बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मानाया। इस बचाव अभियान ने सभी प्राधिकारियों, विभागों और हितधारकों द्वारा अभिसरण कार्रवाई के माध्यम से बाल श्रम और बंधुआ मजदूर के मुद्दे के समाधान के लिए एकीकृत प्रतिबद्धता और कार्रवाई का अवसर प्रदान किया।

आयोग ने बचाव अभियान के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ तीन प्रारंभिक बैठकें की। पहली बैठक 6 जून, 2022 को भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ आयोजित की गई थी। जो अभियान के पर्यवेक्षक थे। क्यूसीआई ऑपरेशन के अवलोकन और ऑपरेशन की प्रक्रिया पर रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार थे। दूसरी प्रारंभिक बैठक 7 जून, 2022 को बुलाई गई थी जिसमें 363 प्रतिभागियों ने भाग लिया और तीसरी प्रारंभिक बैठक 8 जून, 2022 को आयोजित की गई थी जिसमें 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया। तत्पश्चात संपूर्ण भारत में 75 स्थानों पर बचाव अभियान आयोजित किया गया।

बचाव अभियान के परिणाम

- पूरे भारत में 75 स्थानों से लगभग 1000 बच्चों को बचाया गया।
- 271 एफआईआर दर्ज की गईं।
- मुआवजे और पिछले वेतन की प्रक्रिया शुरू की गई।

IV. बच्चों में ड्रग और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और अवैध दुर्व्यापार पर संयुक्त कार्ययोजना – ड्रग और मादक द्रव्यों के सेवन और अवैध दुर्व्यापार पर संयुक्त कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए एनसीपीसीआर ने 10 अक्तूबर, 2022 को सभी जिलों के जिला अधिकारियों/कलैक्टरों को पत्र भेजे थे। एनसीपीसीआर 16 जनवरी, 2023 से जेएपी के कार्यान्वयन पर ऑनलाइन जिला–वार बैठकें शुरू करेगा।

V. संवेदना

9.28 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कोविड–19 महामारी से प्रभावित बच्चों में तनाव, चिंता, डर और अन्य मनोसामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए टेली–परामर्श–संवेदना (18001212830) के माध्यम से बच्चों को मनो–सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए योग्य और प्रशिक्षित विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं का एक नेटवर्क तैयार किया है। 01 अप्रैल, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक संवेदना को 36 कॉल्स प्राप्त हुए हैं। शिकायतें परीक्षा तनाव से लेकर अन्य मनोवैज्ञानिक मुद्दे से संबंधित थीं।

VI. **सहारा** पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार किया गया सहारा पोर्टल सीमा सुरक्षा बल के उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए विशेषरूप से है, जो देश सेवा के दौरान शहीद हो गए। 01 अप्रैल, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक टेलीकाउंलिंग (1800–1–236–236) सहारा पोर्टल पर प्राप्त कॉलों की संख्या कुल तीन है।

VII. बाल श्रम बचाव और बाद के बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

9.29 एनसीपीसीआर द्वारा बाल श्रम बचाओ और बाद के बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, गैर–सरकारी संगठनों और जनता से विभिन्न टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। टिप्पणियों को इसमें शामिल किया गया है और ड्राफ्ट अंतिम रूप देने के लिए विचाराधीन है।

VIII. बाल कलाकारों के लिए मीडिया दिशानिर्देश

9.30 एनसीपीसीआर द्वारा ड्राफ्ट दिशानिर्देश तैयार किए गए थे और हितधारकों के साथ विभिन्न परामर्श बैठकें हुईं। हितधारकों और जनता से प्राप्त टिप्पणियों को इसमें शामिल कर लिया गया है और ड्राफ्ट अंतिम रूप देने के लिए विचाराधीन है।

IX. बाल कल्याण समितियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और प्रत्यावर्तन और बहाली के लिए प्रोटोकॉल

9.31 आयोग को किशोर न्याय (बच्चों के देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और इसके नियमों के उचित और प्रभावशाली कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए अधिदेशित किया गया है। जेजे अधिनियम, 2015 एक व्यापक कानून है, जिसमें गुमशुदा और घर छोड़कर भाग गए बच्चों सहित कमजोर, अपराध से पीड़ित और टकराव वाले क्षेत्रों के बच्चों की सहायता के लिए सिद्धांतों के लिए सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और संरचनाओं को स्थापित करने का प्रावधान करता है। चूंकि जेजे अधिनियम, 2015 और इसके नियम, 2016 में कई चुनौतियां और अंतराल संज्ञान में आते हैं, जो बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया को विशेषरूप से बाधित करते हैं। प्रत्यावर्तन में अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समाप्त करने और अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को उनके परिवारों/रिश्तेदारों के साथ उनके मूल स्थान पर वापस भेजने और **घर(घर जाओ और पुनर्मिलन)** पोर्टल के प्रयास में आयोग ने बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया है।

9.32 नियम 81(5ए), (5बी) और (5सी) नया संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधित नियम, 2022 के तहत बच्चों के प्रत्यावर्तन के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए आयोग को अधिदेशित करता है जैसे अलग राज्य और जिलों के बच्चों को उनके मूल स्थान पर भेजने और उनके परिवारों/रिश्तेदारों/अभिभावकों से मिलाने और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भी तिमाही रिपोर्ट जमा कराने का तरीका। इसका अनुपालन करने के लिए आयोग ने किशोर न्याय अधिनियम बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन के लिए प्रोटोकॉल निरुपित किया है। प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन की ऑनलाइन निगरानी और ट्रैक करने के लिए घर पोर्टल विकसित किया है। आयोग ने 20 नवम्बर, 2022 को बाल अधिकार दिवस के अवसर पर बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन के लिए ''बाल कल्याण समितियों'' के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रोटोकॉल और ''घर – गो होम और पुनर्मिलन'' पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल शुरू करने के दौरान चर्चाएं आयोजित की गईं और डीसीपीओ और सीडब्ल्यूसी को प्रोटोकॉल और पोर्टल की क्रियाशीलता को लेकर संवेदनशील किया गया।

X. बेघर बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया : पुनर्वास और परिवार का सुदृढ़ीकरण

9.33 आयोग के व्यापक निगरानी और जन आदेश को ध्यान में रखते हुए बेघर बच्चों के मामलों से निपटने के लिए सभी हितधारकों और कर्तव्यों धारकों का मार्गदर्शन करते हुए नीतिगत दस्तावेज के रूप में मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार किया गया है। इसलिए, सभी प्रमुख हितधारक जिनमें सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के एससीपीसीआर, सीडब्ल्यूसी, जिला बाल संरक्षण इकाइयां, विशेष किशोर पुलिस इकाइयां, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, चाइल्डलाइन (1098), गैर–सरकारी संगठन(एनजीओ), बाल देखरेख संस्थान(सीसीआई) शामिल हैं। सीसीआई के अधिकारी/कर्मचारी, श्रम अधिकारी, पुलिस, आधार सेवा केंद्र, चिकित्सा अधिकारी, नशामुक्ति केंद्र, स्थानीय प्राधिकरण और स्कूल प्राधिकरण बच्चे के सर्वोच्च हित के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बच्चे और उनके परिवार को

सही अधिकार और लाभ सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाने वाले वास्तविक अभिनेता हैं।

9.34 एसओपी 2.0 की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं; पूरे परिवार के लाभ के लिए स्कीमों के संदर्भ में बच्चों की बेहतरी के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना, सीआईएसएस के लिए गैर–संस्थागत देखरेख को प्रोत्साहित करना। बच्चों के लिए सेवाएं और सुविधाओं का निर्माण करना, जहां ये उपलब्ध नहीं हैं। सभी बेघर बच्चों को बाल कल्याण समितियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना, सीआईएसएस की विभिन्न श्रेणियों से निपटने के लिए सीडब्ल्यूसी के लिए सुझाए गए उपाय, सीआईएसएस की बहाली के लिए स्रोत और गंतव्य जिला बाल संरक्षण सेवाओं के साथ संबंध स्थापित करना। सीआईएसएस की प्रत्येक श्रेणी और उनके हस्तक्षेपों के लिए विकलांगता, मादक द्रव्यों के सेवन, उम्र और लिंग के मुद्दे को शामिल करना।

XI. संपूर्ण देश की 51 धार्मिक स्थानों में एसओपी 2.0 का मार्गदर्शन

9.35 एसओपी 2.0 में दिए गए मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर एनसीपीसीआर द्वारा 51 धार्मिक स्थलों को बेघर बच्चों, बाल श्रम और भिखारी बच्चों से मुक्त करने के लिए पॉयलट पहल के तौर पर शुरू किया गया है। इस संबंध में एससीपीसीआर राज्य और जिला प्रशासनों, जिलों के बाल संरक्षण तंत्र, स्थानीय एनजीओ/एजेंसियों, मंदिरों अथवा धार्मिक ट्रस्टों आदि के साथ कार्यनीतिक बैठकें आयोजित की गई हैं।

XII. बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए आदर्श नीति

9.36 ''बेघर मामलों में बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 2.0'' की संपूर्ण सफलता के लिए बेघर बच्चों के लिए आदर्श नीति के विचार को प्रमुख चालक के रूप में संकल्पना की गई थी। समाज में सीआईएसएस का पुनर्वास और मुख्यधारा में लाना अंतिम लक्ष्य है जो एसओपी प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इसलिए मॉडल पुनर्वास नीति को एसओपी 2.0 में प्रदान किए गए प्रमुख सिद्धांतों और प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया था। नीति को अभी तक सात(7) राज्यों द्वारा अधिसूचित किया गया है अथवा अपनाया गया है।

XIII. अक्षया तृतीया के अवसर पर सामूहिक विवाह के मुद्दे पर संज्ञान

9.37 अक्षया तृतीया जिसे अक्ती अथवा अखा तीज (3 मई, 2022) के नाम से भी जाना जाता है, के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष उपाय के रूप में आयोग ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रधान सचिवों से दिनांक 07.04.2022 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि वे अपने संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के सभी जिलों के सभी जिला मजिस्ट्रेटों या कलैक्टरों/सीएमपीओ निम्नलिखित को शामिल करते हुए निर्देश जारी करें :

i. गांव, पंचायत, ब्लॉक, शहरी/वार्ड, जिला तहसील स्तर पर जागरुकता कार्यक्रम शुरू करना।

ii. सीडीपीओ, सीडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूपीओ, एडब्ल्यूडब्ल्यू, धामिक पुरोहितों जो शादी करवाते हैं और शादी के कार्यक्रम के दौरान सेवाएं प्रदान करने वाले जैसे प्रिंटिंग प्रैस, टैंट लगाने वाले, विवाह भवन के प्रबंधक, केटरर, म्यूजिक बैंड और सजावट करने वालों के साथ बाल विवाह पर जागरुकता कार्यक्रम संबंधित बैठकें आयोजित करना।

iii. ड्रॉप आउट बच्चों, स्कूल छोड़ चुके बच्चों और नियमित रूप से स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की स्कूल–वार सूची तैयार करना।

iv. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) संशोधन नियम, 2017 के नियम 2बी (2) के अनुसार स्कूल के प्रधानाध्यपक अथवा हैड मास्टर को बिना सूचना दिए स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की स्कूल–वार सूची तैयार करना।

v. यह सूची जिले के शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जानी चाहिए और जिले के डीएम/सीएमपीओ के साथ साझा की जानी चाहिए।

vi. डीएम/सीएमपीओ को इन सूचियों से उन बच्चों की पहचान करनी चाहिए जिनका बाल विवाह हो सकता है। किसी भी संबंधित बाल विवाह

को रोकने के लिए ऐसे सभी पहचाने गए बच्चों की पारिवारिक काउंसलिंग और उचित पूछताछ सुनिश्चित की जानी चाहिए।

XIV. मध्यस्थता प्रकोष्ठ

9.38 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) अपने दिनांक 27 जुलाई, 2018 के आदेश संख्या 31/59/2016–सीडब्ल्यू–I के माध्यम से आयोग की धारा 33(1) के तहत भारत सरकार को प्रदत्त शक्ति के अनुसार बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ''मध्यस्थता प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया था। यह उन बच्चों के मामलों के समाधान करने के लिए बनाया गया था, जिन बच्चों को वैवाहिक झगड़े अथवा घरेलू हिंसा के कारण माता–पिता में से किसी एक के द्वारा दूसरे की अनुमति के बिना विदेश से भारत लाया गया हो अथवा भारत से विदेश ले जाया गया हो और बच्चे के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखते हुए पैतृक योजना तैयार करना।

9.39 एनसीपीसीआर ने अप्रैल, 2022 में सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 (1) के तहत अपने अधिदेश के अनुसार को बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए बस, ऑटो, मिनी वैन अथवा कोई अन्य वाहन सहित स्कूल परिवहन सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा विभाग और परिवहन विभागों को सभी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए पत्र लिखा था।

10

केंद्रीय दत्रक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

केंद्रीय दत्रक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

10.1 केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) जो कि पूर्व में एक स्वायत्त अभिकरण था, 15 जनवरी, 2016 से किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 68 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार एक सांविधिक निकाय बन गया। यह प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्यूसीडी) के तत्वाधान के अंतर्गत भारतीय बच्चों के दत्तक–ग्रहण को बढ़ावा देने और उन्हें विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है।

I. केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण की भूमिका और चार्टर

10.2 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्य करने के लिए अधिदेशित किया गया है:

क. देश के भीतर दत्तक–ग्रहण को बढ़ावा देना और राज्य एजेंसियों के साथ समन्व्य से अंतर–राज्यीय दत्तक–ग्रहण को सरल बनाना;

ख. अंतर–देशीय दत्तक–ग्रहण को विनियमित करना;

ग. दत्तक ग्रहण और तत्संबंधी मामलों पर समय–समय पर यथाआवश्यक विनियमन निरूपित करना;

घ. बालकों के संरक्षण पर हेग सम्मेलन के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यों का निष्पादन करना और अंतर–देशीय दत्तक ग्रहण के मामले में सहयोग करना;

ङ. यथा नियत कोई अन्य कार्य करना।

II. किशोर न्याय (कारा और बच्चों का संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित)

10.3 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) का अध्याय VIII अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के दत्तकग्रहण के साथ ही संबंधियों द्वारा बच्चों के दत्तकग्रहण से संबंधित है। अधिनियम ऐसे बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, अधिनियम के तहत सभी दत्तकग्रहण कारा द्वारा निर्मित और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दत्तकग्रहण विनियमों के अनुसार संसाधित किए जाने हैं।

III. दत्तक–ग्रहण विनियम, 2022

10.4 केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 68 (ग) के तहत दिए गए अधिदेश के अनुसार नवीनतम दत्तक–ग्रहण विनियम, 2022 तैयार किए हैं जो 23 सितंबर, 2023 से प्रभावी हो गया है। नए दत्तक ग्रहण विनियम का उद्देश्य दत्तक–ग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाकर देश में दत्तक–ग्रहण कार्यक्रम को अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। दत्तक ग्रहण कार्य–विधि में पारदर्शिता, बच्चों को संस्थाओं से निकाल कर समाज से शीघ्र जोड़ना, माता–पिता के लिए सूचित विकल्प, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में नैतिक प्रथाओं और वर्णित समयबद्धता का कडाई से अनुपालन आदि दत्तक ग्रहण विनियमों के प्रमुख पहलू हैं।

IV. केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के उद्देश्य

10.5 केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण का

उद्देश्य बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए दत्तकग्रहण के माध्यम से बच्चों के पुर्नवास के लिए कार्य करना है।

V. संगठनात्मक ढांचा :

10.6 केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होते हैं और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों सहित संस्वीकृत संख्या 37 है। प्राधिकरण में किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 69 यथावर्णित निम्नलिखित सदस्यों की एक संचालन समिति है:

क. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार पदेन अध्यक्ष;

ख. संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार–पदेन प्राधिकारी;

ग. वित्तीय मामलों से संबद्ध संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार–पदेन–प्राधिकारी ;

घ. राज्य दत्तक–ग्रहण संसाधन एजेंसी से एक सदस्य;

ङ. विशेषज्ञ दत्तक–ग्रहण एजेंसी से दो सदस्य;

च. एक दत्तक ग्रहण योग्य माता–पिता;

छ. एक दत्तक/गोद लिया गया;

ज. एक वकील या प्रोफेसर जिसके पास कुटुम्ब कानून में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो,

झ. सदस्य–सचिव, जो संगठन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा।

VI. सम्बद्ध प्राधिकारी एवं एजेंसियां

10.7 दत्तक–ग्रहण प्रक्रिया में केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (केंद्र दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) से सम्बद्ध प्राधिकरण और एजेंसियां नीचे तालिका में दी गई हैं :

क्र. सं.	हितधारक {बाल दत्तक ग्रहण–सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) में पंजीकृत	हितधारकों की संख्या (30 दिसम्बर, 2022 तक की स्थिति
क.	विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसियां (एसएएए)	483
ख.	जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू)	829
ग.	बाल देखरेख संस्था (सीसीआई)	5923
घ.	प्राधिकृत विदेश दत्तकग्रहण एजेंसियां(एएफएए) और विदेशों के लिए केंद्रीय प्राधिकारी (सीए)	109 (65 & 44)
ङ.	विदेश में भारतीय मिशन	21
च.	भावी दत्तक ग्रहण योग्य माता–पिता (पीएपी)एवं देश में)	29570
छ.	भावी दत्तक ग्रहण योग्य माता–पिता (पीएपी) {अंतरदेशीय}	954
ज.	जिला अधिकारी (डीएम)	735
झ.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ)	475

VII. बाल–दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

10.8 केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने सभी हितधारकों द्वारा पहुंच और उपयोग के लिए केंद्रीयकृत डाटाबेस के साथ आनलाइन एप्लीकेशन की व्यवस्था की है, जिसे बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) के नाम से जाना जाता है। इस एप्लीकेशन ने दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में व्यापक पारदर्शिता लाने और ई–गवर्नेंस के माध्यम से दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में होने वाले विलंब को कम करने के लिए भी तकनीक का लाभ उठाया है। केयरिंग की शुरूआत फरवरी, 2011 को हुई थी और इसे केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट यानि www.cara.nic.in पर अपलोड किया गया है। यह वेब–आधारित मॉनीटरिंग सिस्टम पूरे राष्ट्र में पारदर्शी और बालोनुकूल दत्तक–ग्रहण कार्य–विधि का प्रबंध करती है। यह दत्तक–ग्रहण को त्वरित और सुचारू बनाने में सहायक है और दत्तक–ग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है, क्रियान्वयन एजेंसियों

के उत्तरदायित्व को बढाती है, हितधारकों के नेटवर्क का सृजन करने और प्रभावी नीति बनाने और अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस का अनुसरण सुनिश्चित करती है।

बाल दत्तक–ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स) में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा दतक–ग्रहण के समय और दत्तक–ग्रहण के बाद की प्रक्रिया की ऑन–लाइन मॉनीटरिग की व्यवस्था की गई है। केयरिंग्स की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

क. दत्तक–ग्रहण कार्य–विधि में पारदर्शिता लाना;

ख. दत्तक–ग्रहण कार्य–विधि में विलम्ब की अवधि न्यूनतम करना;

ग. सूचित निर्णय लेने के लिए भावी दत्तक ग्रहण योग्य माता–पिता (पीएपी) को सक्षम बनाना;

घ. दतक–ग्रहण और दत्तक–ग्रहणोत्तर की ऑन–लाइन मॉनीटरिग का विश्लेषषण करके दत्तक–ग्रहण प्रणाली में सुधार लाना;

ङ. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और राज्यर सरकारों/संघ राज्यं क्षेत्रों द्वारा उचित निगरानी के लिए केंद्रीय डाटाबेस का सृजन

च. बिना माता–पिता वाले सभी बच्चों का सम्पूर्ण डाटाबेस रखने के लिए दत्तक–ग्रहण एजेसिंयों और बाल देखेरेख संस्थाओं के बीच सम्पर्क स्थापित करना ताकि उन्हें जल्द से जल्द दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार में स्थापित किया जा सके।

छ. बेहतर मिलान के लिए बालक और माता–पिता की प्रोफाइल को सक्षम बनाना और

ज. दत्तक ग्रहण की इच्छा रखने वाले माता पिता को संबंधित सूचना और स्थिति से अवगत कराकर सुविधा देना।

झ. कठिनाई–पूर्वक स्थापित किए जाने वाले तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने का प्रावधान करना।

VIII. प्रारम्भ किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम/ कार्यकलाप

क. विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरण (एसएए) और बाल देख–रेख संस्थाओं (सीसीआई) के बीच संपर्क

10.9 विशिष्ट दत्तक–ग्रहण अभिकरणों (एसएए) और बाल देख–रेख संस्थाओं (सीसीआई) के बीच संपर्क की स्थापना बिना माता–पिता वाले प्रत्येक बालक तक पहुंचने की दृष्टि से की गई है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों को बाल देखरेख संस्थाओं के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को बिना माता–पिता वाले प्रत्येक बालक तक पहुंचने की दृष्टि से अनिवार्य पंजीकरण और बाल देखरेख संस्थाओं को एसएए के साथ जोडने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में त्वरित किया गया है। दिनांक 30.12.202 तक की स्थिति के अनुसार, जे.जे अधिनियम, 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार 5923 बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) पंजीकृत किए जा चुके हैं जिनमें से 5723 बाल देखरेख संस्था को विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से जोड़ा जा चुका है और शेष बाल देखरेख संस्था जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 66 के प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाना अपेक्षित है। इसमें मौजूदा 483 एसएए शामिल नहीं है जो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) की धारा 2(21) के अनुसार सीसीआई भी है।

ख. विशेष जरूरतों वाले बच्चे

10.10 बहुत से अनाथ और गरीब बच्चों की विशेष आवश्यकताएं होती हैं। अतः इस प्रकार के बच्चों को दत्तक ग्रहण में देने के लिए कुछ विशेष प्रयास किए जाने की आवश्याकता होती है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में इनके दत्तक ग्रहण को सुगम बनाने के लिए केयरिंग्सि पर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मॉडयूल के लिए प्रावधान किया गया है। केयरिंग्स इस मॉडयूल की मदद से 31–12–2022 तक विशेष आवश्यकताओं वाले 442 बच्चों को दत्तक ग्रहण में दिया जा चुका है।

ग. आरआई/एनआरआई/ओसीआई पीएपी के लिए 7–दिवसीय पोर्टल

10.11 भारतीय (आरआई), अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारक भावी दत्तक माता–पिता (पीएपी) पीएपी लॉगिन पर स्थित सेवन–डे पोर्टल से बिना किसी वरिष्ठता के एक विशिष्ट श्रेणी के सामान्य बच्चे को सीधे आरक्षित कर सकते हैं। यह विशेष सुविधा 14 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी। अब तक कुल 73 बच्चों का दत्तक ग्रहण हो चुका है।

घ. समर्थन दस्तावेज जारी करना

10.12 कारा ने रिश्तेदारों और सौतेले गोद लेने के मामलों में 143 पूर्व–अनुमोदन पत्र और अंतर्देशीय रिश्तेदार दत्तक ग्रहण के मामले में 18 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

इसके अलावा, कारा ने घरेलू दत्तक माता–पिता को पासपोर्ट जारी करने के लिए आरपीओ को 65 समर्थन–पत्र जारी किए हैं।

ङ. एचएएमए (हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम), 1956

10.13 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या भारत के विदेशी नागरिकों, कार्ड धारक भावी दत्तक माता–पिता जो देश से बाहर रहते हैं के गोद लेने की प्रक्रिया के लिए हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 के तहत अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन पंजीकृत करता है। 01 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के दौरान 32 समर्थन पत्र जारी किए जा चुके हैं।

च. दत्तक ग्रहण आदेश जारी करना

10.14 23 सितंबर से 31 दिसंबर 2022 तक नए दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के कार्यान्वयन होने के बाद से जिला अधिकारी द्वारा कुल 629 दत्तक ग्रहण आदेश जारी किए गए हैं।

छ. विगत तीन वर्षों के दौरान दत्तकग्रहण डेटा (समेकित):–

दत्तक ग्रहण	2020-21	2021-22	2022-23 (as on 31st Dec 2022)
देश में	3142	2991	2139
अंतर–देशीय	417	414	300

**कोविड 2109 के दौरान दत्तक ग्रहण की संख्या प्रभावित हुई*

ज. कारा 12 घंटे हेल्पडेस्क (1800–11–1311)

10.15 पीएपी, हितधारकों और अन्य लोगों के प्रश्नों को समाधान करने के लिए टेली अधिकारियों/परामर्शदाताओं द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्य दिवसों पर 12 घंटे का हेल्पडेस्क चालू किया गया है। टेली एग्जीक्यूटिव/काउंसलर औसतन हर दिन 300–400 कॉल संचालित करते हैं।

10.16 गोद लेने के कार्यक्रम के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने और देश में कानूनी गोद लेने को बढ़ावा देने के लिए, कारा विभिन्न हितधारकों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम (वेबिनार और कार्यशालाएं) आयोजित कर रहा है। विवरण अगले पैराग्राफों में दिए गए हैं।

I. प्रशिक्षण और विकास गतिविधियाँ

क्रम सं	विवरण	स्थान / राज्य	कार्यक्रम के तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
1	1993 दत्तक ग्रहण सम्मेलन के व्यावहारिक संचालन पर विशेष आयोग (एससी) की पांचवीं बैठक	सभी राज्य	4 से 8 जुलाई 2022	100
2	राज्य सरकारों के साथ नए दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर ऑनलाइन अभिविन्यास	सभी राज्य	02 सितम्बर 2022	100
3	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	दिल्ली	06 सितम्बर 2022	45

क्रम सं	विवरण	स्थान / राज्य	कार्यक्रम के तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
4	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़	06 सितम्बर 2022	101
5	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	जम्मू और कश्मीर और लेह	07 सितम्बर 2022	37
6	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	बिहार	07 सितम्बर 2022	100
7	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश	08 सितम्बर 2022	66
8	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	राजस्थान	08 सितम्बर 2022	101
9	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	झारखंड	09 सितम्बर 2022	55
10	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	उत्तर प्रदेश	09 सितम्बर 2022	101
11	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	महाराष्ट्र और गोवा	12 सितम्बर 2022	101
12	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	तमिलनाडु, पुददुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12 सितम्बर 2022	55
13	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	कर्नाटक	13 सितम्बर 2022	90
14	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	मध्य प्रदेश	13 सितम्बर 2022	113
15	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा	14 सितम्बर 2022	101
16	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप	14 सितम्बर 2022	75
17	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	केरल	15 सितम्बर, 2022	65
18	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	ओडिशा	15 सितम्बर, 2022	114
19	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	पश्चिम बंगाल	16 सितम्बर 2022	70
20	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	तेलंगाना	16 सितम्बर 2022	85
21	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	आंध्र प्रदेश	19 सितम्बर 2022	55

क्रम सं	विवरण	स्थान / राज्य	कार्यक्रम के तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
22	दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर राज्य अभिविन्यास कार्यक्रम वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया	छत्तीसगढ़	19 सितम्बर 2022	53
23	जेजे संशोधन अधिनियम 2021 और नियम 2022 पर क्षेत्रीय परामर्श और डीएम/एडीएम, सीडब्ल्यूसी और डीसीपीयू के लिए दत्तक ग्रहण विनियम 2022	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	20 सितम्बर से 30 सितम्बर 2022	110

10.17 वर्चुअल अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम

सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (एसएआरए), जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू), विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए), अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एफएए) के हितधारकों के साथ नए दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के अधिसूचना से पहले और बाद में दिनांक 2 सितंबर, 2022 को कई अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

10.18 भौतिक मोड के माध्यम से प्रशिक्षणः जेजे संशोधन अधिनियम 2021 और नए दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 पर अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम। नए दत्तक ग्रहण विनियमन 2022 पर सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (एसएआरए), जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू), विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां (एसएए), प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियां (एएफएए) के सभी हितधारकों के साथ अनेक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मिशन वात्सल्य, जेजे संशोधन अधिनियम 2021, जेजे मॉडल नियम 2022 और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।

10.19 भौतिक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

जम्मू और कश्मीर

19 दिसंबर 2022 को जम्मू, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर में एसएए, डीसीपीयू, एसएआरए कार्यक्रम प्रबंधक और अन्य हितधारकों जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए नए दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 पर अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम।

छतीसगढ़

25 नवंबर 2022 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में एसएए,डीसीपीयू, सारा कार्यक्रम प्रबंधक और अन्य हितधारकों के सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे नए दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 और केयरिंग पर अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम

पुद्दुचेरी

2 दिसंबर 2022 को पुडुचेरी में एक दिवसीय 'नए दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के कार्यान्वयन पर राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण'।

10.20 कानूनी रूप से गोद लेने को बढ़ावा देने पर संवेदीकरण कार्यक्रमः बाल कल्याण समिति के सदस्यों, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) और जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) के पदाधिकारियों के लिए कानूनी गोद लेने को बढ़ावा देने के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। वर्ष 2022 के दौरान आयोजित संवेदीकरण कार्यक्रम का उल्लेख नीचे किया गया है.

विवरण	स्थान / राज्य	कार्यक्रम की तारीख
बाल कल्याण समिति के सदस्यों, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) और जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) के पदाधिकारियों के लिए कानूनी गोद लेने को बढ़ावा देने के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम	निपसीड मुख्यालय	26 और 27 दिसंबर 2022

IX. दत्तक ग्रहण जागरूकता माह, नवंबर 2022 के दौरान की गई गतिविधियाँ

10.21 कारा ने 'दत्तक ग्रहण जागरूकता माह' मनाया और 10 राज्य उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए, 200 विशेष सोशल मीडिया अभियान चलाए, नवंबर 2022 के महीने में 700 से अधिक भावी दत्तक माता–पिता के साथ इंटरैक्टिव बैठकें कीं।

इस महीने के दौरान कारा का उद्देश्य संभावित दत्तक माता–पिता सहित हितधारकों के बीच गोद लेने की जागरूकता फैलाना था। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, दमन और दीव, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, ओडिशा, तेलंगाना, नागालैंड राज्यों में मनाया गया। एक उपयोगी विचार–विमर्श के लिए इन राज्यों में बड़ी संख्या में संभावित दत्तक माता–पिता और दत्तक माता–पिता ने कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। कारा के प्रतिनिधियों ने मुद्दों और चिंताओं को समझने के लिए गोद लेने वाली एजेंसियों का भी दौरा किया।

विभिन्न राज्यों में एसएए, डीसीपीयू, एसएआरए के कार्यक्रम प्रबंधक और अन्य हितधारकों जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए नए दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 पर अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

दत्तक ग्रहण जागरूकता माह नवंबर 2022

X. दत्तक ग्रहण संबंधी मुद्दों पर वर्तमान की सरकारी अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी

10.22 **दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 (23/09/2022 से अधिसूचित)** – हितधारकों और विशेषज्ञों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, कारा ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम के अनुरूप दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 तैयार किया है। गोद लेने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 23/09/2022 को अधिसूचित किया गया है।

कुछ प्रमुख्य विशेषताओं में शामिल हैं –

i) राज्य आधारित रेफरल प्रणाली के माध्यम से अपने स्वयं के सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश में बच्चों को गोद लेना।

ii) देश में गोद लेने को आगे बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम।

iii) निवासी भारतीय (आरआई), अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) संभावित गोद लेने वाले माता–पिता को बच्चे को गोद लेने के बराबर बनाया गया है.

iv) जिलाधिकारी द्वारा दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया जाना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित विकलांगता अधिनियम 2016 के अनुपालन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे।

v) डिजिटलीकरण के माध्यम से गोद लेने की प्रक्रिया को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना।

11

अन्य एजेंसियां, कार्यक्रम और गतिविधियां

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

अन्य एजेंसियां, कार्यक्रम और गतिविधियां

I. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी)

क. परिचय

11.1 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) की स्थापना 12 अगस्त 1953 को भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा सामाजिक कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए की गई थी। बोर्ड को 1969 में कंपनी अधिनियम 1956 (अब कंपनी अधिनियम 2013 के तहत) के तहत एक चेरिटेबल कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। 1954 के बाद से, देश भर में बोर्ड के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के साथ–साथ राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य समाज कल्याण बोर्ड स्थापित किए गए थे। बोर्ड छह दशकों से अधिक समय से सरकार और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक देशव्यापी बुनियादी ढांचा है, नए कार्यक्रम विकसित करके समाज की बदलती जरूरतों का जवाब देना, कई प्रशिक्षण आयोजित करना, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सरकार के कार्यक्रम/स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी करना हैं। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय (डीओई) की सिफारिशों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, मंत्रालय ने अध्यक्ष, सीएसडब्ल्यूबी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के डब्ल्यूसीडी के प्रभारी सचिव को सीएसडब्ल्यूबी को बंद करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सीएसडब्ल्यूबी की संपत्ति, वित्तीय देनदारियों, जनशक्ति आदि को ध्यान में रखते हुए उसके विलय के लिए आगे की कार्रवाई तदनुसार की जा रही है।

ख. राज्य समाज कल्याण बोर्ड

11.2 राज्य समाज कल्याण बोर्ड संबंधित राज्यों में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रमों को लागू करते हैं। कुछ राज्य समाज कल्याण बोर्ड भी राज्य सरकारों के कार्यक्रमों/स्कीमों को लागू करते हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड सीएसडब्ल्यूबी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 100% अनुदान प्रदान करता है। राज्य बोर्डों का स्थापना व्यय सीएसडब्ल्यूबी और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है।

ग. बोर्ड के कार्यक्रम

(क) परिवार परामर्श केंद्र

11.3 परिवार परामर्श केंद्र (एफसीसी) की स्कीम वर्ष 1983 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। यह केंद्र उन महिलाओं और बच्चों को परामर्श, रेफरल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं, जो अत्याचार, पारिवारिक कुसमायोजन और सामाजिक बहिष्कार के शिकार हैं और प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के मामले में ट्रोमा परामर्श और संकटकालीन मध्यस्ताएं भी प्रदान करते हैं। यह केंद्र महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करते हैं और जनमत जुटाते हैं। एफसीसी स्थानीय प्रशासन, पुलिस, अदालतों, मुफ्त कानूनी सहायता प्रकोष्ठों, चिकित्सा और मनोरोग संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों, स्वाधार गृह, वन स्टॉप सेंटर आदि के साथ सहयोग से कार्य करते हैं।

11.4 परिवार परामर्श केंद्र (एफसीसी) एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो परिवार की भलाई के लिए सेवाएं प्रदान कर

रहा है और इससे संबंधित मुद्दों का समाधान कर रहा है। एफसीसी का जनादेश पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों को मजबूत करने के साथ–साथ परिवार के सभी सदस्यों के लिए कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करना है।

11.5 परिवार परामर्श केंद्र के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i. पेशेवर रूप से प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के माध्यम से परामर्श प्रदान करना और तलाक के मामलों में सुलह के प्रयास करना और वैवाहिक मामलों में अदालत के बाहर समझौता करना।

ii. स्वाधार गृह, मुफ्त कानूनी सहायता प्रकोष्ठ, पुलिस सहायता आदि जैसी रेफरल सेवाएं प्रदान करना।

iii. वन स्टॉप सेंटर, स्वाधार गृह, नशामुक्ति केंद्र, वृद्धाश्रम, आश्रय गृह, जेल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि में परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना।

iv. सामाजिक समस्याओं के खिलाफ जनमत को शिक्षित करना और जुटाना।

v. लोगों को बेहतर समन्वय और सेवाओं के लिए विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा सहायता प्राप्त और संचालित सामाजिक कल्याण गतिविधियों के बारे में शिक्षित और जानकारी प्रदान करना।

vi. पीड़ितों और उनके आश्रितों के लिए उपयुक्त पुनर्वास सेवाओं की व्यवस्था करना।

vii. परिवार, कार्यस्थल या समुदाय में व्यक्ति की किसी भी समस्या से निपटने के लिए संकट हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान करना.

(ख). एफसीसी द्वारा निपटाए गए मामले

11.6 ये केंद्र परिवार से संबंधित व्यापक मामलों जैसे दहेज, घरेलू हिंसा, शराब/ नशीली दवाओं की लत, वैवाहिक कुसमायोजन, आर्थिक संकट, विवाहेतर संबंध, व्यक्तित्व अंतर, मानसिक और शारीरिक अत्याचार, अवसाद, मानव दुर्व्यापार, साइबर अपराध आदि का समाधान करता है।

(ग). स्कीम की विशेष उपलब्धियां

11.7 देश भर में एक वेब/ऐप आधारित दैनिक रैपिड रिपोर्टिंग प्रणाली परिचालित है जिसे डेटा संग्रह की पहचान करने और स्थापित करने के साथ–साथ सभी एफसीसी की आईसीटी निगरानी हेतु विकसित किया गया था। एफसीसी क्रियान्वित करने वाली सभी कार्यान्वयन एजेंसियां, और एफसीसी के काउंसलर पोर्टल में पंजीकृत हैं और मामलों, परामर्श सत्रों, लाभार्थियों का विवरण प्रस्तुत करते हैं और अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट, लेखापरीक्षित खाते आदि भी अपलोड करते हैं। सीएसडब्ल्यूबी के सभी फील्ड अधिकारी इस पोर्टल में पंजीकृत हैं और निरीक्षण रिपोर्ट पोर्टल में अपलोड की जाती हैं।

11.8 ये केंद्र प्राकृतिक आपदाओं के मामले में संकट मध्यस्ताएं और ट्रामा परामर्श भी प्रदान करते हैं। इस वर्ष के दौरान एफसीसी ने कोविड–19 महामारी की रोकथाम पर जागरूकता शिविर आयोजित किए।

(घ). विशेष क्षेत्रों में एफसीसी

11.9 परिवार परामर्श केन्द्रों की सेवाएं विशेष क्षेत्रों जैसे जेल/महिला जेल, पुलिस परिसर, सीबीसीआईडी/ सीआईडी परिसर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) परिसर, रेड लाइट एरिया, कॉलेज आदि में भी प्रदान की जाती हैं।

(ङ.). प्रशिक्षण

11.10 परामर्शदाताओं और पदाधिकारियों के लिए सेवाकालीन अभिविन्यास प्रशिक्षण सह पुनश्चर्या पाठ्यक्रम नियमित अंतराल पर उन्हें कानूनी प्रावधानों और बदलती नीतियों के साथ उन्मुख करने और परामर्श कौशल और पेशेवर इनपुट को उन्नत करने के लिए प्रदान किया जाता है।

(च). वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां

11.11 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत, सरकार ने 1720.00 लाख रुपये आवंटित किए और सीएसडब्ल्यूबी को 1038.07 लाख रुपये जारी किए। सीएसडब्ल्यूबी

ने एफसीसी स्कीम के तहत 1032.96 लाख (पिछली देनदारियों सहित) रुपये जारी किए। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, 66493 मामलों में एफसीसी की सेवाएं प्रदान की गई हैं। इस कार्यक्रम से व्यक्ति/मामले के परिवार के सदस्य भी लाभान्वित होते हैं। राज्यवार विवरण **अनुबंध–XXV** में दिया गया है।

घ. अन्य गतिविधियाँ

11.12 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सद्भावना दिवस, हिंदी पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, संविधान दिवस आदि विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है।

II. राष्ट्रीय महिला कोष

11.13 राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) की स्थापना 1993 में भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन के रूप में की गई थी। आरएमके सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है। आरएमके को प्रारम्भ में 1993 में अनौपचारिक क्षेत्र में गरीब और संपत्ति विहीन महिलाओं की ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए 31 करोड़ रुपये की कोर्पस फंड के साथ स्थापित किया गया था। 69 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय आवंटन के कारण 31 मार्च 2021 तक 31 करोड़ रुपये से 323.57 (भंडार और अधिशेष सहित) करोड़ रुपये अधिक हो गया है जिसमें 2006–07 में 10 करोड़ रु; 2007–08 में 12 करोड़ रूपए; 2008–09 में 31 करोड़ रु और 2009–10 में 16 करोड़ रु; 223.57 करोड़ रूपए आरक्षित किए जा रहे है और क्रेडिट, निवेश और वसूली प्रबंधन के माध्यम से आंतरिक स्रोतों से उत्पन्न अधिशेष रुपये का आवंटन शामिल है।

क. प्रशासनिक ढांचा

11.14 आरएमके के शासी निकाय में 16 सदस्य होते हैं जो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, विशेषज्ञों और माइक्रो–क्रेडिट के क्षेत्र में सक्रिय संगठनों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माननीय मंत्री शासी बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आरएमके के कार्यकारी निदेशक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। आरएमके अपने सभी प्रशासनिक और स्थापना व्यय को आंतरिक संसाधनों से पूरा करती है।

ख. उद्देश्य

11.15 गरीब महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक उत्थान करने के लिए, आरएमके ग्राहक के अनुकूल अनौपचारिक क्षेत्र में जरूरतमंद और गरीब महिलाओं को संपार्श्विक सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना सूक्ष्म–वित्त सेवाएं प्रदान करता है। आय सृजन गतिविधियों (आईजीए), आवास, सूक्ष्म उद्यमों, परिवार की जरूरतों आदि के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। आरएमके ने माइक्रोफाइनेंसिंग, बचत और ऋण, क्षमता निर्माण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रचार उपाय भी किए हैं और एसएचजी प्रारूप के माध्यम से विपणन संपर्क और गरीब महिलाओं के लिए उद्यम विकास भी किया है।

ग. क्रेडिट वितरण तंत्र

11.16 गरीब महिला लाभार्थियों को जमीनी स्तर पर काम करने वाले मध्यवर्ती माइक्रो–वित्त पोषण करने वाली संगठनों (आईएमओ) जैसे गैर–सरकारी संगठनों, महिला संघों, सहकारी समितियों, कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत पंजीकृत अलाभकारी कंपनियों और अन्य स्वैच्छिक / नागरिक समाज संगठन आदि के माध्यम से ग्राहक के अनुकूल, सरल, आजीविका और आय सृजन गतिविधियों, आवास, सूक्ष्म–उद्यमों, आदि के लिए आवश्यक कोलेटरल लोन का पालन किए बिना ऋण प्रदान किया जाता है।

घ. आरएमके की स्कीम /ऋण उत्पाद

11.17 आरएमके की स्कीम /ऋण उत्पाद हैं: i. ऋण प्रोत्साहन स्कीम ii. मुख्य ऋण स्कीम पपप. गोल्ड क्रेडिट कार्ड स्कीम iv. आवास ऋण स्कीम v. कार्यशील पूंजी सावधि ऋण। उपरोक्त स्कीम के तहत आरएमके द्वारा दी गई (जारी) धनराशि आईएमओ के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जिसमें गरीब महिलाओं को रियायती सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान किए जाते हैं।

ई. वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान की गई गतिविधियां

i. माइक्रो–क्रेडिट प्रदर्शन

11.18 अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक इस वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कोई मंजूरी और संवितरण नहीं है। फरवरी 2023 तक, आरएमके ने 373.12 करोड़ रुपये की संचयी राशि स्वीकृत की है और 7,41,163 महिला उद्यमियों को लाभान्वित करते हुए 315.13 करोड़ रुपये की राशि वितरित की।

ii. जागरूकता निर्माण, क्षमता निर्माण और अन्य सहायता सेवाएं

11.19 आरएमके का सूक्ष्म–वित्त कार्यक्रम देश में एसएचजी के माध्यम से गरीब महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक है। महिला लाभार्थियों को माइक्रो–क्रेडिट देने के अलावा, आरएमके एसएचजी/महिला–समूहों और भागीदार गैर–सरकारी संगठनों को सूक्ष्म–वित्त और आय सृजन गतिविधियों में सशक्त बनाने और उन्हें अपने साथी सदस्यों और संभावित लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से भी क्षमता बनाता है। आरएमके से ऋण लेने वाले भागीदार संगठनों को अन्य बातों के साथ–साथ महिला एसएचजी सदस्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता आदि प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

11.20 राष्ट्रीय महिला कोष के सूक्ष्म–वित्त लाभार्थियों की सफलता की कहानियों को फिल्माया गया और विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों, आरएमके की वेबसाइट, यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से प्रसारित किया गया।

छ. आरएमके को बंद करने का प्रस्ताव

11.21 आरएमके की स्थापना के समय, यह एक प्रमुख सरकारी निकाय था जो मध्यस्थ संगठन (आईएमओ) के माध्यम से गरीब महिलाओं को रियायती सूक्ष्म–वित्त ऋण देने के क्षेत्र में काम कर रहा था।

11.22 समय के साथ, राष्ट्रीय महिला कोष ने अपनी प्रासंगिकता और उपयोगिता खो दी है क्योंकि यह वर्तमान परिदृश्य में पर्याप्त वैकल्पिक ऋण सुविधा तंत्र के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी विभिन्न सरकारी पहलों के माध्यम से महिला उद्यमियों के लिए उपलब्ध हो गया है।

11.23 वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित विशेषज्ञ प्रबंधन आयोग की सिफारिशों और प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा लिखित सरकारी निकायों के युक्तिकरण पर रिपोर्ट के अनुरूप, सरकार ने दक्षता में सुधार और संसाधन के इष्टतम उपलब्ध उपयोग के लिए आरएमके को बंद करने का निर्णय लिया है।

III. सूचना प्रौद्योगिकी

11.24 मंत्रालय कई स्कीमों और पहलों में ई–गवर्नेंस के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है। मंत्रालय की वेबसाइट (wcd.nic.in) द्विभाषी वेबसाइट है। इसमें मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों की सभी स्कीमों, अधिनियमों/नीतियों आदि के साथ–साथ मंत्रालय की संपर्क निर्देशिका और संगठनात्मक संरचना की जानकारी है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान नागरिक के लिए जीरो डाउनटाइम बनाए रखा गया है। साइट पर महत्वपूर्ण संबंधित हाइपरलिंक भी प्रदान किए गए हैं।

11.25 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के परिणामों और प्रभावों को दर्शाने के लिए एनआईसी की मदद से एक निगरानी डैशबोर्ड (यानी (wcd.dashboard.nic.in)) विकसित किया गया है। वर्ष 2022 में, डैशबोर्ड को एनआईसी द्वारा पुनः डिज़ाइन किया गया है और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तीन मिशनों के अनुसार लागू किया गया है, मिशन पोशन, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य।

11.26 डेटा की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, 20 वेबसाइटों/पोर्टलों को बंद करने का निर्णय लिया गया जो निष्क्रिय थे और जिनकी आवश्यकता नहीं थी।

11.27 मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान शुरू किए गए कुछ कार्यक्रमों और नवीनतम विकास का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

क. ई–ऑफिस (mwcd.eoffice.gov.in)

11.28 मंत्रालय ने ई–ऑफिस प्रीमियम उत्पादों को पूरी तरह से लागू किया है और पेपरलेस कार्यालय अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसके लिए मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआर एंड पीजी) द्वारा प्लेटिनम मंत्रालय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जीरो फिजिकल फाइल वाले सभी मंत्रालयों में –ई–फाइलों की संख्या और ई–फाइलों के प्रतिशत (100%) के मामले में सूची में सबसे ऊपर है। मंत्रालय को ई–ऑफिस के कार्यान्वयन में किए गए सराहनीय कार्य के लिए डीएआरपीजी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। मंत्रालय में 90000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक फाइलें बनाई गई हैं। हाल ही में मंत्रालय में ई–ऑफिश 7.2.5 वर्जन को एक वर्ष से लागू किया गया है। इसके अलावा, ई–ऑफिस को उपयोगकर्ता के अनुकूल और पारदर्शी बनाने के लिए इसमें नए अपडेट किए गए हैं।

ख. स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) कोड की मैपिंग और सीडिंगः

11.29 स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) एक मानक स्थान कोड निर्देशिका है जो प्रत्येक राजस्व/भूमि क्षेत्र इकाई जैसे राज्य, जिले, उप जिला, ब्लॉक और गांव और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगरपालिका को अद्वितीय कोड प्रदान करती है। मंत्रालय ने एलजीडी कोड के साथ विभिन्न योजनाओं को एकीकृत किया है और प्रशासनिक इकाइयों के स्थान के एलजीडी कोड के साथ अपने अधिक ई–गवर्नेंस अनुप्रयोगों को एकीकृत करने की प्रक्रिया में है।

ग. राष्ट्रीय सरकार सेवा पोर्टल (https://services.india.gov.in) पर सेवाएं अपलोड करना

11.30 मंत्रालय की आईटी सेवाएं [सरकार से नागरिक (जी2सी)] सरकार से कर्मचारी (जी2ई) और सरकार से व्यवसाय (जी2बी) के तहत, "राष्ट्रीय सरकार सेवा पोर्टल (https://services.india.gov) पर अपलोड की जा रही हैं जिसे G2C, G2E और G2B के तहत सभी केंद्रीय और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की सूचना और लेनदेन सेवाओं के लिए सिंगल विंडो पोर्टल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है।

घ. शी–बॉक्स (www.shebox.nic.in)

11.31 शी–बॉक्स कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। यह यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के पंजीकरण की सुविधा के लिए, चाहे वह संगठित हो या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही हो, हर महिला को सिंगल विंडो एक्सेस प्रदान करती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली कोई भी महिला इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। शी–बॉक्स पोर्टल का नया संस्करण एनआईसी द्वारा विकसित किया जा रहा है।

ड. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना– प्रधानमंत्री

मातृ वंदना योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मातृत्व लाभ के वितरण के लिए कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई–सीएएस) पोर्टल (https://pmmvy-cas.nic.in) है।

11.32 प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) स्कीम की घोषणा भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2016 को की गई थी। पीएमएमवीवाई के तहत, पीएमएमवीवाई–सीएएस पोर्टल के माध्यम से मौद्रिक लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों के लिए सुलभ है। ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा लाभार्थियों के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में भुगतान करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों/स्वीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं से प्राप्त पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों के डेटा का डिजिटलीकरण/अनुमोदन किया जाता है। यह पोर्टल अक्टूबर 2022 में एनआईसी को सौंप दिया गया था।

11.33 पीएमएमवीवाई–सीएएस पोर्टल का नया संस्करण एनआईसी द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह मिशन

शक्ति दिशानिर्देशों के तहत संशोधित पीएमएमवीवाई में पेश किए गए संशोधनों को पूरा करेगा। गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये का मौद्रिक लाभ और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले बच्चे के लिए दो किश्तों में और एकमुश्त 6,000 रुपये दिए जाएंगे। बच्चे के लिए अनिवार्य टीकाकरण पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थियों को दूसरे बच्चे (केवल लड़की होने पर) के लिए रुपये दिए जाएंगे।

11.34 नए आवेदन में, आधार को भविष्य में अन्य प्रणालियों के साथ सहज एकीकरण और आधार–आधारित भुगतान को सक्षम करने के लिए सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। नए रोल–आउट में, नागरिक सीधे PMMVYsoft MIS या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकेंगे।

छ. पोषण ट्रैकर (https://poshantracker.in)

11.35 पोषण ट्रैकर ब्लॉक स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों, जिला कार्यक्रम अधिकारियों (जिला स्तर), राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों को आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईपी) के तहत विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी गतिविधियों की वास्तविक समय पर निगरानी में मदद करता है।

11.36 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम वास्तविक समय पर निगरानी (आईसीटी–आरटीएम) का उद्देश्य जमीनी स्तर पर महिलाओं और बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार के लिए पोषण संबंधी संकेतकों पर वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करना है। इस प्रणाली में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन और महिला पर्यवेक्षकों से लैस किया गया है, जिसमें पोषण सेवाओं और पोषण की स्थिति के बारे में लाभार्थी वार जानकारी प्राप्त करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ टैबलेट पहले से स्थापित हैं। डेटा वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध है और क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके गतिशील डैशबोर्ड के माध्यम से ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा देखा जा सकता है।

ज. एकीकृत बाल विकास सेवाएं– रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम (ICDS-RRS)(https://icds-wcd.nic.in/)

11.37 एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं के अधीन, रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और बाल विकास परियोजना अधिकारी स्तर (सीडीपीओ) पर मासिक प्रगति रिपोर्ट [एमपीआर] और वार्षिक स्थिति रिपोर्ट [एएसआर] के रजिस्टर और रिपोर्टिंग के नए प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपने आस–पास के आंगनवाड़ी केंद्रों के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

झ. बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी) (https://wcd.nic.in/bbbpschemes& www.bbbpindia.gov.in)

11.38 पहल का उद्देश्य लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना है। बेटी बचाओ बेटी पढाओ के लिए यूट्यूब चैनल https://www.youtube.com/user/BetiBachaoBetiPadhao पर उपलब्ध है, जो बीबीबीपी से संबंधित प्रेरणा वीडियो तक पहुंच प्रदान करता है।

झ. ट्रेक चाइल्ड (https://trackthemissingchild.gov.in)

11.39 इस स्कीम का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के कल्याण में सुधार में योगदान देना है, साथ ही बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और अलगाव की ओर ले जाने वाली स्थितियों की अतिसंवेदनशील और कार्य को कम करना है। वर्ष 2022 में ट्रैक द मिसिंग चिल्ड्रन पोर्टल को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) के साथ एकीकृत किया गया है। यह न केवल जमीनी स्तर पर पुलिस अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दोहरे प्रयासों को दूर करेगा बल्कि कम समय में लापता बच्चों का पता लगाना भी संभव होगा।

11.40 इसके अलावा, इस वर्ष रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर जोड़ा गया है। यह लापता

और बरामद बच्चों को सीधे आरपीएफ पोस्ट और बहाली और अन्य देखभाल और सुरक्षा सेवाओं को जल्द से जल्द वितरित करने में मदद करेगा।

ञ. खोया–पाया (khoyapaya.gov.in)

11.41 लापता बच्चों का पता लगाने के लिए खोया–पाया पोर्टल एक नागरिक केंद्रित मॉड्यूल है, जिसे डिजिटल इंडिया के तहत अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के रूप में विकसित किया गया है। खोया–पाया के साथ पंजीकृत कोई भी नागरिक किसी कानूनी औपचारिकता को पूरा करने की प्रतीक्षा किए बिना लापता या देखे गए बच्चे के बारे में जानकारी प्रकाशित कर सकता है। नागरिक द्वारा प्रदान की गई जानकारी को त्वरित मॉडरेशन के बाद सार्वजनिक रूप से देखने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नागरिक खोए या देखे गए बच्चे की विशेषताओं का मिलान करके बच्चों के डेटाबेस की खोज कर सकते हैं।

ट. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) ई–बॉक्स (http://ncpcr.gov.in/index2.php)

11.42 पोक्सो ई–बॉक्स यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत यौन अपराध के किसी भी मामले की रिपोर्ट करने का एक आसान और सीधा माध्यम है। इसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के होम पेज में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। वेबसाइट जहां उपयोगकर्ता को केवल पोक्सो ई–बॉक्स के बटन दबाना है, जो एक लघु एनीमेशन फिल्म वाली विंडो के साथ एक पृष्ठ पर मार्गनिर्देशित करेगा।

ठ. बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग): ऑनलाइन दत्तक ग्रहण पोर्टल (http://cara.nic.in and https://carings.nic.in)

11.43 बाल दत्तक ग्रहणसंसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग) केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए एक ई–गवर्नेंस पहल है। एप्लिकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित और रखरखाव किया जाता है और सीएआरए की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात www.cara.nic.in पर आयोजित किया जाता है।

11.44 वर्ष 2022 में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नए जेजे अधिनियम 2022 और बाल दत्तक ग्रहण नियमन 2022 को अधिसूचित किया। वर्ष 2022 में ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अधिनियम के नए नियमों के साथ नए संस्करण केयरिंग्स 3.2 को लॉन्च और लागू किया।

ड. ई–इंक्रीमेंटल लर्निंग एप्रोच (ई–आईएलए) (http://www.e-ila.gov.in)

11.45 ई–आईएलए पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ईसीई) पर ऑनलाइन विषयगत मॉड्यूल हैं जो कार्यकर्ता को उनके ज्ञान और कौशल में निरंतर, वृद्धिशील तरीके से सुधार करने में सहायता करने के लिए विकसित किए गए हैं। संशोधन और याद करने के लिए आसानी से सुलभ और इंटरैक्टिव ऑनलाइन सामग्री प्रदान करने के अलावा, ई–आईएलए मॉड्यूल स्व–गति सीखने की अनुमति देता है, (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) एडब्ल्यूडब्ल्यू को व्यावहारिक नौकरी कौशल विकसित करने और प्रोग्रामेटिक और विषयगत प्राथमिकताओं की स्पष्ट और समझ विकसित करने में मदद करता है। प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में एक अंतर्निहित ज्ञान मूल्यांकन के साथ, यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है और उसे स्वयं को सुधारने के लिए प्रेरित करता है और महीने के अंत में पूरा किए गए आईएल मॉड्यूल के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन करता है।

ढ. गैर सरकारी संगठन सहायता अनुदान पोर्टल (http://ngomwcd.gov.in)

11.46 मंत्रालय से अनुदान मांगने वाले एनजीओ से ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए एनजीओ पोर्टल विकसित किया गया है। एनजीओ ऑनलाइन पंजीकरण करता है और इसे नीति आयोग वेब सेवा द्वारा मान्य किया जाता है। केवल मान्य एनजीओ ही अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य और जिला कोड एलजीडी निर्देशिका स्वाधार गृह, उज्जवला, क्रेच, सीपीसी, डब्ल्यूडब्ल्यू और अनुसंधान के अनुसार हैं।

ण. एकीकृत बाल संरक्षण सेवा (आईसीपीएस) (http://wcd-icps.nic.in)

11.47 आईसीपीएस स्कीम विभिन्न घरों जैसे (सीसीआई, एसएए, जेजे होम्स, खुला आश्रय और नाइट शेल्टर्स) आदि में रहने वाले बच्चों को एक संरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य और जिला स्तर पर 12 निगरानी फोर्मेट हैं। वेबसाइट बच्चों के आने और जाने की तिमाही निगरानी के लिए विकसित की गई है, मामलों को निपटाने के लिए सीडब्ल्यूसी और जेजेबी द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या, सदस्यों का विवरण, विकसित विभिन्न घरों की निर्देशिका का निर्माण और राज्य से ऑनलाइन वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त करना और अनुदान जारी करना आदि।

त. किशोरियों के लिए स्कीम – रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम (एसएजी–आरआरएस) (https://sag-rrs.nic.in)

11.48 यह पोर्टल किशोरियों के लिए स्कीम (एसएजी) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विकसित किया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके और हमारे देश की किशोरियों की पोषण संबंधी सेहत सुनिश्चित की जा सके। डेटा को विभिन्न स्तरों जैसे ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित किया जाता है।

थ. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) डैशबोर्ड (wcd.dashboard.nic.in)

11.49 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के परिणामों और प्रभावों को दर्शाने के लिए एनआईसी की मदद से एक निगरानी डैशबोर्ड (अर्थात एमडब्ल्यूसीडी डैशबोर्ड) विकसित किया गया है। वर्ष 2022 में, डैशबोर्ड को एनआईसी द्वारा पुनः डिज़ाइन किया गया है और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तीन मिशनों मिशन पोषण, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के अनुसार लागू किया गया है।

द. सखी डैशबोर्ड (http://sakhi.gov.in/)

11.50 सखी डैशबोर्ड वन स्टॉप सेंटर्स (ओएससी) और महिला हेल्प लाइन्स (डब्ल्यूएचएल), महिला पुलिस स्वयंसेवकों (एमपीवी) के पदाधिकारियों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जो उनके पास आने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं के मामलों के बारे में साथ ही उनके प्रतिष्ठानों के बारे में विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को देखने के लिए है। डैशबोर्ड तक इन अधिकारियों के साथ–साथ संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपे गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की मदद से पहुँचा जा सकता है।

11.51 डैशबोर्ड ओएससी, डब्ल्यूएचएल और एमपीवी में आने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं के मामलों के लिए एक सरलीकृत और मानकीकृत सामान्य फॉर्मेट प्रदान करता है, जो उन्हें प्रदान की जाने वाली सहायता और रेफरल सेवाओं का विवरण देता है।

ध. नारी शक्ति पुरस्कार पोर्टल (narishaktipuraskar.wcd.gov.in)

11.52 वर्ष 2019 से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नारी शक्ति पुरस्कार (पूर्व में स्त्री शक्ति पुरस्कार) के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'नारी शक्ति पुरस्कार', "महिला सशक्तिकरण के लिए असाधारण कार्य की मान्यता में राष्ट्रीय पुरस्कार" हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को उन लोगों के सम्मान और पहचान के रूप में मनाते हैं जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनुकरणीय साहस और शानदार योगदान का प्रदर्शन किया है।

न. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए पोर्टल (http://nca-wcd.nic.in)

11.53 प्रत्येक वर्ष भारत सरकार नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति और बहादुरी के क्षेत्र में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है; और उन व्यक्तियों और संस्थानों को भी जिन्होंने बाल विकास, बाल संरक्षण

और बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

11.54 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरी प्रक्रिया के साथ ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक द्विभाषी पोर्टल विकसित किया है।

प. निर्भया डैशबोर्ड (www.nirbhayadashboard.nic.in)

11.55 निर्भया डैशबोर्ड सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/जिलों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो निर्भया फंड के तहत वित्त पोषित स्कीमों/परियोजनाओं का लाभ उठाने वाली महिलाओं के खर्च और विवरण की स्थिति को अपडेट करता है।

फ. एकीकृत निगरानी प्रणाली

11.56 यह इंट्रानेट पर है। मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्कीमों/कार्यक्रमों, बजट संबंधी मामलों, अदालती मामलों, मीडिया से संबंधित मामलों, पीएमओ संदर्भों, वीआईपी संदर्भों, संसदीय मामलों और मंत्रालय की लोक शिकायतों की प्रगति की निगरानी के लिए प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की गई है।

ब. इंटरसिप पोर्टल (wcd.intern.nic.in)

11.57 इस पोर्टल के माध्यम से, मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के लिए अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों में उन्हें शामिल करने के उद्देश्य से उन्मुखीकरण लघु अवधि की पेशकश करके मंत्रालय के इंटर्नशिप कार्यक्रमों के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) भारत के गैर–टियर–I शहरों और ग्रामीण हिस्सों से महिला छात्रों, विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरे वर्ष में अलग–अलग एक महीने और दो महीने की अवधि के लिए उपलब्ध है।

11.58 विभिन्न शैक्षणिक/गैर–शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े छात्र, विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक मंत्रालय की चल रही गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पायलट प्रोजेक्ट/सूक्ष्म अध्ययन करने के इच्छुक हैं। मंत्रालय छात्रों को अपने जनादेश के लिए एक गुणात्मक जोखिम प्रदान करता है और भविष्य में विभिन्न प्लेटफार्मों पर महिलाओं और बच्चों के मुद्दे को उठाने के लिए उन्हें सक्रिय बनाने के लिए लक्ष्य समूह पर विशिष्ट कार्यक्रम और नीति विश्लेषण भी करता है।

भ. बच्चों के लिए पीएम केयर्स (https://pmcaresforchildren.in)

11.59 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 मई 2021 को बच्चों के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन बच्चों का समर्थन करना है, जिन्होंने 11 मार्च 2020 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान माता–पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता–पिता या जीवित माता–पिता दोनों को कोविड–19 महामारी में खो दिया है। स्कीम का उद्देश्य सतत रूप से बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी भलाई को सक्षम बनाना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और उन्हें 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना है।

11.60 कोविड –19 महामारी के दौरान माता–पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता–पिता या जीवित माता–पिता दोनों को खोने वाले बच्चों की सहायता के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है। बाल पंजीकरण और अनुमोदन कार्यप्रवाह, केंद्र और राज्य की स्कीमों के ऑनबोर्डिंग का पूर्णरुपेण समाधान किया गया है और शिकायत निवारण मॉड्यूल का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है।

IV. डीबीटी

11.61 ''लाभ और सेवाओं को सरल और तेजी से पहुंचाने के लिए कल्याणकारी स्कीमों में मौजूदा प्रक्रियाओं को फिर से इंजीनियरिंग करके सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से और लाभार्थियों के सटीक लक्ष्यीकरण, डी–डुप्लीकेशन और धोखाधड़ी में कमी को सुनिश्चित करने हेतु, भारत सरकार ने अपनी स्कीमों में लाभार्थियों के प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में आधार का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) शुरू किया है। आधार का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि लाभ इलेक्ट्रॉनिक

रूप से व्यक्तियों के बैंक खातों में जाए, निधियों के प्रवाह में शामिल स्तरों को कम करता है और इस तरह भुगतान में होने वाले विलम्ब को कम करता है, लाभार्थी का सटीक लक्ष्य सुनिश्चित करता है और चोरी और दोहराव को रोकता है।

11.62 अपनी स्कीमों में डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 15 स्कीमों/स्कीम घटकों को प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में आधार का उपयोग करके लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ और सेवाओं के हस्तांतरण के लिए डीबीटी मोड में कार्यान्वयन के लिए पहचाना गया है। स्कीमों की सूची नीचे दी गई हैप वेब आधारित सीएएस/एमआईएस को सभी स्कीमों/स्कीम के घटकों के लिए विकसित किया गया है और वेब सेवाओं के माध्यम से डीबीटी स्कीमों की प्रगति की मासिक रिपोर्टिंग के लिए कैबिनेट सचिवालय के डीबीटी मिशन के डीबीटी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। पीएमएमवीवाई स्कीम को उमंग प्लेटफॉर्म पर ऑन–बोर्ड कर दिया गया है। फील्ड अधिकारी ऐप का उपयोग करके स्कीम के लाभार्थी को सीधे नामांकित कर सकते हैं।"

क्र.सं.	स्कीम का नाम
1.	आंगनवाड़ी सेवा–प्रशिक्षण कार्यक्रम
2.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
3.	महिलाओं का संरक्षण और अधिकारिता–महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार के विरुद्ध व्यापक योजना–उज्ज्वला–लाभार्थियों को सुविधाएं
4.	महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारिता–महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार को रोकने के लिए व्यापक योजना–उज्जवला– वेतन
5.	महिलाओं का संरक्षण एवं अधिकारिता–स्वाधार गृह–लाभार्थियों को सुविधाएं
6.	महिलाओं का संरक्षण और अधिकारिता–स्वाधार गृह–कर्मचारियों को वेतन
7.	वन स्टॉप सेंटर – लाभार्थियों को सेवाएं*
8.	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम –पोषण
9.	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम – श्रमिकों को मानदेय
10.	किशोरियों के लिए स्कीम
11.	आंगनवाड़ी सेवाएं– पूरक पोषाहार
12.	आंगनवाड़ी सेवाएं– आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका को मानदेय
13.	बाल संरक्षण सेवाएं – लाभार्थियों को सुविधा, (प्रायोजन)
14.	बाल संरक्षण सेवाएं – लाभार्थियों को सुविधाएं
15.	बाल संरक्षण सेवाएं – कर्मचारियों का वेतन

V. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए आरक्षणः

11.63 कैलेंडर वर्ष 2022 (31.12.2022 तक) के दौरान मंत्रालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण **अनुलग्नक–XXVI** और **XXVII** में दिया गया है।

VI. हिंदी का प्रगामी प्रयोग

11.64 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, मंत्रालय ने सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। मंत्रालय के सभी कंप्यूटर (पीसी) द्विभाषी यूनिकोड सुविधा से सुसज्जित हैं। पत्राचार और टिप्पण में हिन्दी के प्रयोग का प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित हिंदी के प्रगामी प्रयोग की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई और राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भेजी गई। मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है।

क. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन

11.65 भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी दस्तावेज अर्थात कैबिनेट नोट, संसदीय प्रश्न, संसदीय स्थायी समिति से संबंधित सामग्री, विज्ञापन, अधिसूचनाएं, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन आदि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों से संबंधित पुस्तकों का अनुवाद किया गया। राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 का मंत्रालय द्वारा पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है।

ख. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी)

11.66 राजभाषा के प्रभारी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। यह हिंदी के प्रयोग के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करता है और उपयुक्त सुझाव देता है तथा यदि कोई कठिनाई हो तो उसे दूर करता है। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा साप्ताहिक बैठकों में शासकीय कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के निर्देश दिये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 3 बैठकें 22 जून, 2022, 29 सितंबर, 2022 और दो त्रैमासिक संयुक्त बैठकें 30 जनवरी, 2023 को आयोजित की गईं।

ग. मंत्रालयों की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन

11.67 हिंदी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई। बैठक में समस्त सदस्य समिति ने भाग लिया।

घ. हिंदी कार्यशालाएं और राजभाषा निरीक्षण

11.68 विभिन्न अनुभागों के कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिन्दी में करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिंदी अनुभाग नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करता है। पिछले वर्ष तीन हिंदी कार्यशालाएं दिनांक 12 अप्रैल, 2022, 30 सितंबर, 2022 और 01 दिसंबर, 2022 को आयोजित की गई थीं।

11.69 हिंदी अनुभाग मंत्रालय के 12 अनुभागों के साथ–साथ अधीनस्थ/5 संबद्ध कार्यालयों का हिंदी निरीक्षण करता है ताकि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों से निपटने में उनकी मदद की जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संसदीय उप–समिति द्वारा 24 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का राजभाषा निरीक्षण किया गया।

ङ. हिन्दी माह समारोह

11.70 मंत्रालय में दिनांक 14 से 29 सितंबर, 2022 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास ने एक अपील जारी कर मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। हिंदी पखवाड़े के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान देने और कर्मचारियों को अपने दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने, टिप्पण और आलेखन, निबंध लेखन और हिंदी भाषा और सामान्य ज्ञान, हिंदी टंकण का आयोजन किया गया। 'गैर हिंदी भाषी उम्मीदवारों को प्राप्त कुल अंकों में 5% की छूट दी गई थी। लगभग 65 प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और प्रतियोगिताओं में सभी 19 विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वार्षिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अपना अधिकतम सरकारी कार्य हिंदी में करने वाले 10 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है।

च. ई–ऑफिस में हिंदी कार्य

11.71 हिंदी अनुभाग का सारा काम ई–आफिस में हो रहा है। सभी परिपत्र, फाइलें, पत्र ई–ऑफिस के माध्यम से ही जारी किए जा रहे हैं और नोटिस बोर्ड पर लगाए जा रहे हैं।

अनुलग्नक

अनुलग्नक–I

महिलाओं और बच्चों हेतु संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद–14 –सभी को कानून के समक्ष समता के अलावा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है।

अनुच्छेद–15 – राज्य किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा.....इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद–15(1)–किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव निषिद्ध है।

अनुच्छेद–15(3) – राज्य को स्त्रियों के लिए सकारात्मक भेदभाव करने के लिए विशेष प्रावधान।

अनुच्छेद–16–सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता और किसी भी नागरिक के साथ लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, उद्भव, जन्म के स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में विभेद नही किया जाएगा, की गारंटी प्रदान करता है।

अनुच्छेद–21 (क) – राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 24 – 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखानों, खदानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा किसी अन्य जोखिमयुक्त नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 39 (क) – राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने के समान अधिकार प्राप्त हों।

अनुच्छेद 39 (घ) –पुरूषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन।

अनुच्छेद 39 (ड).–राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि पुरुष और स्त्री कर्मियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु अथवा शक्ति के अनुकूल न हो।

अनुच्छेद 39 (च)– राज्य को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि बालकों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्र व गरिमामय स्थितियों में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं बालयावस्था और युवाओं की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएं।

अनुच्छेद 42 – राज्य द्वारा कार्य और मातृत्व राहत की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान।

अनुच्छेद 45 – राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–रेख और शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 46 – राज्य को जनता के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करने और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करने का निर्देश।

अनुच्छेद 47 – राज्य को अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उठाने के लिए निर्देश।

अनुच्छेद 51 (क) (ङ) – ऐसी प्रथाओं का त्याग करेगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

अनुच्छेद 243 (छ) – अनुसूची 11 के साथ पठित में – शिक्षा (मद 17) परिवार कल्याण (मद 25), स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (मद 23) के अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों को पंचायत को सौंपने (अनुसूची 11 की मद 25) तथा बाल कल्याण पर प्रभाव वाली अन्य मदों द्वारा बाल देखरेख के संस्थानीकरण का प्रावधान है।

अनुच्छेद 243 (घ) (3) और (न) (3) – महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत / नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थानों की (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान की संख्या सहित) स्त्रियों के लिए आरक्षण की गारंटी देता है और ऐसे स्थान पंचायत/ नगरपालिका के भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आबंटित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 243 (घ) (4) – प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई पदों पर स्त्रियों के लिए आरक्षण की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 243 (न) (4) – नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित करने की गारंटी देता है जो राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा उपबंधित करे।

अनुलग्नक–II

महिलाओं एवं बच्चों हेतु कानूनी प्रावधान

I. महिलाओं से संबंधित कानून

- विधि व्यवसायी (महिला) अधिनियम, 1923
- कारखाना अधिनियम, 1948 (1986 में संशोधित)
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
- गर्भाधान–पूर्व एवं प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम, 1994 (पीसीपीएंडपीटी)
- गर्भाधान–पूर्व एवं प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
- भारतीय दण्ड संहिता,1860 के अंतर्गत उल्लिखित अपराध
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
- सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

II. बच्चों से संबंधित कानून

- संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
- अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956
- बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल एवं शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 और इसका संशोधन अधिनियम, 2003
- भारतीय दण्ड संहिता,1860 के अंतर्गत उल्लिखित अपराध
- बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

अनुलग्नक–III

महिला और बाल विकास मंत्रालय को आबंटित विषय
(महिला और बाल विकास मंत्रालय)

1. परिवार कल्याण
2. महिला और बाल कल्याण तथा इस विषय से सम्बन्धित अन्य मंत्रालयों व संगठनों की गतिविधियों का समन्वयन
3. महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संगठनों से सन्दर्भ
4. पूर्व–प्राथमिक शिक्षा सहित स्कूल–पूर्व बच्चों की देखभाल
5. राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन
6. इस मंत्रालय को आबंटित विषयों से सम्बन्धित पुण्यार्थ और धार्मिक न्यास
7. इस मंत्रालय को आबंटित विषयों पर स्वैच्छिक प्रयासों का उन्नयन तथा विकास
8. निम्नलिखित अधिनियमों का कार्यान्वयन :
   - (क) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1986 तक यथा–संशोधित)
   - (ख) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (1986 का 60)
   - (ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1986 तक यथा–संशोधित)
   - (घ) सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3), इन अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों के सम्बन्ध में आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर।
9. शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदान और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) का कार्यान्वयन।
10. को–ऑपरेटिव फॉर असिस्टैंस एण्ड रिलीफ एवरीवेयर (केयर) की गतिविधियों और कार्यक्रमों का समन्वयन।
11. लिंग संवेदी आंकड़ा–आधार के विकास सहित महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास से सम्बन्धित आयोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन, प्रबोधन, परियोजना निरूपण, सांख्यिकी और प्रशिक्षण।
12. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ)।
13. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी)।
14. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)।
15. खाद्य एवं पोषण बोर्ड।
16. (i) सहायक तथा सुरक्षात्मक खाद्यों का विकास तथा लोकप्रियकरण।
    - (ii) पोषण विस्तार।
17. महिला सशक्तीकरण तथा लैंगिक समानता।
18. राष्ट्रीय महिला आयोग।

19. राष्ट्रीय महिला कोष।
20. किशोर अपराधिता और आवारागर्दी।
21. किशोर अपराधियों की परिवीक्षा।
22. दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण तथा चाइल्ड हैल्पलाइन (चाइल्डलाइन)।
23. बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60)।
24. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56)।
25. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (1929 का 19)।
26. अनाथों सहित जरूरतमंद बच्चों की देखरेख और विकास हेतु संस्थागत तथा गैर–संस्थागत सेवाएं और अनाथालय।

अनुलग्नक–IV

महिला और बाल विकास मंत्रालय की संगठन संरचना 23.02.2023 तक

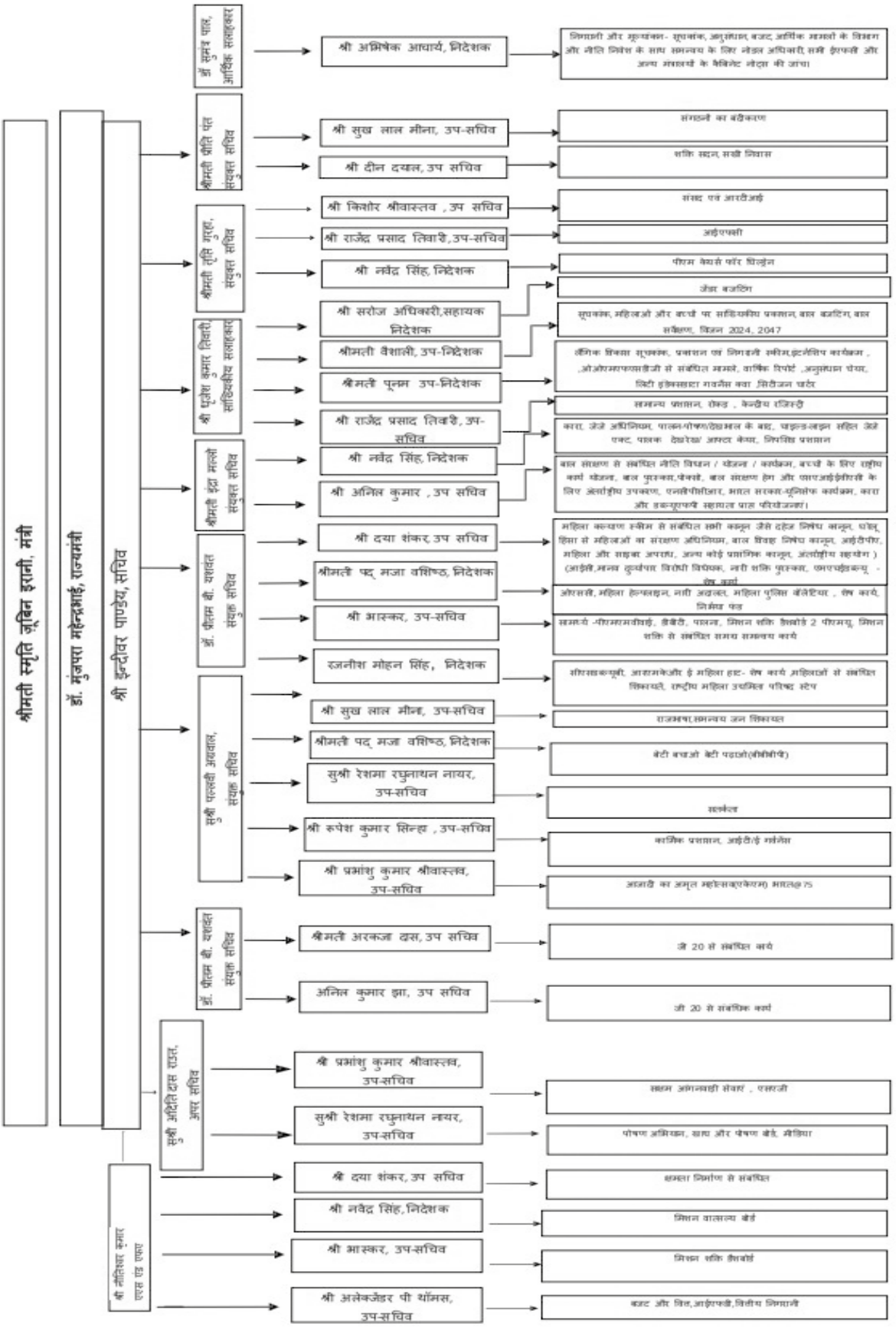

अनुलग्नक–V

सदन स्कीम के तहत शक्ति सदनों की राज्यवार संख्या (31.12.2022 तक)

क्र. सं.	राज्य का नाम	शक्ति सदन (स्वाधार गृह)		शक्ति सदन (उज्जवला)	
		संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	10	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	21	630	5	200
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	30	-	-
4.	असम	17	530	19	875
5.	चंडीगढ़	1	30	-	-
6.	छत्तीसगढ़	2	60	2	75
7.	दिल्ली	2	60	-	-
8.	गोवा	2	50	1	15
9.	गुजरात	6	200	-	-
10.	हिमाचल प्रदेश	1	30	-	-
11.	जम्मू और कश्मीर	2	60	-	-
12.	झारखंड	5	150	2	100
13.	कर्नाटक	51	1811	14	525
14.	केरल	7	210	2	50
15.	मध्य प्रदेश	15	450	-	-
16.	महाराष्ट्र	10	300	4	200
17.	मणिपुर	23	690	22	1100
18.	मेघालय	2	60	-	-
19.	मिजोरम	11	330	1	30
20.	नागालैंड	2	55	-	-
21.	ओडिशा	52	1851	16	280
22.	पंजाब	2	70	-	-
23.	राजस्थान	8	240	1	25

क्र. सं.	राज्य का नाम	शक्ति सदन (स्वाधार गृह)		शक्ति सदन (उज्जवला)	
		संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता
24.	सिक्किम	1	30	-	-
25.	तमिलनाडु	35	1050	-	-
26.	तेलंगाना	18	540	2	100
27.	त्रिपुरा	3	90	-	-
28.	उत्तर प्रदेश	13	971	-	-
29.	उत्तराखंड	-	-	2	75
30.	पश्चिम बंगाल	33	1190	1	50
	कुल	**347**	**11748**	**94**	**3700**

अनुलग्नक–VI

शक्ति सदन स्कीम के तहत वित्त वर्ष 2022–23 (31.12.2022 तक) के दौरान जारी की गई राज्य–वार निधि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022–23 के दौरान जारी की गई राशि (लाख में)
1.	उत्तर प्रदेश (महिला कल्याण निगम) द्वारा वृन्दावन में विधवाओं के लिए गृह की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु	158.25
2.	ओडिशा (उज्ज्वला)	132.38
3.	चंडीगढ़ (स्वाधार)	7.99
	कुल	**298.62**

अनुलग्नक–VII

सखी निवास (कार्यरत महिला छात्रावास) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण (31.12.2022 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत सखी निवासों की संख्या	क्रियाशील सखी निवासों की संख्या	क्षमता	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	41	12	1080	65
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	05	72	41
3.	असम	18	08	249	106
4.	बिहार	06	00	00	00
5.	चंडीगढ़	07	06	401	325
6.	छत्तीसगढ़	10	06	372	174
7.	दिल्ली	20	17	2484	1457
8.	गोवा	02	00	00	00
9.	गुजरात	27	15	1165	786
10.	हरियाणा	20	07	510	323
11.	हिमाचल प्रदेश	16	06	152	92
12.	जम्मू और कश्मीर	05	00	00	00
13.	झारखंड	02	02	210	172
14.	कर्नाटक	62	62	5207	3492
15.	केरल	160	129	13191	7658
16.	मध्य प्रदेश	62	02	150	96
17.	महाराष्ट्र	138	77	6609	3592
18.	मणिपुर	32	15	1069	324
19.	मेघालय	04	03	225	138
20.	मिजोरम	05	03	194	166
21.	नागालैंड	25	12	887	373
22.	ओडिशा	28	12	732	417
23.	पुद्दुचेरी	04	03	226	147
24.	पंजाब	15	05	246	551
25.	राजस्थान	39	15	798	194
26.	सिक्किम	02	01	74	45
27.	तमिलनाडु	97	54	3099	1799
28.	तेलंगाना	27	09	810	549
29.	त्रिपुरा	01	00	00	00
30.	उत्तराखंड	06	00	00	00
31.	उत्तर प्रदेश	38	08	410	237
32.	पश्चिम बंगाल	39	00	00	00
	कुल	**972**	**494**	**40622**	**23319**

अनुलग्नक–VIII

01.01.2022 से 31.12.2022 के दौरान किए गए पीएमएमवीवाई के तहत क्षमता निर्माण अभ्यास का विवरण

क्र. सं.	प्रकार	प्रशिक्षण की तिथि	प्रतिभागी	राज्य स्तरीय अधिकारी	जिला स्तरीय पदाधिकारी	ब्लॉक स्तर	प्रतिभागियों की संख्या	प्रशिक्षण उद्देश्य
1.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	08.01.21	यूपी स्टेट टीम और सीडीपीओ आगरा	हां	हां	हां	25	स्व–लाभार्थी पंजीकरण
2.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	11.02.22	दिल्ली राज्य और जिला प्रकोष्ठ के अधिकारी, सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और डाटा एंट्री ऑपरेटर	हां	हां	हां	100>	स्वयं लाभार्थी पंजीकरण पर पुनश्चर्या सह क्षमता निर्माण प्रशिक्षण
3.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	10.03.23	हरियाणा राज्य और जिला प्रकोष्ठ के अधिकारी	हां	हां	हां	>50	सीडीपीओ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
4.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	10/3/2022	हरियाणा	हां	हां	हां	>30	सीडीपीओ के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
5.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	12/4/2022	गुजरात	हां	हां	हां	>50	पीएमएमवीवाई योजना के तहत आशा मानचित्रण पर राज्य पीएमएमवीवाई टीम, गुजरात के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा
6.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	19/5/2022	राजस्थान	हां	हां	हां	>40	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएमवीवाई स्कीम के तहत "आज़ादी से अंत्योदय तक – 90–दिवसीय अभियान" के कार्यान्वयन पर राज्य पीएमएमवीवाई टीम, राजस्थान के जिला पीएमएमवीवाई अधिकारियों के लिए अभिविन्यास सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम
7.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	20/5/2021	गुजरात	हां	हां	हां	>50	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएमवीवाई योजना के तहत "आज़ादी से अंत्योदय तक – 90–दिवसीय अभियान" के कार्यान्वयन पर राज्य पीएमएमवीवाई टीम, गुजरात के जिला पीएमएमवीवाई अधिकारियों के लिए अभिविन्यास सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम

क्र. सं.	प्रकार	प्रशिक्षण की तिथि	प्रतिभागी	राज्य स्तरीय अधिकारी	जिला स्तरीय पदाधिकारी	ब्लॉक स्तर	प्रतिभागियों की संख्या	प्रशिक्षण उद्देश्य
8.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	25/5/2022	असम	हां	हां	हां	>40	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएमवीवाई स्कीम के तहत "आजादी से अंत्योदय तक – 90–दिवसीय अभियान" के कार्यान्वयन पर राज्य पीएमएमवीवाई टीम, असम के जिला पीएमएमवीवाई अधिकारियों के लिए अभिविन्यास सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम
9.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	27/5/2022	बिहार और झारखंड	हां	हां	हां	>50	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएमवीवाई योजना के तहत "आज़ादी से अंत्योदय तक – 90–दिवसीय अभियान" के कार्यान्वयन पर राज्य पीएमएमवीवाई टीम, बिहार और झारखंड के जिला पीएमएमवीवाई अधिकारियों के लिए अभिविन्यास सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम
10.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	17/6/2022	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हां	हां	हां	>100	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएमवीवाई स्कीम के तहत "आज़ादी से अंत्योदय तक – 90–दिवसीय अभियान" के कार्यान्वयन पर सभी राज्यों पीएमएमवीवाई टीम, जिला पीएमएमवीवाई अधिकारियों के लिए समीक्षा सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम
11.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	20/6/2022	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हां	हां	हां	>100	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएमवीवाई स्कीम के तहत "आज़ादी से अंत्योदय तक – 90–दिवसीय अभियान" के कार्यान्वयन पर सभी राज्यों पीएमएमवीवाई टीम, जिला पीएमएमवीवाई अधिकारियों के लिए समीक्षा सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम
12.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	22/6/2022	पश्चिम बंगाल	हां	हां	हां	25	क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल राज्य और जिला टीम पीएमएमवीवाई स्कीम

क्र. सं.	प्रकार	प्रशिक्षण की तिथि	प्रतिभागी	राज्य स्तरीय अधिकारी	जिला स्तरीय पदाधिकारी	ब्लॉक स्तर	प्रतिभागियों की संख्या	प्रशिक्षण उद्देश्य
13.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	20/9/2022	लद्दाख, नई दिल्ली, त्रिपुरा और राजस्थान	हां	हां	हां	30	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएमवीवाई स्कीम के तहत सुधार कतार से संबंधित मुद्दे पर लद्दाख, नई दिल्ली, त्रिपुरा और राजस्थान की राज्य पीएमएमवीवाई टीमों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण
14.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	07/12/2022	गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल	हां	हां	हां	25	राज्य समीक्षा बैठक और राज्य और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और सुधार कतार से संबंधित मुद्दे
15.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	09/12/2022	तमिलनाडु, चंडीगढ़, मेघालय, बिहार, गोवा	हां	हां	हां	25	राज्य समीक्षा बैठक और राज्य और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और सुधार कतार से संबंधित मुद्दे
16.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	13/12/2022	केरल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा	हां	हां	हां	25	राज्य समीक्षा बैठक और राज्य और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और सुधार कतार से संबंधित मुद्दे
17.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	15/12/2022	गुजरात राज्य और जिला सेल अधिकारी	हां	हां	हां	211	राज्य समीक्षा बैठक और राज्य और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और सुधार कतार से संबंधित मुद्दे
18.	वीडियो कॉन्फ्रेंस	16/12/2022	राजस्थान राज्य और जिला प्रकोष्ठ के अधिकारी	हां	हां	हां	25	राज्य समीक्षा बैठक और राज्य और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और सुधार कतार से संबंधित मुद्दे

अनुलग्नक– IX

01.04.2022 से 31.01.2023 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण

राज्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18.45	18.45
आंध्र प्रदेश	4351.88	4351.88
अरुणाचल प्रदेश	26.16	26.16
असम	7918.01	7918.01
बिहार	12544.72	12544.72
चंडीगढ़	43.83	43.83
छत्तीसगढ	3006.36	3006.36
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	148.44	148.44
दिल्ली	1889.80	1889.80
गोवा	89.74	89.74
गुजरात	1075.10	1075.10
हरियाणा	4964.40	4964.40
हिमाचल प्रदेश	606.39	606.39
जम्मू और कश्मीर	822.78	822.78
झारखंड	677.61	677.61
कर्नाटक	10769.45	10769.45
केरल	4705.92	4705.92
लद्दाख	31.18	31.18
लक्षद्वीप	1.29	1.29
मध्य प्रदेश	14193.71	14193.71
महाराष्ट्र	15148.28	15148.28
मणिपुर	344.68	344.68
मेघालय	625.93	625.93

राज्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)
मिजोरम	192.65	192.65
नागालैंड	203.20	203.20
ओडिशा	0.00	0.00
पुद्दुचेरी	195.90	195.90
पंजाब	341.32	341.32
राजस्थान	7816.14	7816.14
सिक्किम	52.22	52.22
तमिलनाडु	0.00	0.00
तेलंगाना	0.00	0.00
त्रिपुरा	70.15	70.15
उत्तर प्रदेश	23587.06	23587.06
उत्तराखंड	634.23	634.23
पश्चिम बंगाल	6322.70	6322.70
कुल	**123419.68**	**123419.68**

अनुलग्नक– X

निर्भया कोष के तहत परियोजनाओं का विवरण

मंत्रालय निर्भया कोष के तहत वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन की स्कीमों का स्वयं कार्यान्वयन करता है। इस कोष के तहत कार्यान्वित स्कीमों/परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क. गृह मंत्रालय:

(1) **आपात प्रतिक्रिया सहयोग प्रणाली (ईआरएसएस):** आपात प्रतिक्रिया सहयोग प्रणाली (ईआरएसएस) विभिन्न आपात स्थितियों के लिए 112 आधारित प्रणाली, संकट के स्थान पर फील्ड संसाधनों के कंप्यूटर सहायित प्रेषण सहित एक अखिल भारतीय, एकल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नंबर है। यह सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रें में कार्यशील है। इस प्रकार यह परियोजना पूर्ण हो गई है। 112 सेवाओं की शुरुआत के बाद से ईआरसी केंद्रों द्वारा 22 करोड़ से अधिक कॉलों का प्रबंधन किया गया है और 112 इंडिया ऐप के 10 लाख से अधिक डाउनलोड की सूचना मिली है। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, औसत प्रतिक्रिया समय 20 मिनट है। 385.69 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के सापेक्ष कुल 364.03 करोड़ रुपये उपयोग के लिए जारी किए गए हैं।

(2) **8 शहरों में सुरक्षित शहर परियोजनाएं:** सुरक्षित शहर परियोजनाएं शहर की पुलिस और नगर निगमों द्वारा अपनी महिला नागरिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए और मौजूदा बुनियादी ढांचे में किसी भी अंतराल को भरने के लिए विकसित व्यापक और एकीकृत परियोजनाएं हैं। निर्भया कोष के तहत कुल स्वीकृत लागत 2840.05 करोड़ रुपये (888.94 करोड़ रुपये के राज्य अंश सहित) है। सुरक्षित शहर परियोजनाओं के तहत भविष्य के लिए स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायक तकनीक सक्षम की जाएगी, जो वर्तमान में चरण–I में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में शुरू की जा रही है। परियोजना में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कई आयाम जोड़े गए हैं, जैसे ड्रोन का उपयोग, अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों के बारे में पुलिस को ट्रैक करने और सतर्क करने के लिए चेहरे की पहचान या स्वचालित नंबर प्लेट पहचान के साथ सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, प्रौद्योगिकी–सक्षम बुनियादी ढांचा जैसे अंधेरा होते ही चमकने वाले स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम, शहरों से अंधेरी गलियों और क्राइम हॉट–स्पॉट को खत्म करना और महिलाओं के लिए शौचालय बनाना। सुरक्षित शहर परियोजनाएं एक चालू परियोजना हैं और 8 शहरों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। उपयोग के लिए 1349.58 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश जारी किया गया है। सूचित की गई भौतिक प्रगति निम्नानुसार है:

- **अहमदाबाद**–100 एसएचई टीम वाहन, 40 अभयम वैन खरीदे गए, 1 वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, महिला साइबर यूनिट के 2 सेट, 1 एकता मैदान, 2 ईवी निगरानी वाहन तैनात किए गए।

- **बेंगलुरु**– कमांड सेंटर में 8 स्थानों से कैमरा फीड के साथ 100 स्थानों पर पोल लगाए गए, 8 प्रमुख सरकारी अस्पतालों में क्रिटिकल केयर रिस्पांस यूनिट स्थापित की गई, 4 मोबाइल फोरेंसिक वैन खरीदी गईं।

- **चेन्नई**– स्कूलों में प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान पूरा किया गया, स्ट्रीट लाइटनिंग की रिमोट निगरानी, महिला मोबाइल पिंक पेट्रोल पूरा किया गया, महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए साइबर सेल, काउंसलर और सामाजिक सेवा कार्यकर्ताओं की संख्या पूरी की गई, सार्वजनिक परिवहन के लिए सुरक्षा

सक्षमकारी (500 बसें बीटा लाइन) पूरी की गईं।

- **दिल्ली**– 88 प्रखर वैन खरीदी गई हैं। 10 हजार कैमरे लगाने का काम शुरू हो गया है।
- **हैदराबाद**– 64 पेलिकन सिग्नल लगाए, 51 स्थिर शौचालय चालू किए गए, 1 एवी वैन शुरू की गई।
- **कोलकाता**– 155 गश्ती वाहन और 70 स्कूटी खरीदी गईं, 183 स्थानों पर स्ट्रीट लाइट, महिलाओं के लिए 25 पोर्टेबल बायो–टॉयलेट, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम के लिए 12 छोटे और 18 मध्यम वाहन पूरे, 8 ड्रोन, 18 मोबाइल टॉयलेट वैन, 4 मोबाइल किचन, महिलाओं के लिए 10 मोबाइल चेंजिंग वैन, 9 साइबर अपराध जांच प्रयोगशाला का काम पूरा, 1020 सीसीटीवी कैमरे, महिलाओं से संकटकालीन कॉल के लिए एलबीएस का काम पूर्ण, महिला सुरक्षा पर 1 लघु फिल्म, महिला हेल्प लाइन कॉल सेंटर का काम पूर्ण, 236 लड़कियों के लिए इंसीनरेटर के साथ 300 सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और को–एड स्कूल बनकर तैयार हो गए हैं।
- **लखनऊ**– 111 पिंक पेट्रोल वाहन खरीदे गए, 100 पिंक बूथ और 47 पिंक शौचालय बनाए गए, 3625 स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं, रेस्क्यू वैन खरीदी गईं, इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम के लिए भवन निर्माण का काम पूर्ण हुआ।
- **मुंबई**– गश्ती वाहन तैनात किए गए है, अंधेरी जगहों में सड़कों पर रोशनी का काम पूर्ण किया गया।

(3) **केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सीवीसीएफ)**: संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीड़ित मुआवजा स्कीमों को सहयोग और पूर्ति करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्भया कोष से 200 करोड़ रुपये के **एकमुश्त अनुदान** के तौर पर केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष (सीवीसीएफ) जारी किया गया है और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनके पास गैर–बजटीय संसाधनों का उपभोग करने के बाद ही इस कोष से व्यय की अनुमति दी जाती है। यह परियोजना पूर्ण हो गई है। इस स्कीम के माध्यम से 2000 से अधिक पीड़ितों को लाभ मिला है।

(4) **महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)**: गृह मंत्रालय 223.19 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने, जूनियर साइबर परामर्शदाता की भर्ती करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के जांचकर्ताओं, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण के लिए अनुदान प्रदान किया है। 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। साइबर अपराध से संबंधित मामलों के प्रबंधन के लिए 20000 से अधिक पुलिस कर्मियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। 20 सितंबर, 2018 को एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) शुरू किया गया, जो नागरिकों को बाल अश्लीलता/बाल यौन शोषण सामग्री या बलात्कार/सामूहिक बलात्कार सामग्री जैसी यौन रूप से स्पष्ट सामग्री से संबंधित ऑनलाइन सामग्री की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। ऐसी घटनाओं की सूचना देने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक टोल फ्री नंबर 1930 भी शुरू किया गया है। हितधारकों के परामर्श से, महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ नागरिकों को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए 30 अगस्त, 2019 को एक नया पोर्टल शुरू किया गया है। इस परियोजना के तहत कुल 154.55 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(5) **नानकपुरा, दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस इकाई (एसपीयूएनईआर) के लिए महिला केंद्रित सुविधाओं सहित नया भवनः** दिल्ली पुलिस ने 23.53 करोड़ रुपये की लागत से महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई (एसपीयूडब्ल्यूएसी) के आधुनिकीकरण और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस इकाई (एसपीएनईआर) और पुलिस स्टेशन महिला अपराध प्रकोष्ठ (सीएडब्ल्यू सेल) की एक परियोजना शुरू की है जिसमें परामर्श, मध्यस्थता और लिंग संवेदीकरण की सुविधाएं और पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिलाओं के लिए काउंसलिंग की सुविधा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस इकाई (एसपीयूएनईआर) की सुविधाएं शामिल हैं। यह परियोजना पूर्ण हो चुकी है और नवनिर्मित भवन का उद्घाटन दिनांक 16.02.2022 को किया जा चुका है।

(6) **दिल्ली पुलिस में जिला, उप–मंडल और पुलिस थाना स्तर पर प्रोफेशनल परामर्शदाताओं/सामाजिक कार्यकर्ताओं की भर्तीः** दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में 5.07 करोड़ रुपये की लागत से ज़िला और उप–मंडल, पुलिस थाना स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं/परामर्शदाताओं के प्रावधान की परियोजना शुरू की है। प्रोफेशनल परामर्शदाता/सामाजिक कार्यकर्ता पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों को परामर्श सहायता प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य उल्लंघन की शिकार महिलाओं और बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण मनो–सामाजिक–कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से यौन हमले सहित महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा के लिए सरकार द्वारा एक प्रभावी बहु–एजेंसी समन्वित प्रतिक्रिया स्थापित करना है। पीड़ितों को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना के भाग के रूप में जिलों में उप–मंडल स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं/परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस परियोजना को मार्च 2020 में पूरा किया है। परियोजना के तहत 2566 दीर्घकालीन परामर्श सत्र और 15456 अल्पावधि परामर्श सत्र आयोजित किए गए हैं।

(7) **दिल्ली पुलिस के तहत विभिन्न अन्य गतिविधियां– महिला सुरक्षा स्कीमः** दिल्ली पुलिस को विभिन्न गतिविधियों के लिए 10.20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें अन्य बातों के अलावा स्कूल/ कॉलेजों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए शिविर आयोजित करना, सामूहिक प्रचार करना, मीडिया, प्रशिक्षण देने के लिए महिला पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तुओं/उपकरणों की खरीद, वितरण के लिए साइबर उपकरणों की खरीद और महिला सुरक्षा पर लघु फिल्म/पैम्फलेट बनाना शामिल है। 15 लाख से अधिक लड़कियों को शामिल करते हुए 7813 आत्मरक्षा कार्यक्रम पूर्ण किए जा चुके हैं। लड़कियों और कामकाजी महिलाओं के लिए 741 एक दिवसीय कार्यशालाओं में 1.23 लाख से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया और पुलिस सहित 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों के लिए 360 लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। परियोजना पूरी हो गई है।

(8) **केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल):** गृह मंत्रालय ने निर्भया कोष के तहत 99.76 करोड़ रुपये की लागत से केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधा की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रयोगशाला देश में लंबित यौन उत्पीड़न के मामलों के फोरेंसिक डीएनए विश्लेषण के अंतर को दूर करने में योगदान करेगी। परियोजना पूर्ण हो चुकी है और 23 दिसंबर 2019 को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला चंडीगढ़ में एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा, आधुनिक डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरणों और तकनीकों से पूर्णतया सज्जित 4 स्वतंत्र इकाइयां स्थापित की गई हैं। यौन उत्पीड़न और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए प्रति वर्ष 2,000 डीएनए अपराध मामलों का प्रबंधन करने की प्रयोगशाला की क्षमता में वृद्धि हुई है। सीएफएसएल, चंडीगढ़ ने प्रयोगशाला

में मामले की स्वीकृति की तारीख से एक महीने के भीतर पॉक्सो मामलों की जांच और रिपोर्ट करने का संकल्प लिया है।

(9) **राज्य एफएसएल (28 राज्यों में) का सुदृढ़ीकरण:** 28 राज्यों (दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, ओडिशा, पुदुच्चेरी, झारखंड, केरल, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, नागालैंड, मेघालय, हरियाणा, तेलंगाना और उत्तराखंड) में डीएनए विश्लेषण साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्भया कोष के तहत 235.683 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। परियोजना का लक्ष्य और उद्देश्य इन राज्यों में यौन हमलों के मामलों से संबंधित डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना है। कुल 162.34 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं और 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डीएनए विश्लेषण सुविधा की स्थापना/उन्नयन किया गया है। आईआईपीए द्वारा किए गए तृतीय पक्ष मूल्यांकन के अनुसार, एसएफएसएल मासिक आधार पर औसतन 79 से अधिक मामले संभाल रहे हैं।

(10) **राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण:** दुर्व्यापार के पीड़ितों को परामर्श और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 में निर्भया कोष के तहत 100 करोड़ रुपये की लागत से देश के सभी जिलों में मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना/सुदृढ़ करने की परियोजना का अनुमोदन किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। कुल 99.86 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अब तक, 788 एएचटीयू [768–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और 20–सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)] काम कर रहे हैं। बीएसएफ ने 2021 से अब तक 103 पीड़ितों को और एसएसबी ने 396 पीड़ितों को बचाया है और 2021 से 94 तस्करों को पकड़ा है। एसएसबी ने एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1903 भी स्थापित किया है। दुर्व्यापार के मामलों के प्रबंधन के लिए समय–समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, स्कीम की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में, आईआईपीए ने पाया कि परियोजना के अधिकांश राज्यों में सकारात्मक परिणाम हैं और मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाई (एएचटीयू) मॉडल विशेष रूप से प्रभावी रहा है।

(11) **सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण:** गृह मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019–20 में ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थानों सहित पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए 107.49 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी थी। यह परियोजना संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। महिला हेल्प डेस्क पुलिस थानों को अधिक महिलाओं के अनुकूल और पहुंच योग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि वे किसी भी महिला के लिए पुलिस स्टेशन में जाने का पहला और एकल बिंदु होंगे। इन हेल्प डेस्क पर अनिवार्य रूप से महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क के पदाधिकारियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन हेल्प डेस्क में कानूनी सहायता, परामर्श, आश्रय, पुनर्वास और प्रशिक्षण आदि की सुविधा के लिए वकीलों, मनोवैज्ञानिकों और गैर–सरकारी संगठनों जैसे विशेषज्ञों का पैनल शामिल होगा। कुल 157.49 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 10425 पुलिस थानों में डब्ल्यूएचडी स्थापित किए गए हैं। **आईआईपीए द्वारा किए गए तृतीय पक्ष मूल्यांकन के अनुसार,** महिला हेल्प डेस्क से महिलाओं के लिए पुलिस थाने जाना अधिक सुविधाजनक, परामर्श और यौन अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस थानों में

महिलाओं की पहुंच में वृद्धि, पुलिस थानों में जाने में महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा संकट पर प्रतिक्रिया करने या अपराधियों को ट्रैक करने और पहचानने के लिए प्रतिक्रिया समय में कमी आने से संबंधित वांछनीय परिणाम मिले हैं।

(12) **फोरेंसिक साक्ष्य में जांच अधिकारियों/अभियोजन अधिकारियों/चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण और यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए फोरेंसिक किट की खरीद:** वित्त वर्ष 2018–19 में जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल निर्माण कार्यक्रमों और यौन उत्पीड़न के मामलों में उपयोग के लिए यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह (एसएईसी) किट की खरीद के लिए यह परियोजना शुरू की गई। किट यौन प्रकृति के अपराधों में डीएनए नमूनों के शीघ्र और कुशल संग्रह की सुविधा प्रदान करेगी। परियोजना एसएईसी किट का उपयोग करके अपराध स्थल पर डीएनए साक्ष्य संग्रह पर फील्ड स्तरीय अधिकारियों को कौशल प्रदान करने और यौन हमले के पीड़ितों को संभालने के प्रति संवेदनशील बनाने के रूप में मापने योग्य परिणामों की रूपरेखा तैयार करती है। कुल 29.03 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अब तक, 22353 अधिकारियों को फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह और प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है और 14950 एसएईसी किट वितरित किए गए।

(13) **पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के माध्यम से जांच अधिकारियों (आईओ)/ अभियोजन अधिकारियों (पीओ) को तीन वर्षों के लिए प्रशिक्षण:** परियोजना एसएईसी किट द्वारा अपराध स्थल पर डीएनए साक्ष्य संग्रह से संबंधित कौशल प्रदान करने, यौन हमले के शिकार लोगों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने के रूप में मापने योग्य परिणामों की रूपरेखा तैयार करती है। इसका लक्ष्य आईओ/ पीओ को अपराध स्थल पर बड़ी सावधानी और विचारशील दृष्टिकोण के साथ भौतिक और जैविक साक्ष्यों की पहचान करने, प्रलेखन करने और एकत्र करने में सक्षम बनाना है ताकि फोरेंसिक रिपोर्ट न्यायिक जांच का सामना कर सके।

(14) **2022–23 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के माध्यम से जांच अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ) का प्रशिक्षण:** यह मूलतः क्रम सं. 13 पर सूचीबद्ध परियोजना का एक और वर्ष 2022–23 के लिए समान उद्देश्यों के साथ विस्तार है।

ख. रेल मंत्रालय:

(15) **इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम (आईईआरएमएस):** यह निर्भया कोष के तहत इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम (आईईआरएमएस) की एक परियोजना है, जिसे रेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। स्टेशनों पर महिला यात्रियों को 24x7 सुरक्षा प्रदान करने के लिए 983 प्रमुख रेलवे स्टेशनों (ए1, ए, बी और सी श्रेणी के स्टेशनों) पर सीसीटीवी और निगरानी कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मूल्यांकित परियोजना की कुल लागत 500.00 करोड़ रुपये है। 300.82 करोड़ रुपये की राशि रेल मंत्रालय को आबंटित/जारी की गई है, जिसमें से 101.14 करोड़ रुपये उपयोग किए गए हैं। अभी तक 341 स्टेशनों को कवर किया जा चुका है और शेष स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है। परियोजना के मार्च, 2023 तक पूरा होने की संभावना है। आबंटित 300.82 करोड़ रुपये में से 101.14 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

(16) **कोंकण रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली का प्रावधान:** 67 कोंकण रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्भया कोष के तहत 17.64 करोड़ रुपये की राशि का मूल्यांकन किया गया। 17.64 करोड़ रुपये की राशि रेल मंत्रालय द्वारा कोंकण रेलवे को जारी की गई है, जिसमें से 13.30 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए अनुसार, परियोजना पूर्ण हो चुकी है और सभी 67 स्टेशनों को

चालू कर दिया गया है।

(17) **महिलाओं की सुरक्षा हेतु टैब्स की खरीद का प्रस्ताव:** भारतीय रेल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए टैब की खरीद के लिए निर्भया कोष के तहत 6.35 करोड़ रुपये की राशि का मूल्यांकन किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए अनुसार, खरीद की प्रक्रिया चल रही है और इसके जल्द पूरा होने की संभावना है।

ग. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय:

(18) **महिला सुरक्षा के लिए पैनिक स्विच का विकास:** आईआईटी दिल्ली और एमईआईटीवाई के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा में सहायता के लिए कारों और बसों के लिए पैनिक स्विच आधारित सुरक्षा उपकरण के विकास और क्षेत्र परीक्षण के लिए निर्भया कोष के तहत 3.49 करोड़ रुपये की राशि का मूल्यांकन किया गया। 3.49 करोड़ रुपये के उपयोग से परियोजना पूरी हो गई है।

घ. न्याय विभाग:

(19) **1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना:** बलात्कार के 1,66,958 मामलों और पॉस्को अधिनियम के तहत देश भर में जांच के लिए लंबित अपराधों का निपटान करने के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए 1 वर्ष में विस्तारित 2 वित्त वर्षों–2019–20 और 2020–21 के लिए निर्भया कोष के तहत वित्तपोषण किए जाने के लिए 474 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश सहित 767.25 करोड़ रुपये की राशि का मूल्यांकन किया गया।

अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दो और वित्तीय वर्ष यानी 2021–22 और 2022–23 की अवधि के लिए एफटीएससी स्कीम को जारी रखने के लिए निर्भया कोष के तहत 1687.95 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का मूल्यांकन किया गया है। यद्यपि, मंत्रिमंडल ने निर्भया कोष से पूर्ति किए जाने वाले 971.70 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश सहित 1572.86 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 2 और वित्तीय वर्षों के लिए 31 मार्च 2023 तक स्कीम को जारी रखने का अनुमोदन किया है। वर्तमान में, 28 राज्यों में **419 विशिष्ट पॉक्सो अदालतों सहित 749 एफटीएससी** कार्यशील हैं, जिन्होंने 30.11.2022 तक **1,30,000 से अधिक मामलों का निपटान किया।** केंद्रीय अंश के रूप में निर्भया कोष से कुल 621.49 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें से 253.74 करोड़ रुपये का उपयोग करने के बारे में सूचित किया गया है।

ङ. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय:

(20) **अभय परियोजना प्रस्ताव (आंध्र प्रदेश):** प्रस्ताव पायलट आधार पर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और कृष्णा जिले में सार्वजनिक परिवहन वाहनों में 'आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) डिवाइस और संबंधित सॉफ्टवेयर की स्थापना के लिए है। 138.49 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और 58.64 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश जारी किया गया, जिनमें से 7.79 करोड़ रुपये का उपयोग सूचित किया गया है। 15,000 ऑटो में आईओटी डिवाइस लगाने का काम पूरा हो चुका है।

(21) **सार्वजनिक परिवहन, यूपीएसआरटीसी, उ.प्र. सरकार में महिलाओं की सुरक्षा:** प्रस्ताव में 50 महिला पिंक बसें, सीसीटीवी, 12500 बसों में पैनिक बटन और कंट्रोलर, 24 इंटरसेप्टर, पैरवी/विज्ञापन/जागरूकता अभियान' शामिल हैं। यूपीएसआरटीसी के प्रस्ताव का 83.40 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से अनुमोदन किया गया है। 50 पिंक बसों और 40 इंटरसेप्टरों की खरीद पूरी कर ली गई है और वीएलटी उपकरणों की खरीद के लिए निविदा भी जारी कर दी गई है। सुरक्षित और संरक्षित यात्रा के लिए विशेष रूप से महिलाओं के लिए 1.2 लाख

यात्री बस सीटें/प्रति माह बनाई गई हैं। परियोजना के तहत कुल 80.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें से 31.10 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग सूचित किया गया है।

(22) **बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम, कर्नाटक सरकार द्वारा भारी यात्री वाहनों के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण देना:** प्रस्ताव में महत्वपूर्ण स्टेशनों पर महिला लाउंज, ग्राउंड स्टाफ के लिए लैंगिक संवेदनशीलता और महिला सुरक्षा प्रोटोकॉल प्रशिक्षण, सारथी दस्ते/मोबाइल पुलिस गश्ती वाहन, पैरवी, विज्ञापन और महिला सुरक्षा पर जागरूकता अभियान, भारी यात्री वाहन (एचपीवी) और हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंस के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण देना, 1000 बसों के लिए सीसीटीवी निगरानी कैमरे, महिला सुरक्षा पर कार्यक्षमता में सुधार के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और बस स्टॉप में यात्री सूचना प्रदर्शन शामिल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 18 बस टर्मिनलों में 18 महिला लाउंज पूर्ण किए जा चुके हैं, 27,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है, वेब टूल डिज़ाइन और डैश बोर्ड का काम पूरा हो गया है और लैंगिक संवेदीकरण मूल्यांकन उपकरण के परीक्षण के लिए 2 डिपो पर पायलट रन तैनात किए गए हैं। 2196 महिला कर्मचारियों का रक्षा प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है, 25 गश्ती वाहनों और 11 हल्के मोटर वाहनों की खरीद की गई है। परियोजना के तहत कुल 33.64 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें से 16.42 करोड़ रुपये का उपयोग सूचित किया गया है।

(23) **राज्यवार एआईएस 140 वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के अनुकूलन, तैनाती और प्रबंधन के लिए प्रस्ताव:** ईसी द्वारा राज्यवार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के अनुकूलन, तैनाती और प्रबंधन के लिए 465.02 करोड़ रुपये की राशि का मूल्यांकन किया गया है। डीएबी की बैठक 13 दिसंबर, 2019 को हुई थी। इसके बाद, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उसके लिए 463.90 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्राप्त किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए अनुसार, परियोजना के तहत कुल 192.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें से 31.10 करोड़ का उपयोग सूचित किया गया है। 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और बिहार, पुदुच्चेरी और हिमाचल प्रदेश में निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं।

(24) **सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर से निगरानी के साथ टीएसआरटीसी की बसों में एसओएस बटन सहित वाहन ट्रेसिंग डिवाइस की स्थापना** (तेलंगाना राज्य सरकार)– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की टिप्पणियों/सिफारिशों के आधार पर, ईसी ने वित्तपोषण हेतु दिनांक 17.10.2022 को आयोजित अपनी बैठक में इस प्रस्ताव का निर्भया कोष के तहत 19.21 करोड़ रुपये की लागत से मूल्यांकन किया।

च. पर्यटन मंत्रालय:

(25) **मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल:** ईसी द्वारा 19.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक में मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन गंतव्य के लिए निर्भया कोष के तहत 27.98 करोड़ रुपये की राशि का मूल्यांकन किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने 6.24 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है।

छ. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय:

(26) **वन स्टॉप सेंटर स्कीम:** सखी सेंटर नाम से लोकप्रिय, वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्कीम 1 अप्रैल 2015 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहयोग और सहायता प्रदान करना और महिलाओं के प्रति किसी

भी प्रकार की हिंसा का मुकाबला करने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहयोग सहित तत्काल, आपातकालीन और गैर–आपातकालीन सेवाओं की सुविधा प्रदान करना है। इस स्कीम को कुल 867.74 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित किया गया। इसके अलावा, सीसीईए ने 2025–26 तक की अवधि के लिए अंब्रेला स्कीम 'मिशन शक्ति' के तहत 'संबल' उप–स्कीम के एक घटक के रूप में स्कीम को जारी रखने का अनुमोदन किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 720.98 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 274.53 करोड़ रुपये के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 733 ओएससी संचालित किए जा चुके हैं और इन ओएससी के माध्यम से अब तक 6.22 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

(27) **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) योजना के सार्वभौमिकरण** का उद्देश्य 1 अप्रैल, 2015 से रेफरल सेवा द्वारा देश भर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को तत्काल और 24 घंटे आपातकालीन और गैर–आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना है। स्कीम के तहत, सहायता और जानकारी मांगने वाली महिलाओं को शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से 24 घंटे टोल–फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान की जाती है। महिला हेल्पलाइन 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत है। अब तक, डब्ल्यूएचएल–181 पर 81 लाख से अधिक फोन कॉल दर्ज की गईं। 155.94 करोड़ रुपये की कुल लागत से स्कीम का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा, सीसीईए ने 2025–26 तक की अवधि के लिए अंब्रेला स्कीम 'मिशन शक्ति' के तहत 'संबल' उप–स्कीम के एक घटक के रूप में स्कीम को जारी रखने का अनुमोदन किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अब तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 79.02 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 54.08 करोड़ के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। डब्ल्यूएचएल द्वारा सितंबर, 2022 तक कुल 81.97 लाख कॉल्स का प्रबंधन किया गया है।

(28) **महिला पुलिस वालंटियर स्कीमः** गृह मंत्रालय के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत महिला पुलिस वालंटियर (एमपीवी) स्कीम लागू की गई थी। एमपीवी पुलिस और समाज के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं और संकटग्रस्त महिलाओं को सुविधा प्रदान करते हैं। स्कीम के तृतीय पक्ष मूल्यांकन के दौरान प्राप्त फीडबैक के आधार पर, मिशन शक्ति के अन्य घटकों के तहत प्रावधानों को उपयुक्त रूप से शामिल करते हुए एमपीवी स्कीम 01.04.2022 से बंद कर दी गई है।

महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा निर्भया निधि के तहत सहायित अन्य परियोजनाएंः

(29) 10.20 करोड़ रुपये की **चिरालीः फ्रेंड्स फॉरएवर (राजस्थान सरकार)** का उद्देश्य 2016–17 से 2018–19 तक तीन साल की अवधि के लिए राजस्थान के 7 जिलों में कुल 2071 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए महिला सुरक्षा के लिए सामुदायिक कार्रवाई समूहों का गठन करना है। वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के दौरान राजस्थान राज्य को 4.70 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें से 1.09 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

(30) **महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा से मुक्त स्मार्ट और सुरक्षित शहर कार्यक्रम (मध्य प्रदेश सरकार):** शिक्षा, शहरी नियोजन और सार्वजनिक स्थानों की डिजाइनिंग, नागरिक जागरूकता और भागीदारी और सार्वजनिक परिवहन की पुलिसिंग के माध्यम से पहल के लिए निर्भया कोष के तहत 1.74 करोड़ रुपये की राशि का मूल्यांकन किया गया था। वर्ष 2017–18 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को 1.04 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 0.36 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

(31) **निर्भया आश्रय गृह (नागालैंड सरकार):** नागालैंड राज्य में आश्रय गृह के निर्माण के लिए निर्भया कोष के तहत 2.84 करोड़ रुपये की राशि का मूल्यांकन किया गया था। वर्ष 2017–18 के दौरान नागालैंड राज्य को 2.55 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, आश्रय गृह का निर्माण किया गया है और म.बा.वि. मंत्रालय द्वारा जारी की गई पूरी राशि का उपयोग किया गया है। इस प्रकार परियोजना पूरी हो गई है।

(32) **महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा, उत्तराखंड सरकार (5 जिले):** उत्तराखंड राज्य में निर्भया कोष के तहत 0.72 करोड़ रुपये की राशि का मूल्यांकन किया गया था। वर्ष 2017–18 के दौरान उत्तराखंड राज्य को 0.32 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 0.31 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

(33) **औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए मिशन शक्ति:** औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव का ईसी द्वारा 8.25 करोड़ रुपये की लागत से मूल्यांकन किया गया। राज्य सरकार को 4.95 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और परियोजना पूरी होने पर राशि का उपयोग कर लिया गया है।

(34) **बलात्कार/सामूहिक बलात्कार पीड़िताओं और गर्भवती हुई नाबालिग लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता की योजना:** उन नाबालिग लड़कियों जिन्हें बलात्कार/सामूहिक बलात्कार या किसी अन्य कारण से बाध्य गर्भावस्था के कारण परिवार द्वारा छोड़ दिया गया है और उनके पास स्वयं का जीवनयापन करने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है को आश्रय, भोजन और दैनिक जरूरतों को पूरा करने, अदालती सुनवाई में भाग लेने के लिए सुरक्षित परिवहन और कानूनी सहायता प्रदान करने के इस प्रस्ताव का ईसी द्वारा 74.10 करोड़ रुपये की लागत से मूल्यांकन किया गया।

यह एकमुश्त अनुदान होगा और धनराशि जिला मजिस्ट्रेट के खाते में आवंटित की जाएगी, जो इस अनुदान में से व्यय के लिए उत्तरदायी होंगे। डीएम/डीसी इस उद्देश्य के लिए अपने संबंधित जिलों में उपयुक्त तंत्र तैयार करेंगे और ऐसी सभी लड़कियों का विवरण बनाए रखेंगे और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। स्कीम के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

(35) **निर्भया डैशबोर्ड के विकास का प्रस्ताव:** निर्भया डैशबोर्ड कार्यशील है।

(36) **मणिपुर में 16 महिला बाजारों में भंडारण बक्से की स्थापना** (मणिपुर सरकार)– ईसी ने 17.10.2022 को आयोजित अपनी बैठक में निर्भया कोष के तहत वित्तपोषण पर विचार करते हुए इस प्रस्ताव का 3.55 करोड़ रुपये का मूल्यांकन किया।

(37) **16 महिला बाजारों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना** (मणिपुर सरकार)– ईसी ने 17.10.2022 को आयोजित अपनी बैठक में निर्भया कोष के तहत वित्तपोषण पर विचार करते हुए इस प्रस्ताव का 1.95 करोड़ रुपये का मूल्यांकन किया।

ज. विदेश मंत्रालय:

(38) **विदेशों में 9 भारतीय मिशनों में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) खोलने का प्रस्ताव:** भारतीय महिलाओं के कल्याण के लिए प्रवासियों के महत्वपूर्ण अनुपात वाले देशों में, 40.79 करोड़ रुपये [8.07 करोड़ रुपये (एक बार)

और उसके बाद वित्त वर्ष 2025–26 तक 5 साल की अवधि तक 7.53 करोड़ रुपये प्रति वर्ष] की लागत से 9 भारतीय राजनयिक मिशनों (आईडीएम) में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की स्थापना के लिए ईसी द्वारा विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया है।

आरंभ में यह परियोजना 7 खाड़ी देशों [बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरब (जेद्दा और रियाद), और बाकी कनाडा और सिंगापुर में कार्यान्वित की जाएगी] जहां भारतीय प्रवासियों की संख्या अधिक है। विदेशों में आईएमडी में ओएससी का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के किसी भी रूप से निपटने के लिए एकीकृत सहयोग और सहायता प्रदान करना और चिकित्सा, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहयोग सहित कई सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर–आपातकालीन पहुंच को सुविधाजनक बनाना है।

अनुलग्नक– XI

वर्ष 2020 के पुरस्कार विजेताओं की सूची

1. सुश्री अनीता गुप्ता, भोजपुर, बिहार
2. सुश्री आरती राणा, खीरी, उत्तर प्रदेश
3. डॉ. इला लोध, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा (मरणोपरांत)
4. सुश्री जया मुथु और सुश्री तेजम्मा, नीलगिरी, तमिलनाडु
5. सुश्री जोधइया बाई बैगा, उमरिया, मध्यप्रदेश
6. सुश्री मीरा ठाकुर, एस.ए.एस. नगर, पंजाब
7. सुश्री नसीरा अख्तर, कुलगाम, जम्मू और कश्मीर
8. सुश्री निव्रुति राय, बेंगलुरु अर्बन, कर्नाटक
9. सुश्री पद्मा यांगचान, लेह, लद्दाख
10. सुश्री संध्या धर, जम्मू, जम्मू और कश्मीर
11. सुश्री सायली नंद किशोर अगावने, पुणे, महाराष्ट्र
12. सुश्री टिफ़नी बरार, तिरुवनंतपुरम, केरल
13. सुश्री उषाबेन दिनेशभाई वसावा, नर्मदा, गुजरात
14. सुश्री वनिता जगदेव बोराडे, बुलढाणा, महाराष्ट्र

वर्ष 2021 के पुरस्कार विजेताओं की सूची

1. सुश्री अंशुल मल्होत्रा, मंडी, हिमाचल प्रदेश
2. सुश्री बतूल बेगम, जयपुर, राजस्थान
3. सुश्री कमल कुंभार, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र
4. सुश्री मधुलिका रामटेके, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
5. सुश्री नीना गुप्ता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
6. सुश्री नीरजा माधव, उत्तर प्रदेश
7. सुश्री निरंजनाबेन मुकुलभाई कलार्थी, सूरत, गुजरात
8. सुश्री पूजा, शर्मा, गुरुग्राम, हरियाणा
9. सुश्री राधिका मेनन, त्रिशूर, केरल
10. सुश्री सतुपति प्राण श्री, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
11. सुश्री सोभा गस्ती, बेलगावी, कर्नाटक
12. सुश्री श्रुति महापात्रा, भुवनेश्वर, ओडिशा
13. सुश्री तगे रीता ताखे, सुबनसिरी, अरुणाचल प्रदेश
14. सुश्री थारा रंगास्वामी, चेन्नई, तमिलनाडु

अनुलग्नक–XII

31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत और कार्यशील आंगनवाड़ी केंद्र, एसएनपी और पीएसई लाभार्थी

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईसीडीएस परियोजनाओं की संख्या		आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या		पूरक पोषाहार के लाभार्थी					प्री–स्कूल शिक्षा के लाभार्थी		
		स्वीकृत	कार्यशील	स्वीकृत	कार्यशील	बच्चे (6 माह –3 वर्ष)	बच्चे (3–6 वर्ष)	कुल बच्चे (6 माह–6 वर्ष)	गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं (पी एंड एलएम)	कुल लाभार्थी (बच्चे 6 माह–6 वर्ष प्लस पी एंड एलएम)	लड़के (3–6 वर्ष)	लड़कियां (3–6 वर्ष)	कुल (3–6 वर्ष)
1	आंध्र प्रदेश	257	257	55607	55607	1563150	918768	2481918	713716	3195634	463061	455707	918768
2	अरुणाचल प्रदेश	98	98	6225	6225	74920	87120	162040	19547	181587	44381	42739	87120
3	असम	231	231	62153	61715	1504072	1716760	3220832	503877	3724709	944218	772542	1716760
4	बिहार	544	544	115009	112094	4312447	3905485	8217932	1808655	10026587	2029852	1875633	3905485
5	छत्तीसगढ़	220	220	52474	51664	1129532	995627	2125159	473409	2598568	425113	428917	854030
6	गोआ#	11	11	1262	1262	36709	28207	64916	12202	77118	0	0	0
7	गुजरात	336	336	53029	53029	1724251	1666647	3390898	712260	4103158	838097	803034	1641131
8	हरियाणा	148	148	25962	25962	608071	359274	967345	290043	1257388	182114	177160	359274
9	हिमाचल प्रदेश	78	78	18925	18925	230762	160669	391431	93066	484497	59574	58023	117597
10	झारखंड	224	224	38432	38432	1699783	1328651	3028434	719175	3747609	510839	505607	1016446
11	कर्नाटक	204	204	65911	65911	2146780	1860706	4007486	799258	4806744	925360	909261	1834621
12	केरल	258	258	33318	33115	576162	537338	1113500	374886	1488386	272320	265018	537338
13	मध्य प्रदेश	453	453	97135	97135	2697802	3146300	5844102	1088559	6932661	1387936	1362804	2750740
14	महाराष्ट्र	553	553	110486	110410	3013369	3426206	6439575	1198509	7638084	1209753	1211983	2421736
15	मणिपुर#	43	43	11510	11510	151983	183292	335275	57376	392651	0	0	0
16	मेघालय	41	41	5896	5895	216537	253812	470349	74994	545343	117289	113470	230759
17	मिजोरम	27	27	2244	2244	54882	55344	110226	21256	131482	11256	11023	22279
18	नागालैंड	60	60	3980	3980	188197	180819	369016	41296	410312	91313	89506	180819

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईसीडीएस परियोजनाओं की संख्या		आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या		पूरक पोषाहार के लाभार्थी					प्री–स्कूल शिक्षा के लाभार्थी		
		स्वीकृत	कार्यशील	स्वीकृत	कार्यशील	बच्चे (6 माह –3 वर्ष)	बच्चे (3–6 वर्ष)	कुल बच्चे (6 माह–6 वर्ष)	गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं (पी एंड एलएम)	कुल लाभार्थी (बच्चे 6 माह–6 वर्ष प्लस पी एंड एलएम)	लड़के (3–6 वर्ष)	लड़कियां (3–6 वर्ष)	कुल (3–6 वर्ष)
19	ओडिशा	338	338	74154	74096	1643047	1731916	3374963	648123	4023086	881770	850146	1731916
20	पंजाब	155	155	27314	27305	606628	348807	955435	266329	1221764	177427	167533	344960
21	राजस्थान	304	304	62010	61655	2252076	1488690	3740766	1118558	4859324	759232	729458	1488690
22	सिक्किम	13	13	1308	1308	10230	7435	17665	4268	21933	3733	3702	7435
23	तमिलनाडु	434	434	54439	54439	1899056	819922	2718978	762155	3481133	414877	405045	819922
24	तेलंगाना	149	149	35700	35584	1011900	570063	1581963	390270	1972233	284769	281110	565879
25	त्रिपुरा	56	56	10145	9911	140168	176387	316555	50216	366771	88868	87519	176387
26	उत्तर प्रदेश	897	897	190145	189430	8151426	4436339	12587765	3663374	16251139	2058347	1966996	4025343
27	उत्तराखंड	105	105	20067	20067	392264	213527	605791	156725	762516	132672	130163	262835
28	पश्चिम बंगाल #	576	576	119481	119481	3513492	3357253	6870745	1465148	8335893	0	0	0
29	अंडमान व निकोबार द्वीप	5	5	720	719	9765	7017	16782	2919	19701	8458	8324	16782
30	चंडीगढ़	3	3	450	450	23393	26644	50037	9394	59431	12455	11787	24242
31	दादर और नगर हवेली दमन व दीव	4	4	409	405	15897	15842	31739	8678	40417	7879	7963	15842
32	दिल्ली	95	95	10897	10896	431992	292898	724890	156573	881463	133388	124560	257948
33	जम्मू व कश्मीर	128	128	30765	28078	381275	348461	729736	156757	886493	119847	112904	232751
34	लद्दाख	13	13	1173	1139	9167	9235	18402	3271	21673	4704	4531	9235
35	लक्षद्वीप	9	9	71	71	2819	1063	3882	1053	4935	559	504	1063
36	पुदुचेरी	5	5	855	855	26237	6076	32313	9670	41983	3090	2986	6076
	कुल	**7075**	**7075**	**1399661**	**1391004**	**42450241**	**34668600**	**77118841**	**17875565**	**94994406**	**14604551**	**13977658**	**28582209**

#कोविड–19 के कारण आंगनवाड़ी केंद्र प्री–स्कूल शिक्षा नहीं चला सके

अनुलग्नक–XIII

30 जून, 2022 को समाप्त होने वाली आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत स्वीकृत और संचालित आंगनवाड़ी केंद्र, एसएनपी और पीएसई लाभार्थी

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या		आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या		पूरक पोषाहार के लाभार्थी					प्री–स्कूल शिक्षा के लाभार्थी		
		स्वीकृत	कार्यशील	स्वीकृत	कार्यशील	बच्चे (6 माह –3 वर्ष)	बच्चे (3–6 वर्ष)	कुल बच्चे (6 माह–6 वर्ष)	गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं (पी एंड एलएम)	कुल लाभार्थी (बच्चे 6 माह–6 वर्ष प्लस पी एंड एलएम)	लड़के (3–6 वर्ष)	लड़कियां (3–6 वर्ष)	कुल (3–6 वर्ष)
1	आंध्र प्रदेश	257	257	55607	55607	1575581	897735	2473316	691631	3164947	452954	444781	897735
2	अरुणाचल प्रदेश	98	98	6225	6225	70887	75322	146209	18511	164720	38048	37274	75322
3	असम	230	230	62153	61715	1504072	1716760	3220832	595935	3816767	921522	753973	1675495
4	बिहार	544	544	114718	112094	4840793	4324600	9165393	1923614	11089007	2248792	2075808	4324600
5	छत्तीसगढ़	220	220	52474	51664	1029905	915132	1945037	427884	2372921	448967	450657	899624
6	गोआ#	11	11	1262	1262	37152	22218	59370	12845	72215	0	0	0
7	गुजरात	336	336	53029	53029	1714281	1555071	3269352	673039	3942391	779735	745988	1525723
8	हरियाणा	148	148	25962	25962	657435	322499	979934	302013	1281947	161761	160738	322499
9	हिमाचल प्रदेश	78	78	18925	18925	234531	119855	354386	93117	447503	36930	36658	73588
10	झारखंड	224	224	38432	38432	1620673	1208532	2829205	712185	3541390	667285	649197	1316482
11	कर्नाटक	204	204	65911	65911	2083686	1572655	3656341	685618	4341959	795300	777355	1572655
12	केरल	258	258	33318	33115	478256	354496	832752	343864	1176616	180220	174276	354496
13	मध्य प्रदेश	453	453	97135	97135	2844488	3058399	5902887	1135127	7038014	1432176	1409211	2841387
14	महाराष्ट्र	553	553	110486	110427	3047944	3069225	6117169	1197374	7314543	1441238	1530054	2971292
15	मणिपुर	43	43	11510	11510	148886	183005	331891	55239	387130	92318	90165	182483
16	मेघालय	41	41	5896	5895	214309	252691	467000	74223	541223	115887	112637	228524
17	मिजोरम	27	27	2244	2244	54174	46860	101034	20960	121994	20218	20050	40268
18	नागालैंड	60	60	3980	3980	188212	180831	369043	41324	410367	87601	85866	173467

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या		आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या		पूरक पोषाहार के लाभार्थी					प्री–स्कूल शिक्षा के लाभार्थी		
		स्वीकृत	कार्यशील	स्वीकृत	कार्यशील	बच्चे (6 माह –3 वर्ष)	बच्चे (3–6 वर्ष)	कुल बच्चे (6 माह–6 वर्ष)	गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं (पी एंड एलएम)	कुल लाभार्थी (बच्चे 6 माह–6 वर्ष प्लस पी एंड एलएम)	लड़के (3–6 वर्ष)	लड़कियां (3–6 वर्ष)	कुल (3–6 वर्ष)
19	ओडिशा	338	338	74154	74154	1632449	1743629	3376078	636767	4012845	935562	908067	1843629
20	पंजाब	155	155	27314	27305	616513	282587	899100	256886	1155986	148785	139712	288497
21	राजस्थान	304	304	62010	61852	2252076	1488690	3740766	1118558	4859324	759232	729458	1488690
22	सिक्किम	13	13	1308	1308	10130	7495	17625	4268	21893	3799	3696	7495
23	तमिलनाडु	434	434	54439	54439	1907303	764421	2671724	726975	3398699	386400	374263	760663
24	तेलंगाना	149	149	35700	35700	1017581	549128	1566709	384131	1950840	270564	265992	536556
25	त्रिपुरा	56	56	10145	9931	144443	182600	327043	56218	383261	91975	90625	182600
26	उत्तर प्रदेश	897	897	190145	189430	8482468	5255516	13737984	3997398	17735382	2550878	2397644	4948522
27	उत्तराखंड	105	105	20067	20067	309717	125778	435495	141817	577312	117089	115824	232913
28	पश्चिम बंगाल#	576	576	119481	119481	3496415	3395021	6891436	1428254	8319690	0	0	0
29	अंडमान और निकोबार द्वीप	5	5	720	719	9489	4637	14126	2903	17029	2379	2258	4637
30	चंडीगढ़	3	3	450	450	22491	10863	33354	8762	42116	5536	5327	10863
31	दादर और नगर हवेली और दमन व दीव	4	4	409	405	15469	10990	26459	8556	35015	5567	5423	10990
32	दिल्ली	95	95	10897	10897	361944	178824	540768	130225	670993	88346	85170	173516
33	जम्मू और कश्मीर	128	128	30765	28078	293354	251557	544911	117502	662413	172468	165504	337972
34	लद्दाख	13	13	1173	1138	9139	8477	17616	3172	20788	4266	4211	8477
35	लक्षद्वीप	9	9	71	71	2819	1063	3882	1053	4935	520	543	1063
36	पुडुचेरी	5	5	855	855	26833	4528	31361	9480	40841	2300	2228	4528
	कुल	**7074**	**7074**	**1399370**	**1391412**	**42955898**	**34141690**	**77097588**	**18037428**	**95135016**	**15466618**	**14850633**	**30317251**

#कोविड–19 के कारण आंगनवाड़ी केंद्र प्री–स्कूल शिक्षा नहीं चला सके

अनुलग्नक–XIV

आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2022–23 के लिए जारी धनराशि (30.12.2022 तक)

क्र. स.	राज्य	आंगनवाड़ी सेवाएं, (सामान्य)	एसएनपी	शौचालय एवं पेयजल की सुविधा	सक्षम	कुल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	आंध्र प्रदेश	28407.75	27851.95	1915.34	525.58	58700.62
2	बिहार	54637.62	64205.86		1697.77	120541.25
3	छत्तीसगढ़	25307.02	26449.51	839.61	1957.92	54554.06
4	गोआ	0	435.93		0	435.93
5	गुजरात	25501.13	25253.98		609.45	51364.56
6	हरियाणा	14545.67	4439.28		3.56	18988.51
7	हिमाचल प्रदेश	5887.07	1795.96		72.86	7755.89
8	जम्मू और कश्मीर	9278.73	1157.38			10436.11
9	झारखंड	19053.2	16647.15		3028.88	38729.23
10	कर्नाटक	11210.69	10603.88			21814.57
11	केरल	17063.87	9787.21		116.12	26967.20
12	मध्य प्रदेश	44170.13	52148		1021.3	97339.43
13	महाराष्ट्र	54123.66	68567.3			122690.96
14	ओडिशा	34791.57	44941.67		2920.92	82654.16
15	पंजाब	0	2238.64			2238.64
16	राजस्थान	30578.55	49697.77		102.93	80379.25
17	तमिलनाडु	8475.18	29266.8		290.76	38032.74
18	तेलंगाना	19046.94	16521.87		221.91	35790.72
19	उत्तर प्रदेश	79039.12	188948.75		1015.8	269003.67
20	उत्तराखंड	17552.27	7314.71		247.09	25114.07
21	पश्चिम बंगाल	54533	49386.15		2308.19	106227.34
	कुल	**553203.17**	**697659.75**	**2754.95**	**16141**	**1269758.91**
	एमएच 3602	**0**				**0.00**
22	दिल्ली	9921.39	5868.93		0.00	15790.32
23	पुद्दुचेरी	0	0		0.00	0.00
	कुल	**9921.39**	**5868.93**	**0**	**0.00**	**15790.32**

क्र. स.	राज्य	आंगनवाड़ी सेवाएं, (सामान्य)	एसएनपी	शौचालय एवं पेयजल की सुविधा	सक्षम	कुल
	2235	**0**				**0.00**
24	अंडमान व निकोबार द्वीप	0	0		0.00	0.00
25	चंडीगढ़	352.46	351.42		0	703.88
26	दादर और नगर हवेली और दमन व दीव	116.53	102.52		0.00	219.05
27	लद्दाख	892.75	622.71		0.00	1515.46
28	लक्षद्वीप	0	42.83		0.00	42.83
	उप–जोड़	**1361.74**	**1119.48**	**0**	**0.00**	**2481.22**
	पूर्वोत्तर राज्य					**0.00**
29	अरुणाचल प्रदेश	0	0	772.53	71.51	844.04
30	असम	52437.35	88746.69		1803.05	142987.09
31	मणिपुर	10727.45	0		20.25	10747.70
32	मेघालय	5187.93	8523.99		68.90	13780.82
33	मिजोरम	3072.52	1144.09		64.13	4280.74
34	नागालैंड	5424.32	6174.68	136.51	72.14	11807.65
35	सिक्किम	0	0		64.13	64.13
36	त्रिपुरा	0	0		146.25	146.25
	कुल	**76849.57**	**104589.45**	**909.04**	**2310.36**	**184658.42**
	एलआईसी					**0.00**
	यूनिसेफ					**0.00**
	चंडीगढ़ को प्रतिपूर्ति					**0.00**
	कुल योग	**641335.87**	**809237.61**	**3663.99**	**18451.40**	**1472688.87**

अनुलग्नक–XV

31.12.2022 को पोषण ट्रैकर के तहत पंजीकृत श्रेणीवार लाभार्थी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बच्चे 0–6 माह	बच्चे 6 माह– 3 वर्ष	बच्चे 3–6 वर्ष	गर्भवती महिलाएं	स्तनपान कराने वाली माताएं	कुल लाभार्थी
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	773	8366	4740	1009	745	15633
आंध्र प्रदेश	120040	1238128	1085888	261631	149431	2855118
अरुणाचल प्रदेश	1667	22897	28050	2629	1428	56671
असम	164918	1330676	1714250	236113	149230	3595187
बिहार	325892	3880958	5039345	735783	400057	10382035
छत्तीसगढ़	67692	1029725	1138477	197828	77557	2511279
दादरा और नगर हवेली – दमन और दीव	3244	13374	9480	4458	3245	33801
दिल्ली	57713	350715	214661	52583	57520	733192
गोवा	4643	34502	23113	5243	5127	72628
गुजरात	261179	1525248	1598365	280267	262346	3927405
हरियाणा	95387	709273	912246	135453	135347	1987706
हिमाचल प्रदेश	35668	218697	200851	40368	37157	532741
जम्मू और कश्मीर	25716	323125	361565	51446	47180	809032
झारखंड	156195	1460406	1571887	272891	168645	3630024
कर्नाटक	177770	1848644	1723939	391018	205736	4347107
केरल	142977	865271	1092072	173916	150482	2424718
लद्दाख	837	8028	8903	958	1009	19735
लक्षद्वीप	497	3425	1636	574	447	6579
मध्य प्रदेश	212957	2953677	3451150	546520	246102	7410406
महाराष्ट्र	313790	2522652	3626267	374813	334271	7171793
मणिपुर	11942	112041	153595	15998	11351	304927
मेघालय	21554	161220	231078	17715	19123	450690
मिजोरम	4794	47124	57284	8488	4670	122360
नागालैंड	543	20736	42756	680	497	65212

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बच्चे 0–6 माह	बच्चे 6 माह– 3 वर्ष	बच्चे 3–6 वर्ष	गर्भवती महिलाएं	स्तनपान कराने वाली माताएं	कुल लाभार्थी
ओडिशा	168771	1593115	1843918	320508	174824	4101136
पुद्दुचेरी	2287	21541	10416	3054	2795	40093
पंजाब	36226	543543	387790	104402	49658	1121619
राजस्थान	225424	2123259	1724302	474527	329852	4877364
सिक्किम	1871	13285	16739	1994	1975	35864
तमिलनाडु	297292	1761668	1210104	345310	302801	3917175
तेलंगाना	125149	943390	800992	204224	127431	2201186
त्रिपुरा	16012	133359	169331	26702	16311	361715
यूटी–चंडीगढ़	3796	18996	23301	3522	3749	53364
उत्तर प्रदेश	1081733	9059177	7665205	1978603	1320585	21105303
उत्तराखंड	36583	383139	280421	73586	50790	824519
पश्चिम बंगाल	392302	3349660	4115817	695401	391966	8945146
कुल	**4595834**	**40633040**	**42539934**	**8040215**	**5241440**	**101050463**

अनुलग्नक–XVI

लाभार्थियों का राज्यवार विवरण – मार्च, 2022 – आईसीडीएस–आरआरएस के तहत

क्र. सं.	राज्य का नाम	सूचित किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	पूरक पोषाहार के लाभार्थी			प्री स्कूल शिक्षा के लाभार्थी		
			बच्चे (6 माह–6 वर्ष)	गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं	कुल एसएनपी लाभार्थी	लड़के (3 से 6 वर्ष)	लड़कियां (3 से 6 वर्ष)	कुल (3 से 6 वर्ष)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	713	13577	2327	15904	2789	2695	5484
2	आंध्र प्रदेश	49018	2112708	584150	2696858	398110	390830	788940
3	अरुणाचल प्रदेश	2688	50087	6831	56918	13657	13289	26946
4	असम	50716	1490200	272931	1763131	420057	413881	833938
5	बिहार	105673	5379326	1339629	6718955	1368915	1370892	2739807
6	चंडीगढ़	417	41606	7994	49600	10713	10137	20850
7	छत्तीसगढ़	49430	2001457	449665	2451122	359132	363358	722490
8	दादर और नगर हवेली और दमन व दीव	172	10246	3084	13330	1982	1924	3906
9	दिल्ली	10896	623111	134396	757507	114855	106701	221556
10	गोवा	1262	65092	12309	77401	4137	3942	8079
11	गुजरात	53036	3391848	712518	4104366	838339	803156	1641495
12	हरियाणा	25932	956900	278203	1235103	131751	130932	262683
13	हिमाचल प्रदेश	17923	362572	87811	450383	58970	56902	115872
14	जम्मू और कश्मीर	20429	530808	98550	629358	120485	116193	236678
15	झारखंड	38272	2117897	494449	2612346	475363	470198	945561
16	कर्नाटक	40982	1995676	407329	2403005	446369	433654	880023
17	केरल	30722	937487	283167	1220654	232402	224845	457247
18	लद्दाख	413	6372	1154	7526	1527	1443	2970
19	लक्षद्वीप	0	NR	NR	NR	NR	NR	NR
20	मध्य प्रदेश	96951	5805974	918400	6724374	1385103	1360003	2745106
21	महाराष्ट्र	89343	5119260	922229	6041489	814537	773633	1588170
22	मणिपुर	3290	82265	11539	93804	17380	16064	33444
23	मेघालय	5474	402830	62253	465083	92857	90400	183257

क्र. सं.	राज्य का नाम	सूचित किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	पूरक पोषाहार के लाभार्थी			प्री स्कूल शिक्षा के लाभार्थी		
			बच्चे (6 माह– 6 वर्ष)	गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं	कुल एसएनपी लाभार्थी	लड़के (3 से 6 वर्ष)	लड़कियां (3 से 6 वर्ष)	कुल (3 से 6 वर्ष)
24	मिजोरम	2238	110226	21256	131482	11256	11007	22263
25	नागालैंड	0	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
26	ओडिशा	73971	3375658	648247	4023905	735091	707959	1443050
27	पुद्दुचेरी	803	28476	8492	36968	2363	2241	4604
28	पंजाब	25422	877118	240182	1117300	161985	152704	314689
29	राजस्थान	27887	1275558	360107	1635665	239638	230123	469761
30	सिक्किम	1311	18459	4334	22793	3707	3694	7401
31	तमिलनाडु	48311	2521274	652316	3173590	449854	432609	882463
32	तेलंगाना	32192	1314294	329283	1643577	242095	238161	480256
33	त्रिपुरा	5997	164617	28354	192971	39097	38468	77565
34	उत्तर प्रदेश	165494	8607090	2495749	11102839	1332548	1264332	2596880
35	उत्तराखंड	16888	495833	125471	621304	89747	88498	178245
36	पश्चिम बंगाल	105861	4047972	863212	4911184	211031	203158	414189
	कुल	**1200127**	**56333874**	**12867921**	**69201795**	**10827842**	**10528026**	**21355868**

नोटः एनआर– आईसीडीएस–आरआरएस पोर्टल में रिपोर्ट नहीं किया गया है

अनुलग्नक–XVII

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान किशोरियों के लिए स्कीम के तहत जारी की गई धनराशि

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	आंध्र प्रदेश	0	9.02
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	0	571.87
4	बिहार	0	0
5	छत्तीसगढ़	158.73	101.24
6	गोवा	0	0.02
7	गुजरात	641.68	777.95
8	हरियाणा	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	एनआई
10	जम्मू और कश्मीर	0	5.233
11	झारखंड	0	0
12	कर्नाटक	0	0
13	केरल	25.07	0.57
14	मध्य प्रदेश	0	एनआर
15	महाराष्ट्र	0	100.86
16	मणिपुर	0	0
17	मेघालय	0	0
18	मिजोरम	0	0
19	नागालैंड	154.97	195.68
20	ओडिशा	96.54	40.8
21	पंजाब	0	एनआर
22	राजस्थान	0	533.95
23	सिक्किम	0	0
24	तमिलनाडु	0	4.22
25	तेलंगाना	0	0

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त	प्रयुक्त
26	त्रिपुरा	0	7.27
27	उत्तर प्रदेश	776.49	1030.76
28	उत्तराखंड	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	एनआर
30	अंडमान और निकोबार	0	एनआई
31	चंडीगढ़	1.74	0
32	दमन और दीव दादर और नगर हवेली	0	एनआर
33	दिल्ली	19.7	0
34	लक्षद्वीप	0.29	0.13
35	पुद्दुचेरी	0	0
36	लद्दाख	2.08	एनआर
	कुल	**1877.29**	**3379.573**

एनआर– रिपोर्ट नहीं किया गया, एनआई– लागू नहीं किया गया

अनुलग्नक–XVIII

वि वर्ष 2021–22 के दौरान किशोरियों के लिए स्कीम के तहत पोषण लाभार्थी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	633
2	अरुणाचल प्रदेश	532
3	असम	68545
4	बिहार	0
5	छत्तीसगढ़	12797
6	गोवा	2
7	गुजरात	39355
8	हरियाणा	1724
9	हिमाचल प्रदेश	एनआई
10	जम्मू और कश्मीर	6813
11	झारखंड	27800
12	कर्नाटक	1805
13	केरल	40
14	मध्य प्रदेश	एनआर
15	महाराष्ट्र	7078
16	मणिपुर	3075
17	मेघालय	414
18	मिजोरम	1300
19	नागालैंड	7629
20	ओडिशा	13082
21	पंजाब	एनआर
22	राजस्थान	32915
23	सिक्किम	21
24	तमिलनाडु	296
25	तेलंगाना	0
26	त्रिपुरा	465
27	उत्तर प्रदेश	161807

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22
28	उत्तराखंड	0
29	पश्चिम बंगाल	एनआर
30	अंडमान और निकोबार	एनआई
31	चंडीगढ़	45
32	दमन और दीव	एनआर
33	दादर और नगर हवेली	306
34	दिल्ली	5
35	लक्षद्वीप	0
36	पांडिचेरी	एनआर
	कुल	**388484**

एनआर – सूचित नहीं किए गए

एनआई– लागू नहीं

अनुलग्नक–XIX

31.12.2022 तक किशोरियों के लिए स्कीम के तहत पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों की सूचना

क्र.सं.	राज्य	पोषण ट्रैकर पर 31.12.2022 तक रिपोर्ट की गई किशोरियों की संख्या	31.12.2022 को पोषण ट्रैकर पर रिपोर्ट की गई आधार सत्यापित किशोरियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	58260	49382
2	बिहार	137855	107013
3	छत्तीसगढ़	104461	74583
4	गुजरात	75566	52710
5	हरियाणा	1374	401
6	हिमाचल प्रदेश	11349	5596
7	जम्मू और कश्मीर	25169	19389
8	झारखंड	182427	54079
9	कर्नाटक	1045	805
10	केरल	16755	14114
11	मध्य प्रदेश	132276	112655
12	महाराष्ट्र	112090	74026
13	ओडिशा	270904	206020
14	पंजाब	207	60
15	राजस्थान	23498	18051
16	तमिलनाडु	46063	37738
17	तेलंगाना	17127	11379
18	उत्तर प्रदेश	159960	132466
19	उत्तराखंड	34426	10320
	कुल	**1410812**	**980787**
1	अरुणाचल प्रदेश	7083	2338
2	असम	164473	120723
3	मणिपुर	62665	44753
4	मेघालय	61028	5715
5	मिजोरम	17602	12817
6	नागालैंड	17553	1577
7	सिक्किम	11493	5179
8	त्रिपुरा	25955	16977
	कुल	**367852**	**210079**
	कुल योग	**1778664**	**1190866**

अनुलग्नक–XX

वर्ष 2021–22 और 2022–23 (31 दिसंबर 2022 तक) के लिए मिशन वात्सल्य के तहत जारी धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022–23 (31.12.2022 तक)
1	आंध्र प्रदेश	476.46	1976.40
2	अरुणाचल प्रदेश	487.92	275.96
3	असम	864.69	289.80
4	बिहार	2203.21	0.00
5	छत्तीसगढ़	1870.35	73.99
6	गोवा	3.43	5.77
7	गुजरात	697.24	2329.53
8	हरियाणा	931.24	1137.21
9	हिमाचल प्रदेश	1453.90	1690.09
10	जम्मू और कश्मीर	1929.69	1647.56
11	झारखंड	1248.02	622.04
12	कर्नाटक	4252.11	837.00
13	केरल	607.45	1284.89
14	मध्य प्रदेश	3057.44	1277.83
15	महाराष्ट्र	5467.46	0.00
16	मणिपुर	3606.76	3432.95
17	मेघालय	1005.91	333.07
18	मिजोरम	1957.58	683.62
19	नागालैंड	1842.69	0.00
20	ओडिशा	4019.15	3755.49
21	पंजाब	172.57	135.61
22	राजस्थान	1542.75	4282.73
23	सिक्किम	807.59	785.64
24	तमिलनाडु	7669.71	628.83
25	तेलंगाना	3850.65	0.00

क्र.सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022–23 (31.12.2022 तक)
26	त्रिपुरा	977.46	98.82
27	उत्तर प्रदेश	4553.91	4460.45
28	उत्तराखंड	507.90	274.43
29	पश्चिम बंगाल	3970.45	360.72
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.50	0.00
31	चंडीगढ़	162.83	554.94
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	142.98	222.59
33	दिल्ली	794.51	211.68
34	लक्षद्वीप	5.05	0.00
35	लद्दाख	126.17	139.02
36	पुद्दुचेरी	271.50	0.00
37	अन्य	779.51	3873.84
38	चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन (सीआईएफ)	11791.91	6513.80
	कुल व्यय	**76117.65**	**44196.30**

अनुलग्नक–XXI

31.12.2022 को सीपीएस के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए लाभार्थियों की संख्या के साथ–साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाए जा रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्थित सीसीआई की संख्या*

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए गृह	लाभार्थी (लड़के और लड़कियां)
1	आंध्र प्रदेश	11	507
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	7	209
4	बिहार	30	366
5	छत्तीसगढ़	11	232
6	गोवा	1	21
7	गुजरात	3	105
8	हरियाणा	2	50
9	हिमाचल प्रदेश	8	76
10	जम्मू और कश्मीर	3	124
11	झारखंड	3	10
12	कर्नाटक	5	228
13	केरल	1	34
14	मध्य प्रदेश	4	394
15	महाराष्ट्र	4	175
16	मणिपुर	18	96
17	मेघालय	4	47
18	मिजोरम	5	159
19	नागालैंड	3	31
20	ओडिशा	0	0
21	पंजाब	4	91
22	राजस्थान	7	224
23	सिक्किम	1	50
24	त्रिपुरा	3	118

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए गृह	लाभार्थी (लड़के और लड़कियां)
25	तमिलनाडु	5	386
26	तेलंगाना	0	0
27	उत्तर प्रदेश	24	517
28	उत्तराखंड	4	105
29	पश्चिम बंगाल	31	1326
30	अंडमान और निकोबार	1	20
31	चंडीगढ़	3	21
32	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	0	0
33	लद्दाख	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0
35	पुदुचेरी	5	69
36	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	13	52
	कुल	**224**	**5843**

** सीसीआई में पुनर्वास और बहाली और नए प्रवेश के आधार पर बच्चों की संख्या भिन्न हो सकती है।*

अनुलग्नक–XXII

जेंडर बजटिंग 2023–24

केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के लिए संक्षिप्त दिशानिर्देश

I. प्रस्तावना

1. जेंडर समानता एक मौलिक मानव अधिकार है, और समान विकास के लिए एक आवश्यक आधार है। यह एक स्टैंडअलोन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (एसडीजी5) है, और एक क्रॉस–कटिंग उद्देश्य है जो अन्य लक्ष्यों की उपलब्धि में तेजी ला सकता है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त वित्तपोषण महत्वपूर्ण है और इसके लिए जेंडर बजटिंग एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है।

2. जेंडर बजटिंग, बजट बनाने का एक दृष्टिकोण है जो सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रक्रियाओं में लैंगिक समानता के दृष्टिकोण को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अलग–अलग लैंगिक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर सार्वजनिक संसाधनों को एकत्र और कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए।

3. जेंडर बजटिंग का औचित्य इस मान्यता से उत्पन्न होता है कि सरकारी बजट संसाधन आवंटन के पैटर्न के माध्यम से लोगों को अलग तरह से प्रभावित करता है। यह इस आधार पर भी है कि राजकोषीय नीतियां विकास और इक्विटी को प्रभावित करती हैं, और जिस तरह से सरकार की योजना और बजट में लैंगिक असमानताओं को कम करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की क्षमता है।

4. जेंडर बजटिंग (जीबी) ने 2000 के दशक की शुरुआत से भारत में एक महत्वपूर्ण मार्ग का निर्माण किया है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति में संस्थागत आधार पाता है जो इस बात पर जोर देता है कि "मंत्रालयों द्वारा तैयार की जाने वाली समयबद्ध कार्य योजना में विशेष रूप से, अन्य बातों के अलावा, बजट प्रक्रिया में एक लैंगिक परिप्रेक्ष्य शामिल होना चाहिए"।

5. वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने जेंडर बजट सेल (जीबीसी) जैसे संस्थागत तंत्र और प्रक्रियाओं को अनिवार्य करके, बजट सर्कुलर में जीबी के लिए निर्देश सहित, जेंडर बजट विवरण प्रकाशित करके, और जेंडर जागरूक नीति/नीति सुनिश्चित करके जीबी को प्रोत्साहन प्रदान किया है।

6. नोडल मंत्रालय के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने नीतियों, कार्यक्रमों और बजटों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा में जेंडर विश्लेषण की सुविधा के लिए जेंडर बजटिंग उपकरणों का उपयोग करने के लिए सरकारी संस्थानों और अधिकारियों की तकनीकी क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है।

7. इस दिशानिर्देश का उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों के लिए जेंडर बजट बनाने और जेंडर बजट विवरण तैयार करने के लिए प्रक्रियात्मक कदम निर्धारित करना है। इसका उद्देश्य बजट तैयार करने में शामिल अधिकारियों को अवधारणा को समझने और योजनाओं के वर्गीकरण पर अधिक स्पष्टता हासिल करने और लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए बजटीय आवंटन सुनिश्चित करने में मदद करना है।

II जेंडर बजटिंग की अवधारणा

8. जेंडर बजटिंग लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धताओं को सभी क्षेत्रों में बजटीय प्रतिबद्धताओं में बदलने की रणनीति है। यह पुरुषों और महिलाओं की जरूरतों का आकलन करने के लिए सरकार

के सभी स्तरों पर प्रमुख परिणामों या लक्ष्यों की पहचाने करने ; योजना बनाने, आवंटन और वितरण; और उपलब्धियों की निगरानी और मूल्यांकन पर लागू होता है।

9. जेंडर बजटिंग का मतलब महिलाओं के लिए अलग या नया बजट नहीं है और न ही इसका मतलब यह है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए बजटीय संसाधनों को आधे में बांटा जाए। इसके बजाय, जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया एक जेंडर लेंस से सरकारी बजट की समीक्षा करना चाहती है ताकि यह आकलन किया जा सके कि वे महिलाओं और पुरुषों की अलग–अलग ज़रूरतों को कैसे समाधान और कैसे प्रभावित करते हैं।

10. डेबी बुडलेंडर द्वारा विकसित फाइव स्टेप फ्रेमवर्क जेंडर बजटिंग को क्रियान्वत करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बुनियादी उपकरण है:

चरण 1: किसी दिए गए क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों और लड़कियों और लड़कों (और विभिन्न उप–समूहों) के लिए स्थिति का विश्लेषण।

चरण 2: चरण 1 में वर्णित लैंगिक मुद्दों और अंतरालों को क्षेत्र की नीति किस हद तक संबोधित करती है, इसका आकलन।

चरण 3: चरण 2 में पहचानी गई लिंग–संवेदनशील नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए बजट आवंटन की पर्याप्तता का आकलन।

चरण 4: निगरानी करना कि पैसा योजना के अनुसार खर्च किया गया था, क्या दिया गया था और किसे दिया गया था।

चरण 5: नीति/कार्यक्रम/योजना के प्रभाव का आकलन और चरण 1 में वर्णित स्थिति किस हद तक बदली है।

11. जेंडर बजटिंग के उपरोक्त चरणों का मतलब बजट बनाने का अतिरिक्त अभ्यास नहीं है, बल्कि बजट चक्र के प्रत्येक चरण में आयोजना, बजट और लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं में एकीकृत होना है।

III जेंडर बजटिंग के प्रक्रियात्मक चरण

12. चूंकि जेंडर बजटिंग का दायरा बड़ा है, इसलिए जेंडर बजटिंग की संस्थागत तंत्र और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के लिए निम्नलिखित प्रक्रियात्मक कदम हैं:

(1) **जेंडर बजट सेल** : जेंडर बजट प्रकोष्ठः आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को जेंडर बजट प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए दिसंबर, 2004 में निर्देश जारी किए। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 8 मार्च 2007 को जेंडर बजट प्रकोष्ठों के लिए एक चार्टर जारी किया जो सभी मंत्रालयों/विभागों में जीबी पहलों के समन्वय के लिए फोकल इकाइयों के रूप में जीबीसी के गठन, संरचना और कामकाज के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है। जीबीसी के कार्यों में मोटे तौर पर (क) मंत्रालय/विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों का लिंग विश्लेषण और परिणाम बजट से जोड़ना; (ख) निष्पादन लेखा परीक्षा संचालित करना; (ग) नीति/कार्यक्रम कार्यान्वयन, बजट और खातों के निर्माण से संबंधित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन; और (घ) डिवीजनों/विभागों द्वारा जेंडर बजटिंग पहलों की सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करना शामिल है।

अक्टूबर 2021 में, एमडब्ल्यूसीडी ने जीबीसी को मजबूत और पुनर्गठित करने, नोडल अधिकारियों को नामित करने और जेंडर बजट विवरण में रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों को पत्र संख्या 15/1/2019–जीबी डीओ जारी किया किया था। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में जेंडर बजटिंग के लिए नोडल अधिकारी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ एक परामर्श भी जारी किया गया।

(2) **प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण** –एमडब्ल्यूसीडी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रमुख अधिकारियों की जीबी क्षमता निर्माण और विशेषज्ञता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसने हैंडबुक और एफएक्यू सहित प्रशिक्षण सामग्री विकसित की है। जीबी पर समय–समय पर प्रशिक्षण देने के लिए एक नोडल संस्थान की पहचान करने और नामित करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह जारी की गई है। मिशन शक्ति के हिस्से के रूप में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जेंडर बजटिंग पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, अनुसंधान आदि के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए एक जेंडर बजटिंग स्कीम क्रियान्वित करता है।

(3) **नीतियों और स्कीमों का जेंडर विश्लेषणः**

- कैबिनेट नोट नीति निर्माण और विभिन्न कार्यक्रमों के सफल निष्पादन के लिए पुमुख हैं। सितंबर 2014 की कैबिनेट नोट लिखने की हैंडबुक में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि समानता, नवाचार और सार्वजनिक जवाबदेही के पहलुओं को प्रासंगिक सीमा तक नोट के **परिशिष्ट II** के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, यह वंचित समुदायों, लिंग, गरीबी,आदि के संदर्भ में सामाजिक आर्थिक समानता को भी स्वीकार करता है। इस प्रकार विस्तृत कैबिनेट नोटों के माध्यम से लिंग समानता को संबोधित किया जा सकता है।
- अप्रैल 2014 में, प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के ज्ञापन में सभी नए कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों के लिए आयोजना स्तर पर एक जेंडर परिप्रेक्ष्य शामिल था। ईएफसी प्रारूप की धारा 3 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है – 'यदि योजना में कोई लिंग संतुलन पहलू या घटक हैं जो विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए निर्देशित हैं, तो कृपया उन्हें स्पष्ट रूप से सामने लाएं'। इसलिए नीतियों और योजनाओं का लैंगिक विश्लेषण यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि योजनाएं महिलाओं की जरूरतों और प्राथमिकताओं पर विचार करें और उन्हें समाधान करें।

(4) **अलग जेंडर आंकड़ा, सूचकांक और लक्ष्य** : नीति आयोग के आउटकम–आउटपुट मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के लिए जरूरी है कि सूचकांक को जेंडर समेत अलग–अलग आयामों के हिसाब से अलग किया जाए। आउटकम बजट इस बात का प्रगति कार्ड है कि कैसे मंत्रालयों ने वार्षिक बजट में घोषित परिव्यय या धन का उपयोग किया है। जेंडर बजटिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसी मंत्रालय/विभाग की आंकड़ा संग्रह प्रणाली

में जेडर–संबंधित आंकड़ा मदों को शामिल करने की आवश्यकता है, और व्यक्तियों से संबंधित सभी मदों को लिंग–विच्छेदित किया जाना चाहिए। यह नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के पूर्व–बजट और बजट के बाद के जेंडर विश्लेषण के साथ–साथ जेंडर बजट विवरण तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

5) **जेंडर बजट विवरण:** वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट के व्यय विवरण के हिस्से के रूप में एक जेंडर बजट विवरण (विवरण 13) प्रकाशित करता है। जेंडर बजट विवरण (जीबीएस) एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण तंत्र है जिसका उपयोग मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यक्रमों और बजटों की लैंगिक प्रविष्टियों को ट्रैक और समीक्षा करने और महिलाओं के लिए रिपोर्टिंग और प्रदर्शनी की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है।

(6) **कार्यान्वयन और निगरानी:** विभिन्न स्तरों पर स्कीमों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं। अधिकांश सरकारी स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग के आउटपुट–आउटकम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों में आंकड़ों के आदान–प्रदान को बढ़ावा दिया जाता है। वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में स्कीमों और कार्यक्रमों के वास्तविक निष्पादन की समीक्षा करना और लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाओं की पहचान करना (जैसे वितरण बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण आदि को मजबूत करने की आवश्यकता) महत्वपूर्ण है। जेंडर ऑडिट या निष्पादन लेख सार्वजनिक व्यय की निगरानी का एक और तरीका है। लैंगिक बजट प्रकोष्ठों द्वारा आंतरिक रूप से कार्यक्रमों की लैंगिक लेखापरीक्षा करने, लैंगिक समानता लक्ष्यों पर बजट आवंटन/सार्वजनिक व्यय के प्रभाव को मापने और कार्यान्वयन में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए आवंटन में समायोजन की अनुमति देने के लिए पांच चरणों वाली रूपरेखा का उपयोग किया जा सकता है।

IV. जेंडर बजट विवरण तैयार करना

13. वित्त मंत्रालय का वार्षिक बजट परिपत्र केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को बजट प्रस्तुत करने के साथ–साथ एक जेंडर बजट विवरण (जीबीएस) तैयार करने और प्रस्तुत करने का अधिदेश देता है। यह नोट करता है कि जेंडर बजटिंग, बजटिंग के दौरान विकास के सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है।

14. जीबीएस का उद्देश्य यह दर्शाना है कि लैंगिक समानता के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मंत्रालय/विभाग महिलाओं पर कितना आवंटन और खर्च कर रहे हैं। पिछले 17 वर्षों में जीबीएस, 2005–06 में इसकी शुरुआत के बाद से, जीबी को संस्थागत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु बन गया है। यह मंत्रालयों/विभागों के लिए लैंगिक दृष्टिकोण से उनकी स्कीमों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने और महिलाओं के लिए बजटीय आवंटन और व्यय की रिपोर्ट करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

15. जीबीएस एक जवाबदेही तंत्र के रूप में कार्य करता है जो महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से मंत्रालय/विभागीय स्कीमों और कार्यक्रमों की पहचान करने और मानचित्रण करने का अवसर प्रदान करता है। यह एक निर्धारित प्रारूप में मंत्रालयों/विभागों को प्रस्तुत करने और मानक बजट दस्तावेजों के साथ संसद में पेश करने के आधार पर आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समेकित बजट दस्तावेज है।

स्कीमों का वर्गीकरण

16. केंद्र सरकार का जीबीएस प्रारूप किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा महिलाओं के लिए बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय को दर्ज करता है। सरकारी कार्यक्रमों/स्कीमों को मंत्रालयों/विभागों द्वारा महिलाओं के लिए किए गए बजट आवंटन के प्रतिशत के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना है।

भाग क: महिलाओं और लड़कियों के लिए विशिष्ट रूप से लक्षित आवंटन के 100% वाली स्कीमे

भाग ख: महिला समर्थक स्कीमें जिनमें 30–99% आवंटन महिलाओं के लिए है

EXPENDITURE PROFILE
STATEMENT NO. 13

APPENDIX XVIII
(See Paragraph 13.2)
FORMAT FOR FURNISHING INFORMATION ON 'GENDER BUDGETING'
(i)100% provision towards women

Demand No : ..... Name of the Ministry/Department : .....

(₹ in crore)

Details ofScheme	BE 2022-2023	RE 2022-2023	BE 2023-2024

(ii)Pro-women (at least 30% of provision)

Demand No : ..... Name of the Ministry/Department : .....

(₹ in crore)

Details ofScheme	BE 2022-2023	RE 2022-2023	BE 2023-2024

Note : Two separate statements in the format prescribed above may be furnished

स्रोत: बजट परिपत्र 2023–24, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

रिपोर्टिंग की पद्धति

17. जीबीएस की तैयारी के लिए मंत्रालयों/विभागों को मौजूदा स्कीमों और कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए बजटीय आवंटन की रिपोर्ट करने के साथ–साथ आवश्यक होने पर विशिष्ट बजटीय कार्यक्रम/घटक तैयार करने की आवश्यकता होती है। स्कीमों और कार्यक्रमों का लैंगिक विश्लेषण एक पूर्वापेक्षा है क्योंकि यह सार्वजनिक सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच, लैंगिक अंतराल से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और महिलाओं के जीवन पर कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है।

18. लाभार्थी–उन्मुख और गैर–लाभार्थी–उन्मुख स्कीमें और कार्यक्रमों के लिए स्कीमों का भाग क और भाग ख में वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अनुसरण किए जाने वाले कदम निम्नलिखित हैं:

चरण 1– उन स्कीमों/कार्यक्रमों की पहचान करना जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए हैं, यानी केवल महिलाओं पर लक्षित हैं और महिलाओं के लिए 100% बजटीय आवंटन हैं। इन स्कीमों/कार्यक्रमों को जीबीएस के भाग क में रिपोर्ट किया जाना है

चरण 2– महिलाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से समग्र स्कीमों/कार्यक्रमों के भीतर जेंडर घटक की पहचान करना है और जीबीएस के भाग ख में स्कीमों या उनके उप–घटकों के लिए बजटीय आवंटन के अनुपात की रिपोर्ट किया जाना है।

i. लाभार्थी–उन्मुख स्कीमों के लिए, जेंडर के आधार पर लाभार्थियों/अंतिम–उपयोगकर्ताओं को अलग करें और महिला लाभार्थियों के लिए बजट आवंटन के अनुपात की रिपोर्ट करें। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, व्यक्तिगत या महिला लाभार्थियों के समूह के लिए हो सकता है। अलगाव महिला पहुंच से संबंधित वास्तविक डेटा, या स्कीमों और कार्यक्रमों के भीतर निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित हो सकता है।

ii. गैर–लाभार्थी उन्मुख स्कीमों के लिए, बुनियादी ढांचे और पूंजी बजट कार्यक्रमों सहित, किसी भी गतिविधि में शामिल महिला उपयोगकर्ताओं/महिलाओं के हिस्से के अनुमान के आधार पर, औचित्य के साथ बजट आवंटन के अनुपात की रिपोर्ट करें।

चरण 3 – क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए महिलाओं के लिए सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपायों की पहचान की जा सकती है और बजट तैयार किया जा सकता है।

चरण 4 – मंत्रालय/विभाग में रोजगार पैटर्न का विश्लेषण करें, और महिलाओं के लिए निर्धारित पदों के लिए बजट आवंटन का अनुमान लगाएं या उन उपायों का पता लगाएं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हों।

चरण 5 – आउटपुट के साथ लिंक – आउटकम फ्रेमवर्क बजट और जेंडर संबंधी अलग–अलग वित्तीय परिव्यय।

चरण 6 – जमा करने से पहले जेंडरविशिष्ट कार्यक्रम और स्कीमों के वर्गीकरण की समीक्षा करें और अनुपात गणना के औचित्य के आधार पर रिपोर्टिंग की सटीकता सुनिश्चित करें।

19. जेंडर बजट विवरण में महिलाओं के लिए आवंटन की रिपोर्टिंग आगे–पीछे लेखा प्रक्रिया नहीं है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा महिलाओं के लिए निधि प्रवाह का आकलन करके जेंडर इरादतन स्कीमों और कार्यक्रमों को सुनिश्चित करना है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि यह क्षेत्र के पूर्व–पूर्व लैंगिक विश्लेषण पर आधारित हो और लैंगिक असमानताओं को कम करने और महिलाओं के लिए समान अवसरों को बढ़ाने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों का बजट कैसे बनाया जा सकता है, इसकी पहचान की जाए।

20. प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक या बुनियादी ढांचा क्षेत्र हो, महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने कार्यक्रमों और योजनाओं की लैंगिक जवाबदेही को बेहतर ढंग से समझने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को संबोधित कर सकते हैं :

- वे कौन से लक्ष्य और उद्देश्य हैं जिन्हें मंत्रलय/विभाग प्राप्त करना चाहता है? वे लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्राप्त करने के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य में कैसे योगदान करते हैं?
- मेरे मंत्रालय/विभाग के कार्य क्षेत्र में महिलाओं की क्या जरूरतें और प्राथमिकताएं हैं, खासकर जो गरीब या हाशिए पर हैं?
- क्या ये वर्तमान में मंत्रालय/विभाग की नीतियों, स्कीमों, कार्यक्रमों, योजनाओं और बजट में शामिल और संबोधित हैं?
- मंत्रालय/विभाग इस वर्ष कौन–सी गतिविधियां चलाएगा जिससे लैंगिक अंतर कम होगा?
- महिलाओं और लड़कियों तक अपनी सेवाएं पहुँचाने में मंत्रालय/विभाग को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है?
- क्या लैंगिक अंतराल को पाटने और महिलाओं के लिए समान अवसर पैदा करने के लिए बजट आवंटन किया गया है?

21. जेंडर बजट विवरण 2022–23 से संबंधित निर्देशों के लिए, डी.ओ. आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या 15(28)–बी(डी)/2020 दिनांक 25 नवंबर 2022 का संदर्भ लें।

अनुलग्नक–XXIII

प्राप्त शिकायतों का प्रकृति–वार विवरण:

क्र. सं.	श्रेणी	1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक	1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक	व्यय
1	एसिड अटैक	1	8	9
2	द्विविवाह/बहुविवाह	48	172	220
3	महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध	237	690	927
4	महिलाओं को मातृत्व लाभ से वंचित करना	17	66	83
5	दहेज मृत्यु	72	285	357
6	महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता	11	28	39
7	शिक्षा और कार्य के समान अधिकार सहित लैंगिक भेदभाव	12	15	27
8	विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न	1011	3602	4613
9	महिलाओं का अशोभनीय चित्रण	12	8	20
10	मिश्रित	0	9	9
11	महिलाओं का अपमानजनक शील/उत्पीड़न	384	2143	2527
12	महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता	439	1186	1625
13	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण	1399	5584	6983
14	बलात्कार/बलात्कार का प्रयास	326	1385	1711
15	विवाह/सम्मान संबंधी अपराधों में चयन का अधिकार	92	318	410
16	सम्मान से जीने का अधिकार	2211	7525	9736
17	लिंग चयनात्मक गर्भपात/कन्या भ्रूण हत्या / एमनियोसेंटेसिस	1	6	7
18	यौन हमला	30	129	159
19	यौन उत्पीड़न	158	674	832
20	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न	48	239	287
21	पीछा करना/ताक–झांक करना	80	220	300
22	महिलाओं के अधिकारों के लिए अपमानजनक पारंपरिक प्रथाएं जैसे सती प्रथा, देवदासी प्रथा, डायन का शिकार	7	5	12
23	महिलाओं की तस्करी/वेश्यावृत्ति	15	47	62
24	तलाक की स्थिति में बच्चों की हिरासत का महिलाओं का अधिकार	1	1	2
	कुल	**6612**	**24345**	**30957**

अनुलग्नक –XXIV

प्राप्त शिकायतों का राज्य–वार विवरण:

क्र. सं.	श्रेणी	1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक	1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक	कुल
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	6	6
2	आंध्र प्रदेश	39	130	169
3	अरुणाचल प्रदेश	1	3	4
4	असम	26	96	122
5	बिहार	315	1053	1368
6	चंडीगढ़	13	52	65
7	छीसगढ	26	122	148
8	दादरा और नगर हवेली	1	5	6
9	दमन और दीव	0	1	1
10	दिल्ली	750	2254	3004
11	गोवा	5	13	18
12	गुजरात	62	171	233
13	हरियाणा	299	1063	1362
14	हिमाचल प्रदेश	27	71	98
15	जम्मू और कश्मीर	42	102	144
16	झारखंड	112	280	392
17	कर्नाटक	160	394	554
18	केरल	43	116	159
19	मध्य प्रदेश	254	887	1141
20	महाराष्ट्र	363	1018	1381
21	मणिपुर	0	4	4
22	मेघालय	2	2	4
23	मिजोरम	1	0	1
24	नागालैंड	0	2	2
25	ओडिशा	47	123	170

क्र. सं.	श्रेणी	1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक	1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक	कुल
26	पुद्दुचेरी	6	12	18
27	पंजाब	97	385	482
28	राजस्थान	248	782	1030
29	सिक्किम	1	3	4
30	तमिलनाडु	175	493	668
31	तेलंगाना	59	177	236
32	त्रिपुरा	4	13	17
33	उत्तर प्रदेश	3200	13673	16873
34	उत्तराखंड	97	355	452
35	पश्चिम बंगाल	137	484	621
	कुल	**6612**	**24345**	**30957**

अनुलग्नक –XXV

एनसीपीसीआर के अधिदेश/कार्य का अधिनियम वार ब्यौरा

आयोग का अधिदेश

1. आयोग को सभी या निम्नलिखित में से कोई कार्य करने का अधिदेश प्राप्त है :

2. सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13(1) के अंतर्गत

(i) बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करने के लिए उस समय लागू किसी भी कानून के तहत या उसके द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा;

(ii) केंद्र सरकार को, वार्षिक और ऐसे अन्य अंतरालों पर, जैसा कि आयोग सही समझता हो, उन सुरक्षा उपायों के कार्य पर रिपोर्ट पेश करना;

(iii) बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में पूछताछ करना और ऐसे मामलों में कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करना;

(iv) आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी / एड्स, व मानव दुर्व्यापार, कुपोषण, यातना और शोषण, पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बच्चों के अधिकारों के आनंद/खुशी को बाधित करने वाले सभी कारकों की जांच करना और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना;

(v) उन बालकों से, जिन्हें विशेष देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, जिनके अंतर्गत कष्टों से पीड़ित बच्चों, तिरस्कृत और असुविधाग्रस्त बच्चों, विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों, किशोर, कुटुम्ब रहित बच्चों और कैदियों के बच्चे भी हैं, संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करना और उपयुक्त उपचारी उपायों की सिफारिश करना;

(vi) बाल अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों/ प्रलेखन का अध्ययन करना और विद्यमान नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों का आवधिकपुनर्विलोकन करना तथा बच्चों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(vii) बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे अग्रसर करना;

(viii) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, विचार गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना;

(ix) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी किशोर अभिरक्षागृह या किसी अन्य निवास स्थान या बच्चों के लिए बनाई गई संस्था, जिसके अंतर्गत किसी सामाजिक संगठन द्वारा चलाए जाने वाली संस्था भी है, का निरीक्षण करना या करवाना; जहां बच्चों को उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और किसी उपचारी कार्रवाई के लिए, यदि आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना;

(x) निम्नलिखित से संबंधित मामलों के परिवादों की जांच करना और इन मामलों पर स्वप्रेरणा से विचार करना :

क) बाल अधिकारों से वंचन और उनका अतिक्रमण;

ख) बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए उपबंध करने वाली विधियों का अक्रियान्वयन;

ग) बच्चों की कठिनाइयों को दूर करने और बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने तथा ऐसे बच्चों को अनुतोष प्रदान करने के उद्देश्य के लिए नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शनों या अनुदेशों का अनुपालन; या ऐसे विषयों के उद्भूत मुद्दों पर समुचित पदाधिकारियों के साथ बातचीत करना; और

(xi) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो बच्चों के अधिकारों के संवर्धन और उपर्युक्त कृत्यों से आनुषंगिक कोई अन्य मामला।

3. एनसीपीसीआर नियम, 2006 के नियम 17 के अंतर्गत

(i) बाल अधिकारों पर अभिसमय के अनुपालन का आकलन करने के लिए मौजूदा कानून, नीति और कार्य का विश्लेषण करना, पूछताछ करना और बच्चों को प्रभावित करने वाली नीति या व्यवहार के किसी भी पहलू पर रिपोर्ट तैयार करना और बाल अधिकार के नजरिए से प्रस्तावित नए कानून पर टिप्पणी करना;

(ii) केंद्र सरकार को, वार्षिक और ऐसे अन्य अंतरालों पर, जैसा कि आयोग सही समझता हो, उन सुरक्षा उपायों के कार्य पर रिपोर्ट पेश करना;

(iii) जहां भी बच्चों के स्वयं या उनके बदले में संबंधित व्यक्ति द्वारा चिंताव्यक्त किया गया हो पर औपचारिक जांच शुरू करना;

(iv) प्राथमिकताओं और परिप्रेक्ष्य को प्रतिबिंबित करने के लिए आयोग का कार्य प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के विचारों द्वारा सूचित किया जाना सुनिश्चित करना ;

(v) अपने काम में और बच्चों के साथ काम करने वाले सभी सरकारी विभागों और संगठनों में बच्चों के विचारों का प्रोत्साहन, सम्मान और गंभीर रूप से ध्यान प्रदान करना;

(vi) बाल अधिकारों से संबंधित सूचना का सृजन और प्रचार–प्रसार करना;

(vii) बच्चों के संबंध मे डाटा संग्रह करना और उसका विश्लेषण करना

(viii) स्कूल पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण और बच्चों से निपटने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण में बाल अधिकारों को शामिल करने को को बढ़ावा देना।

4. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 की धारा 31 के अंतर्गत

(i) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित अधिकारों के रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(ii) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करना; और

(iii) उक्त बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 और धारा 24 के अधीन यथा उपबंधित आवश्यक उपाय करना।

5. बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 44 और पोक्सो अधिनियम, 2012 के नियम 6 के अंतर्गत

(क) यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(ख) राज्य सरकारों नामित विशेष न्यायालयों की निगरानी करना;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा लोक अभियोजकों की नियुक्ति की निगरानी करना;

(घ) गैर–सरकारी संगठनों, पेशेवरों और विशेषज्ञों या मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक

स्वास्थ्य और ज्ञान का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों, बच्चे की सहायता के लिए पूर्व–परीक्षण और परीक्षण चरण के साथ जुड़े व्यक्तियों के उपयोग के लिए राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 39 में वर्णित दिशानिर्देशों के निरूपण की निगरानी करना और इन दिशानिर्देशों के प्रयोग की निगरानी करना;

(ड.) अधिनियम के तहत अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए पुलिस कर्मियों और केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल के डिजाइन और कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(च) नियमित अंतराल पर टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की निगरानी और समर्थन करना, ताकि आम जनता, बच्चों के साथ–साथ उनके माता–पिता और अभिभावक अधिनियम के प्रावधानों से अवगत हो सकें;

(छ) सीडब्ल्यूसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाल यौन शोषण के किसी भी विशिष्ट मामले पर रिपोर्ट मंगाना;

(ज) अधिनियम के तहत स्थापित प्रक्रियाओं के तहत निम्नलिखित पर जानकारी सहित यौन दुर्व्यवहार के मामलों और उनके निपटान के बारे में संबंधित एजेंसियों से जानकारी या अपने आप से आंकड़ा एकत्र करना : –

(i) अधिनियम के तहत रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या और विवरण;

(ii) क्या अधिनियम और नियमों के तहत टाइमफ्रेम से संबंधित सहित निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था ;

(iii) इस अधिनियम के तहत आपातकालीन चिकित्सा देखरेख और चिकित्सा जांच की व्यवस्था सहित अपराधों के पीड़ितों की देखरेख और सुरक्षा की व्यवस्था का विवरण; तथा,

(iv) किसी भी विशिष्ट मामले में संबंधित सीडब्ल्यूसी द्वारा बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के आकलन के बारे में विवरण।

6. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 109 के अंतर्गत

i. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की, यथास्थिति, धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और धारा 17 के अधीन गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (जिन्हें इसमें, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग कहा गया है) उक्त अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे गए कृत्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, मानीटर भी करेंगे।

ii. यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी विषय में जांच करते समय वहीं शक्तियां प्राप्त होंगी जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अधीन राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग में निहित हैं।

iii. यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग इस धारा के अधीन के अपने क्रियाकलापों को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 16 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेगा।

7. मॉडल किशोर (देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 की धारा 91 के तहत

i. अधिनियम के तहत सृजित संस्थानों की स्थापना की समीक्षा करना;

ii. बाल संरक्षण एवं जेंडर संवेदनशीलता पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का विकास करना;

iii. बच्चों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए प्रोटोकाल विकसित करना;

iv. बच्चों के खिलाफ अपराधों जैसे कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग, मानव दुर्व्यापार, बाल यौन शोषण और बाल विवाह सहित शोषण और बच्चों के खिलाफ हिंसा के अन्य पहलुओं की पहचान और रिपोर्टिंग के बारे में जागरूकता पैदा करना;

v. बढ़े हुए संरक्षण के लिए अपराधों की पहचान और रिपोर्टिंग सहित बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगमों के लिए संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित करना;

vi. पीड़ितों और उसके परिवारों को प्रदान की जा सकने वाली बाल पीड़ितों या गवाहों और उनके परिवारों के अधिकारों का विवरण देने वाली सूचना सामग्री विकसित करना और स्थानीय भाषाओं में उपयोगी जानकारी देना;

vii. राज्य बाल संरक्षण समितियों और एनआईपीसीसीडी आदि के साथ हितधारकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास करना।

8. एनसीपीसीआर की संरचनाः

आयोग की संरचना इस प्रकार हैः

(i) एक अध्यक्ष, जो विख्यात व्यक्ति हो और जिसने बच्चों के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो; और

(ii) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले छह सदस्य (जिनमें से कम से कम दो स्त्रियां होंगी) जो शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देख–रेख, बाल कल्याण या बाल विकास, किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बच्चों या निःशक्तबच्चों की देखरेख, बालक श्रम उन्मूलन या विपदाग्रस्त बच्चों के कष्टों का आहरण, बाल मनोविज्ञान या समाजशास्त्र और बच्चों से संबंधित विधियां के क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे।

अनुलग्नक–XXVI

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड
राज्यवार स्वीकृति और जारी की गई निधि की स्थिति दर्शाने वाला विवरण
परिवार परामर्श केन्द्र स्कीम के अंतर्गत–2022–23 (31.12.2022 तक)

म.बा.वि. मंत्रालय द्वारा आवंटित फंडः 1720.00 लाख रुपये

क्र. सं.	राज्य का नाम	केंद्र की संख्या	स्वीकृत एफसीसी की संख्या	स्वीकृत निधि (लाख रुपये में)	पिछली देनदारियों सहित जारी की गई निधि (रु. लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	27	16	23.04	46.08
2	अंडमान व निकोबार द्वीप	1	1	1.44	1.44
3	चंडीगढ़	4	3	4.32	4.32
4	छत्तीसगढ़	8	2	2.88	2.81
5	दिल्ली	18	16	24.12	23.04
6	गोवा	2	0	0	0
7	गुजरात	40	34	48.96	93.12
8	हरियाणा	12	11	15.84	28.92
9	हिमाचल प्रदेश	6	4	5.76	4.95
10	जम्मू और कश्मीर	26	4	5.76	5.76
11	झारखंड	14	6	8.64	6.29
12	कर्नाटक	31	25	38.16	73.65
13	केरल	35	31	45.18	84.34
14	लक्षद्वीप	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	34	29	41.76	83.90
16	महाराष्ट्र	54	48	69.12	135.44
17	ओडिशा	22	17	25.02	42.12
18	पुद्दुचेरी	7	6	9.18	18.34
19	पंजाब	5	4	5.76	11.88
20	राजस्थान	19	9	12.96	28.07
21	तमिलनाडु	54	42	61.56	123.12
22	तेलंगाना	12	5	7.2	14.40

क्र. सं.	राज्य का नाम	केंद्र की संख्या	स्वीकृत एफसीसी की संख्या	स्वीकृत निधि (लाख रुपये में)	पिछली देनदारियों सहित जारी की गई निधि (रु. लाख में)
23	उत्तर प्रदेश	31	22	31.68	48.29
24	उत्तराखंड	1	1	1.44	1.44
25	पश्चिम बंगाल	40	36	51.84	103.68
	कुल	**503**	**372**	**541.62**	**985.4**
	उत्तर–पूर्व राज्य				
26.	अरुणाचल प्रदेश	2	1	1.44	1.44
27	असम	24	13	19.26	19.26
28	मणिपुर	9	3	4.86	4.72
29	मेघालय	2	1	1.44	1.44
30	मिजोरम	8	5	7.2	7.2
31	नागालैंड	2	1	1.44	1.44
32	सिक्किम	2	1	1.44	1.44
33	त्रिपुरा	10	7	10.62	10.62
	कुल	**59**	**32**	**47.7**	**47.56**
	कुल योग	**562**	**404**	**589.32**	**1032.96**

अनुलग्नक–XXVII

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या					2022 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या											
						सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				अन्य विधि से			
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**	**16.**	**17.**	**18.**
म.बा.वि.मं.	*31.12.2022 तक की स्थिति*																
समूह 'क'	66	10	2	9	45	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
समूह 'ख'	62	20	1	12	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
समूह 'ग' ('एमटीएस शामिल है)	22	10	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**150**	**40**	**6**	**24**	**80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुलग्नक–XXVIII

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
2022 के दौरान विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती								पदोन्नति							
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्ति की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्ति की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17	18.	19.	20.	21.
म.बा.वि.मं.	*31.12.2022 तक की स्थिति*																			
समूह 'क'	66	-	-	1	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	62	-	-	1	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग' ('एमटीएस शामिल है)	22	-	-	0	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
कुल	**150**	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुलग्नक–XXIX

वर्ष 2022–23 के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए के लिए स्कीम परिव्यय (बजट अनुमान और संशोधित अनुमान)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम	ब.आ. 2022–23	सं.आ. 2022–23	वास्तविक 2022–23 (31.12.2022 तक)
क.	**केंद्र प्रायोजित स्कीमें**			
1	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	20263.07	20263.07	**14711.84**
2	मिशन वात्सल्य	1472.17	1100.00	**323.10**
3	मिशन शक्ति			
3.1	संबल	562.00	333.00	**128.93**
3.2	सामर्थ्य	2622.11	1946.93	**1134.35**
	कुल मिशन शक्ति	*3184.11*	*2279.93*	***1263.28***
2	निर्भया फंड से वित्तपोषित अन्य स्कीमें	20.00	20.00	2.48
	कुल स्कीमें	*24939.35*	*23663.00*	***16300.70***
	गैर–योजनाएँ			
1	सचिवालय	64.10	62.10	**44.33**
2	खाद्य और पोषण बोर्ड	9.00	17.99	**12.87**
3	राष्ट्रीय पुरस्कार	1.60	1.60	**0.05**
4	यूनिसेफ में योगदान	5.60	5.60	**0.00**
	कुल सचिवालय सामाजिक सेवाएं	*80.30*	*87.29*	***57.25***
5	**स्वायत्त निकाय**			
5.1	निपसिड	56.80	51.00	**35.26**
5.2	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा)	10.00	7.58	**5.70**
5.3	बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग	21.09	19.71	**17.54**
5.4	राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)	**27.00**	**33.70**	22.24
5.5	केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी)	**37.74**	**50.41**	30.24
	स्वायत्त निकायों को कुल समर्थन	*152.63*	*162.40*	***110.98***
	कुल योग (स्कीम और गैर–स्कीम)	*25172.28*	*23912.69*	***16468.93***

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

CHILD LINE 1098 NIGHT & DAY

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

Sakhi One Stop Centre
सखी वन स्टॉप सेंटर